



नगरपालिकाओं
के
पंचम आम निर्वाचन
वर्ष 2014-15

प्रतिवेदन

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
निर्वाचन भवन
58, अरेरा हिल्स, भोपाल-462011
Website-www.mplocalelection.gov.in
E mail-commissionersec@gmail.com

भोपाल
शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय
2016




नगरपालिकाओं
के
पंचम आम निर्वाचन
वर्ष 2014-15


प्रतिवेदन


मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
निर्वाचन भवन
58, अरेरा हिल्स, भोपाल-462011
Website-www.mplocalelection.gov.in
E mail-commissionersec@gmail.com

भोपाल
शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय
2016



1. नगरपालिका प्रतिवेदन खण्ड-एक
निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित प्रतिवेदन
2. नगरपालिका प्रतिवेदन खण्ड-दो
निर्वाचन संबंधित विस्तृत आँकड़े





नगरपालिकाओं
के
पंचम आम निर्वाचन
वर्ष 2014-15

प्रतिवेदन खण्ड-एक

(निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित प्रतिवेदन)

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

निर्वाचन भवन


58, अरेग हिल्स, भोपाल-462011

Website-www.mplocalelection.gov.in

E mail-commissionersec@gmail.com

भोपाल
शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय

2016



अनुक्रमणिका

सं. क्र. (1)	विषय (2)	पृष्ठ क्रमांक (3)
अध्याय-1	निर्वाचन आयोग तथा निर्वाचन तंत्र	1
1.	निर्वाचन आयोग का गठन—	
2.	निर्वाचन आयोग के जिला स्तरीय कार्यालय एवं उनके कार्य	
अध्याय-2	नगरीय निकायों के पाँचवें आम निर्वाचन वर्ष 2014-2015 एक दृष्टि में	3
अध्याय-3	पृष्ठभूमि, नगरपालिकाओं का गठन तथा वार्डों का निर्धारण	5
1.	पृष्ठभूमि	
2.	नगरपालिकाओं का गठन	
3.	प्रदेश के नगरीय निकायों के सम्बन्ध में संक्षिप्त जानकारी	
4.	परिसीमन	
5.	स्थानों का आरक्षण	
6.	नगरीय निकायों के निर्वाचन की संक्षिप्त जानकारी	
7.	निर्वाचन व्यय सीमा	
8.	निर्वाचन व्यय लेखा	
अध्याय-4	मतदाता सूची	10
1.	मतदाता सूची तैयार करने सम्बन्धी विधिक प्रावधानों का संक्षिप्त विवरण	
2.	मतदाता सूची (वार्डवार) तैयार की जाना	
3.	रजिस्ट्रीकरण, सहायक रजिस्ट्रीकरण तथा अपील अधिकारी	
4.	मतदाता सूची कार्यक्रम एवं जारी किये गये निर्देश	
5.	विशेष प्रयास	
6.	फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का मुद्रण	
7.	मतदाता पर्ची	
अध्याय-5	मतदान केन्द्र एवं निर्वाचन सामग्री	15
1.	मतदाता केन्द्रों की स्थापना एवं उनके सम्बन्ध में अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ	
2.	निर्वाचन सामग्री	
अध्याय-6	नगरपालिका आम निर्वाचन 2014-15 हेतु निर्वाचन कार्यक्रम	17

स. क्र. (1)	विषय (2)	पृष्ठ क्रमांक (3)
अध्याय—7	नाम निर्देशन प्रस्तुत किया जाना, उनकी संवीक्षा तथा अभ्यर्थिता वापसी तथा निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन	18
1.	नाम निर्देशन प्रस्तुत किया जाना	
2.	नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा	
3.	अभ्यर्थिता वापसी	
4.	महापौर/अध्यक्ष तथा पार्षद पदों हेतु चुनाव मैदान में शेष उम्मीदवारों की जानकारी	
5.	निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन	
6.	निर्वाचन प्रतीक आवंटन से सम्बन्धित प्रावधान	
7.	विभिन्न राजनैतिक दलों द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवार	
8.	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की विभिन्न पद अनुसार महिला-पुरुष एवं आरक्षित वर्गवार सांख्यिकीय आंकड़े	
अध्याय—8	निर्विरोध निर्वाचन	31
अध्याय—9	मतदान हेतु की गई विभिन्न प्रशासनिक व्यवस्थाएं	34
1.	मतदान दलों का गठन एवं प्रशिक्षण	
2.	मतदान हेतु सेक्टर ऑफिसर्स की नियुक्ति	
3.	प्रेक्षकों की नियुक्ति	
अध्याय—10	मतपत्रों की व्यवस्था	35
1.	निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र	
2.	सामान्य मतपत्र एवं उनका मुद्रण	
3.	मतपत्रों के मुद्रण के लिए कागज की व्यवस्था	
अध्याय—11	मतदान सामग्री का परिवहन एवं वितरण व्यवस्था	36
अध्याय—12	स्वच्छ एवं निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न कराने की दृष्टि से उठाये गये महत्वपूर्ण कदम	38
1.	आदर्श आचरण संहिता लागू किया जाना	
2.	सुरक्षा व्यवस्था	
3.	शराब के क्रय-विक्रय पर प्रतिबन्ध	
4.	विद्युत की निर्बाध आपूर्ति	
5.	जनसम्पर्क व्यवस्था	
6.	शासकीय कार्यालयों एवं कारखानों में मतदान के दिन अवकाश	
7.	मतदान के दिन निजी वाहनों के परिचालन पर प्रतिबन्ध	

स. क्र. (1)	विषय (2)	पृष्ठ क्रमांक (3)
अध्याय—13	मतदान का परिदृश्य	41
अध्याय—14	मतगणना तथा निर्वाचन परिणाम	43
1.	मतगणना	
2.	निर्वाचन परिणाम	
3.	निक्षेप राशि (जमानत) खोने वाले अभ्यर्थी	
4.	निर्वाचित प्रतिनिधियों का आयु-वार विश्लेषण	
अध्याय—15	आरक्षित वर्गों का प्रतिनिधित्व	45
अध्याय—16	विविध	47
1.	उच्च न्यायालय में प्रस्तुत याचिकाएं	
2.	निर्वाचन से सम्बन्धित शिकायतें	
3.	आयोग के प्रकाशन	
4.	अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराई गई जानकारी	
5.	पारदर्शिता	

परिशिष्ट


- परिशिष्ट-1** आयोग के स्वीकृत पद
- परिशिष्ट-2** नगरपालिका निर्वाचन में रिटर्निंग ऑफिसर तथा सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के पद पर नियुक्त किये जाने वाले अधिकारियों के पदनाम.
- परिशिष्ट-3** नगरपालिकाओं में विभिन्न वर्गों तथा महिलाओं के लिए आरक्षण की स्थिति एवं अन्य बुनियादी जानकारी.
- परिशिष्ट-4** आम निर्वाचन वर्ष 2014-15 के पश्चात् सम्पन्न होने वाले आम निर्वाचन हेतु नगरीय निकायों की सूची
- परिशिष्ट-5** अनुसूचित क्षेत्रों के नगरीय निकाय जिनके निर्वाचन आम निर्वाचन 2014-15 के साथ नहीं हुए.
- परिशिष्ट-6** नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2014-15 के मतदाताओं की जानकारी
- परिशिष्ट-7** निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा अपील प्राधिकारी के कृत्यों के सम्पादन के लिए पदाभिहित अधिकारी
- परिशिष्ट-8** नगरपालिका आम निर्वाचन 2014-मतदाता सूचियों की तैयारी के पर्यवेक्षण हेतु जिलों में नियुक्त प्रेक्षकों की सूची.
- परिशिष्ट-9** मतदान केन्द्रों में परिवर्तन के संबंध में जिलों से प्राप्त प्रस्ताव
- परिशिष्ट-10** नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2014-15 हेतु अमिट स्याही का वितरण चार्ट
- परिशिष्ट-11** नगरपालिका आम निर्वाचन 2014-15 हेतु पुस्तकों एवं प्ररूप का वितरण
- परिशिष्ट-12** नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2014 मतदान हेतु प्रथम व द्वितीय चरण में सम्मिलित किये जाने वाले नगरीय निकायों की चरणवार जानकारी
- परिशिष्ट-13** नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2014-15 मतदान हेतु तृतीय चरण में सम्मिलित किये जाने वाले नगरीय निकायों की चरणवार जानकारी
- परिशिष्ट-14** मुक्त प्रतीक
- परिशिष्ट-15** निर्वाचन हेतु जिलों में नगरीय निकायों के पर्यवेक्षण हेतु प्रेक्षकों की नियुक्ति संबंधी सूची
- परिशिष्ट-16** नगरपालिका के आम/उप-निर्वाचन वर्ष 2014-15 हेतु मतपत्रों के मुद्रण हेतु जिलों का शासकीय मुद्रणालयों से सम्बद्धीकरण
- परिशिष्ट-17** नगरपालिका निर्वाचन के लिए आदर्श आचरण संहिता
- परिशिष्ट-18** पुनर्मतदान की जानकारी
- परिशिष्ट-19** मतदाता, मतदान करने वाले व्यक्ति एवं मतदान का प्रतिशत की जानकारी

- परिशिष्ट-20 (अ) नगरपालिक निगम के महापौर पद हेतु जमानत जब्त होने वाले अभ्यर्थियों की जानकारी
- परिशिष्ट-20 (ब) नगरपालिक निगम के पार्षद पद हेतु जमानत जब्त होने वाले अभ्यर्थियों की जानकारी
- परिशिष्ट-20 (स) अध्यक्ष-नगरपालिकावार जमानत जब्त होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या
- परिशिष्ट-20 (द) पार्षद-नगरपालिकावार जमानत जब्त होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या
- परिशिष्ट-20 (इ) नगर परिषद के अध्यक्ष पद हेतु जमानत जब्त होने वाले अभ्यर्थियों की जानकारी
- परिशिष्ट-20 (फ) नगर परिषद के पार्षद पद हेतु जमानत जब्त होने वाले अभ्यर्थियों की जानकारी
- परिशिष्ट-21 पार्टीवार/नगरीय निकाय प्रकार वार विजेताओं की सांख्यिकी जानकारी
- परिशिष्ट-22 माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर (म. प्र.) में वर्ष 2011 में दर्ज प्रकरणों का विवरण
- परिशिष्ट-23 शिकायतों का निवारण
- परिशिष्ट-24 नगरपालिका के आम निर्वाचन 2014-15 में प्रकाशित निर्देश पुस्तिकाएं.

ग

नी

कि



प्राक्कथन

नगरीय निकायों तथा पंचायतों को स्थानीय शासन की सक्षम एवं सशक्त इकाईयाँ बनाने के उद्देश्य से संविधान में तिहतरवां तथा चौहतरवां संशोधन किया गया। इन इकाईयों के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव निर्धारित समय पर कराने के लिए एक स्वतंत्र राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान, इन संशोधनों में किया गया है। इस प्रावधान के अंतर्गत मध्यप्रदेश में फरवरी, 1994 में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। गठन के तीन-चार माह के अंदर ही पंचायतों के प्रथम आम निर्वाचन मई-जून, 1994 में करा लिये गये और उसके छः माह के अंदर की नगरीय निकायों के निर्वाचन भी नवम्बर-दिसम्बर, 1994 में पूर्ण करा लिये गये। तब से संविधान द्वारा निर्धारित अवधि अर्थात् पाँच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के पूर्व नगरीय निकायों के निर्वाचन निरन्तर कराये जाते रहे हैं। नगरीय निकायों के द्वितीय आम निर्वाचन नवम्बर-दिसम्बर 1999 में एवम् तृतीय आम निर्वाचन की प्रक्रिया नवम्बर 2004 को पूर्ण की गई है। चतुर्थ आम निर्वाचन दिसम्बर 2009-जनवरी 2010 में सम्पन्न कराये गये। वर्तमान में पाँचवे आम निर्वाचन वर्ष नवम्बर-दिसम्बर 2014 एवं जनवरी-फरवरी 2015 में पहली बार फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के साथ ई. व्ही. एम. के माध्यम से सम्पन्न कराये गये।

14 नगरपालिक निगम के महापौर तथा पार्षदों, 64 नगरपालिका परिषद् के अध्यक्षों एवं पार्षदों तथा 209 नगर परिषदों के अध्यक्ष एवं पार्षदों, इस प्रकार कुल 287 नगरीय निकायों के महापौर/अध्यक्ष तथा पार्षदों के निर्वाचन की प्रक्रिया पूर्ण की गई।

निर्वाचन का आधार मतदाता सूचियाँ होती हैं। मतदाता सूचियाँ जितनी साफ-सुधारी होंगी निर्वाचन उतने ही निष्पक्ष होंगे, फलतः फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार करायी गयी। यह कार्य बहुत व्यापक होने से इसमें समय अधिक लगता है। आयोग द्वारा मतदाता सूचियाँ पुनरीक्षित करने का कार्य जून 2014 से प्रारम्भ किया गया तथा इसे अक्टूबर 2014 तक सम्पन्न कराया जा सका।

विधि अथवा नियमों में चुनावों के संबंध में आयोग से कोई प्रतिवेदन तैयार करने की अपेक्षा नहीं की गई है किन्तु पूर्व परम्परा के अनुसार भावी संदर्भ हेतु एक विस्तृत प्रतिवेदन आयोग द्वारा तैयार किया गया है जिसमें सिलसिलेवार विभिन्न कार्यवाही का विवरण एवं सांख्यिकी संबंधी जानकारी दी गई है। प्रतिवेदन दो भागों में तैयार किया गया, प्रथम भाग में निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित जानकारी दी गई है। द्वितीय भाग में—निर्वाचन संबंधी विस्तृत आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं।

नगरपालिकाओं के इतने बड़े और व्यापक निर्वाचन में निर्वाचन आयोग जिलों तथा उसके नीचे स्तर तक के अधिकारियों/कर्मचारियों को रात-दिन कठिन प्रिश्रम करना पड़ा। मुझे यह कहते हुए अत्यन्त हर्ष है कि इन अधिकारियों/कर्मचारियों ने इस कार्य को सफलतापूर्वक सम्पन्न कराने में अपनी कुशलता, कार्यक्षमता एवं विश्वसनीयता प्रमाणित की है।

आयोग की स्थापना वर्ष 1994 के प्रथम आम निर्वाचन पश्चात् सर्वाधिक संशोधनों के आधार पर नगरीय निकायों के पाँचवे आम निर्वाचन 2014-2015 में सम्पन्न कराये गये जिसमें एक ओर जहां प्रथमवार फोटो युक्त मतदाता सूची तैयार की गयी, वहीं मतदान मतपेटी के स्थान पर ई. व्ही. एम. से प्रथमवार सम्पन्न कराया गया। एक से अधिक पदों के लिए एक ही ई. व्ही. एम. पर एक साथ मतदान आयोजित करने का संपूर्ण देश में यह अपने आप में सबसे बड़ा कार्यक्रम था। पुस्तके भी नवीन रूप से तैयार की गई नियमों में संशोधन भी कराये गये। नवीन तकनीक से आम निर्वाचन कराना चुनौतीपूर्ण था।


राज्य शासन उसके संबंधित प्रशासनिक विभाग, पुलिस मुख्यालय, जिला प्रशासन, विभिन्न राजनैतिक दल तथा समस्त अर्थर्थी धन्यवाद के पात्र हैं जिनके सहयोग के बिना यह कार्य सम्भव नहीं था।


इस प्रतिवेदन को तैयार करने में आयोग की नगरीय निकाय शाखा एवं आई.टी. शाखा के अधिकारियों तथा कर्मचारियों की कड़ी मेहनत के फलस्वरूप छोटी से छोटी जानकारियों को संग्रहित/संकलित कर एक समग्र प्रतिवेदन तैयार किया जा सका है।

आशा है यह प्रतिवेदन आगामी संदर्भ हेतु उपयोगी सिद्ध होगा।

(आर. परशुराम),
राज्य निर्वाचन आयुक्त
मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश नगरीय आम निर्वाचन 2014–15





अध्याय—१

निर्वाचन आयोग तथा निर्वाचन तंत्र

१. निर्वाचन आयोग का गठन—

संविधान के अनुच्छेद 243-य के मैं यह उपबन्ध है कि नगरपालिकाओं के लिये कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण संविधान के अनुच्छेद 243-ट के अन्तर्गत गठित राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा। अनुच्छेद 243-ट के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग में राज्यपाल द्वारा नियुक्त एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ऐसा अनुरोध करे तब उसे अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए राज्यपाल द्वारा आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध कराये जाएँगे।

उक्त प्रावधानों के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 01 फरवरी, 1994 द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। वर्तमान में श्री आर. परशुराम मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर आसीन हैं।

राज्य निर्वाचन आयोग की अनुशंसा के अनुसार आयोग के लिए राज्य सरकार द्वारा जो पद स्वीकृत किए गये, उनका उल्लेख परिशास्त-1 में हैं।

2. निर्वाचन आयोग के जिला स्तरीय कार्यालय एवं उनके कार्य—

स्थानीय संस्थाओं (पंचायतों तथा नगरपालिकाओं) के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन, निर्वाचन विहित समयावधि में कराया जाना आयोग का संवैधानिक दायित्व है। प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे जाने वाले स्थानों की संख्या वृहद् होने के कारण मृत्यु, त्यागपत्र आदि के कारण आकस्मिक रिक्तियों की संख्या भी बहुत अधिक रहती है। इन रिक्तियों को भरने के लिये वर्ष में दो बार उप-चुनाव कराए जाते हैं। आम और उप-निर्वाचनों के लिए मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण उस वर्ष की पहली जनवरी को आधार मानकर किया जाना होता है। जिला स्तर पर नगरपालिकाओं के निर्वाचन कार्य के संचालन का दायित्व जिला कलेक्टर को पदेन जिला निर्वाचन अधिकारी नियुक्त कर सौंपा गया है कार्य के स्वरूप को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी की सहायता के लिए एक राज्य प्रशासनिक सेवा स्तर के अधिकारी को उप-जिला निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया जाता है। रिटर्निंग ऑफीसर तथा सहायक रिटर्निंग ऑफीसर के रूप में पदाधित अधिकारियों का विवरण परिशिष्ट-दो में है। राज्य सरकार ने आयोग के प्रस्ताव के आधार पर प्रत्येक जिले में स्थानीय संस्थाओं के निर्वाचन-कार्य के लिए निम्ननुसार पद सुजित किये हैं-

- | | |
|---|---|
| <p>(i) उप जिला निर्वाचन अधिकारी (जो कि डिप्टी/संयुक्त कलेक्टर/अपर कलेक्टर स्तर का अधिकारी होगा).</p> <p>(ii) सहायक अधीक्षक (केवल ऐसे जिलों के लिए जिनमें विकासखण्डों की संख्या 8 या उससे अधिक है).</p> <p>(iii) लेखापाल सह उच्च श्रेणी लिपिक</p> <p>(iv) निम्न श्रेणी लिपिक</p> | <p>एक</p> <p>एक</p> <p>एक</p> <p>एक</p> |
|---|---|

जिला स्तरीय कार्यालयों द्वारा पंचायत/नगरपालिकाओं के आम निर्वाचन उपरांत किए जाने वाले कार्यों में निम्नांकित प्रमुख हैं:-

- (क) आकस्मिक रिक्तियों की जानकारी का संकलन करना तथा आयोग को भेजना।
 (ख) मतदाता सूचियों की तैयारी तथा पुनरीक्षण और उनका प्रकाशन।
 (ग) पंचायतों तथा नगरपालिकाओं में आकस्मिक रिक्तियों के लिए उप-निवाचन सम्बन्धीय विवरों का अधिकारी का नियन्त्रण।

- (घ) उच्च न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों तथा निर्वाचन याचिकाओं के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी और अभिलेख प्रस्तुत करना।
- (ङ) मतपत्रों के पैकेटों आदि निर्वाचन सम्बन्धी कागज पत्रों को नियमों में निर्धारित अवधि तक सुरक्षित अभिरक्षा में रखना और तत्पश्चात उन्हें विनष्ट करना।
- (i) ई. व्ही. एम. से सम्पन्न कराये गये निर्वाचन से सम्बन्धी निर्वाचन अभिलेखों का रख-रखाव।
- (ii) ई. व्ही. एम.(कन्ट्रोल यूनिट एवं बैलेट यूनिटों का संधारण)।
- (च) निर्वाचन सम्बन्धी अन्य सामग्रियों और प्रकाशनों का रख-रखाव।
- (छ) निर्वाचन व्यय का लेखा-जोखा रखना, निर्वाचन कार्य में कर्तव्य विमुखता या अनियमितताओं से सम्बन्धित प्रकरणों में कार्यवाही सांखिकी जानकारी का संधारण, आयोग के प्रकाशनों का विक्रय आदि।
- (ज) महापौर/अध्यक्ष के पद का चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत निर्वाचन व्यय लेखा का परीक्षण कर जानकारी आयोग को भेजना।
-

अध्याय—2

नगरीय निकायों के पाँचवे आम निर्वाचन वर्ष 2014-2015 एक दृष्टि में

संविधान के चौहत्तरवें संशोधन के परिप्रेक्ष्य में नगरीय निकायों के सर्व-प्रथम आम निर्वाचन वर्ष 1994 में सम्पन्न हुए, द्वितीय आम निर्वाचन वर्ष 1999 में, तृतीय आम निर्वाचन वर्ष 2004 में एवं चतुर्थ आम निर्वाचन वर्ष 2009 माह दिसम्बर में सम्पन्न कराये गये। वर्तमान में पाँचवे आम निर्वाचन 2014-2015 में सम्पन्न हुए।

वर्ष 1994 में 365 नगरीय निकायों के 6,870 वार्डों में 11933 मतदान केन्द्रों पर 8831 लाख मतदाताओं के लिये मतदान करने हेतु व्यवस्था की गई थी। जबकि वर्ष 1999 में 373 नगरीय निकायों के 7032 वार्डों में 14314 मतदान केन्द्रों पर 11556 लाख मतदाताओं के लिये मतदान हेतु व्यवस्था की गई थी। वर्ष 2009 के साधारण निर्वाचन में 268 नगरीय निकायों के 5059 वार्डों में 11594 मतदान केन्द्रों पर 85.24 लाख मतदाताओं के लिये मतदान की व्यवस्था की गई। वर्ष 2014-15 की चुनाव सम्बन्धी सामान्य जानकारी निम्नलिखित तालिका में है—

नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2014-15

नगरीय निकायों की बुनियादी जानकारी

नगरपालिकाओं का विवरण			बुनियादी जानकारी						निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी			
निकाय	संख्या	वार्डों की संख्या	मतदाताओं की संख्या	मतदान केन्द्रों की संख्या	प्रति वार्ड की संख्या	प्रति औसत मतदाता	प्रति वार्ड औसत मतदाता	महापौर या केन्द्र औसत मतदाता	महापौर या केन्द्र औसत मतदाता	प्रतिशत संख्या	प्रतिशत संख्या	पार्षद
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
नगरपालिक निगम	14	783	6686188	7810	8539	856	102	3708	71	69.61	1904	51.35
नगरपालिका परिषद	64	1472	2706734	3425	1839	790	323	5405	176	54.49	2009	37.17
नगर परिषद	209	3138	2205932	3416	703	646	1038	11390	533	51.35	3791	33.28
योग-	287	5393	11598854	14651	2151	792	1463	20503	780	53.32	7704	37.57

नोट:—उक्त तालिका में अनुसूचित क्षेत्र में स्थित नगरीय निकाय एवं जिनका कार्यकाल पृथक्-पृथक् तिथियों को समाप्त हो रहा है, सम्मिलित नहीं हैं।

पूर्व में हुए निर्वाचनों की तुलनात्मक जानकारी निम्नानुसार सूचीबद्ध है :—

नगरपालिकाओं का विवरण	वर्ष 2004						वर्ष 2009						वर्ष 2014						
	संख्या	वार्डों की संख्या	बुनियादी जानकारी				संख्या	वार्डों की संख्या	बुनियादी जानकारी				संख्या	वार्डों की संख्या	बुनियादी जानकारी				
			मतदाताओं की संख्या	मतदान केन्द्रों की संख्या	प्रति वार्ड औसत	मतदाताओं की संख्या			मतदान केन्द्रों की संख्या	प्रति वार्ड औसत	मतदाताओं की संख्या	मतदान केन्द्रों की संख्या			प्रति वार्ड औसत				
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	783	6686188	7810	8539
नगरपालिक निगम	13	670	4462335	4927	6671	13	689	4596532	5763	6671	14	783	6686188	7810	8539				
नगरपालिका परिषद	75	1774	2721750	3292	1468	64	1498	2217106	2821	1468	64	1472	2706734	3425	1839				
नगर परिषद	217	3258	2014102	3402	602	191	2872	1711049	3010	602	209	3138	2205932	3416	703				
योग . .	305	5702	9198187	11621	1685	268	5059	8524687	11594	1613	287	5393	11598854	14651	2151				

नोट:—वर्ष 2009 के चतुर्थ आम निर्वाचन के आंकड़ों में अनुसूचित क्षेत्र में स्थित नगरीय निकायों को सम्मिलित नहीं किया गया है।

नगरपालिकाओं का विवरण	वर्ष 1994						वर्ष 1999					
	संख्या	वार्डों की संख्या	बुनियादी जानकारी				संख्या	वार्डों की संख्या	बुनियादी जानकारी			
			मतदाताओं की संख्या	मतदान केन्द्रों की संख्या	प्रति वार्ड औसत	मतदाता			मतदाताओं की संख्या	मतदान केन्द्रों की संख्या	प्रति वार्ड औसत	मतदाता
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	7	8
नगरपालिक निगम	17	871	4222000	4498	4848	18	926	5696355	6174	6152		
नगरपालिका परिषद	92	2159	270200	3478	1251	94	2183	3476900	4121	1593		
नगर परिषद	256	3840	1907000	3857	497	261	3923	2383173	4019	607		
योग . .	365	6870	8831000	11833	1285	373	7032	11556428	14314	1643		

नोट:—नगरीय निकायों के प्रथम आम निर्वाचन 1994 एवं द्वितीय आम निर्वाचन 1999-2000 में संयुक्त म. प्र. के नगरीय निकायों को सम्मिलित किया गया है जिसमें छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय सम्मिलित हैं साथ ही अनुसूचित क्षेत्र में स्थित नगरीय निकाय भी उक्त आंकड़ों में सम्मिलित हैं।

अध्याय—३

पृष्ठभूमि, नगरपालिकाओं का गठन तथा वार्डों का निर्धारण

1. पृष्ठभूमि—

संविधान के चौहत्तरवें संशोधन के उपबंधों को लागू करने के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने जो कानून पारित किए उनमें मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम (संशोधन) अधिनियम, 1994 तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 1994 सम्मिलित थे। इन संशोधित अधिनियमों द्वारा तत्समय प्रवृत्त अधिनियमों (अर्थात् मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961) में आवश्यक संशोधन किए गए, ये संशोधन 30 मई, 1994 से प्रभावशील हुए।

2. नगरपालिकाओं का गठन—

संविधान के अनुच्छेद 243-थ में निम्नानुसार तीन प्रकार के नगरीय निकायों (जिन्हें सम्मिलित रूप से “नगरपालिकाएं” कह कर सम्बोधित किया गया है) के गठन की परिकल्पना की गई है—

- | | | |
|-----|--|------------------|
| (क) | किसी संक्रमणशील क्षेत्र के लिये (अर्थात्)
ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में संक्रमणशील
क्षेत्र के लिये, चाहे वह किसी भी नाम से
ज्ञात हो) | नगर परिषद् |
| (ख) | किसी लघुतर नगरीय क्षेत्र के लिये | नगरपालिका परिषद् |
| (ग) | किसी वृहत्तर नगरीय क्षेत्र के लिये | नगरपालिक निगम |

किसी नगरीय क्षेत्र में उपर्युक्त तीन प्रकार की नगरपालिकाओं में से कौन सी स्थापित की जाए, इस बात का निर्णय उस क्षेत्र की जनसंख्या, जनसंख्या की सघनता, आर्थिक महत्व आदि बातों के आधार पर राज्यपाल के ऊपर छोड़ा गया है।

3. प्रदेश के नगरीय निकायों के सम्बन्ध में संक्षिप्त जानकारी—

वर्ष 2014-15 तक राज्य में निर्मांकित “नगरपालिकाएं” (अर्थात् यथास्थिति, नगर परिषदें, नगरपालिका परिषदें तथा नगरपालिक निगम) गठित की गई :—

(1) नगर परिषदें-264:—

इन नगर परिषदों में तत्समय कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग की ऐसी सभी नगरपालिकाएं सम्मिलित की गई हैं जिनकी जनसंख्या (1991 की जनगणना के आधार पर) 5000 से 20,000 के बीच थी।

(2) नगरपालिका परिषदें-98:

नगरपालिका परिषदों में तत्समय कार्यशील ऐसी समस्त नगरपालिकाओं को सम्मिलित किया गया है, जिनकी जनसंख्या 20000 से अधिक थी (जनसंख्या की उच्चतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है), तथा

(3) नगरपालिक निगम-16:

इन नगरपालिक निगमों में पूर्व से चले आ रहे सभी नगरपालिक निगमों को सम्मिलित किया गया है, चाहे उनकी जनसंख्या कुछ भी क्यों न रही हो।

- (4) मध्यप्रदेश नगरपालिका निगम अधिनियम, 1956 तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 में अप्रैल, 1997 में हुए संशोधन के फलस्वरूप प्रदेश के नगरपालिक निगमों/नगरपालिका परिषदों तथा नगर परिषदों में महापौर/अध्यक्ष के पदों का निर्वाचन भी राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशन एवं पर्यवेक्षण में प्रत्यक्ष निर्वाचन मतदाताओं द्वारा किये जाने का प्रावधान किया गया है।

4. परिसीमन—

संविधान के उपबन्धों के अनुसार संशोधित नगरपालिका विधि के अन्तर्गत प्रत्येक नगरपालिका में:-

- (क) नगरपालिक क्षेत्र से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा महापौर/अध्यक्ष का निर्वाचन किया जायेगा।
- (ख) प्रत्येक वार्ड से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा पार्षद का निर्वाचन किया जायेगा।

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा-10 एवं मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा-29 के अनुसार—

- (1) राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा समय-समय पर प्रत्येक नगरीय निकाय के लिए गठित किये जाने वाले वार्डों की संख्या तथा विस्तार का अवधारण किया जायेगा। परन्तु वार्डों की कुल संख्या नगरपालिक निगम में 85 से अधिक किन्तु 40 से कम नहीं होगी। इसी प्रकार नगरपालिका, नगर परिषद् में वार्डों की कुल संख्या चालीस से अधिक तथा पन्द्रह से कम नहीं होगी।
- (2) प्रत्येक वार्ड से केवल एक पार्षद निर्वाचित किया जायेगा।
- (3) वार्डों की रचना इस प्रकार से की जाएगी कि प्रत्येक वार्ड की जनसंख्या पूरे नगरपालिका क्षेत्र में यथासाध्य एक जैसी होगी तथा वार्ड में सम्मिलित क्षेत्र समान क्षेत्र होगा।
- (4) जैसे ही किसी नगरपालिक निगम/नगरपालिका क्षेत्र के वार्डों की रचना पूर्ण हो जाती है, राज्य सरकार द्वारा उसकी रिपोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग को की जाती है।

5. स्थानों का आरक्षण—

संविधान के अनुच्छेद 243 न के अनुसार:-

- (1) प्रत्येक नगरपालिका में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात, उस नगरपालिका में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भेरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के साथ यथाशक्य निकटतम रूप से ही वही होगा जो कि उस नगरपालिका क्षेत्र में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या के साथ है और वे ऐसे वार्ड होंगे जिनमें यथास्थिति अनुसूचित जाति या जनजाति की संख्या सर्वाधिक केंद्रित है।

- (2) खण्ड (1) के अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के कम से कम आधे अर्थात् 50 प्रतिशत स्थान यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिये आरक्षित रहेंगे।

- (3) प्रत्येक नगरपालिका में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भेरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के कम से कम 50 प्रतिशत (जिनके अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिये आरक्षित स्थानों की संख्या भी है) स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे और ऐसे स्थान किसी नगरपालिका के भिन्न-भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को नक्काशुक्रम से आवंटित किए जा सकेंगे।

- (4) यदि राज्य विधान मण्डल चाहे तो पिछड़े वर्ग के पक्ष में भी स्थानों के लिए आरक्षण किया जा सकेगा।

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा-11 (2) के अनुसार ऐसे नगरपालिक निगमों में जहाँ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पचास प्रतिशत या कम स्थान आरक्षित रखे गए हैं, वार्डों की कुल संख्या के यथाशक्य निकटतम पच्चीस प्रतिशत स्थान अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रखे जाएंगे और ऐसे स्थान भिन्न-भिन्न वार्डों के लिए ऐसी रीति में, जो कि विहित की

जाए, चक्रानुक्रम से आवंटित किए जाएंगे। इसी प्रकार मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा-29 क (2) के अनुसार अवधारित ऐसी नगरपालिका में जहाँ अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए पचास प्रतिशत या उससे कम स्थान आरक्षित है वही यथासंभव निकटमत रूप से कुल स्थानों की संख्या के पच्चीस प्रतिशत स्थान अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रखे जाएंगे और ऐसे स्थान भिन्न-भिन्न वार्डों के लिए चक्रानुक्रम से ऐसी रीति में आवंटित किए जाएंगे जैसी कि विहित की जाए।

(5) नगरपालिकाओं में अध्यक्षों के पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और स्त्रियों के लिए ऐसी रीति से आरक्षित रहेंगे जो राज्य का विधान-मण्डल विधि द्वारा, उपबन्धित करे।

(I) मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा-11 के अनुसार—

- (1) राज्य के निगमों के महापौर के पदों की कुल संख्या में से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए ऐसी संख्या में महापौर के पद आरक्षित रखे जाएंगे जिसका अनुपात यथाशक्य निकटमत रूप से वही होगा जो राज्य के समस्त नगरपालिक निगमों की सीमाओं के भीतर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रवर्गों की जनसंख्या का ऐसे क्षेत्रों की कुल जनसंख्या के साथ है।
- (2) महापौर के पदों की कुल संख्या के यथाशक्य निकटम पच्चीस प्रतिशत स्थान अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रखे जाएंगे।
- (3) उपधारा (1) तथा (2) के अधीन आरक्षित किए गए महापौर के पदों की कुल संख्या के कम से कम 50 प्रतिशत यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित रखे जाएंगे।
- (4) पदों की कुल संख्या के यथाशक्य सम्भव 50 प्रतिशत (जिनके अन्तर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी है) महिलाओं के लिए आरक्षित रखे जाएंगे।

(II) मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा-29 के अनुसार—

- (1) राज्य में यथास्थिति नगरपालिका परिषदों और नगर परिषदों के, अध्यक्षों के पदों की कुल संख्या में से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए ऐसी संख्या में अध्यक्ष के पद आरक्षित रखे जाएंगे जिसका अनुपात यथाशक्य निकटमत रूप से वही होगा जो राज्य के यथास्थिति समस्त नगरपालिकाओं और नगर परिषदों को सीमाओं के भीतर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रवर्गों की जनसंख्या का ऐसे-क्षेत्रों की कुल जनसंख्या के साथ है।
- (2) यथास्थिति नगरपालिका परिषदों और नगर परिषदों के अध्यक्ष के पदों की कुल संख्या के यथाशक्य निकटम पच्चीस प्रतिशत स्थान अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रखे जाएंगे।
- (3) उपधारा (1) तथा (2) के अधीन किये गये अध्यक्ष के पदों की कुल संख्या के कम से कम 50 प्रतिशत यथास्थिति, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिये आरक्षित रखे जाएंगे।
- (4) पदों की कुल संख्या के यथाशक्य सम्भव 50 प्रतिशत (जिनके अन्तर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी है) महिलाओं के लिए आरक्षित रखे जाएंगे।

नगरपालिक निगमों, नगरपालिका परिषदों एवं नगर परिषदों में महापौर एवं अध्यक्ष तथा वार्डों के आरक्षण का क्षेत्राधिकार शासन का है। आरक्षण के प्रावधानों के तहत प्रदेश की नगरपालिकाओं के पाँचवे आम निर्वाचन में विभिन्न वर्ग तथा महिलाओं के लिए महापौर/अध्यक्ष पद के (आरक्षण का संबंधी रॉजपत्र) आरक्षण की स्थिति की जानकारी परिशिष्ट तीन पर है।

6. नगरीय निकायों के निर्वाचन की संक्षिप्त जानकारी—

वर्ष 2014-2015 में मध्यप्रदेश राज्य में कुल 287 नगरीय निकायों के आम चुनाव सम्पन्न कराए गये। जिन नगरपालिकाओं के निर्वाचन उक्त आम निर्वाचन के साथ कार्यकाल पूर्ण न होने के कारण सम्पन्न नहीं हुए उनकी सूची परिशिष्ट-चार पर दर्शाई गई है।

अनुसूचित क्षेत्रों के 52 नगरीय निकायों के निर्वाचन आम निर्वाचन के साथ न होकर पृथक् से होते हैं, उनकी सूची परिशिष्ट-पाँच पर दृष्टव्य है।

इस प्रकार 2014-15 में कुल 287 नगरीय निकायों के चुनाव सम्पन्न कराए गए, जिनका विवरण निम्नानुसार है—

क्र.	स्थानों की संख्या जिनके लिए चुनाव कराए गए		
स्वरूप	महापौर/अध्यक्ष	पार्षद	
1. नगरपालिक निगम	14	783	
2. नगरपालिका परिषद्	64	1472	
3. नगर परिषद्	209	3138	
योग :—	287	5393	

आयोग द्वारा प्रदेश की जिन 287 नगरपालिकाओं में निर्वाचन कराए गए उनकी सूची तथा उनके बार्डों और मतदान केन्द्रों की संख्या का विवरण परिशिष्ट-छ: में दिया गया है।

7. निर्वाचन व्यय सीमा :—

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा-14-क (2) और मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा-32-क (2) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक-11 एफ-1-8-2014-अठाह-3, दिनांक 30 मई, 2014 द्वारा नगरपालिकाओं के महापौर / अध्यक्ष पद हेतु निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिये व्यय की अधिकतम सीमा निम्नानुसार निर्धारित की गई है:—

महापौर/अध्यक्ष की व्यय सीमा

नगरीय निकाय का प्रकार	2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या	निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा
1	2	3
नगरपालिक निगम	(एक) 10 लाख से अधिक	(एक) रु. 35 लाख
	(दो) 10 लाख से कम	(दो) रु. 15 लाख
नगरपालिका परिषद्	(एक) 1 लाख से अधिक	(एक) रु. 10 लाख
	(दो) 50 हजार से 1 लाख तक	(दो) रु. 06 लाख
	(तीन) 50 हजार से कम	(तीन) रु. 04 लाख
नगर परिषद्		रु. 03 लाख

8. निर्वाचन व्यय लेखा :—

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा-14-क और मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा-32 के अंतर्गत यह प्रावधान भी किया गया है कि नगरपालिक निगम के महापौर या यथास्थिति, नगरपालिका परिषद् या नगर परिषद् के अध्यक्ष के निर्वाचन में प्रत्येक अभ्यर्थी का यह दायित्व होता है कि ऐसे निर्वाचन के सिलसिले में उसके या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या प्राधिकृत समस्त व्यय का पृथक् और सही लेखा ऐसी विशिष्टियों के साथ रखा जाए जो निर्वाचन आयोग द्वारा विहित की जाए।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-जेड-ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा-14-क और मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा-32-क के अनुसरण में और इस निमित्त उसे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन व्यय (लेखा-संधारण और प्रस्तुति) आदेश क्रमांक एफ-67-3/2014/तीन/नपा/346, दिनांक 10 जुलाई, 2014 जारी किया गया है। इस आदेश के अंतर्गत महापौर/अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी से यह अपेक्षित है कि वह नामनिर्देशित करने की तारीख से लेकर निर्वाचन परिणाम की घोषणा के बीच (इन दोनों तारीखों को सम्मिलित करते हुए) निर्वाचन सम्बन्धी समस्त व्ययों का सही लेखा निर्धारित प्रारूप में या तो स्वयं रखे या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएं।

प्रत्येक अभ्यर्थी को यह भी दायित्व सौंपा गया है कि वह मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा-14-ख एवं मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा-32-ख के प्रावधानों के अनुसार परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अंदर अपने निर्वाचन का व्यय लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करें। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी को इस हेतु अधिसूचित किया गया है जिसके समक्ष नगरीय निकायों के महापौर/अध्यक्ष पद के अभ्यर्थियों को निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करना है।

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा-14-ग एवं मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा-32-ग में यह भी प्रावधान है कि निर्वाचन व्यय लेखा नियत समयावधि एवं विहित रीति से अधिसूचित अधिकारी (जिला निर्वाचन अधिकारी) के पास दाखिल करने में असफल होने पर राज्य निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे व्यक्ति को आदेश की तारीख से 5 वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए इस प्रकार चुने जाने के लिए निरर्हित घोषित कर सकेगा। निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2014 क्रमांक एफ-67-3-/2014/तीन/नपा/346, दिनांक 10 जुलाई, 2014 में प्रतिस्थापित किया गया है।

वर्ष 2014-2015 के साधारण चुनाव में निर्वाचन व्यय लेखा नियत अवधि एवं विहित रीति से प्रस्तुत न करने पर महापौर/अध्यक्ष पदों के 227 अभ्यर्थियों को कारण बताओ नोटिस जारी किये गये। प्रकरणों में अभी कार्यवाही प्रचलित है।

अध्याय—4

मतदाता सूची

1. मतदाता सूची तैयार करने सम्बन्धी विधिक प्रावधानों का संक्षिप्त विवरण :—

संविधान के अनुच्छेद क्रमांक 243-य क, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा-14 (1) तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा-32 (1) के प्रावधानों के अंतर्गत मतदाता सूची तैयार करने का दायित्व राज्य निर्वाचन आयोग का है.

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा-12 और 13 तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा-30 और 31 के उपबन्धों के अनुसार नगरपालिका के प्रत्येक वार्ड के लिए एक निर्वाचक नामावली (अर्थात् मतदाता सूची) तैयार की जाएगी जिसमें प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो उस वार्ड से सम्बन्धित विधान सभा निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अर्हित हैं और जो उस वार्ड का मामूली तौर से निवासी हैं तथा जिसकी उस वर्ष की जिसमें निर्वाचक नामावली तैयार की गई हो या पुनरीक्षित की गई हो, जनवरी के प्रथम दिन 18 वर्ष से कम आयु न हो, उस वार्ड की मतदाता सूची में नाम दर्ज किए जाने का हकदार होगा. परन्तु कोई भी व्यक्ति एक से अधिक वार्डों की मतदाता सूची में नाम दर्ज किये जाने का हकदार नहीं होगा.

2. मतदाता सूची (वार्डवार) तैयार की जाना :—

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा-14 तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम-1961 की धारा-30 एवं सहपठित धारा-32 के अन्तर्गत किसी वार्ड की निर्वाचक नामावली विहित रीति में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार करवाई जाएगी. विहित रीति मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम-1994 के नियम-3 से 9 में वर्णित है. इसके अतिरिक्त आयोग द्वारा मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश-दिये गये जो आयोग की पुस्तिका “मतदाता सूची तैयार करने के सम्बन्ध में निर्देश-अप्रैल 2014” में प्रसारित भी किये गये. मतदाता सूची तैयार करने के लिये अहं तारीख उस वर्ष की पहली जनवरी होती है जिस वर्ष निर्वाचन होना हो. सामान्यतः आम निर्वाचन के समय प्रारंभिक मतदाता सूची तैयार करने के लिये विधान सभा की अद्यतन निर्वाचन नामावली के आधार पर प्रारूप मतदाता सूची तैयार की जाती है. इस प्रारंभिक मतदाता सूची का प्रकाशन नियत स्थानों पर करने के पश्चात् इसके निरीक्षण, दावे, आपत्तियाँ या प्रविष्टियों के संशोधन करने के लिये निर्धारित प्रारूप देने व प्राप्त करने के प्राधिकृत कर्मचारियों को तैनात किया जाता है. मतदाता सीधे भी रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावे, आपत्ति संशोधन प्रस्तुत कर सकता है अथवा डाक से भेज सकता है. नियत अवधि में प्राप्त दावे आपत्तियों की जांच और उनके निपटारे हेतु आयोग द्वारा रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति की जाती है जो निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर दावे/आपत्तियाँ स्वीकृत या अस्वीकृत करते हैं. इन निर्णयों के आधार पर मतदाता सूची को अंतिम रूप दिया जाता है. प्राधिकृत अधिकारियों को आयोग द्वारा विस्तृत दिये गये जो आयोग की पुस्तिका “मतदाता सूची तैयार करने हेतु प्राधिकृत कर्मचारियों के लिये निर्देश पुस्तिका-अप्रैल 2014” में प्रसारित किए गये.

मतदाता सूची बनाने के पहले वार्डों की सीमाओं की जानकारी आवश्यक है. इस हेतु आयोग द्वारा कलेक्टरों को निर्देश जारी किए गए कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके जिले की प्रत्येक ऐसी नगरपालिका (अर्थात् नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषद् या नगर परिषद) जिनका कि आम चुनाव वर्ष 2009 में हुआ था, के वार्डों की वर्तमान सीमाओं में यदि कोई परिवर्तन किया जाना है तो वह दिनांक 31-01-2014 तक आवश्यक रूप से पूर्ण कर लिया जाए. इसी प्रकार यदि जिले में कोई नवगठित नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषद् या नगर परिषद् ऐसी हो जिनके परिसीमन (वार्ड विभाजन) की कार्यवाही की जाना शेष हो तो वह कार्यवाही भी दिनांक 31-1-2014 तक पूर्ण कर ली जाए. राज्य शासन द्वारा अनुरोध किया गया कि यह कार्यवाही पूर्ण नहीं हो पाने के कारण 07-06-2014 तक पूर्ण करने की अनुमति प्रदान की जाये. तदनुसार आयोग द्वारा इस तिथि को दृष्टिगत रखते हुए मतदाता सूचियाँ तैयार करने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया.

3. रजिस्ट्रीकरण, सहायक रजिस्ट्रीकरण तथा अपील अधिकारी:-

मतदाता सूची तैयार करने के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा अपील अधिकारी आयोग के आदेश क्रमांक/एफ-107/तीन/96/नपा, दिनांक 28-12-1996 एवं आदेश क्रमांक-107/3/96/नपा-280, दिनांक 31-09-2004 तथा क्रमांक-55-4/96/तीन-775, दिनांक 17 अगस्त, 2009 द्वारा पदाभिहित किये गये हैं. इन पदाभिहित अधिकारियों की सूची इस प्रतिवेदन में परिशिष्ट सात पर अवलोकनीय है.

4. मतदाता सूची कार्यक्रम एवं जारी किये गये निर्देश :-

आयोग द्वारा मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम-8(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा नियम-4, 5 एवं 6 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरपालिका निर्वाचन, 2014 हेतु उन नगरपालिकाओं (नगरपालिका नियम/नगरपालिका परिषदों/नगर परिषदों की मतदाता सूचियों जिनके पिछले आम चुनाव वर्ष 2009 में हुए थे, 01 जनवरी, 2014 की संदर्भ तारीख के आधार पर तैयार करने के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम विहित किया गया—

फेस-1

कार्यवाही	निर्धारित तारीख
प्रथम चरण	
रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की नियुक्ति	16-06-2014 (सोमवार)
प्रारंभिक प्रारूप मतदाता सूची तैयार करने हेतु कर्मचारियों का चयन एवं प्रशिक्षण.	21-06-2014 (शनिवार)
भारत निर्वाचन आयोग की 01-01-2014 की स्थिति में तैयार अद्यतन निर्वाचक नामावली (दिनांक 31-01-2014 को प्रकाशित एवं अनुपूरक सूचियों सहित) जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त करना.	03-07-2014 (गुरुवार)
विधानसभा निर्वाचन नामावली को नगरीय निकाय वार भागों में पृथक्-पृथक् कर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध कराना.	04-07-2014 (शुक्रवार)
प्रचलित परिसीमन के आधार पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा मतदाता सूची को वार्ड अनुसार मार्किंग कर प्रारूप मतदाता सूची तैयार कराना.	09-07-2014 (बुधवार)
निर्वाचक नामावली की (प्रारूप मतदाता सूची मुद्रण हेतु) वेण्डर को प्रदाय करना.	19-07-2014 (शनिवार)
वेण्डर द्वारा चिन्हित मतदाताओं को सॉफ्टवेयर के माध्यम से दर्शित वार्ड के मोहल्ले में शिफ्ट प्रारूप मतदाता सूची में किया जाना.	28-07-2014 (सोमवार)
वेण्डर द्वारा वार्डवार मतदाता सूची की चेकलिस्ट रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध कराना.	02-08-2014 (शनिवार)
रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा चेकलिस्ट की जांच करना एवं जांच उपरान्त परिलक्षित त्रुटियों का वेण्डर से सुधार कार्य करवाना सुधारने के उपरान्त, चेकलिस्ट हस्ताक्षर कर वेण्डर को प्रदाय करना.	11-08-2014 (सोमवार)
वेण्डर द्वारा प्रारूप प्रकाशन हेतु प्रारूप मतदाता सूची (चेक लिस्ट संशोधन पश्चात्) का मुद्रण कर निर्वाचन कार्यालय को प्रदाय करना.	19-08-2014 (मंगलवार)
द्वितीय चरण	
आवश्यकता अनुसार राजनैतिक दलों को मतदाता सूची उपलब्ध कराना	20-08-2014 (बुधवार)
प्रारूप मतदाता सूची के सम्बन्ध में सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन और दावे तथा आपत्तियाँ प्राप्त करने के कार्य को शुरूआत.	29-08-2014 (शुक्रवार)
दावे तथा आपत्तियाँ प्राप्त करने की अंतिम तारीख.	15-09-2014 (सोमवार)
प्राप्त दावे तथा आपत्तियों के निपटारे की अंतिम तारीख	22-09-2014 (सोमवार)
दावे आपत्ति के निराकरण पश्चात् 1. परिवर्धन, 2. संशोधन, 3. विलोपन की पाण्डुलिपि एवं फार्म (क, ख, ग, घ) वेण्डर को डाटा एंट्री हेतु उपलब्ध कराना.	24-09-2014 (बुधवार)
वेण्डर से प्राप्त चेकलिस्ट का निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जांच करवाना तथा हस्ताक्षर के उपरान्त चेकलिस्ट में संशोधन करवाना.	01-10-2014 (बुधवार)
वेण्डर द्वारा मतदाता सूची अनुपूरक सूची का मुद्रण कर जिला कार्यालय को प्रदाय किया जाना.	09-10-2014 (गुरुवार)
मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन.	20-10-2014 (सोमवार)
अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची राजनैतिक दलों को उपलब्ध कराने हेतु वेण्डर के माध्यम से प्राप्त करना	20-10-2014 (सोमवार)

फेस-2

कार्यवाही	निर्धारित तारीख
प्रथम चरण	
रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की नियुक्ति प्रारंभिक प्राप्त मतदाता सूची तैयार करने हेतु कर्मचारियों का चयन एवं प्रशिक्षण.	27-11-2014 (गुरुवार) 28-11-2014 (शुक्रवार)
भारत निर्वाचन आयोग की 01-01-2014 की स्थिति में तैयार अद्यतन निर्वाचक नामावली (दिनांक 31-01-2014 को प्रकाशित एवं अनुपूरक सूचियों सहित) जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त करना.	29-11-2014 (शनिवार)
विधानसभा निर्वाचन नामावली को नगरीय निकाय वार भागों में पृथक्-पृथक् कर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध कराना.	01-12-2014 (सोमवार)
प्रचलित परिसीमन के आधार पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा मतदाता सूची को वार्ड अनुसार मार्किंग कर प्रारूप मतदाता सूची तैयार करना.	02-12-2014 (मंगलवार)
निर्वाचक नामावली की (प्रारूप मतदाता सूची मुद्रण हेतु) वेण्डर को प्रदाय करना.	03-12-2014 (बुधवार)
वेण्डर द्वारा चिन्हित मतदाताओं को सॉफ्टवेअर के माध्यम से दर्शित वार्ड के मोहल्ले में शिफ्ट प्रारूप मतदाता सूची में किया जाना.	05-12-2014 (शुक्रवार)
वेण्डर द्वारा वार्डवार मतदाता सूची की चेकलिस्ट रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध कराना.	07-12-2014 (रविवार)
रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा चेकलिस्ट की जांच करना एवं जांच उपरान्त परिलक्षित त्रुटियों का वेण्डर से सुधार कार्य करवाना सुधारने के उपरान्त, चेकलिस्ट हस्ताक्षर कर वेण्डर का प्रदाय करना.	08-12-2014 (सोमवार)
वेण्डर द्वारा प्रारूप प्रकाशन हेतु प्रारूप मतदाता सूची (चेक लिस्ट संशोधन पश्चात) का मुद्रण कर निर्वाचन कार्यालय को प्रदाय करना.	09-12-2014 (मंगलवार)
द्वितीय चरण	
आवश्यकता अनुसार राजनैतिक दलों को मतदाता सूची उपलब्ध कराना	10-12-2014 (बुधवार)
प्रारूप मतदाता सूची के सम्बन्ध में सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन और दावे तथा आपत्तियाँ प्राप्त करने के कार्य की शुरूआत.	11-12-2014 (गुरुवार)
दावे तथा आपत्तियाँ प्राप्त करने की अंतिम तारीख.	19-12-2014 (शुक्रवार)
प्राप्त दावे तथा आपत्तियों के निपटारे की अंतिम तारीख	24-12-2014 (बुधवार)
दावे आपत्ति के निराकरण पश्चात् 1. परिवर्धन, 2. संशोधन, 3. विलोपन की पाण्डुलिपि एवं फर्म (क, ख, ग, घ) वेण्डर को डाटा एंट्री हेतु उपलब्ध कराना.	25-12-2014 (गुरुवार)
वेण्डर से प्राप्त चेकलिस्ट का निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जांच करवाना तथा हस्ताक्षर के उपरान्त चेकलिस्ट में संशोधन करवाना.	26-12-2014 (शुक्रवार)
वेण्डर द्वारा मतदाता सूची अनुपूरक सूची का मुद्रण कर जिला कार्यालय को प्रदाय किया जाना.	26-12-2014 (शुक्रवार)
मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन.	27-12-2014 (शनिवार)
अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची राजनैतिक दलों को उपलब्ध कराने हेतु वेण्डर के माध्यम से प्राप्त करना	27-12-2014 (शनिवार)

5. विशेष प्रायसः—

मतदाता सूची किसी भी निर्वाचन का आधार होती है। फोटोयुक्त मतदाता सूची जितनी परिपूर्ण और सही होगी, चुनाव उतने ही साफ-सुथरे होंगे। आयोग का यह प्रयास होता है कि फोटोयुक्त मतदाता सूची यथा संभव परिपूर्ण और सही बने, किन्तु इस बार इसके लिए आयोग द्वारा कुछ विशेष प्रयास किए गए जो निम्नानुसार हैं:-

(I) **प्रशिक्षण** :—किसी भी कार्य को सही ढंग से सम्पन्न करने हेतु उसका गहन प्रशिक्षण आवश्यक है। इस कड़ी में निम्नानुसार कार्यवाही की गई :-

- (i) उप-जिला निर्वाचन अधिकारियों की बैठक दिनांक 13-10-2014 को आयोग कार्यालय में आयोजित की गई।
- (ii) मतदाता सूची तैयार करने के पर्यवेक्षण के लिये आयोग द्वारा प्रत्येक जिले में प्रेक्षक भेजे गये, प्रेक्षकों की सूची परिशिष्ट-आठ पर है।
- (iii) प्रेक्षकों को जिले में जाने के पूर्व राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश/प्रशिक्षण दिया गया।

(iv) जिलों में भी स्टाफ के प्रशिक्षण पर जोर दिया गया। रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के लिए अलग से निर्देश तथा प्राधिकृत कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु भी अलग से टीप बना कर दी गई, आयोग के प्रेक्षकों से भी यह अपेक्षा की गई कि वे जहां तक संभव हो जिलों में मतदाता सूची के प्रशिक्षण के समय उपस्थित रहें।

(II) **प्रचार प्रसार** :—मतदाता सूची पर दावे आपत्ति प्राप्त करने के सम्बन्ध में निर्धारित केन्द्रों पर निर्धारित आकार के बैनर/बोर्ड लगाने के साथ-साथ पम्पलेट/पोस्टर/लाउडस्पीकर/केबल नेटवर्क/सिनेमा में स्लाईड/समाचार-पत्र द्वारा दी गयी फिल्म आयोग के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश जारी किए गए। आयोग द्वारा मतदाताओं से अपील भी की गई कि वे मतदाता सूचियों का अवलोकन करें और आवश्यकतानुसार अपने दावे तथा आपत्तियाँ प्रस्तुत करें।

(III) **कर्मचारियों/कामगारों को दावे/आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु अतिरिक्त समय** :—आयोग ने यह महसूस किया कि मतदाता सूची पर दावे आपत्ति प्राप्त करने का कार्य कार्यालयीन समय में होता है। इसके लिए शासकीय सेवक एवं अन्य कामगार/मजदूर मतदाता सूची का अवलोकन कर दावे, आपत्तियाँ प्रस्तुत नहीं कर पाते। अतः आयोग द्वारा इसके लिए दावे-आपत्तियाँ प्राप्त करने का निर्धारित समय प्रातः 10 बजे से सायः 5 बजे तक रखा गया तथा अंतिम दिवस 3 बजे तक यह कार्यवाही नियत की गयी। निर्धारित केन्द्रों के अलावा सार्वजनिक स्थल जैसे सभागार, कम्यूनिटी हॉल इत्यादि में अतिरिक्त केन्द्र बनाकर दावे, आपत्तियाँ प्राप्त करने के निर्देश जारी किए गए।

(IV) **स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग** :—मतदाता सूचियों पर दावे, आपत्तियों के प्रचार प्रसार सहित ऐसे मतदाता जो अनपढ़ हैं अथवा दावे, आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु फॉर्म इत्यादि नहीं भर सकते हैं, उनकी मदद के लिए स्वयं सेवी संस्थाओं हेतु तथा मान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों के लिए “मतदाता सूची एजेन्ट” की नियुक्ति का प्रावधान आयोग के पत्र क्रमांक एफ-52-07/2009/तीन/832, दिनांक 27 अगस्त, 2009 द्वारा निर्देश जारी किये गये। इन संस्थाओं ने मतदाताओं को जागरूक करने और दावे-आपत्तियाँ प्रस्तुत करने में उनकी सहायता करने में योगदान दिया। जिला विर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिये थे कि गैर राजनैतिक स्वयं सेवी संस्थाओं से इस कार्य में सहयोग लेवें और उनकी शिकायतों व सुझावों पर ध्यान दें।

(V) **आवासीय कॉलोनी के निवासियों के लिए सुविधा** :—आयोग द्वारा यह निर्देश दिये गये कि गृह निर्माण सहकारी समितियों/बहुमंजिला आवासीय परिसर/आवासीय कॉलोनी/संगठित क्षेत्र की आवासीय कॉलोनियों/मोहल्ला/वार्ड समितियों के पदाधिकारियों को चिन्हित किया जाकर उस क्षेत्र से सम्बन्धित मतदाता सूचियों के अंश तथा दावे-आपत्ति के फॉर्म उपलब्ध कराए जाएं ताकि सम्बन्धित क्षेत्र के निवासी अपनी प्रविष्टि आसानी से देख कर इस पर दावा-आपत्ति आसानी से प्रस्तुत कर सकें।

(VI) **फर्जी मतदाताओं पर अंकुश** :—आयोग द्वारा अपनी फोटोयुक्त मतदाता सूचियाँ विधान सभा की 01-01-2014 की मतदाता सूचियों के आधार पर तैयार की गई। पूर्व में मतदाता सूची नगरपालिका की पुरानी तथा विधानसभा की प्रचलित मतदाता सूची के आधार पर तैयार की जाती थी। इससे नगर पालिका की मतदाता सूची से वे नाम स्वतः हट गए जो नगर पालिका की पिछली मतदाता सूची में थे किन्तु किन्हीं कारणों से अब संबंधित नगरपालिका के मतदाता नहीं रहे।

मतदाता सूची यथा सम्भव परिपूर्ण एवं सही बने, यह सुनिश्चित करने के लिए आयोग द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि किसी भी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में जोड़ने के पूर्व (भौतिक सत्यापन) मौके पर जांच कर ली जाए और मतदाता के सम्बन्ध में आपत्ति आने पर उसका नाम विलोपित करने के पूर्व सम्बन्धित मतदाता को निर्धारित प्रक्रिया के तहत नोटिस जारी किया जाकर सुनवाई के पश्चात ही आदेश पारित किये जाए।


अनेक स्थानों पर बड़े पैमाने पर दावा, आपत्ति प्राप्त होने की सूचना के आधार पर आयोग द्वारा यह निर्देश दिये गये कि जिन नगरीय निकायों के जिन वार्डों में पाँच प्रतिशत से अधिक नाम जोड़ने हेतु आवेदन प्राप्त हुए हैं, वहाँ आवेदनों का निराकरण विशेष सतर्कता के साथ मौके पर सघन जांच के पश्चात् ही किया जाए।

6. फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का मुद्रण:— वर्ष 2014-2015 के नगरीय निकाय आम निर्वाचन में मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम को फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार करने का कार्य सौंपा गया। आयोग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम भोपाल को एस. एल. ए. नियुक्त किया गया। और मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम भोपाल द्वारा विज्ञप्ति जारी कर निवादाओं के माध्यम से वेन्डर नियुक्त कर जिला स्तर पर कार्य सम्पन्न कराया गया।

7. मतदाता पर्ची :— मतदान करने हेतु अधिक से अधिक मतदाता आगे आवे और मतदान में अपनी सहभागिता करें। इस हेतु इस आम निर्वाचन में मतदाता पर्ची वितरण का कार्य प्रथमबार किया गया। जिसकी विस्तृत जानकारी अगांकित है।

नगरीय निकायवार मतदाता पर्ची वितरण की जानकारी

नगरीय निकाय का प्रकार	कुल पर्चियों की संख्या	वितरित पर्चियों की संख्या	शेष	पर्चियों के वितरण का प्रतिशत
नगर निगम	6686188	6426522	259666	96.12
नगर पालिका	2706734	2523506	183228	93.23
नगर परिषद्	2205932	2049367	156565	92.90
कुल	11598854	10999395	599459	94.83



अध्याय—5

मतदान केन्द्र एवं निर्वाचन सामग्री

1. मतदाता केन्द्रों की स्थापना एवं उनके सम्बन्ध में अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां :—

मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम-16 में यह प्रावधान है कि रिटर्निंग ऑफिसर पर्याप्त संख्या में मतदान केन्द्रों की व्यवस्था करेगा और मतदान की तारीख से 20 दिन पूर्व एक सूची प्रकाशित करेगा जिसमें मतदान केन्द्र तथा उससे सम्बद्ध क्षेत्र का विवरण दर्शाया गया हो।

मतदान केन्द्रों की स्थापना के सम्बन्ध में आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को मार्गदर्शी निर्देश प्रसारित किये एवं यह भी निर्देशित किया कि मतदान केन्द्रों की सूची की एक प्रति उसके प्रकाशन के तुरन्त बाद, मान्यता प्राप्त प्रत्येक राजनैतिक दल के जिला कार्यालय को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाए।

नगरपालिक निगमों में सर्वाधिक मतदान केन्द्र अर्थात् 2092 नगरपालिक निगम इन्दौर में तथा सबसे कम अर्थात् 160 मतदान केन्द्र नगरपालिक निगम खण्डवा में थे। नांगरपालिक परिषदों में सर्वाधिक 145 मतदान केन्द्र नगरपालिका परिषद भिण्ड में थे जबकि सबसे कम 15 मतदान केन्द्र जिला छिन्दवाड़ा की नगरपालिका परिषद् अमरवाड़ा में थे। परिशिष्ट-छ: में निकायवार मतदान केन्द्रों की जानकारी दर्शाई गई है।

प्रत्येक नगरपालिका में स्थापित मतदान केन्द्रों को एक से लेकर अंत तक सिलसिलेवार क्रमांक दिए गए थे। अर्थात् मतदान केन्द्रों के क्रमांक वार्डवार न होकर सम्पूर्ण नगरपालिका के लिए एक से अंत तक सिलसिलेवार रखे गए थे।

कुछ जिला निर्वाचन अधिकारियों ने मतदान केन्द्रों की सूची के प्रकाशन के बाद कतिपय मतदान केन्द्र बदले जाने के सम्बन्ध में आयोग को प्रस्ताव भेजें। परिवर्तन के औचित्य को दृष्टिगत रखते हुए 10 जिलों के 318 मतदान केन्द्रों के परिवर्तन की अनुमति प्रदान की गई। जिलावार जानकारी परिशिष्ट-नौ में दर्शाई गई है।

2. निर्वाचन सामग्री :—

किसी भी निर्वाचन में बड़ी मात्रा में निर्वाचन सामग्री की आवश्यकता पड़ती है जैसे ई. व्ही. एम., विभिन्न प्रकार की सीलें, अमिट स्याही, नियमों/निर्देशों की पुस्तिकाएं एवं इसके अंतर्गत निर्धारित प्रस्तुप/लिफाफे एवं प्रपत्र, स्टेशनरी आदि। इस सामग्री का आंकलन कर इनकी व्यवस्था करके जिलों को प्रदाय करना एक बड़ा कार्य है। इस बार आम निर्वाचन वर्ष 2014-15 में नगरीय निकाय निर्वाचन प्रथम बार ई. व्ही. एम. से सम्पन्न कराये गये। अतः मत्रपेटियों के स्थान पर ई. व्ही. एम. का प्रयोग किया गया। ई. व्ही. एम. सम्बन्धित स्टेशनरी का उपयोग भी किया गया।

नगरपालिका आम निर्वाचन 2014-15 में निर्वाचन सामग्री की व्यवस्था को तीन भागों में बाटा गया :—

- (i) जिलों में पूर्व से ही उपलब्ध सामग्री,
- (ii) आयोग स्तर से की गई व्यवस्था,
- (iii) जिला स्तर पर स्थानीय क्रय के माध्यम से व्यवस्था।

जिलों में पूर्व से ही उपलब्ध सामग्री :—

- (i) पीतल की सीलें :—

सन् 1994 में पंचायत आम निर्वाचन के समय एक लाख पीतल की सीलें बनवाकर जिलों को उनकी आवश्यकता के अनुसार आवंटित की गई थी। इन्हीं सीलों का उपयोग नगरपालिका आम निर्वाचन 2009 में भी किया गया। 25000 पीतल की सीलें नगरीय निकाय निर्वाचन 2009 हेतु क्रय की गई। 2009 के बाद हुये निर्वाचनों में शेष रही सीलें उपयोग की जाती रही हैं।

- (ii) घूमते तीरों वाली रबर की सीले :—

मतपत्र पर अपना मत अंकित करने के लिए मतदाता को दी जाने वाली, घूमते तीरों के निशान वाली (एरो-क्रॉस) रबर की मोहरें

भी आयोग द्वारा वर्ष 1994 के प्रथम आम चुनाव के समय पर्याप्त मात्रा में (दो लाख) बनवाई गई थी एवं सभी जिलों को उनके मतदान केन्द्रों की संख्या के अनुसार पर्याप्त मात्रा में आवंटित की गई थी। 2004-05 में क्रय की गई सीलों में से जिलों को वितरण करने के पश्चात् 7177 सीलों शेष रहीं। नगरीय निर्वाचन 2009-10 हेतु आवश्यकतानुसार 95000 सीलों और क्रय की गई। समस्त जिलों में वितरण के पश्चात् आयोग के पास 664 सीले शेष थीं। वर्तमान में वर्ष 2014-15 के निर्वाचन ई. व्ही. एम. से कराये गये। अतः मत अंकित करने हेतु सीलों की आवश्यकता नहीं थी।

II आयोग स्तर से की गई व्यवस्था :—

(i) अमिट स्याही :-

अमिट स्याही की खरीदी पूर्व आम निर्वाचनों की भाँति मेसर्स मैसूर पेन्ट्स एण्ड वार्निश कम्पनी लिमिटेड, मैसूर (जो कि कर्नाटक सरकार का उपक्रम है) से की गई थी। इस निर्वाचन हेतु 5 सीसी मात्रा वाली 40000 अमिट स्याही की शीशियां क्रय की गईं। इन चुनावों के लिये जिलों को प्रदाय की गई अमिट स्याही का विवरण परिशिष्ट-दस्त में दिया गया है।

(ii) निर्वाचन हेतु विभिन्न निर्देश पुस्तिकाएं, प्रारूप एवं लिफाफों की व्यवस्था :-

नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 सहित विभिन्न निर्देश-पुस्तिकाएं, निर्वाचन नियम में निर्धारित प्ररूप एवं आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्र शासकीय मुद्रणालय भोपाल से मुद्रित कराकर, जिलों को प्रदाय करने की व्यवस्था की गई। इसी प्रकार निर्वाचन प्रक्रिया में उपयोग में आने वाले परिनियत लिफाफे एवं निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र भी शासकीय मुद्रणालय, भोपाल से तैयार कराकर जिलों को प्रदाय किये गये। प्रत्येक जिले में लगने वाली सामग्री की आवश्यकता का आंकलन कर जिलों को सामग्री वितरित की गई। वितरित सामग्री का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-ग्यारह पर दिया गया है।

अध्याय—6

नगरपालिका आम निर्वाचन 2014-15 हेतु निर्वाचन कार्यक्रम

आयोग द्वारा सुरक्षा व्यवस्था सहित सभी व्यवस्थाओं की समीक्षा करने के पश्चात् यह निर्णय लिया गया कि नगरीय निकायों के आम निर्वाचन हेतु मतदान तीन चरणों में सम्पन्न कराया जाए. प्रथम एवं द्वितीय चरण के मतदान में सम्मिलित नगरीय निकायों का विवरण परिशिष्ट-बाहर पर अंकित है एवं तृतीय चरण में सम्मिलित नगरीय निकायों का विवरण परिशिष्ट-तेरह पर है.

दिनांक 02-11-2014 एवं दिनांक 29-12-2014 को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों (नगरपालिक निगमों, नगरपालिका परिषदों एवं नगर परिषदों) के पाँचवें आम निर्वाचन हेतु विस्तृत कार्यक्रम घोषित किया गया जो निम्नानुसार है-

निर्वाचन कार्यक्रम

प्रथम चरण

- | | |
|--|------------------|
| i. नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि- | 12 नवम्बर, 2014 |
| ii. नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की तिथि- | 13 नवम्बर, 2014 |
| iii. अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तिथि- | 15 नवम्बर, 2014 |
| iv. निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची और-
निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन. | 15 नवम्बर, 2014 |
| v. मतदान की तिथि- | 28 नवम्बर, 2014 |
| vi. मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा- | 04 दिसम्बर, 2014 |

द्वितीय चरण

- | | |
|--|------------------|
| i. नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि- | 12 नवम्बर, 2014 |
| ii. नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की तिथि- | 13 नवम्बर, 2014 |
| iii. अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तिथि- | 15 नवम्बर, 2014 |
| iv. निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची और-
निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन. | 15 नवम्बर, 2014 |
| v. मतदान की तिथि- | 02 दिसम्बर, 2014 |
| vi. मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा- | 06 दिसम्बर, 2014 |

तृतीय चरण

- | | |
|--|----------------|
| i. नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि- | 06 जनवरी, 2015 |
| ii. नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की तिथि- | 07 जनवरी, 2015 |
| iii. अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तिथि- | 09 जनवरी, 2015 |
| iv. निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची और-
निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन. | 09 जनवरी, 2015 |
| v. मतदान की तिथि- | 31 जनवरी, 2015 |
| vi. मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा- | 04 फरवरी, 2015 |

अध्याय—७

नाम निर्देशन प्रस्तुत किया जाना, उनकी संवीक्षा तथा अभ्यर्थिता वापसी

तथा निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन

1. नाम निर्देशन प्रस्तुत किया जाना :—

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जिला कलेक्टर को जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) घोषित किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में कलेक्टर की सहायता हेतु उसके द्वारा नामांकित एक डिप्टी कलेक्टर/संयुक्त कलेक्टर/अतिरिक्त कलेक्टर को उप जिला निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। प्रत्येक राजस्व अनुभाग में, अनुभाग के अन्तर्गत आने वाली नगरपालिकाओं में निर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्था की देखरेख के लिए सम्बन्धित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को अतिरिक्त उप जिला निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। जिला मुख्यालय की नगरपालिका के लिये कलेक्टर को ही पदेन रिटर्निंग ऑफिसर पदाधिकारी किया गया है। जिला मुख्यालय के बाहर की नगरपालिका में सामान्यतया उस राजस्व अधिकारी को रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है। जो सम्बन्धित राजस्व प्रशासन की हाई कार्यकारी हो, यथा अपर कलेक्टर या अनुविभागीय अधिकारी या तहसीलदार सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के पदों पर नियुक्त मुख्यतः राजस्व प्रशासन के अधिकारियों की ही की गई, जिन्हें निर्वाचन कार्य का विशेष अनुभव रहता है।

आयोग द्वारा रिटर्निंग ऑफिसरों के मार्गदर्शन हेतु “निर्वाचन संदर्शिका” नामक एक हस्तपुस्तिका प्रकाशित की गई, जिसमें उनके कतार्यों तथा आवश्यक विधिक प्रावधानों नियमों प्रक्रियाओं तथा आयोग के निर्देशों का सार समाविष्ट है। नाम निर्देशन पत्रों के प्रस्तुतीकरण और उनकी संवीक्षा-कार्य के महत्व को देखते हुए आयोग द्वारा पृथक्कशः “नाम निर्देशन पत्रों की प्रस्तुति और संवीक्षा तथा प्रतीक आवंटन निर्देश” शीर्षक के अन्तर्गत रिटर्निंग ऑफिसरों के मार्गदर्शन के लिए एक निर्देशिका प्रकाशित की गई। नाम निर्देशन पत्रों की प्रस्तुति, संवीक्षा और अभ्यर्थिता वापसी के सम्बन्ध में रिटर्निंग ऑफिसरों को जो निर्देश दिए गए उनके कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान निम्नानुसार हैं—

(1) नाम निर्देशन प्राप्त करने हेतु विभिन्न प्रकार की नगरपालिकाओं में निम्नानुसार सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किए जाएँ—

(क) नगर परिषद में:- एक या दो

(ख) नगरपालिका परिषद में:- कम से कम दो, परन्तु यदि वार्डों की संख्या 20 से 30 हो तो तीन तथा 30 से 40 हो तो-चार।

(ग) नगरपालिका निगम में:- प्रत्येक 7 या 8 वार्डों के समूह के लिए एक।

(2) प्राप्ति के समय परीक्षण त्रुटि ठीक कराना :— रिटर्निंग ऑफिसर/सहायक रिटर्निंग ऑफिसरों से यह अपेक्षा की गई कि जब नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत हों उसी समय सरसरी तौर पर उसका परीक्षण कर लिया जाए और जहां त्रुटि हो उसी समय ठीक करा लिया जाए।

नाम निर्देशन पत्र के साथ शपथ-पत्र प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में :— आयोग के परिपत्र क्रमांक एफ 70-31/2014/तीन/1118 दिनांक 5-11-14 द्वारा शपथ-पत्र प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में निम्नानुसार संशोधन जारी किये गये—

नगरीय निकायों के आम निर्वाचन-2014 में अभ्यर्थियों द्वारा अपने नाम निर्देशन पत्र के साथ आपराधिक पृष्ठभूमि, आस्तियों दायित्वों तथा शैक्षणिक योग्यताओं सम्बन्धी शपथ-पत्र प्रस्तुत करना।

इस सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट किया गया कि :-

(i) यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किये जाते हैं तब शपथ-पत्र केवल एक ही बार प्रस्तुत करना पर्याप्त होगा।

(ii) शपथ-पत्र की कंडिका 1(ब) में केवल लंबित आपराधिक मामले में जिसमें अभ्यर्थी आरोपित है और किसी निपटाये गये आपराधिक मामले में जिसमें वह सिद्धदोष ठहराया गया है, वही जानकारी देना है।

2. नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा :—

नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा के सम्बन्ध में यह निर्देश दिये गये कि संवीक्षा का कार्य रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा स्वयं किया जाये। संवीक्षा क्रम से एक के बाद एक वार्डवार की जाए ताकि रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष में भीड़ न होने पाए। संवीक्षा में निम्नांकित बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखने के निर्देश दिए गए—

किसी नाम निर्देशन पत्र को लिपिकीय या मुद्रण सम्बन्धी भूल या किसी ऐसी त्रुटि के आधार पर जो सारभूत प्रकार की न हो, अस्वीकृत न किया जाए। सामान्य दृष्टिकोण यह रहे कि अभ्यर्थी को मतदाताओं के समक्ष जाने और अपनी लोकप्रियता सिद्ध करने के अवसर से वंचित नहीं किया जाय, जब तक कि वह किसी अन्य निरहता से ग्रस्त न हो या नाम निर्देशन पत्र में सारभूत प्रकार की खामी न हो। नाम निर्देशन पत्र अस्वीकृत किए जाने के कारणों का संक्षिप्त विवरण अवश्य अधिलिखित किया जाए।

शपथ-पत्र के प्रारूप में संशोधन सम्बन्धी आयोग का आदेश क्रमांक एफ-70-31-2014/तीन/न.पा./892, दिनांक 01 सितम्बर, 2014 तथा संशोधित शपथ का प्रारूप नियत किया गया है।

3. अभ्यर्थिता वापसी :—

अभ्यर्थिता वापसी के आवेदन-पत्र की प्रमाणिकता और उसे प्रदत्त करने वाले व्यक्ति की पहचान के बारे में रिटर्निंग ऑफिसर को अपना पूर्ण समाधान कर लेना चाहिए। ऐसा आवेदन-पत्र यदि प्रस्तावक या निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाए तो वह तभी स्वीकृत किया जा सकता है जबकि उसके साथ नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करते समय अभ्यर्थी को दी गई मूल अभिस्वीकृति (रसीद) भी संलग्न हो। बगैर उसके आवेदन-पत्र ग्राह्य नहीं होगा।


4. महापौर/अध्यक्ष तथा पार्षद पदों हेतु चुनाव मैदान में शेष उम्मीदवारों की जानकारी—

स. क्र.	नगरीय निकाय का प्रकार	पद	प्राप्त नामांकन	निरस्त नामांकन	वापस नामांकन	प्रत्याशी
1.	नगरपालिक निगम	महापौर	170	8	60	102
		पार्षद	6018	208	2102	3708
2.	नगरपालिका परिषद्	अध्यक्ष	781	32	426	323
		पार्षद	7639	290	1944	5405
3.	नगर परिषद्	अध्यक्ष	1856	93	725	1038
		पार्षद	14156	522	2244	11390


नाम निर्देशन पत्रों की नगरीय निकायवार जानकारी

स. क्र.	नगरीय निकाय का प्रकार	पद	प्राप्त नामांकन	निरस्त नामांकन	वापस नामांकन	प्रत्याशी
1.	नगरपालिक निगम	महापौर	170	8	60	102
		पार्षद	6018	208	2102	3708
2.	नगरपालिका परिषद्	अध्यक्ष	781	32	426	323
		पार्षद	7639	290	1944	5405
3.	नगर परिषद्	अध्यक्ष	1856	93	725	1038
		पार्षद	14156	522	2244	11390


महापौर पद की जानकारी



पार्षद पदों की जानकारी



अध्यक्ष पद की जानकारी



उल्लेखनीय है कि सभी 14 महापौर के पदों के लिए मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा अध्यर्थी खड़े किए गए थे इसी प्रकार नगरपालिका परिषदों में अध्यक्ष पदों के लिए मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा अध्यर्थी खड़े किए गए नगर परिषदों में अध्यक्ष पद के लिए राजनैतिक दलों द्वारा अध्यर्थी खड़े किए गये.

विभिन्न राजनैतिक दलों द्वारा पार्षद पद के नगरपालिका निगमों के वार्डों में नगरपालिका परिषद के वार्डों में तथा नगर परिषदों के वार्डों में अध्यर्थी खड़े किये गये.

5. निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन :—

निर्वाचन प्रतीकों के आवंटन के सम्बन्ध में मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम-31 के उप-नियम (1) में यह उपबन्ध है कि किसी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी को केवल वही प्रतीक आवंटन किया जायेगा जो उस दल के लिए आरक्षित है और कोई अन्य प्रतीक नहीं। मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल से आशय ऐसे दल से है जिसे भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण तथा आवंटन) आदेश 1968 के अधीन राष्ट्रीय दल के रूप में या मध्यप्रदेश में राज्यीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है।

(5) अन्य राज्यों में मान्यता के आधार पर राज्य स्तरीय दलों को उनके निर्वाचन प्रतीक सुरक्षित किये जाने का प्रावधान मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 30 एवं 31 में किया गया है। राजपत्र क्रमांक 372, दिनांक 07-07-2008 एवं राजपत्र क्रमांक-555 दिनांक 13-09-2009 (परिशिष्ट-दो 'अ')

6. निर्वाचन प्रतीक आवंटन से सम्बन्धित प्रावधान :—

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का तैयार किया जाना-(1) रिटर्निंग ऑफिसर ऐसी कालावधि के, जिसके भीतर नियम-21 के खण्ड (ग) के अधीन अभ्यर्थिता वापस ली जा सकती हो, समाप्त होने के ठीक पश्चात् नियम-30 (i) निर्वाचन लड़ने वाले ऐसे अभ्यर्थियों की, अर्थात् उन व्यक्तियों की जिनके नाम निर्देशन पत्र अंतिम रूप से स्वीकार कर लिये गये हों तथा जिन्होंने उक्त कालावधि के भीतर अपनी अभ्यर्थिता वापस नहीं ली हो, एक सूची तैयार करेगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन नामों को सूचीबद्ध करने के प्रयोजन के लिये अभ्यर्थी निम्नलिखित प्रवर्गों में वर्गीकृत किए जाएंगे अर्थात्:-

- (एक) मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी,
- (दो) भाग (एक) में वर्णित अभ्यर्थियों से भिन्न पंजीकृत राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी.
- (तीन) अन्य अभ्यर्थी।

(3) उप-नियम (2) में वर्णित प्रवर्ग विनिर्दिष्ट क्रम में रखे जाएंगे तथा प्रत्येक प्रवर्ग में प्रतियोगी के नाम वर्णक्रमानुसार रखे जाएंगे और नाम निर्देशन-पत्रों में विहित किए गए अनुसार प्रतियोग के पते तथा अन्य विशिष्टियां भी क्रम से रखे जाएंगे।

निर्वाचन के लिये प्रतीकों का आवंटन-(1) जहां मतदान आवश्यक हो जाता है वहां रिटर्निंग ऑफिसर निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी द्वारा नामानंदेशन-पत्रों में अभिव्यक्त किए गए प्रतीकों की पसंद पर विचार करेगा और निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त जारी किए गए सामान्य और विशेष निर्देशों के अध्यधीन रहते हुए-

- (क) प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी को भिन्न-भिन्न प्रतीक आवंटित करेगा जो यथासाध्य अभ्यर्थी की पसंद के अनुरूप होगा परन्तु ऐसी पसंद केवल तीन प्रतीकों तक ही सीमित रहेगी तथा इस संख्या के परे पसंद की ओर ध्यान नहीं दिया जाएगा।
- (ख) यदि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों में से एक से अधिक ने एक ही प्रतीक के लिए अपनी अधिमानता उपदर्शित की है, तो लाटरी डालकर यह निर्णय लेगा कि ऐसे अभ्यर्थियों में से किसे वह प्रतीक आवंटित किया जाएगा।
- (ग) निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण तथा आवंटन) आदेश, 1968 के अधीन भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल के लिए आरक्षित प्रतीक उस अभ्यर्थी को आवंटित नहीं करेगा जिसे उस दल ने खड़ा नहीं किया है।
- (घ) मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़े किये गये अभ्यर्थियों को केवल वही प्रतीक आवंटित करेगा जो उस दल के लिए आरक्षित है और कोई अन्य प्रतीक आवंटित नहीं करेगा।

उक्त नियमों में नियम-31 में, उपनियम (1) में, खण्ड (ङ) तथा (च) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किए जाएं अर्थात्-

- (ङ) गैर-मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के अभ्यर्थियों को विहित मुक्त प्रतीकों में से उनकी पसंद के प्रतीक आवंटित किए जाएंगे।

(च) प्रथमतः राष्ट्रीय राजनैतिक दलों के अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त प्रतीक, द्वितीयतः मान्यता प्राप्त राज्य राजनैतिक दलों के अभ्यर्थियों को आरक्षित प्रतीक, तृतीयतः गैर-मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के अधीन रजिस्ट्रीकृत अभ्यर्थियों को मुक्त प्रतीकों में से उनके पसंद के तथा चतुर्थतः निर्दलीय अभ्यर्थियों को मुक्त प्रतीकों में से उनके पसंद में प्रतीक आवंटित किए जाएंगे।

परन्तु प्रतीकों के आवंटन में गैर-मान्यता प्राप्त दलों के अभ्यर्थियों को निर्दलीय अभ्यर्थियों पर वरीयता दी जाएगी,

(छ) यदि कोई राजनैतिक दल जो किसी अन्य राज्य में राज्य दल के रूप में मान्यता प्राप्त दल है, मध्यप्रदेश राज्य में अपना अभ्यर्थी खड़ा करता है, तो ऐसे अभ्यर्थी को उस निर्वाचन क्षेत्रों के अन्य अभ्यर्थियों को छोड़कर इस बात के होते हुए भी कि ऐसा प्रतीक मध्यप्रदेश राज्य में मुक्त प्रतीकों की सूची में विनिर्दिष्ट है उस दल के लिए उस राज्य में जिसमें की वह एक मान्यता प्राप्त दल है, आरक्षित प्रतीक निम्नलिखित प्रत्येक शर्त की पूर्ति करने पर आवंटित किया जाएगा अर्थातः-

(एक) अभ्यर्थी के नामनिर्देशन-पत्र में उस आशय की घोषणा की हो,

(दो) सम्बन्धित राजनैतिक दल की जिला इकाई द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत पदधिकारी द्वारा नियम-31(2) के अधीन प्रस्तुप छः में लिखित में सूचना दी हो जो अभ्यार्थिताएँ वापस लिये जाने के अंतिम दिन के अपराह्न 3:00 बजे तक प्राप्त हो गई हो,

(तीन) ऐसा पदधिकारी उस राजनैतिक दल की राज्य इकाई द्वारा नियम-31(2) (चार) के अधीन प्रारूप-9 में प्राधिकृत किया गया हो और उसका नमूना हस्ताक्षर अभ्यर्थिताएँ वापस लिये जाने के अंतिम दिन अपराह्न 3.00 बजे तक रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा प्राप्त किये गये हों, परन्तु यदि इस आशय की जानकारी कि अभ्यर्थी को, उस राजनैतिक दल द्वारा उस राजनैतिक दल के प्राधिकृत पदधिकारी द्वारा खड़ा किया गया है, विहित अवधि में प्राप्त होती है तो उस अभ्यर्थी को निर्दलीय अभ्यर्थी समझा जाएगा।

(चार) फैक्स द्वारा प्राप्त कोई संदेश या किसी पत्र की फोटोकॉपी, प्रमाण या संतुष्टि हेतु स्वीकार नहीं की जाएगी तथा इस प्रकार वह साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होगी।

(2) कोई अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा तभी और केवल तभी खड़ा किया गया समझा जाएगा यदि-

(एक) अभ्यर्थी ने अपने नामनिर्देशन पत्र में इस प्रभाव की घोषण कर दी है, और

(दो) अभ्यर्थिताएँ वापस किए जाने के अंतिम दिन अपराह्न 3 बजे के पूर्व तक इस प्रभाव की एक सूचना प्रारूप 6 में रिटर्निंग ऑफिसर को लिखित में परिदृष्ट कर दी गई है, तथा उसकी प्रज्ञापना जिला निर्वाचन अधिकारियों को भी दी गई है, और

(तीन) उक्त सूचना, दल की जिला इकाई के किसी ऐसे पदधारी द्वारा हस्ताक्षरित की गई है जो दल की राज्य इकाई द्वारा ऐसा करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, और

(चार) ऐसे प्राधिकृत पदधारी का नाम तथा नमूना हस्ताक्षर रिटर्निंग ऑफिसर को प्रारूप 9 में संसूचित कर दिये गये हैं तथा जिसकी प्रज्ञापना जिला निर्वाचन अधिकारी को भी दी गई है,

(2 क) यदि उपनियम (2) की किसी शर्त की पूर्ति नहीं की गई है, तो अभ्यर्थी को मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल के द्वारा खड़ा किया गया नहीं समझा जाएगा और उस दल के लिए आरक्षित प्रतीक उस अभ्यर्थी को आवंटित नहीं किया जाएगा।

(3) यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा या उसकी ओर से एक से अधिक नामनिर्देशन-पत्र परिदृष्ट किये जाते हैं तो प्रतीकों के बारे में उसकी उसी पसंद को विचार में लिया जाएगा जो प्रथम परिदृष्ट नामनिर्देशन-पत्र में व्यक्त की गई है और प्रतीकों के बारे में कोई अन्य पसंद पर विचार नहीं किया जाएगा, भले ही प्रथम नामनिर्देशन-पत्र प्रतिक्षेपित कर दिया गया हो,

परन्तु यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा समय की दृष्टि से प्रथम परिदृष्ट नामनिर्देशन पत्र में प्रतीक के बारे में अपनी पसंद व्यक्त नहीं की गई है या वह अपनी पसंद का प्रतीक प्राप्त नहीं कर सका है, तो रिटर्निंग ऑफिसर उसे निर्वाचन आयोग द्वारा इस सम्बन्ध में जारी किए गए सामान्य अथवा विशेष निर्देशों के अनुसार प्रतीक आवंटित करेगा।

(4) किसी अभ्यर्थी को रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा किया गया किसी प्रतीक का आवंटन अंतिम होगा सिवाय उस दशा के जहां कि वह निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त जारी किए गए किसी निर्देश से असंगत हो और उस दशा में निर्वाचन आयोग, ऐसी रीति में जैसा कि वह उचित समझे, आवंटन का पुनरीक्षण कर सकेगा।

(5) रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा प्रत्येक अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अधिकर्ता को अभ्यर्थी के लिये आवंटित किए गए प्रतीक की जानकारी तुरंत दी जाएगी और उस प्रतीक का नमूना प्रदाय किया जाएगा।

(6) राज्य सरकार मध्यप्रदेश राजपत्र में पूर्व प्रकाशन उपरान्त निर्देश दे सकेगी कि उपनियम (1) के खण्ड (ग) तथा (घ) में तथा उपनियम (2) में अन्तर्विष्ट कोई भी बात निर्वाचन को लागू नहीं होगी और किसी राजनैतिक दल के लिए आरक्षित किया गया कोई निर्वाचन प्रतीक ऐसे निर्वाचन में किसी अभ्यर्थी को आवंटित नहीं किया जाएगा।

नियम-31 के उपनियम (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्वारा “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)” क्रमांक 889, दिनांक 17 अक्टूबर, 1994 में प्रकाशित तत्कालिन स्थानीय शासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक-1269-अठारह-तीन-94, दिनांक 17 अक्टूबर, 1994 को विखंडित करती है।

31 के मान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा अभ्यर्थियों का प्रतिस्थापन-कोई मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अधीन ग्रहते हुए प्रारूप 6 में, पूर्व में किसी अभ्यर्थी के पक्ष में जारी की गई सूचना को या तो निरस्त कर सकेगा या उसमें किसी अन्य अभ्यर्थी का नाम प्रतिस्थापित कर परिवर्तन कर सकेगा, अर्थात्-

(क) पूर्व में प्रारूप 8 में जारी की गई सूचना को निरस्त या प्रतिस्थापित करने वाली उत्तरवर्ती सूचना रिटर्निंग ऑफिसर को अभ्यर्थियों से नाम वापिस लेने की अन्तिम तारीख को अपरान्ह 3 बजे के पूर्व प्राप्त हो जाए,

(ख) ऐसी उत्तरवर्ती सूचना प्रारूप 8 में उसी प्राधिकृत पदधारी के द्वारा हस्ताक्षरित हो जिसके द्वारा प्रारूप-8 में पूर्ववर्ती गूँजना हस्ताक्षरित की गई है और वह असंदिग्ध व स्पष्ट रूप से यह दर्शाती है कि वह पूर्ववर्ती सूचना को यथास्थिति निरस्त या प्रतिस्थापित करती है,

(ग) रिटर्निंग ऑफिसर का उत्तरवर्ती सूचना की प्रमाणिकता के बारे में समाधान हो जाए और

(घ) उस अभ्यर्थी द्वारा जिसके पक्ष में उत्तरवर्ती सूचना दी गई है, अपने नाम निर्देशन पत्र में पूर्व में ही यह घोषणा की गई हो कि उसे उक्त राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किया गया है,

भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना दिनांक 13-01-2015 के अनुसार राष्ट्रीय दल एवं मध्यप्रदेश कि लिए राज्यीय दल तथा उनके लिए आरक्षित प्रतीक चिन्ह निम्नानुसार हैं:-

I	राष्ट्रीय दल	आरक्षित प्रतीक
1.	बहुजन समाज पार्टी	हाथी
2.	भारतीय जनता पार्टी	कमल
3.	कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इन्डिया	बाल और हंसिया
4.	कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इन्डिया (मार्क्सिस्ट)	हथौडा, हंसिया और सितारा
5.	इंडियन नेशनल कांग्रेस	हाथ
6.	नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी	घड़ी

नियम 31 के उपनियम (2) में यह भी उपबन्ध है कि—

कोई अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त राजनैतिक, दल द्वारा केवल तब ही खड़ा समझा जायगा यदि-

(i) अभ्यर्थी ने अपने नाम निर्देशन पत्र में इस प्रकार की घोषणा कर दी है, और

(ii) अभ्यर्थिता वापस लिए जाने के अंतिम दिन के अपरान्ह 3.00 बजे के पूर्व तक इस प्रकार की सूचना प्रारूप-8 में रिटर्निंग ऑफिसर को लिखित में दी गई है तथा उसकी प्रज्ञापना जिला निर्वाचन अधिकारियों को भी दी गई है, और

(iii) उक्त सूचना दल की जिला इकाई के किसी ऐसे पदधारी द्वारा हस्ताक्षरित की गई है जो दल की राज्य इकाई द्वारा ऐसा करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, और ऐसे प्राधिकृत अधिकारी का नाम तथा नमूना हस्ताक्षर रिटर्निंग ऑफिसर को प्ररूप-9 में सूचित कर दिए गए हैं तथा जिसकी प्रज्ञापना जिला निर्वाचन अधिकारी को भी दी गई है।

स्पष्टता इस उपबन्ध के अन्तर्गत प्रत्येक मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल से निम्नांकित कार्यवाही अपेक्षित है:-

(i) दल द्वारा प्रत्येक जिले की नगरपालिका नगरपालिकाओं के लिए खड़े किए गए अभ्यर्थियों की सूची सम्बन्धित नगरपालिका के रिटर्निंग ऑफिसर को प्रस्तुत करने हेतु दल की जिला इकाई के किसी पदधारी को प्राधिकृत किया जाना तथा दल की जिला इकाई के प्राधिकृत पदधारी के नाम और नमूना हस्ताक्षर दल की राज्य इकाई के किसी पदधारी (अध्यक्ष/सचिव) द्वारा प्रमाणित किया जाना और (निर्धारित प्ररूप में) संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर को (निर्धारित समय के भीतर) उपलब्ध कराया जाना और जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रज्ञापना करना।

समाज में आ रही जागरूकता को देखते हुए तथा स्वतंत्र अभ्यर्थियों की अधिक संख्या की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए आयोग द्वारा महापौर/अध्यक्ष तथा पार्षदों के लिये पर्याप्त संख्या में अलग-अलग मुक्त प्रतीक विहित किए गए, महापौर/अध्यक्ष के लिए तथा पार्षद पद के अभ्यर्थियों के लिए मुक्त प्रतीक विहित किए गए, नगरपालिका निगम/नगरपालिका परिषदों के महापौर/अध्यक्ष/पार्षद पद हेतु आयोग द्वारा विहित निर्वाचन प्रतीक परिशिष्ट चौदह तथा परिशिष्ट पन्द्रह (अ) एवं (ब) (स) (अन्य राज्यों के राजनैतिक दलों के आरक्षित प्रतीक चिन्ह) पर नगर परिषद् के अध्यक्ष/पार्षद पद हेतु निर्वाचन प्रतीक दर्शाए गए हैं।

मुक्त प्रतीक वे प्रतीक हैं जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्दलीय अभ्यर्थियों को आवंटित किये जाने के लिए विहित किए जाते हैं, कोई भी अभ्यर्थी आयोग द्वारा विहित मुक्त निर्वाचन प्रतीकों के अतिरिक्त अन्य प्रतीक की मांग नहीं कर सकता। अभ्यार्थी द्वारा प्रथम नाम निर्देशन पत्र में अंकित प्रथम तीन निर्वाचन प्रतीकों को विचार में लिया जाता है, प्रतीक का आवंटन यथासाध्य अभ्यर्थी की पसंद के अनुरूप अर्थात् उसके द्वारा उपदर्शित प्राथमिकता क्रम के अनुसार किया जाता है एक ही प्रतीक को एक से अधिक अभ्यर्थियों ने यदि अपनी पसंद में प्रथम स्थान पर रखा हो तो प्रतीक के आवंटन का निर्णय लाटरी द्वारा किया जाता है। प्रथम स्थान पर प्रतीकों का आवंटन हो जाने पर शेष बचे अभ्यर्थियों को उनकी पसंद के दूसरे क्रम के एवं तत्पश्चात् तीसरे क्रम के प्रतीक का आवंटन उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है। इस प्रक्रिया के पश्चात् यदि कोई अभ्यर्थी ऐसा रह जाता है जिसे अपनी पसंद के तीन प्रतीकों में से कोई प्रतीक आवंटित न हुआ हो अथवा उसने अपने प्रथम नाम निर्देशन पत्र में किसी प्रतीक का उल्लेख न किया हो तो आयोग द्वारा विहित निर्वाचन प्रतीकों में से क्रमवाला आवंटन किया जाता है।

7. विभिन्न राजनैतिक दलों द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी :—

मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दल, अन्य राज्यों में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल एवं पंजीबद्व राजनैतिक दलों की सूची, जिन्होंने त्यारीय निकाय आम निर्वाचन 2014-15 में अपने अभ्यर्थी विभिन्न पदों पर खड़े किए, निम्नानुसार तालिकाबद्ध हैं:-

आम निर्वाचन 2014-15 में सहभागी बने राजनीतिक दलों की सूची

स. क्रमांक	राजनैतिक दल का नाम	दलों का प्रकार
1	2	3
1.	बहुजन समाज पार्टी	मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दल
2.	भारतीय जनता पार्टी	
3.	कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया	
4.	कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट)	
5.	इंडियन नेशनल कंग्रेस	
6.	नेशनलिस्ट कंग्रेस पार्टी	

1	2	3
7.	ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक	अन्य राज्यों में मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय राजनैतिक दल
8.	इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग	
9.	जनता दल (सेक्युर)	
10.	जनता दल (यूनायटेड)	
11.	लोक जन शक्ति पार्टी	
12.	राष्ट्रीय जनता दल	
13.	समाजवादी पार्टी	
14.	शिवसेना	
15.	अखिल भारत हिंदू महासभा	पंजीबद्व राजनैतिक दल
16.	अखिल हिन्दू फारवर्ड ब्लाक	
17.	अपना दल	
18.	भारतीय राष्ट्रीय मजदूर दल	
19.	बुंदेलखण्ड मुक्ति मोर्चा	
20.	गोडवाना गणतंत्र पार्टी	
21.	जन न्याय दल	
22.	लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी	
23.	प्रजातांत्रिक समाधान पार्टी	
24.	राष्ट्रीय धर्मनिरपेक्ष नवभारत पार्टी	
25.	राष्ट्रीय समानता दल	
26.	रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (ए)	
27.	रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया	
28.	समाजवादी जन परिषद	
29.	ऑल इंडिया कंग्रेस	
30.	हिंदू महासभा	

मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दल, अन्य राज्यों में मान्यता प्राप्त राज्यों में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल एवं पंजीबद्व राजनैतिक दलों द्वारा खड़े किए गए एवं निर्दलीय अभ्यर्थियों की संख्या निम्नानुसार तालिका में है:-

नगरपालिक निगम निर्वाचन में महापौर पद हेतु निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की जानकारी

क्रमांक	दलों का नाम	पुरुष	महिला	योग
1.	2	3	4	5
1.	बहुजन समाज पार्टी	5	5	10
2.	भारतीय जनता पार्टी	7	7	14
3.	इंडियन नेशनल कांग्रेस	7	7	14
4.	कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया	0	0	0
5.	कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट)	0	1	1
6.	नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी	1	0	1
7.	जनता दल (यूनाइटेड)	1	1	2
8.	लोक जन शक्ति पार्टी	1	0	1
9.	समाजवादी पार्टी	4	5	9
10.	शिवसेना	2	0	2
11.	अखिल भारत हिंदू महासभा	0	1	1
12.	अपना दल	0	2	2
13.	राष्ट्रीय समानता दल	1	0	1
14.	अन्य	2	3	5
15.	निर्दलीय	20	19	39
		51	51	102

नगरपालिक निगम निर्वाचन में पार्षद पद का निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की जानकारी

क्रमांक	दलों का नाम	पुरुष	महिला	योग
1.	बहुजन समाज पार्टी	136	127	263
2.	भारतीय जनता पार्टी	391	391	782
3.	कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया	9	5	14
4.	कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी)	10	9	19
5.	इंडियन नेशनल कांग्रेस	376	396	772
6.	नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी	5	2	7
7.	जनता दल (यूनाइटेड)	25	5	30
8.	जनता दल (सेक्युलर)	2	0	2

1	2	3	4	5
9.	समाजवादी पार्टी	58	24	82
10.	अखिल भारत हिंदू महासभा	3	0	3
11.	रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (ए)	1	0	1
12.	लोक जन शक्ति पार्टी	1	0	1
13.	अपना दल	5	5	10
14.	राष्ट्रीय समानता दल	1	0	1
15.	रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया	0	1	1
16.	राष्ट्रीय जनता दल	1	2	3
17.	शिवसेना	29	16	45
18.	जन न्याय दल	1	0	1
19.	राष्ट्रीय धर्मनिरपेक्ष नवभारत पार्टी	1	0	1
20.	भारतीय राष्ट्रीय मजदूर दल	1	0	1
21.	हिंदू महासभा	1	0	1
22.	निर्दलीय	939	714	1653
23.	अन्य	3	12	15
	योग . .	1999	1709	3708

नगरपालिका परिषद निर्वाचन में अध्यक्ष पद का निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की जानकारी:—

क्रमांक	दलों के नाम	पुरुष	महिला	योग
1	2	3	4	5
1.	बहुजन समाज पार्टी	15	13	28
2.	भारतीय जनता पार्टी	31	32	63
3.	इंडियन नेशनल कांग्रेस	29	33	62
4.	कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया	0	0	0
5.	कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी)	1	1	2
6.	नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी	5	0	5
7.	शिवसेना	3	1	4
8.	समाजवादी पार्टी	7	4	11
9.	राष्ट्रीय समानता दल	1	0	1
10.	गोंडवाना गणतंत्र पार्टी	0	1	1
11.	अन्य	4	1	5
12.	निर्दलीय	86	55	141
	योग . .	182	141	323

नगरपालिका परिषद के निर्वाचन में पार्षद पद का निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की जानकारी:—

क्रमांक	दलों के नाम	पुरुष	महिला	योग
1	2	3	4	5
1.	बहुजन समाज पार्टी	110	103	213
2.	भारतीय जनता पार्टी	713	746	1459
3.	कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया	5	6	11
4.	कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी)	10	6	16
5.	इंडियन नेशनल कांग्रेस	676	696	1372
6.	नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी	7	11	18
7.	समाजवादी पार्टी	38	28	66
8.	गोंडवाना गणतंत्र पार्टी	1	1	2
9.	राष्ट्रीय समानता दल	2	2	4
10.	लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी	1	2	3
11.	शिवसेना	28	13	41
12.	अखिल हिन्दू फारवर्ड ब्लाक	1	1	2
13.	निर्दलीय	1237	942	2179
14.	अन्य	9	10	19
	योग:	2838	2567	5405

नगर परिषद निर्वाचन में अध्यक्ष पद का निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की जानकारी:—

क्रमांक	दलों के नाम	पुरुष	महिला	योग
1	2	3	4	5
1.	बहुजन समाज पार्टी	36	37	73
2.	भारतीय जनता पार्टी	98	111	209
3.	इंडियन नेशनल कांग्रेस	96	111	207
4.	कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया	0	0	0
5.	कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट)	1	2	3
6.	नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी	0	2	2
7.	जनता दल (यूनाइटेड)	0	0	0
8.	शिवसेना	2	1	3
9.	समाजवादी पार्टी	11	12	23
10.	अखिल भारत हिंदू महासभा	0	0	0
11.	अपना दल	0	0	0
12.	राष्ट्रीय समानता दल	0	0	0
13.	लोक जन शक्ति पार्टी	0	0	0
14.	अन्य	11	3	14
15.	निर्दलीय	267	236	503
16.	गोंडवाना गणतंत्र पार्टी	1	1	2
17.	लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी	1	0	1
	योग:	524	514	1038

नगर परिषद निर्वाचन में पार्षद पद का निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की जानकारी

क्रमांक	दलों के नाम	पुरुष	महिला	योग
1	2	3	4	5
1.	बहुजन समाज पार्टी	205	204	409
2.	भारतीय जनता पार्टी	1503	1555	3058
3.	कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया	1	1	2
4.	कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी)	14	14	28
5.	इंडियन नेशनल कांग्रेस	1410	1459	2869
6.	नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी	4	5	9
7.	समाजवादी पार्टी	45	40	85
8.	गोंडवाना गणतंत्र पार्टी	2	2	4
9.	शिवसेना	4	4	8
10.	ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक	2	2	4
11.	अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक	1	0	1
12.	प्रजातांत्रिक समाधान पार्टी	0	1	1
13.	निर्दलीय	2602	2304	4906
14.	अन्य	4	2	6
	योग:	5797	5593	11390

8. निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की विभिन्न पद अनुसार महिला-पुरुष एवं आरक्षित वर्गवार सांख्यिकीय आंकड़े :—

नगरपालिक निगम निर्वाचन में महापौर पद हेतु निर्वाचन लड़ने वाले

अभ्यर्थियों की जानकारी

	Gen	OBSC	SC	ST	योग
पुरुष	26	23	1	1	51
महिला	28	15	4	4	51
योग	54	38	5	5	102

नगरपालिक निगम निर्वाचन में पार्षद पद का निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की जानकारी

	Gen	OBSC	SC	ST	योग
पुरुष	789	781	364	65	1999
महिला	670	655	305	79	1709
योग	1459	1436	669	144	3708

नगरपालिका परिषद निर्वाचन में अध्यक्ष पद का निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की जानकारी:—

	Gen	OBC	SC	ST	योग
पुरुष	72	77	33	0	182
महिला	47	61	29	4	141
योग	119	138	62	4	323

नगरपालिका परिषद के निर्वाचन में पार्षद पद का निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की जानकारी:—

	Gen	OBC	SC	ST	योग
पुरुष	977	1233	511	117	2838
महिला	822	1185	497	63	2567
योग	1799	2418	1008	180	5405

नगर परिषद निर्वाचन में अध्यक्ष पद का निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की जानकारी:—

	Gen	OBC	SC	ST	योग
पुरुष	172	234	117	1	524
महिला	158	232	109	17	514
योग	330	466	226	18	1038

नगर परिषद निर्वाचन में पार्षद पद का निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की जानकारी:—

	Gen	OBC	SC	ST	योग
पुरुष	1519	2783	1119	376	5797
महिला	1554	2717	1112	210	5593
योग	3073	5500	2231	586	11390

अध्याय—8

निर्विरोध निर्वाचन

अभ्यर्थिता वापसी के बाद नगरपालिक निगमों के 7 वार्डों में, नगरपालिका परिषदों में 32 तथा नगर परिषदों के 46 वार्डों में केवल एक-एक अभ्यर्थी चुनाव मैदान में शेष रह जाने से इन वार्डों में पार्षद पदों के लिए उन्हें निर्विरोध रूप से निर्वाचित घोषित किया गया तथा नगरपरिषद् तेन्दुखेड़ा, जिला नरसिंहपुर के अध्यक्ष पद का एक अभ्यर्थी शेष रहे जाने से उसे निर्विरोध रूप से निर्वाचित घोषित किया गया। इन वार्डों का विवरण निम्नलिखित है:-

निर्विरोध विजयी अध्यक्ष के नाम

क्र.	जिला	निकाय का प्रकार	निकाय का नाम	निर्विरोध विजेता	दल का नाम
1.	नरसिंहपुर	नगर परिषद	तेन्दुखेड़ा	श्रीमती माया	भारतीय जनता पार्टी

निर्विरोध विजयी पार्षदों के नाम

क्र.	जिला	निकाय का प्रकार	निकाय का नाम	वार्ड	निर्विरोध विजेता	दल का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1.	ग्वालियर	नगरपालिक निगम	ग्वालियर	56	सतीश सिंह सिकरवार	भारतीय जनता पार्टी
2.	कटनी	नगरपालिक निगम	कटनी	30	मनीष पाठक	भारतीय जनता पार्टी
3.	कटनी	नगरपालिक निगम	कटनी	39	रेखा बाई	भारतीय जनता पार्टी
4.	भोपाल	नगरपालिक निगम	भोपाल	60	उषा चुरेन्द्र	भारतीय जनता पार्टी
5.	भोपाल	नगरपालिक निगम	भोपाल	70	सुषमा चौहान	भारतीय जनता पार्टी
6.	इन्दौर	नगरपालिक निगम	इन्दौर	66	कंचन गिदवानी	भारतीय जनता पार्टी
7.	इन्दौर	नगरपालिक निगम	इन्दौर	71	भारत	भारतीय जनता पार्टी
8.	दतिया	नगरपालिका परिषद	दतिया	8	बलवंत सिंह	भारतीय जनता पार्टी
9.	दतिया	नगरपालिका परिषद	दतिया	25	प्रशांत	भारतीय जनता पार्टी
10.	गुना	नगरपालिका परिषद	गुना	30	रमेश भील	भारतीय जनता पार्टी
11.	सागर	नगरपालिका परिषद	खुरई	6	पियूस	भारतीय जनता पार्टी
12.	सागर	नगरपालिका परिषद	खुरई	8	राजेश	भारतीय जनता पार्टी
13.	सागर	नगरपालिका परिषद	खुरई	21	श्रीमति मायाबाई	भारतीय जनता पार्टी
14.	सागर	नगरपालिका परिषद	खुरई	22	मुकेश	भारतीय जनता पार्टी
15.	सागर	नगरपालिका परिषद	गढ़ाकोटा	2	शीला पति लछमन	भारतीय जनता पार्टी
16.	सागर	नगरपालिका परिषद	गढ़ाकोटा	3	लक्ष्मी	भारतीय जनता पार्टी
17.	सागर	नगरपालिका परिषद	गढ़ाकोटा	5	संतोष रानी	भारतीय जनता पार्टी
18.	सागर	नगरपालिका परिषद	गढ़ाकोटा	6	मनोज	भारतीय जनता पार्टी
19.	सागर	नगरपालिका परिषद	गढ़ाकोटा	7	महेश सिंह	भारतीय जनता पार्टी
20.	सागर	नगरपालिका परिषद	गढ़ाकोटा	8	सुनीता	भारतीय जनता पार्टी

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
21.	सागर	नगरपालिका परिषद	गढ़ाकोटा	9	गोमती	भारतीय जनता पार्टी
22.	सागर	नगरपालिका परिषद	गढ़ाकोटा	10	गोविंद	भारतीय जनता पार्टी
23.	सागर	नगरपालिका परिषद	गढ़ाकोटा	12	सुषमा	भारतीय जनता पार्टी
24.	सागर	नगरपालिका परिषद	गढ़ाकोटा	13	अपसाना	भारतीय जनता पार्टी
25.	सागर	नगरपालिका परिषद	गढ़ाकोटा	14	दिनेश	भारतीय जनता पार्टी
26.	सागर	नगरपालिका परिषद	गढ़ाकोटा	17	पुरुषोत्तम	भारतीय जनता पार्टी
27.	दमोह	नगरपालिका परिषद	दमोह	24	बंदना	भारतीय जनता पार्टी
28.	बालाघाट	नगरपालिका परिषद	बालाघाट	22	संतोष	भारतीय जनता पार्टी
29.	नरसिंहपुर	नगरपालिका परिषद	गोटेगांव	1	सुमित उपाध्याय	भारतीय जनता पार्टी
30.	नरसिंहपुर	नगरपालिका परिषद	गोटेगांव	3	रजनी	भारतीय जनता पार्टी
31.	नरसिंहपुर	नगरपालिका परिषद	गोटेगांव	11	अंजनी सोनी	भारतीय जनता पार्टी
32.	बैतूल	नगरपालिका परिषद	बैतूल	33	आनन्द	भारतीय जनता पार्टी
33.	होशंगाबाद	नगरपालिका परिषद	होशंगाबाद	28	सुशीला चौकसे	भारतीय जनता पार्टी
34.	रायसेन	नगरपालिका परिषद	बेगमगांज	4	राजेंद्र सिंह	भारतीय जनता पार्टी
35.	राजगढ़	नगरपालिका परिषद	राजगढ़	15	रिकू	भारतीय जनता पार्टी
36.	खरगोन	नगरपालिका परिषद	खरगोन	4	पायल	भारतीय जनता पार्टी
37.	खरगोन	नगरपालिका परिषद	बड़वाह	17	शबाना	भारतीय जनता पार्टी
38.	उज्जैन	नगरपालिका परिषद	खाचरोद	14	रबाबबाई	भारतीय जनता पार्टी
39.	उज्जैन	नगरपालिका परिषद	नागदा	12	अर्चना	भारतीय जनता पार्टी
40.	भिण्ड	नगर परिषद	मिहोना	3	मुन्नी देवी	निर्दलीय
41.	भिण्ड	नगर परिषद	मिहोना	5	रानीबाई	भारतीय जनता पार्टी
42.	भिण्ड	नगर परिषद	दबोह	2	श्रीमति गिरजा देवी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
43.	भिण्ड	नगर परिषद	अकोड़ा	5	बिट्टन देवी	निर्दलीय
44.	भिण्ड	नगर परिषद	अकोड़ा	11	रानी	भारतीय जनता पार्टी
45.	भिण्ड	नगर परिषद	आलमपुर	5	शांती	इंडियन नेशनल कांग्रेस
46.	भिण्ड	नगर परिषद	आलमपुर	15	लालचन्द्र	निर्दलीय
47.	शिवपुरी	नगर परिषद	बदरवास	2	कसूमल बाई	इंडियन नेशनल कांग्रेस
48.	सागर	नगर परिषद	बण्डा	14	अनुरुद्ध सिंह “पन्ना” ठाकुर	भारतीय जनता पार्टी
49.	सागर	नगर परिषद	शाहगढ़	15	सुरेन्द्र प्रताप सिंह (राजा भैया)	भारतीय जनता पार्टी
50.	टीकमगढ़	नगर परिषद	खरगापुर	11	वीर बृष्णग देव सिंह	निर्दलीय
51.	दमोह	नगर परिषद	हिण्डोरिया	4	जयंती ठाकुर	निर्दलीय

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
52.	दमोह	नगर परिषद	हिण्डोरिया	13	प्रेम नारायण	भारतीय जनता पार्टी
53.	दमोह	नगर परिषद	तेन्दूखेड़ा	7	मायारानी	भारतीय जनता पार्टी
54.	सतना	नगर परिषद	उचेहरा	9	नीतू	भारतीय जनता पार्टी
55.	सीधी	नगर परिषद	रामपुर नैकिन	7	उपेन्द्र प्रसाद तिवारी	भारतीय जनता पार्टी
56.	कटनी	नगर परिषद	विजय राघवगढ़	2	रमा सोनी	भारतीय जनता पार्टी
57.	जबलपुर	नगर परिषद	पाटन	14	उर्मिला सिंह	भारतीय जनता पार्टी
58.	जबलपुर	नगर परिषद	पाटन	15	मधु राधेश्याम नामदेव	भारतीय जनता पार्टी
59.	नरसिंहपुर	नगर परिषद	चिचली	13	कमला बाई	भारतीय जनता पार्टी
60.	नरसिंहपुर	नगर परिषद	तेन्दूखेड़ा	1	राजेश कुमार राय	भारतीय जनता पार्टी
61.	नरसिंहपुर	नगर परिषद	तेन्दूखेड़ा	2	सुरेश साहू	भारतीय जनता पार्टी
62.	नरसिंहपुर	नगर परिषद	तेन्दूखेड़ा	3	साक्षी	भारतीय जनता पार्टी
63.	नरसिंहपुर	नगर परिषद	तेन्दूखेड़ा	4	हीरा बाई	भारतीय जनता पार्टी
64.	नरसिंहपुर	नगर परिषद	तेन्दूखेड़ा	5	ठाकुर दास जाटव	भारतीय जनता पार्टी
65.	नरसिंहपुर	नगर परिषद	तेन्दूखेड़ा	6	गुलाब पाली	भारतीय जनता पार्टी
66.	नरसिंहपुर	नगर परिषद	तेन्दूखेड़ा	7	निधी जैन	भारतीय जनता पार्टी
67.	नरसिंहपुर	नगर परिषद	तेन्दूखेड़ा	8	राजू पाली	भारतीय जनता पार्टी
68.	नरसिंहपुर	नगर परिषद	तेन्दूखेड़ा	11	छाया कोरी	भारतीय जनता पार्टी
69.	नरसिंहपुर	नगर परिषद	तेन्दूखेड़ा	12	श्रीमती पूनम काढी	भारतीय जनता पार्टी
70.	नरसिंहपुर	नगर परिषद	तेन्दूखेड़ा	13	डालचंद पटेल	भारतीय जनता पार्टी
71.	नरसिंहपुर	नगर परिषद	तेन्दूखेड़ा	14	बाबूलाल ठाकुर	भारतीय जनता पार्टी
72.	बैतूल	नगर परिषद	बैतूल बाजार	6	जीतू पवार	भारतीय जनता पार्टी
73.	बैतूल	नगर परिषद	बैतूल बाजार	7	विनन्ती सायरे	भारतीय जनता पार्टी
74.	होशंगाबाद	नगर परिषद	बाबई	15	गरिमा	भारतीय जनता पार्टी
75.	रायसेन	नगर परिषद	बाड़ी	11	श्रीमति रीना सीताराम चौहान	भारतीय जनता पार्टी
76.	सीहोर	नगर परिषद	नसरुल्लागंज	4	ज्योति पंवार	भारतीय जनता पार्टी
77.	राजगढ़	नगर परिषद	खुजनेर	9	जीतेन्द्र कुमार बहिती	भारतीय जनता पार्टी
78.	राजगढ़	नगर परिषद	माचलपुर	4	बजरंग	भारतीय जनता पार्टी
79.	राजगढ़	नगर परिषद	सुठालिया	6	किरण	भारतीय जनता पार्टी
80.	खण्डवा	नगर परिषद	मूंदी	12	साहूबाई पति गणेश	भारतीय जनता पार्टी
81.	इन्दौर	नगर परिषद	राठ	5	राजकुमार धुर्वे	भारतीय जनता पार्टी
82.	इन्दौर	नगर परिषद	राठ	15	हेमंत सोलंकी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
83.	नीमच	नगर परिषद	डिकेन	3	चन्द्रबाई	भारतीय जनता पार्टी
84.	नीमच	नगर परिषद	डिकेन	13	कृष्णा बाई	भारतीय जनता पार्टी
85.	नीमच	नगर परिषद	रतनगढ़	15	इन्द्रबाई पति तेजपाल मीणा	भारतीय जनता पार्टी

अध्याय—९

मतदान हेतु की गई विभिन्न प्रशासनिक व्यवस्थाएं

1. मतदान दलों का गठन एवं प्रशिक्षण :—

नगरपालिका निर्वाचन में स्थापित किये जाने वाले मतदान केन्द्रों की संख्या सीमित होने के कारण मतदान दलों के लिए वरिष्ठ और अनुभवी शासकीय अधिकारियों की उपलब्धता में कोई कठिनाई नहीं थी। अतएव जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि वे केवल ऐसे व्यक्ति को ही पीठासीन अधिकारी नियुक्त करें जो राज्य सरकार या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी या राज्य सरकार के किसी सार्वजनिक उपक्रम में कार्यरत हो और यदि कदाचित नगरपालिका मुख्यालय में इस प्रकार के कर्मचारियों की कमी हो, तो विकासखण्ड स्तर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पदस्थ वरिष्ठ सरकारी कर्मचारियों को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया जाए। पीठासीन अधिकारियों की सुविधा के लिए आयोग द्वारा “पीठासीन अधिकारी की निर्देशिका” 2014 प्रसारित की गई। मतदान दलों के गठन एवं प्रशिक्षण के सम्बन्ध में जिला निर्वाचन अधिकारियों एवं रिटर्निंग अधिकारियों के लिए “रिटर्निंग अधिकारी की निर्देशिका अगस्त 2014” प्रकाशित की गई।

2. मतदान हेतु सेक्टर ऑफिसर्स की नियुक्ति :—

मतदान का कार्य सुचारू रूप से सम्पन्न कराने की दृष्टि से प्रत्येक नगरपालिका में आवश्यक संख्या में सेक्टर ऑफिसर्स नियुक्त करने की व्यवस्था की गई। इस हेतु जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि नगर परिषदों तथा छोटी नगरपालिका परिषदों में जिनमें 20 से कम वार्ड हों, केवल एक सेक्टर ऑफिसर नियुक्त किया जाए, बड़ी नगरपालिका परिषदों तथा नगर निगमों में 10 से 15 मतदान केन्द्रों के समूह के लिए एक सेक्टर आफीसर नियुक्त किया जाए। नगर निगमों तथा नगरपालिका परिषदों में सेक्टर ऑफिसर राजपत्रित अधिकारी रहें, परन्तु नगर परिषदों के मामले में तृतीय श्रेणी के वरिष्ठ कार्यपालिक अधिकारी भी सेक्टर ऑफिसर नियुक्त किये जा सकेंगे। मतदान केन्द्रों पहुँच मार्गों की जानकारी व आवश्यक सुधार की दृष्टि से यह भी निर्देश दिये गये थे कि सेक्टर अधिकारियों की नियुक्ति मतदान की तारीख से कम से कम दो सप्ताह पूर्व कर दी जाए।

सेक्टर अधिकारियों के साथ सम्बन्धित नगरपालिका का एक अधिकारी/कर्मचारी भी सम्बद्ध किये जाने के निर्देश दिये गये ताकि मतदान केन्द्रों पर की जाने वाली आवश्यक प्रशासनिक व्यवस्थाएं (जैसे कि प्रकाश व्यवस्था, पेयजल, सफाई, फनीचर आदि) के सम्बन्ध में उस नगरपालिका का सहयोग लिया जा सके।

3. प्रेक्षकों की नियुक्ति :—

आयोग द्वारा चुनावों की स्वतंत्रता और निष्पक्षता के सम्बन्ध में राजनैतिक दलों, अभ्यर्थियों तथा आम लोगों के मन में विश्वास पैदा करने के उद्देश्य से प्रत्येक जिले में एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को आयोग के प्रेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। तत्समय अन्य राज्यों में भी विधान-सभा चुनाव होने के कारण राज्य के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को प्रेक्षक बनाकर अन्य राज्यों में भेजा गया था। अतः इस चुनाव में वरिष्ठ प्रशासनिक पदों से सेवानिवृत्त अधिकारियों की सेवाएं प्रेक्षक के रूप में ली गई। प्रेक्षकों से अपेक्षा की गई कि वे मतदान की तारीख से कम से कम दो दिन पूर्व उन्हें आवंटित जिले में पहुँचे और वहाँ निर्वाचन परिणाम की घोषणा तक रुकें। उन्हें निर्देशित किया गया कि वे अपने प्रवास के दौरान अभ्यर्थियों और राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से मिलते रहें और उनकी शिकायतों और सुझावों पर विचार कर तत्परता से जांच और समुचित कार्यवाही करें। उन्हें विशेष तौर पर यह देखने के लिए कहा गया कि क्या संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। ‘मतदाता सूचियां ठीक से बनी हैं’ अभ्यर्थियों को प्रक्रिया और व्यवस्था के सम्बन्ध में कोई शिकायतें तो नहीं हैं। ‘मतदाताओं को डराने धमकाने अथवा प्रलोभन देकर मतदान कराने का प्रयास तो नहीं किया जा रहा है? आदि प्रेक्षकों के मार्गदर्शन के लिए आयोग द्वारा’। आयोग के प्रेक्षकों के लिए निर्देश सितम्बर 2014, पुस्तिका भी प्रसारित की गई। कलेक्टरों को यह भी निर्देश दिये गये कि संवेदनशील क्षेत्रों में मतदान केन्द्रों पर बूथ कैचरिंग इत्यादि की घटित होने की आशंका के मद्देनजर प्रेक्षक द्वारा मांग करने पर एक वीडियोग्राफर की सेवाएं उपलब्ध कराई जाए। विभिन्न जिलों में नियुक्त किये गये प्रेक्षकों का विवरण परिशिष्ट पन्द्रह पर है।

अध्याय—10

मतपत्रों की व्यवस्था

1. निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र :—

मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम-1994 के नियम-63 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो एक मतदाता के रूप में किसी नगरपालिका में रजिस्ट्रीकृत है और निर्वाचन की तारीख को निर्वाचन कर्तव्यरुद्ध होने के कारण उस मतदान केन्द्र पर जहां वह मतदाता के रूप में मतदान का हकदार है, मतदान करने में असमर्थ है, वह निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र के माध्यम से मतदान कर सकता है। इस त्रैणी में निर्वाचन कर्तव्य पर नियुक्त लोक सेवकों जैसे कि पीठासीन एवं मतदान अधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट, सुरक्षा कर्मी, अधिग्रहीत वाहनों के वाहन चालक आदि के अतिरिक्त अभ्यर्थियों द्वारा नियुक्त मतदान अभिकर्तागण भी आते हैं।

निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र तैयार करने और उन्हें प्रदाय करने के बारे में “निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र जारी करने के सम्बन्ध में निर्देश पुस्तिका, जून 2014” शीर्षक के अन्तर्गत विस्तृत निर्देश पुस्तिकाकार में प्रसारित किए गए।

2. सामान्य मतपत्र एवं उनका मुद्रण :—राज्य की 287 नगरपालिकाओं के महापौर/अध्यक्ष के पदों तथा पार्षद के 5432 पदों के निर्वाचन के लिये सामान्य मतपत्रों का एक साथ मुद्रण एक व्यापक कार्य था। अभ्यर्थिता वापसी तथा मतदान की तारीख के बीच लगभग दो सप्ताह की अल्प अवधि में इतने अधिक वार्डों के लिये (अभ्यर्थियों के नाम और निर्वाचन प्रतीक सहित) मतपत्र छापना एक कठिन चुनौती थी जिसे शासकीय मुद्रणालयों द्वारा पूरा किया गया। इस कार्य हेतु राज्य के विभिन्न जिलों को जिन शासकीय मुद्रणालयों से सम्बद्ध किया गया उनका विवरण परिशिष्ट-सोलह पर है।

3. मतपत्रों के मुद्रण के लिए कागज की व्यवस्था :—नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2014-15 हेतु मतदान में प्रयुक्त होने वाले साधारण मतपत्रों के रंग निम्नानुसार निर्धारित किये गये—

(क) पार्षद के लिए

1. नगर परिषद के मामले में—नीला
2. नगरपालिका परिषद के मामले में—पीला, तथा
3. नगरपालिक निगम के मामले में—गुलाबी

(ख) महापौर/अध्यक्ष के लिए —सफेद

(ग) “निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र” का रंग, सभी के लिये, सफेद रखा गया।

अध्याय—11

मतदान सामग्री का परिवहन एवं वितरण व्यवस्था

प्रत्येक नगरपालिका के लिए मतदान सामग्री के वितरण की व्यवस्था सम्बन्धित नगरपालिका के मुख्यालय से ही की गई। मतदान के पश्चात् ई. व्ही. एम. वी. एम. तथा अन्य सामग्री प्राप्त करने की व्यवस्था सामान्यतया उस भवन में की गई जिसे मतगणना के लिए चुना गया था। ऐसा इसलिए किया गया ताकि सीलबंद ई. व्ही. एम. को मत-गणना के लिए फिर से किसी अलग भवन में ले जाने की आवश्यकता ना रहे। ऐसे चयनित भवन के एक कमरे को दृढ़ कक्ष (स्ट्रिंग रूम) में बदलकर वहां ई. व्ही. एम. रखवाने की व्यवस्था की गई।

मतदान दलों की वापसी पर सामग्री प्राप्त करने के लिए भवन में निमानुसार पांच काउन्टर बनाये गए और प्रत्येक काउन्टर का प्रभार किसी पदाधिकारी (सामान्यतया सहायक रिटर्निंग ऑफिसर) को सौंपा गया :—

प्रथम काउन्टर :—इस काउन्टर पर प्राप्त की जाने वाली सामग्री महत्वपूर्ण है जिसका प्रभारी सहायक रिटर्निंग अधिकारी होता है। इसमें प्राप्त की जाने वाली सामग्री का विवरण निम्नवत हैः—

- (i) अभिलिखित मतों का लेखा एवं पेपर सील का लेखा,
- (ii) पीठासीन अधिकारी की डायरी,
- (iii) पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान प्रारंभ होने के पूर्व, मतदान के दौरान और मतदान की समाप्ति के पश्चात् की गई घोषणाएं,
- (iv) विजिट शीट,
- (v) मॉकपोल का प्रमाण-पत्र,
- (vi) सेक्टर अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी को सौंपे जाने वाला प्रतिवेदन.

द्वितीय काउन्टर :—इस काउन्टर पर सांविधिक लिफाफे का प्रथम पैकेट, जिसमें नीचे वर्णित मुहरबन्द लिफाफे होने चाहिए प्राप्त किया जाएगा :—

- (i) मतदाता सूची की चिन्हित प्रति का मुहरबन्द लिफाफा,
- (ii) मतदाताओं के रजिस्टर (प्ररूप-17क) का मुहरबन्द लिफाफा,
- (iii) प्रयुक्त निविदत मतपत्रों और प्रारूप-17 की सूची का मुहरबन्द लिफाफा,
- (iv) अप्रयुक्त निविदत मतपत्रों का मुहरबन्द लिफाफा,
- (v) मतदाता पर्चियों का मुहरबन्द लिफाफा.

तृतीय काउन्टर :—इस काउन्टर पर असांविधिक लिफाफे का द्वितीय पैकेट में निम्नलिखित लिफाफे होने चाहिए, प्राप्त किया जाएगा :—

- (i) मतदाता सूची (चिन्हित प्रति से भिन्न) की प्रति या प्रतियों से युक्त लिफाफा,
- (ii) मतदाता अभिकर्ताओं के नियुक्ति पत्र से युक्त लिफाफा,
- (iii) अप्रयुक्त और क्षतिग्रस्त पेपर सील से युक्त लिफाफा,
- (iv) अन्ये और शिथिलांग मतदाताओं की सूची और उनके साथियों की घोषणाओं से युक्त लिफाफा,
- (v) चुनौती दिये गये मतों के सम्बन्ध में प्राप्ति पुस्तिका और नकद, यदि कोई हो, से युक्त लिफाफा,
- (vi) चुनौती दिये गये मतों की सूची से युक्त मुहर बन्द लिफाफा,
- (vii) अप्रयुक्त मतदाता स्लिपों से युक्त लिफाफा,
- (viii) अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त विशेष टैग का लिफाफा,
- (ix) उपयोग में न लाई गई एवं क्षतिग्रस्त स्ट्रिप सील का लिफाफा,
- (x) मतदाताओं से उनकी आयु के बारे में अभिप्राप्त घोषणाओं और ऐसे मतदाताओं की सूची से युक्त लिफाफा.

चतुर्थ काउण्टर :- इस काउण्टर पर तीसरे पैकेट में निम्नलिखित मर्दें होनी चाहिए प्राप्त किया जाएगा:-

- (i) पीठासीन अधिकारी की निर्देशिका,
- (ii) इलैक्ट्रॉनिक मतदान मशीन की निर्देशिका,
- (iii) अमिट स्याही सैट (रिसन या वाष्प को रोकने के लिए उस पर लगाई गई पिघली हुई मोमबत्ती या मोम के साथ प्रभावी रूप में प्रत्येक शीशी पर लगाये जाने वाले ढक्कन सहित),
- (iv) बैंगनी रंग के स्टाम्प पैड,
- (v) पीठासीन अधिकारी की धातु की मुहर,
- (vi) निविदत्त मतपत्रों को चिन्हित करने के लिए एरोक्रास मार्क रबड़ स्टाम्प,
- (vii) अमिट स्याही रखने के लिए कप.

पंचम काउण्टर :- इस काउण्टर पर मतदान प्रकोष्ठ, डमी ई. व्ही. एम. तथा चौथे लिफाफे में अन्य समस्त साम्रगी जो किसी भी काउण्टर पर जमा न की गई हो अर्थात् मतदान दल के पास शेष समस्त साम्रगी इस काउण्टर पर जमा की जानी चाहिए.

मतदान दलों को मतदान साम्रगी के साथ उनके निर्दिष्ट मतदान केन्द्रों तक पहुंचाने और वहां से लाने के लिए प्रत्येक नगरपालिका के लिए पृथक् परिवहन कार्यक्रम बनाया गया जिले की सभी नगरपालिकाओं के लिए वाहनों की आवश्यकता के आंकलन और अधिग्रहण हेतु एक उप जिलाध्यक्ष को परिवहन व्यवस्था का प्रभार सौंपा गया.

अध्याय—12

स्वच्छ एवं निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न कराने की दृष्टि से उठाये गये महत्वपूर्ण कदम

1. आदर्श आचरण संहिता लागू किया जाना :—

आयोग द्वारा निर्वाचन की शुचिता बनाए रखने तथा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के बातावरण में निर्वाचन सम्पन्न कराने के उद्देश्य से राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों, शासकीय विभागों एवं कर्मियों तथा नगरपालिका के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए आदर्श आचरण संहिता जारी की गई। आचरण संहिता के प्रावधान संबंधित नगरीय क्षेत्रों में निर्वाचन की तिथि की घोषणा के दिनांक से निर्वाचन परिणाम घोषित होने तक अर्थात् दिनांक 02-11-2014 से दिनांक 07-12-2014 तक प्रभावशील रहे। आचरण संहिता परिशिष्ट-सत्रह में उद्धृत है।

विभिन्न प्रचार माध्यमों से आचरण संहिता का व्यापक प्रचार कराया गया। उसकी एक-एक प्रति निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को भी निःशुल्क प्रदाय की गई। जिला निर्वाचन अधिकारियों तथा रिटार्निंग ऑफिसरों को निर्देशित किया गया कि वे राजनैतिक दलों तथा अभ्यर्थियों के साथ अपनी बैठकों और चर्चाओं में आदर्श आचरण संहिता के अनुपालन पर जोर दें और इसके किसी भी उपबन्ध के उल्लंघन की शिकायत पर तत्परता से जांच कर उपयुक्त कार्यवाही करें।

2. सुरक्षा व्यवस्था :—

(1) नगरपालिका निर्वाचन के दौरान शांति एवं व्यवस्था बनाये रखने के लिए आयोग द्वारा राज्य सरकार को दिए गए परामर्श के अनुसार सरकार ने जिला मजिस्ट्रेटों को निम्नलिखित निर्देश जारी किए—

- (i) निर्वाचन की सूचना जारी होते ही प्रत्येक जिले में आगेय शस्त्रों एवं अन्य घातक हथियारों को लेकर चलने पर प्रतिबन्ध लगाया जाए और ऐसा प्रतिबन्ध निर्वाचन परिणामों की घोषणा तक जारी रखा जाए।
- (ii) यदि किसी व्यक्ति द्वारा अपने शस्त्र का दुरुपयोग कर लोक सुरक्षा या लोक शांति भंग किये जाने की आशंका हो तो ऐसे व्यक्ति की शस्त्र अनुज्ञित आमंत्र एक्ट 1989 के अन्तर्गत निलम्बित करते हुए उसका शस्त्र निकटतम थाने में जमा कराया जाए। शांति एवं व्यवस्था की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में निवास करने वाले शस्त्र अनुज्ञितधारियों द्वारा ऐसे शस्त्रों का दुरुपयोग करने की आशंका हो तो ऐसे क्षेत्र के समस्त या कुछ चुने हुए अनुज्ञितधारियों की अनुज्ञितांग निलम्बित करके उनके शस्त्र निकटतम थाने में जमा कराए जाए तथा उन्हें निर्वाचन परिणाम की घोषणा के बाद ही लौटाया जाए।
- (iii) शस्त्र, बारूद विस्कोटक पदार्थों के अवैध भण्डारण और बिक्री करने वाले व्यक्तियों तथा उनके ठिकानों का पता लगाने के लिए सघन अभियान चलाया जाए।
- (iv) मतदान की तारीख के दो दिन पूर्व से मतदान के दिन तक प्रत्येक जिले में चलने वाले वाहनों की यह सुनिश्चित करने के लिए सघन चेकिंग की जाए कि उनमें कोई अवांछनीय तत्व या शस्त्र अथवा विस्फोटक सामग्री तो नहीं ले जाई जा रही है।
- (v) निर्वाचन की सूचना जारी होने से मतगणना पूर्ण हो जाने तक असामाजिक एवं आपराधिक गतिविधियों में प्रवृत्त तत्वों की धरपकड़ तथा प्रतिबन्धात्मक गिरफ्तारी का एक सघन अभियान चलाया जाए।

मतदान के दिन मतदान केन्द्रों पर बलात् कब्जा करने तथा हिंसा की घटनाओं को सख्ती से दबाने के उद्देश्य से आयोग द्वारा राज्य सरकार को सुरक्षा की विश्वसनीय व्यवस्था करने के लिए लिखा गया। राज्य की उत्तरी पट्टी के जिलों तथा अन्य संवेदनशील क्षेत्रों की ओर विशेष ध्यान देने का सुझाव देते हुए सरकार को यह परामर्श दिया गया कि मतदान केन्द्रों पर उनकी संवेदनशीलता के अनुसार सुरक्षा बलों की पर्याप्त तैनाती की जाए। पुलिस के चलित दलों की गश्त कराई जाए और खास-खास स्थानों पर रक्षित बल की टुकड़िया पदस्थ की जाएं तथा वायरलेस संचार प्रणाली को चुस्त-दुरुस्त हालत में रखा जाए। राज्य के प्रमुख सचिव गृह ने सरकार की ओर से सुरक्षा बलों की तैनाती किए गए अन्य सुरक्षा प्रबन्धों के बारे में आयोग को विस्तार से अवगत कराया। राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा निरन्तर निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान पुलिस महानिर्देशक से बैठक आयोजित कर सुरक्षा प्रबंध की समर्पका की गयी।

पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था के परिणामस्वरूप नगरपालिका निर्वाचन में पूरे राज्य में कहीं भी, हिंसा के कारण पुनः मतदान कराने की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। प्रक्रिया सम्बन्धी त्रुटि के कारण विभिन्न जिलों में पुनर्मतदान कराए जाने का विवरण परिशिष्ट-अठारह पर है।

3. शराब के क्रय-विक्रय पर प्रतिबन्ध :—

नगरपालिका निर्वाचन शांतिपूर्ण तथा स्वस्थ वातावरण में सम्पन्न कराने के उद्देश्य से आयोग ने राज्य सरकार को परामर्श दिया कि अभी प्रत्येक नगरपालिका के क्षेत्र में, जिसमें चुनाव होना हो, तथा उसकी सीमा की परिधि में आने वाली शराब की दुकानें सम्बन्धित नगरपालिका में मतदान समाप्त होने के 48 घण्टे पूर्व से बन्द रखी जाएं। तदनुसार राज्य सरकार के वाणिज्यिक कर विभाग के आदेश क्रमांक बी/1/14/०६/वाकर/५ दिनांक 15-04-1996 द्वारा सभी कलेक्टरों को निर्देशित किया गया कि देशी तथा विदेशी शराब तथा ताड़ी की दुकानें उपरोक्त अवधि के दौरान बन्द रखी जाएं।

4. विद्युत की निर्बाध आपूर्ति :—

सचिव, विद्युत नियामक आयोग मध्यप्रदेश से आयोग द्वारा अनुरोध किया गया था कि मतदान एवं मतगणना के दिन सम्बन्धित केन्द्रों पर विद्युत आपूर्ति निर्बाध रहे तथा मतगणना के समय विद्युत प्रदाय की त्रुटियों को तत्परता से सुधारने के लिए कोई यंत्री कर्मचारी मौके पर उपस्थित रहने के निर्देश देने का अनुरोध भी किया गया। तदनुसार मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल द्वारा क्षेत्रीय अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु लिखा गया।

5. जनसम्पर्क व्यवस्था :—

निर्वाचन दलीय आधार पर होने के कारण आम लोगों, राजनीतिक दलों तथा संचार माध्यमों में उनके प्रति बहुत उत्सुकता देखी गई। अतएव निर्वाचन सम्बन्धी निर्देशों, व्यवस्थाओं आदि की जानकारी निरन्तरता से संचार माध्यमों, अभ्यर्थियों तथा आम जनता को उपलब्ध कराने की दृष्टि से जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे अपने कार्यालय में एक सूचना प्रकोष्ठ स्थापित करें। जिला निर्वाचन अधिकारियों से यह भी अपेक्षा की गई कि वे प्रेस तथा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से यथाशक्य मिलते रहें तथा उन्हें आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराते रहें और इस प्रकार की चर्चा के लिये समय-समय पर औपचारिक बैठकें भी आयोजित करें।

राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्यालय में भी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ दिनांक 16 सितम्बर, 2014 को बैठक आयोजित की गई। प्रेस तथा समाचार एजेंसियों के साथ भी आयोग द्वारा विभिन्न अवसरों पर बैठकें आयोजित की गई तथा मतदान के दिन और तत्पश्चात् मतगणना के सारे परिणाम घोषित हो जाने तक प्रतिदिन प्रेस को अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराई गई।

6. शासकीय कार्यालयों एवं कारखानों में मतदान के दिन अवकाश :—

(1) आयोग के अनुरोध पर राज्य शासन द्वारा प्रथम एवं द्वितीय चरण में सम्मिलित नगरीय निकाय के क्षेत्रों में क्रमशः 28-11-2014 एवं 02-12-2014 को सामान्य अवकाश घोषित किया गया।

(2) आयोग की पहल पर श्रम आयुक्त मध्यप्रदेश ने भी नगरपालिकाओं में मतदान के दिन श्रमिकों को मतदान की सुविधा प्रदान किये जाने के लिए निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किए:-

- (i) कारखाना अधिनियम, 1948 तथा मध्यप्रदेश दुकान एवं संस्थान अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत निर्धारित दिन के साप्ताहिक अवकाश के स्थान पर मतदान की तारीख को अवकाश घोषित किया जाए।
- (ii) ऐसे कारखानों में जो सप्ताह में सातों दिन काम करते हैं, प्रथम तथा द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान के लिए दिन में 2-2 घण्टे का अवकाश दिया जाए तथा जो कारखाने निरन्तर प्रक्रिया के अन्तर्गत आते हैं, उनमें काम करने वाले श्रमिकों को बारी-बारी से मतदान की सुविधा दी जाए।

7. मतदान के दिन निजी वाहनों के परिचालन पर प्रतिबन्ध :—

(1) साधन-सम्पन्न अभ्यर्थियों द्वारा अपने धन के बल पर मतदान के दिन मतदाताओं को मतदान केन्द्रों तक ले जाने और लाने

के लिए वाहनों (टेम्पो, टैक्सी, रिक्षा आदि) की व्यवस्था करने का बहुधा प्रयास किया जाता है। इससे मतदान की शुचिता प्रभावित होती है। इस प्रकार के प्रयासों को सख्ती से रोकने के उद्देश्य से जिला निर्वाचन अधिकारियों को निम्नांकित निर्देश दिए गए :

- i. निजी वाहनों (जैसे कि कार, जीप, स्कूटर, मोपेड) का उपयोग, संबंधित वाहन स्वामी को अपने स्वयं तथा परिवार के सदस्यों के साथ मतदान केन्द्र के नजदीक तक जाने के लिए करने दिया जाए परन्तु ऐसे वाहनों की निरंतर और सघन चेकिंग करके यह सुनिश्चित किया जाए कि उनमें अन्य मतदाताओं को नहीं ढोया जा रहा है। यदि व्यक्तिगत स्वामित्व के वाहनों का अथवा भाड़े पर लिए गये अन्य सवारी वाहनों का मतदाताओं को ढोने के लिए उपयोग किया जा रहा हो तो मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकारी (निर्वाचन अपराध) अधिनियम, 1964 की धारा-9 के अन्तर्गत आवश्यक आपराधिक प्रकरण कायम करते हुए, ऐसे वाहनों को जप्त करने की कार्यवाही की जाए।
- ii. यदि माल वाहक वाहनों जैसे कि लारियों, ट्रकों, ट्रैक्टर/ट्रालियों आदि का उपयोग मतदाताओं को ढोने के लिए किया जाए तो ऐसे वाहनों के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-177 के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही की जाए।
- iii. सम्पूर्ण नगरपालिका क्षेत्र में मतदान के एक दिन पूर्व ही इस आशय की घोषणा की जाए कि यदि कोई वाहन मतदाताओं को ढोने का कार्य में सलंगन पाया गया तो परेशानी से बचने के लिए किसी अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराई गई इस प्रकार की सुविधा को स्वीकार न करें।

(2) मतदान के दिन अपने क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए अभ्यर्थियों को एक या दो वाहनों का उपयोग करने की (एक स्वयं के लिए तथा एक अपने मतदान अभिकर्ता तथा अन्य कार्यकर्ताओं के लिए) अनुमति दी गई। ऐसे वाहनों का परिचालन केवल रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा जारी परमिटों पर करने की छूट दी गई।

अध्याय—13

मतदान का परिदृश्य

आयोग द्वारा नगरपालिकाओं के लिए मतदान तीन चरणों में क्रमशः दिनांक 28-11-2014, 02-12-2014 तथा 31-01-2015 को विहित किया गया। मतदान के प्रथम चरण में 9 नगरपालिका निगम, 26 नगरपालिका परिषद् एवं 100 नगर परिषदें तथा मतदान के द्वितीय चरण में 01 नगरपालिका निगम, 38 नगरपालिका परिषद् एवं 104 नगर परिषदें तथा तृतीय चरण में 4 नगरपालिका निगम एवं 5 नगर परिषदें सम्मिलित थीं।

मतदान का समय प्रातः 07 बजे से अपराह्न 05 बजे तक रखा गया। इस निर्वाचन में कुल 1,15,98,854 मतदाताओं के लिए 14851 मतदान केन्द्र बनाए गये थे। अभ्यर्थियों की संख्या निम्नानुसार थी—

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| 1. नगरपालिका निगम में | महापौर पद के लिए- 102 |
| | पार्षद पदों के लिए- 3708 |
| 2. नगरपालिका परिषद में | अध्यक्ष पद के लिए- 323 |
| | पार्षद पदों के लिए- 5405 |
| 3. नगर परिषद में | अध्यक्ष पद के लिए- 1038 |
| | पार्षद पदों के लिए- 11390 |

मतदाता एवं मतदान के प्रतिशत की निकायवार जानकारी

निकाय का प्रकार	Elector				Voter				Percentage			
	Male	Female	Other	Total	Male	Female	Other	Total	Male	Female	Other	Total
नगर निगम	3528691	3158205	291	6687187	2239656	1909220	47	4149131	63.47	60.45	16.15	62.05
नगरपालिका परिषद	1415141	1291527	139	2706807	1058472	928868	54	1987381	74.02	72.65	11.4	73.37
नगर परिषद	1154567	1051267	90	2205924	958667	851550	37	1810273	94.14	90.425	0	92.33
कुल :	6098399	5500999	520	11599918	4256795	3689638	138	7946785	69.80	67.07	26.54	68.51



नगरपालिकावार मतदाताओं की संख्या एवं मतदान का प्रतिशत परिशिष्ट-19 में दर्शाया गया है।

निर्वाचन प्रक्रिया प्रारम्भ होते ही प्रत्येक जिला निर्वाचन कार्यालय में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया जो कि जिले की समस्त नगरपालिकाओं के साथ-साथ राज्य निर्वाचन आयोग के निर्वाचन कक्ष में जुड़ा हुआ था। इस व्यवस्था से निर्वाचन सम्बन्धी सभी सूचनाओं का विशेष तौर पर मतदान तथा मतगणना के दिन आदान प्रदान तत्परता और सहजता से होता रहा। वर्ष 2014-15 के निर्वाचन में आई.टी. का प्रयोग किया गया जिससे जिलों के साथ सूचना के आदान-प्रदान में बहुत सफलता मिली।

मतदान के दिन अभ्यर्थियों द्वारा, मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाने ले जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध कराने के प्रयासों को रोकने के लिए एक मुहिम चलाई गई थी। इस सम्बन्ध में व्यापक प्रचार प्रसार के बावजूद जिन वाहनों में मतदाताओं को ढोने का प्रयास किया उनके विरुद्ध मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन अपराध अधिनियम, 2014 तथा मोटररयान अधिनियम, 1998 के अन्तर्गत कार्यवाही की गई।

लगभग सभी मतदान केन्द्रों पर अभ्यर्थियों ने मतदान अभिकर्ता नियुक्त किए थे। मतदान अभिकर्ताओं को उनके प्रमुख कृत्यों और कर्तव्यों की एक स्थान पर जानकारी देने के उद्देश्य से मतदान अभिकर्ताओं के लिए मार्गदर्शिका, जून 2014 पुस्तिका प्रकाशित की गई जो रुपये पाँच के मूल्य पर अभ्यर्थियों के लिये उपलब्ध थी। मतदान समाप्ति पर पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान केन्द्र में उपस्थित प्रत्येक अभर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता को मतपत्र लेखा की एक अभिप्रमाणित सत्य प्रति दी गई।

शांतिपूर्ण मतदान :—

नगरपालिका निर्वाचन के दौरान राजनैतिक दलों, नागरिकों तथा अभ्यर्थियों द्वारा बरते गये संयम और प्रशासन की चौकसी तथा पुलिस बंदोबस्त के परिणाम स्वरूप कुछ छुट-पुट घटनाओं को छोड़ कर नगरपालिका निर्वाचन आम तौर पर शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हुए।

अध्याय—14

मतगणना तथा निर्वाचन परिणाम

1. मतगणना :-

(1) आयोग द्वारा मतगणना के सम्बन्ध में रिटर्निंग ऑफिसरों तथा मतगणना कार्य से सम्बद्ध कार्मिकों के मार्गदर्शन के लिए पृथक्षशः एक निर्देशिका “मतगणना के सम्बन्ध में निर्देश, जून 2014”, प्रकाशित की गई। गणना पर्यवेक्षकों तथा गणना सहायकों के प्रशिक्षण के लिए मतदान की तारीख से कम से कम एक सप्ताह पूर्व प्रत्येक नगरपालिका के मुख्यालय में प्रशिक्षण आयोजित किया गया था। प्रशिक्षण सत्र में उन्हें निम्नांकित बातों को विस्तार से समझाया गया—

- i) मतगणना से संबंधित नियम.
- ii) ई.व्ही.एम. से मतगणना की प्रक्रिया.
- iii) पुर्णमतगणना से सम्बंधित प्रावधान और प्रक्रिया.

(2) मतगणना प्रत्येक नगरपालिका के मुख्यालय पर स्थित पूर्व से चयनित भवन में निर्धारित तिथि एवं समय पर प्रारंभ की गई। गणना मेजों की कुल संख्या संबंधित नगरपालिका में वार्डों की संख्या के बराबर रखी गई ताकि प्रत्येक वार्ड के मतों की गणना एक निश्चित गणना मेज पर की जा सके। इस व्यवस्था का अपवाद केवल भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर तथा जबलपुर नगरपालिक निगम थे, जिन्हें कि प्रत्येक वार्ड के लिए दो गणना मेजे लगाने की छूट थी। ऐसा इन नगरपालिक निगमों में प्रति वार्ड मतदान केन्द्रों की संख्या अधिक होने के कारण गणना कार्य को तत्परता से निपटाने की दृष्टि से किया गया।

अभ्यर्थियों द्वारा मतगणना हेतु गणन अभिकर्ताओं की नियुक्ति की जाती है। इस निर्वाचन में प्रत्येक वार्ड के लिये प्रत्येक अभ्यर्थी को उतने गणन अभिकर्ताओं की नियुक्ति की अनुमति प्रदान की गई जितनी गणना मेजें हों। गणन अभिकर्ताओं को मतगणना की प्रक्रिया और उनके कर्तव्यों को दर्शाने वाली मार्गदर्शिका “गणन अभिकर्ताओं के लिए मार्गदर्शिका, जून 2014”, आयोग द्वारा प्रसारित की गई जो 5/- के अल्प मूल्य पर उपलब्ध थी।

2. निर्वाचन परिणाम :-

(1) आयोग द्वारा विहित कार्यक्रम के अनुसार प्रथम चरण का मतदान दिनांक 28-11-2014 एवं मतगणना दि. 04-12-2014, द्वितीय चरण का मतदान दिनांक 02-12-2014 एवं मतगणना दिनांक 07-12-2014, तृतीय चरण का मतदान दिनांक 31-01-2015 एवं मतगणना दिनांक 04-02-2015 निर्धारित थी। निर्वाचन के परिणाम मतगणना तारीख को ही प्राप्त हो गए। निर्वाचित अभ्यर्थियों को निर्वाचन प्रमाण-पत्र, प्रदान किए गए।

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1965 की धारा-22 तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 45 के प्रावधान के अनुसार महापौर/अध्यक्ष एवं पार्षदों के निर्वाचन को राजपत्र में अधिसूचना किया गया। समेकित रूप से पूरे राज्य में विभिन्न राजनैतिक दलों को प्राप्त मतों का विवरण निम्नानुसार सूचीबद्ध किया गया है—

राज्य स्तर पर पार्टीवार प्राप्त मतों की संख्या:—

पार्टी	नगरपालिक निगम	नगरपालिका परिषद्	नगर परिषद्
बहुजन समाज पार्टी	136361	110576	69527
भारतीय जनता पार्टी	2205789	870939	711941
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया	0	0	0
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी)	9866	8913	5641
इंडियन नेशनल कांग्रेस	1542306	656958	598102
नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी	1876	4334	272
समाजवादी पार्टी	31933	17721	11292
निर्दलीय	140913	282755	378649

3. निक्षेप राशि (जमानत) खोने वाले अभ्यर्थी :-


नगरपालिक निगम के महापौर पद एवं पार्षद पद के लिए निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों में से सर्वाधिक प्रतिशत में अभ्यर्थियों की जमानत जप्त हुई। महापौर/अध्यक्ष पद हेतु यह प्रतिशत नगरपालिक निगम में 69.61 प्रतिशत नगरपालिका में 54.49 प्रतिशत नगर परिषद् में 51.35 प्रतिशत रहा अर्थात् महापौर/अध्यक्ष पद हेतु लड़ने वाले आधे से अधिक अभ्यर्थियों ने अपनी जमानत राशि खोयी। सभी पत्रों के जमानत जप्त संबंधी आंकड़े तालिकाबद्ध हैं। इसका निकायवार एवं पदवार विवरण परिशिष्ट बीस-अ, ब, स, द, इ, फ में दर्शाया गया है।

निकायवार जमानत जब्त होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या

निकाय का प्रकार	पद	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी	अभ्यर्थियों की संख्या जिनकी जमानत जब्त हुई		प्रतिशत
			अभ्यर्थी	जमानत जब्त हुई	
नगर निगम	मेयर	102		71	69.61
	पार्षद	3708	1904		51.35
नगर पालिका	अध्यक्ष	323	176		54.49
	पार्षद	5405	2009		37.17
नगर परिषद्	अध्यक्ष	1038	533		51.35
	पार्षद	11390	3791		33.28
योग ..		21966	8484		38.62

4. निर्वाचित प्रतिनिधियों का आयु-वार विश्लेषण

निकाय का प्रकार	पद	18-25	26-30	31-35	36-40	41-50	51-60	61-70	70+	कुल
नगर निगम	महापौर	0	1	0	1	6	5	1	0	14
	पार्षद	27	54	130	179	259	116	18	0	783
नगर पालिका	अध्यक्ष	1	1	5	15	25	13	4	0	64
	पार्षद	90	200	262	315	445	115	37	4	1468
नगर परिषद्	अध्यक्ष	1	25	39	51	59	25	7	2	209
	पार्षद	212	497	643	645	808	251	65	14	3135



अध्याय—15

आरक्षित वर्गों का प्रतिनिधित्व

वैधानिक प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदेश की नगरपालिकाओं अर्थात् नगरपालिक निगमों, नगरपालिका परिषदों एवं नगर परिषदों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए किए गए आरक्षण के अनुसार नगरपालिका निर्वाचन 2014-15 में उनका प्रतिनिधित्व निम्नानुसार रहा :—

(1) निर्वाचित महापौर/अध्यक्ष (महिलाओं का प्रतिनिधित्व)

नगरपालिका का स्वरूप	पदों की संख्या	अनु. जाति	अनु.जन. जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	सामान्य (अनारक्षित)	कुल पद जिनमें महिलाएं निर्वाचित हुईं.
						संख्या प्रतिशत
नगरपालिक निगम	14	0	1	2	4	7 50.00
नगरपालिका परिषद्	64	6	1	13	13	33 51.56
नगर परिषद्	209	20	5	40	44	109 52.15
योग	287	26	7	55	61	149 153.71

उपर्युक्त तालिका से ज्ञात होता है कि नगरीय निकायों में से महापौर/अध्यक्ष के पदों पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ. जो आधे या उससे अधिक है.

(2) पार्षद पदों पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व :—

नगरपालिका का प्रकार	वार्डों की संख्या	अनु. जाति	अनु.जन. जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	सामान्य (अनारक्षित)	कुल वार्डों की संख्यां जिनमें महिलाएं निर्वाचित हुईं.
						संख्या प्रतिशत
नगरपालिक निगम	783	62	17	158	158	395 50.44
नगरपालिका परिषद्	1472	126	21	370	235	752 51.08
नगर परिषद्	3138	290	65	794	464	1613 51.40
योग	5393	478	103	1322	857	2760 152.93

इस प्रकार नगरपालिका आम निर्वाचन 2014-15 में अनुसूचित जाति की महिलाएं उनके लिए आरक्षित स्थानों के अलावा अन्य स्थानों पर निर्वाचित हुईं हैं. इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को उनके लिए आरक्षित स्थानों के अलावा अन्य स्थानों पर जीत हासिल हुईं हैं जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को उनके लिए आरक्षित स्थानों के अलावा अन्य स्थानों पर प्रतिनिधित्व प्राप्त किया गया है.

शासन द्वारा विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षित स्थानों के अलावा अन्य स्थानों से भी प्राप्त हुआ है। महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों पर उनकी जीत सुनिश्चित हुई है के अलावा अन्य स्थानों पर भी महिलाओं को प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है। समस्त आरक्षण को दृष्टिगत रखते हुए आरक्षित वर्ग को प्राप्त प्रतिनिधित्व का विवरण निम्नानुसार है:—

आरक्षित वर्गों का प्रतिनिधित्व (महिलाओं सहित)

नगरपालिका का प्रकार	पद	वार्डों की संख्या	निर्वाचित पार्षद		
			अनु. जाति	अनु. जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग
नगरपालिका निगम	महापौर	14	0	1	4
	पार्षद	783	120	33	322
नगरपालिका परिषद्	अध्यक्ष	64	11	1	25
	पार्षद	1472	232	58	690
नगर परिषद्	अध्यक्ष	209	38	5	83
	पार्षद	3138	548	175	1540
योग . .	महापौर/अध्यक्ष	287	49	7	112
	पार्षद	5393	900	266	2552

अध्याय—16

विविध

1. उच्च न्यायालय में प्रस्तुत याचिकाएँ :—

नगरपालिका आम चुनावों को लेकर याचिकाएँ माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर, माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ-ग्वालियर तथा माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ-इन्दौर में विभिन्न मुद्रों यथा मतदाता सूची, परिसीमन, आरक्षण तथा चुनाव इयूटी एवं स्थानांतरण तथा अन्य विषयों के संदर्भ में दायर हुई जो विचाराधीन हैं। याचिकाओं का विवरण परिशिष्ट-बाईस में है।

2. निर्वाचन से सम्बन्धित शिकायतें :—

आयोग को प्राप्त शिकायतों में से जिन शिकायतों में तत्काल कार्यवाही की जानी थी उन शिकायतों को जिला निर्वाचन अधिकारी को तत्काल कार्यवाही हेतु भेजा गया एवं ऐसी शिकायतों के संबंध में दूरभाष से भी निर्देशित किया गया। ऐसी शिकायतें जो गम्भीर प्रकार की थीं एवं जिनमें जांच एवं कार्यवाही में समय लगने की सम्भावना थी उन्हें जिला निर्वाचन अधिकारियों को एक निश्चित समयावधि में जांच प्रतिवेदन प्राप्त कर यथोचित कार्यवाही की गई जबकि अस्पष्ट या सामान्य स्वरूप वाली शिकायतों को नस्तीबद्ध किया गया। प्राप्त शिकायतों और उनमें की गई कार्यवाही का सांख्यिकी विवरण परिशिष्ट-तेईस में दर्शाया गया है।

3. आयोग द्वारा शासकीय कर्मचारियों द्वारा आचरण संहिता का उल्लंघन कराने को रोकने एवं ऐसे प्रकरणों में सशक्त प्रभावी कार्यवाही करने हेतु जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिनका निकट संबंधी अभ्यर्थी हो, को तत्काल निर्वाचन कार्य से मुक्त करें, प्रथम दृष्ट्या आचरण संहिता का उल्लंघन होने की शिकायत प्राप्त हो जाने पर संबंधित को तत्काल निर्वाचन कार्य से हटाया जाए एवं उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जांच की जाए। शासकीय सेवकों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई, अस्पष्ट या सामान्य होने के कारण तथा जांच उपरान्त सही न पाए जाने के कारण नस्तीबद्ध की गई। शिकायतें प्रथम दृष्ट्या सही पायी गई जिनमें शासकीय सेवकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई।

4. आयोग के प्रकाशन : निर्वाचन प्रक्रिया बहुआयामी होती है जिसमें शासकीय तंत्र, अभ्यर्थी एवं उसके सहयोगियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। यद्यपि अधिनियम एवं नियम उपलब्ध हैं किन्तु प्रक्रिया को स्पष्ट करने एवं चुनाव संचालन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने हेतु आयोग द्वारा भी निर्देश जारी किए जाते हैं। शासन तंत्र एवं अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए आयोग द्वारा कई पुस्तिकाओं का प्रकाशन किया जाता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पुस्तिका रिटर्निंग ऑफीसरों के लिए हस्त-पुस्तक “रिटर्निंग अधिकारी की निर्देशिका” है क्यों कि रिटर्निंग ऑफीसर के कर्तव्य न केवल बहुआयामी है अपितु निर्णय भी अर्ध न्यायिक स्वरूप के होते हैं। अतः रिटर्निंग ऑफीसर के मार्गदर्शन के लिए कानून तथा निर्वाचन नियमों के मूलभूत प्रावधानों को समाविष्ट किया गया। इसके अतिरिक्त नाम निर्देशन पत्रों की प्रस्तुति और संबंधी की सुविधा हेतु प्रकाशित कराई गई साथ ही मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994, स्थानीय निकायों से संबंधित महत्वपूर्ण अधिनियम भी अद्यतन स्थिति में पुस्तिका के रूप में आयोग द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराए गए।

इसी प्रकार मतदाता सूची बनाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की सुविधा हेतु मतदाता सूची तैयार करने के संबंध में निर्देश, दावे-आपत्तियां प्राप्त करने हेतु प्राधिकृत कर्मचारियों के लिए निर्देश व नगरपालिका मतदाता सूची मुद्रण कराए जाने के संबंध में पुस्तिकाओं के रूप में प्रसारित किए गए।

मतदान में लगे पीठासीन अधिकारियों के लिए मतगणना में लगे अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए भी निर्देश पुस्तिकाएँ प्रसारित की गई।

आयोग द्वारा प्रेक्षकों के लिए अलग से निर्देश पुस्तिका प्रकाशित की गई जिससे कि वे मतदान के समय पर्यवेक्षण के अपने दायित्वों को सम्यक रूप से निर्वहन कर सकें।

आदर्श आचरण संहिता संबंधी पुस्तिका का प्रकाशन भी उल्लेखनीय रहा क्योंकि यह शासकीय सेवकों, राजनैतिक दलों, अभ्यर्थियों, प्रेक्षकों सभी के लिए उपयोगी थी।

इतनी पुस्तिकाओं के प्रकाशन के बाद भी निर्वाचन कार्य में लगे अधिकारियों/कर्मचारियों की शंकाओं के समाधान के लिए आयोग द्वारा समय-समय पर निर्देश दिए गए। इस निर्देशों को एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए उनका अद्यतन संकलन में प्रकाशित किया गया।

उपरोक्त निर्देश निर्वाचन से संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के उपयोग के लिए थे, किन्तु चुनाव में अभ्यर्थियों को भी अपने अधिकारों, दायित्वों से अवगत कराना आवश्यक है। इस उद्देश्य से उनके लिए और उनके मतदान अभिकर्ताओं तथा गणन अभिकर्ताओं के लिए पुस्तक के रूप में मार्गदर्शिकाएं प्रकाशित की गई जो नाममात्र मूल्य पर उन्हें और अन्य सभी को उपलब्ध रही।

इस प्रकार यह पूर्ण प्रयास किया गया कि निर्वाचन से संबंधित सभी अधिकारी/कर्मचारी अपने दायित्वों को पूरी तरह समझें और उनका निर्वहन करें। आयोग के प्रकाशनों की सूची परिशिष्ट-चौबीस पर है।

5. अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराई गई जानकारी :—

निर्वाचन प्रक्रिया में अभ्यर्थी का महत्वपूर्ण स्थान होता है। अतः चुनाव आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को निर्वाचन विधि, नियमों, प्रावधानों की जानकारी उपलब्ध कराने हेतु निम्नलिखित कार्यवाही की गई—

1. अभिलेख निःशुल्क उपलब्ध कराना—अभ्यर्थियों को नाम निर्देशन पत्र, शपथ पत्र का प्ररूप आयोग की ओर से निःशुल्क उपलब्ध कराए गए।
2. महापौर/अध्यक्ष पद के प्रत्येक अभ्यर्थी या उनके प्रस्तावक को निर्वाचन व्यय के लेखा से संबंधितस निम्नलिखित कागज पत्र भी साथ में तत्काल (निःशुल्क) प्रदाय किए गए निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 2014,
 1. निर्वाचन व्ययों के दिन-प्रतिदिन का लेखा रजिस्टर (प्रोफार्मा-क)
 2. निर्वाचन व्ययों का सार-विवरण (प्रोफार्मा-ख)
 3. निर्वाचन व्ययों से संबंधित लेखे के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले शपथ पत्र का नमूना (प्रोफार्मा-ग)
3. निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को आवंटित प्रतीक का नमूना उपलब्ध कराया गया और साथ में निम्नांकित कागत-पत्र निःशुल्क प्रदाय किए गए—
 1. महापौर/अध्यक्ष पद के लिए अथवा संबंधित वार्ड से पार्षद का निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची,
 2. नगरपालिका की वार्डवार अथवा संबंधित वार्ड के लिए बनाए गए मतदान केन्द्र/केन्द्रों की सूची,
 3. आदर्श आचरण संहिता की प्रति,
 4. अभ्यर्थी पहचान-पत्र।
4. मतदान के पश्चात् पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान बंद होते समय केन्द्र में उपस्थित प्रत्येक मतदान अभिकर्ता को मतपत्र लेखा (भाग-1) की अभिप्राणित सत्यप्रति निःशुल्क उपलब्ध कराई गई।
5. अभ्यर्थियों का निर्वाचन प्रक्रिया से भिज्ञ कराने हेतु आयोग द्वारा नाममात्र के मूल्य पर निम्नानुसार मार्गदर्शिकाएं उपलब्ध कराई गई—

1. अभ्यर्थियों के लिए मार्गदर्शिका	—	15/-
2. मतदान अभिकर्ताओं के लिए मार्गदर्शिका	—	6/-
3. गणन अभिकर्ताओं के लिए मार्गदर्शिका	—	5/-

6. पारदर्शिता :—

1. स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने हेतु निम्नलिखित प्रावधान भी है—पीठासीन अधिकारी को निर्देश है कि जो अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन/मतदान अभिकर्ता मौके पर उपस्थित हों उन्हें निरीक्षण कर लेने दें ताकि उन्हें जात हो सके। इ.व्ही.एम. में पहले से कोई वोट नहीं पड़े हैं। मतदान के पूर्व मोकपोल का आयोजन भी किया गया। आयोग द्वारा मोकपोल हेतु विस्तृत निर्देश जारी किये गये थे।

2. मतदान पश्चात् ई.व्ही.एम. जिस कक्ष में रखी जाती हैं, उस कक्ष में समस्त ई.व्ही.एम. रखकर दरवाजे पर ताला लगाकर सील कर दिया जाता है. कोई अभ्यर्थी चाहे तो उसे भी ताले पर अपनी सील लगाने की अनुमति दी जाती है.
 3. यदि मतगणना के पूर्व कक्ष को किसी कारणवश खोलना पड़े तो ऐसा करने के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी को सूचना दी जानी आवश्यक है और तत्समय उपस्थित अभ्यर्थियों और उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं के सामने ही ताला खोला जाकर कार्य पूरा होने पर पुनः सील बंद कर दिया जाता है.
 4. कक्ष में जब तक ई.व्ही.एम. रहती हैं उसके सशस्त्र पहरे की समुचित व्यवस्था की जाती है. यदि कोई अभ्यर्थी चाहे तो उसे भी अपनी ओर से उस कक्ष के बाहर अपना एक अभिकर्ता तैनात करने की अनुमति दी जाती है.
 5. किसी ई.व्ही.एम. के मतगणना टेबल पर खोले जाने के पूर्व किसी अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता/गणन अभिकर्ता को जो उपस्थित हो उस पर लगी सील का निरीक्षण करने और अपना यह समाधान करने के लिए, कि वह ठीक हालत में है, अनुज्ञात किया जाता है.
 6. निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र की गणना के पश्चात् मतपत्र जिस सील बंद पैकेट में रखा जाना है उस पर भी अभ्यर्थी/उसका निर्वाचन अभिकर्ता या गणन अभिकर्ता अपनी सील लगा सकता है.
- मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग प्रदेश में निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से निर्वाचन कराने के लिए प्रतिबद्ध है.

परिशिष्ट-एक

मुख्यालय स्तर पर स्वीकृत पद

स.क्र.	पदनाम	पद संख्या	वेतनमान रुपये	पुनरीक्षित वेतनमान+गेड पे
1.	संयुक्त निर्वाचन आयुक्त/सचिव (सुपर टाईप स्केल आई.ए.एस.)	1	18,400-22,400	रुपये-37,400-67,000+10,000
2.	वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी	1	14,300-18,300	रुपये-37,400-67,000+8,700
3.	सहायक निर्वाचन आयुक्त/उप सचिव	2	12,000-16,500	रुपये-15,600-39,100+7,600
4.	विधिक सलाहकार	1	12,000-16,500	रुपये-15,600-39,100+7,600
5.	उप सचिव	1	12,000-16,500	रुपये-15,600-39,100+7,600
6.	अवर सचिव	1	10,000-15,200	रुपये-15,600-39,100+6,600
7.	विशेष सहायक	1	10,000-15,200	रुपये-15,600-39,100+6,600
8.	सांच्चिकी अधिकारी	1	8,000-13,500	रुपये-15,600-39,100+5,400
9.	लेखाधिकारी	2	8,000-13,500	रुपये-15,600-39,100+5,400
10.	अनुभाग अधिकारी	4	6,500-10,500	रुपये-9,300-34,800+4,200
11.	स्टॉफ ऑफिसर	3	6,500-10,500	रुपये-9,300-34,800+4,200
12.	निज सचिव	1	5,500-9,000	रुपये-9,300-34,800+3,600
13.	सहायक सांच्चिकी अधिकारी	1	5,500-9,000	रुपये-9,300-34,800+3,600
14.	सहायक जनसम्पर्क अधिकारी	1	5,500-9,000	रुपये-9,300-34,800+3,600
15.	कनिष्ठ लेखाधिकारी	2	5,000-8,000	रुपये-9,300-34,800+3,200
16.	सहायक ग्रेड-एक	4	5,000-8,000	रुपये-9,300-34,800+3,200
17.	निज सहायक	4	5,000-8,000	रुपये-9,300-34,800+3,200
18.	सहायक प्रोग्रामर (कम्प्यूटर)	1	4,500-7,000	रुपये-5,200-20,200+2,800
19.	लेखापाल/केशियर	2	4,000-6,000	रुपये-5,200-20,200+2,400
20.	सहायक ग्रेड-दो	8	4,000-6,000	रुपये-5,200-20,200+2,400
21.	सहायक ग्रेड-तीन	14	3,050-4,590	रुपये-5,200-20,200+1,900
22.	स्टेनोटायपिस्ट	2	3,050-4,590	रुपये-5,200-20,200+1,900
23.	वाहन चालक	3	3,050-4,590	रुपये-5,200-20,200+1,900
24.	सुपरवाइजर	1	3,050-4,590	रुपये-5,200-20,200+1,900
25.	वाहन चालक (कांटीजेंसी पेड)	5	3,050-4,590	रुपये-5,200-20,200+1,900
26.	जमादार	1	2,610-3,540	रुपये-4,440-7,440+1,400
27.	दफतरी	1	2,610-3,540	रुपये-4,440-7,440+1,400
28.	भृत्य/चौकीदार/संदेशवाहक	6	2,550-3,200	रुपये-4,440-7,440+1,300
29.	भृत्य/चौकीदार/संदेशवाहक (कांटीजेंसी पेड)	14	2,550-3,200	रुपये-4,440-7,440+1,300
30.	स्वीपर (पार्ट टाईम)	1	जिलाध्यक्ष दर पर	जिलाध्यक्ष दर पर
31.	माली (पूर्ण कालीक)	1	जिलाध्यक्ष दर पर	जिलाध्यक्ष दर पर

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 19-129/1999/1/4, दिनांक 30 जनवरी, 2014 से वित्त विभाग के यू.ओ. क्रमांक 109/1703/ब-8/चार/13, दिनांक 22 जनवरी, 2014 के आधार पर निम्नलिखित पदों को स्थायी करने की सहमति प्रदान की गई।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1999 की अनुसूची एक के अनुसार स्थायी किये जाने वाले पदों की संशोधित सूची :—

वर्गीकरण, वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या

अनु.क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों का नाम	पदों की संख्या	पुस्तना वेतनमान	पुनरीक्षित वेतनमान+ग्रेड पे
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	संयुक्त निर्वाचन आयुक्त/सचिव (सुपर टाईप स्केल आई.ए.एस.)	1	18,400-22,400	रुपये-37,400-67,000+10,000
2.	सहायक निर्वाचन आयुक्त/उप सचिव	2	12,000-16,500	रुपये-15,600-39,100+7,600
3.	वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी	1	14,300-18,300	रुपये-37,400-67,000+8,700
4.	विधिक सलाहकार	1	12,000-16,500	रुपये-15,600-39,100+7,600
5.	कम्प्यूटर विशेषज्ञ	1	12,000-16,500	रुपये-15,600-39,100+7,600
6.	उप सचिव	1	12,000-16,500	रुपये-15,600-39,100+7,600
7.	अवर सचिव	1	10,000-15,200	रुपये-15,600-39,100+6,600
8.	स्टॉफ अधिकारी	1	10,000-15,200	रुपये-15,600-39,100+6,600
9.	लेखाधिकारी	2	8,000-13,500	रुपये-15,600-39,100+5,400
10.	सांख्यिकी अधिकारी	1	8,000-13,500	रुपये-15,600-39,100+5,400
11.	अनुभाग अधिकारी	4	6,500-10,500	रुपये-9,300-34,800+4,200
12.	निज सचिव	2	6,500-10,500	रुपये-9,300-34,800+3,600
13.	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	1	5,500-9,000	रुपये-9,300-34,800+3,600
14.	निज सहायक	2	5,500-9,000	रुपये-9,300-34,800+3,600
15.	कनिष्ठ लेखाधिकारी	2	5,500-8,000	रुपये-9,300-34,800+3,200
16.	सहायक ग्रेड-एक	4	5,000-8,000	रुपये-9,300-34,800+3,200
17.	शीघ्रलेखक	4	5,000-8,000	रुपये-9,300-34,800+3,200
17(1).	सहायक प्रोग्रामर	1	4,500-7,000	रुपये-5,200-20,200+2,800
18.	लेखापाल/केशियर	2	4,000-6,000	रुपये-5,200-20,200+2,400
19.	सहायक ग्रेड-2	8	4,000-6,000	रुपये-5,200-20,200+2,400
20.	सहायक ग्रेड-3	14	3,050-4,590	रुपये-5,200-20,200+1,900
20अ.	स्टेनोटायपिस्ट	2	3,050-4,590	रुपये-5,200-20,200+1,900
21.	वाहन चालक	3	3,050-4,590	रुपये-5,200-20,200+1,900
22.	दफ्तरी	1	2,610-3,540	रुपये-4,440-7,440+1,400
23.	जमादार	1	2,610-3,540	रुपये-4,440-7,440+1,400
24.	भृत्य/चौकीदार/संदेशवाहक	7	2,550-3,200	रुपये-4,440-7,440+1,300

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 19-32/2013/1/4, दिनांक 05 मार्च, 2014

राज्य शासन एतद्वारा म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग मुख्यालय के लिये निम्नलिखित अतिरिक्त अस्थायी पद दिनांक 01 फरवरी, 2014 से 30 जून, 2015 तक के लिये स्थायी रूप से सृजित करने की स्वीकृति प्रदान करता है :—

स.क्र.	पदनाम	पद संख्या	वेतनमान
1.	अपर सचिव/उप सचिव	2	15,600-39,100+ग्रेड पे 7,600
2.	अवर सचिव	2	15,600-39,100+ग्रेड पे 6,600
3.	सांच्यकी अधिकारी	1	15,600-39,100+ग्रेड पे 5,400
4.	प्रोग्रामर	1	15,600-39,100+ग्रेड पे 5,400
5.	अनुभाग अधिकारी	2	9,300-34,800+ग्रेड पे 4,200
6.	सहायक प्रोग्रामर (कम्प्यूटर)	4	9,300-34,800+ग्रेड पे 3,200
7.	शीघ्रलेखक	3	9,300-34,800+ग्रेड पे 3,200

2/ उपरोक्त पदों में से स.क्र. 03 से 07 तक के लिये प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारी न मिलने की स्थिति में उक्त पदों को इन पदों के सापेक्ष उक्त अवधि के लिये संविदा नियुक्ति से भरने की अनुमति आयोग को दी जाती है।

3/ यह आदेश वित्त विभाग के पु.क्र. 52/337/ब-8/चार/14, दिनांक 04-03-14 से महालेखाकार कार्यालय को पृष्ठांकित किया गया है।

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 19-32/2004/1/4, दिनांक 02 अप्रैल, 2014

राज्य शासन एतद्वारा म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्यालय स्तर तथा जिला स्तर पर स्वीकृति निम्नानुसार कुल-197 पदों के उनके सम्मुख दर्शाई गयी संख्या एवं वेतनमान में दिनांक 01-03-2014 से 28-02-2015 तक की अवधि के लिये प्रवर्तित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :—

मुख्यालय स्तर पर स्वीकृत पद

क्र.	पदनाम	पद संख्या	पुराना वेतनमान	पुनरीक्षित वेतनमान+गेड पे
1.	सहायक जनसम्पर्क अधिकारी	1	5,500-9,000	रुपये-9,300-34,800+3,600
2.	वाहन चालक (कांटीजेंसी पेड)	5	3,050-4,590	रुपये-5,200-20,200+1,900
3.	भृत्य/चौकीदार/संदेशवाहक (कांटीजेंसी पेड)	14	2,550-3,200	रुपये-4,440-7,440+1,300
4.	माली (पूर्ण कालीक)	1	जिलाध्यक्ष दर पर	जिलाध्यक्ष दर पर

योग. . 21

जिला स्तर पर स्वीकृत पद

क्र.	पदनाम	पद संख्या	पुराना वेतनमान	पुनरीक्षित वेतनमान+गेड पे
1.	उप जिलाध्यक्ष (स्थानीय निर्वाचन)	51	10,000-15,200	रुपये-15,600-39,100+6,600
2.	सहायक अधीक्षक (स्थानीय निर्वाचन)	23	4,500-7,000	रुपये-5,200-20,200+2,800
3.	लेखापाल सह ड.श्री.लि. (स्थानीय निर्वाचन)	51	4,000-6,000	रुपये-5,200-20,200+2,400
4.	निम्न श्रेणी लिपिक (स्थानीय निर्वाचन)	51	3,050-4,590	रुपये-5,200-20,200+1,900

योग. . 176

कुल योग. . 21+176=197

3/ उक्त पदों पर होने वाले व्यय की पूर्ति चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में राज्य निर्वाचन आयोग को स्वीकृत आवंटन से की जायेगी। यह व्यय मांग संख्या-01-लेखाशीर्ष-2015-निर्वाचन आयोग-101-निर्वाचन आयोग-6262-राज्य निर्वाचन आयोग-आयोजनेतर के अन्तर्गत विकलीयन होगा।

परिशिष्ट-दो

**नगरपालिका निर्वाचन में रिटर्निंग ऑफिसर तथा सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के पद पर
नियुक्त किये जाने वाले अधिकारियों के पदनाम**

क्र.	नगरपालिका का प्रकार	रिटर्निंग ऑफिसर (नगरपालिका) का पदनाम	सहायक रिटर्निंग ऑफिसर (नगरपालिका) के पद पर नियुक्त किये जाने वाले अधिकारियों के पदनाम
1.	(i) जिला मुख्यालय के नगरपालिक निगम.	कलेक्टर (पदेन)	अपर कलेक्टर/संयुक्त कलेक्टर/सहायक कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/आयुक्त, नगरपालिक निगम.
	(ii) जिला मुख्यालय के बाहर के नगरपालिक निगम.	अपर कलेक्टर	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/सहायक कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर/आयुक्त, नगरपालिक निगम/तहसीलदार/अपर तहसीलदार.
2.	(i) जिला मुख्यालय की नगरपालिका परिषद्.	कलेक्टर (पदेन)	संयुक्त कलेक्टर/सहायक कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/मुख्य नगर पालिका अधिकारी.
	(ii) जिला मुख्यालय के बाहर की नगरपालिका परिषद्.	अपर कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/संयुक्त कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर/सहायक कलेक्टर.	तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार/अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्त, विकासखण्ड अधिकारी मुख्य नगरपालिका अधिकारी.
3.	(i) जिला मुख्यालय की नगर परिषद्.	कलेक्टर (पदेन)	अपर कलेक्टर/संयुक्त कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी/मुख्य नगरपालिका अधिकारी.
	(ii) राजस्व अनुविभाग के मुख्यालय वाली नगर परिषद्.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	तहसीलदार/अपर तहसीलदार/अधीक्षक भू-अभिलेख/नायब तहसीलदार/सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख/अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्त/विकासखण्ड अधिकारी मुख्य नगरपालिका अधिकारी.
	(iii) राजस्व अनुविभाग के मुख्यालय के बाहर की नगर परिषद्.	सहायक कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर/तहसीलदार/अपर तहसीलदार/भू-अभिलेख	तहसीलदार/अपर तहसीलदार/अधीक्षक भू-अभिलेख/नायब तहसीलदार/सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख/अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्त/विकासखण्ड अधिकारी मुख्य नगरपालिका अधिकारी.

परिशिष्ट-तीन

मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 492, भोपाल दिनांक 21-10-2014

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 अक्टूबर, 2014

क्र. 91 एफ 1-24-14-अठारह-3-14.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (महापौर तथा अध्यक्ष के पद का आरक्षण) नियम, 1999 के अन्तर्गत नगरपालिका नियमों के महापौर के पदों के लिये दिनांक 21 अक्टूबर, 2014 को विहित प्राधिकारी (आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास मध्यप्रदेश) द्वारा किये गए, आरक्षण की सूची उक्त नियमों के नियम 9 के उप नियम (3) अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

सूची

1. अनुसूचित जाति	1. मुरैना
	2. उज्जैन (महिला)
2. अनुसूचित जनजाति	1. सिंगरौली (महिला)
3. अन्य पिछड़ा वर्ग	1. छिन्दवाड़ा (महिला)
	2. सागर
	3. इन्दौर (महिला)
	4. बुरहानपुर
मानवाएं	1. रत्लाम
	2. जबलपुर
	3. रीवा
	4. सतना

मध्यप्रदेश नगरपालिका (महापौर तथा अध्यक्ष के पद का आरक्षण) नियम, 1999 के अन्तर्गत नगरपालिका परिषदों के अध्यक्षों के पदों के लिये दिनांक 21 अक्टूबर, 2014 को विहित प्राधिकारी (आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास मध्यप्रदेश) द्वारा किये गए, आरक्षण की सूची उक्त नियमों के उप नियम (3) अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

सूची

1. अनुसूचित जाति	1. मकरोनिया बुजुग, जिला सागर (महिला)
	2. दमुआ, जिला छिन्दवाड़ा
	3. डबरा, जिला ग्वालियर (महिला)
	4. गोहद, जिला भिण्ड
	5. सारणी, जिला बैतूल (महिला)
	6. खुरई, जिला सागर
	7. आमला, जिला बैतूल (महिला)
	8. चंदेरी, जिला अशोकनगर (महिला)
अनुसूचित जाति	9. बीना इटावा, जिला सागर (महिला)

10. गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर
 11. महाराजपुर, जिला छतरपुर (महिला)
 12. नामदा, जिला उज्जैन
 13. भिण्ड, जिला भिण्ड
 14. हटा, जिला दमोह (महिला)
 15. अम्बाह, जिला मुरैना.
2. अनुसूचित जनजाति
1. मलाजखंड, जिला बालाघाट (महिला)
 2. झाबुआ, जिला झाबुआ (महिला)
 3. अलीराजपुर, जिला अलीराजपुर
 4. पाली, जिला उमरिया (महिला)
 5. बड़वानी, जिला बड़वानी
 6. बिजुरी, जिला अनूपपुर.
3. अन्य पिछड़ा वर्ग
1. पोरसा, जिला मुरैना (महिला)
 2. गढ़कोटा, जिला सागर
 3. राजगढ़, जिला राजगढ़
 4. बड़नगर, जिला उज्जैन (महिला)
 5. महिदपुर, जिला उज्जैन
 6. पिपरिया, जिला होशंगाबाद
 7. नौगांव, जिला छतरपुर (महिला)
 8. टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़ (महिला)
 9. डोगर परासिया, जिला छिन्दवाड़ा (महिला)
 10. बैतूल, जिला बैतूल
 11. बालाघाट, जिला बालाघाट
 12. शिवपुरी, जिला शिवपुरी
 13. धनपुरी, जिला शहडोल
 14. कोतमा, जिला अनूपपुर (महिला)
 15. बेगमांज, जिला रायसेन (महिला)
 16. सिवनी मालवा, जिला होशंगाबाद (महिला)
 17. सीहोरा, जिला जबलपुर (महिला)
 18. सारंगपुर, जिला राजगढ़ (महिला)
 19. पन्ना, जिला पन्ना
 20. पसान, जिला अनूपपुर (महिला)
 21. अशोकनगर, जिला अशोकनगर (महिला)
 22. खरगौन, जिला खरगौन
 23. नैनपुर, जिला मण्डला
- अन्य पिछड़ा वर्ग

24. विदिशा, जिला विदिशा
 25. सीधी, जिला सीधी (महिला)
4. महिलाएं
1. राघोगढ़, जिला गुना
 2. मनावर, जिला धार
 3. खाचरौद, जिला उज्जैन
 4. इटारसी, जिला होशंगाबाद
 5. रहती, जिला सागर
 6. दमोह, जिला दमोह
 7. जुन्नारदेव, जिला छिन्दवाड़ा
 8. सिवनी, जिला सिवनी
 9. मण्डला, जिला मण्डला,
 10. गंजबासौदा, जिला विदिशा
 11. नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़
 12. सीहोर, जिला सीहोर
 13. पीथमपुर, जिला धार
 14. बड़वाह, जिला खरगौन
 15. सेंधवा, जिला बड़वानी
 16. नरसिंहपुर, जिला नरसिंहपुर
 17. गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर
 18. अनूपपुर, जिला अनूपपुर
 19. आगर, जिला आगर
 20. शाजापुर, जिला शाजापुर
 21. सबलगढ़, जिला मुरैना
 22. शहडोल, जिला शहडोल
 23. पनागर, जिला जबलपुर
 24. सिंरोज, जिला विदिशा
 25. उमरिया, जिला उमरिया.

मध्यप्रदेश नगरपालिका (महापौर तथा अध्यक्ष के पद का आरक्षण) नियम, 1999 के अन्तर्गत नगरपारिषदों के अध्यक्षों के पदों के लिये दिनांक 21 अक्टूबर, 2014 को विहित प्राधिकारी (आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास मध्यप्रदेश) द्वारा किये गए, आरक्षण की सूची उक्त नियमों के नियम 9 के उप नियम (3) अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

सूची

- | | |
|------------------|------------------------------------|
| 1. अनुसूचित जाति | 1. तरीचरकलां, जिला टीकमगढ़ (महिला) |
| | 2. निवाड़ी, जिला टीकमगढ़ (महिला) |
| | 3. बारीगढ़, जिला छतरपुर |
| अनुसूचित जाति | 4. पलेरा, जिला टीकमगढ़ (महिला) |

5. माकडोन, जिला उज्जैन
6. पवई, जिला पन्ना (महिला)
7. जैतवारा, जिला सतना
8. ककरहटी, जिला पन्ना
9. लिघोराखास, जिला टीकमगढ़
10. बामौर, जिला मुरैना (महिला)
11. सांची, जिला रायसेन
12. खेतिया, जिला बड़वानी (महिला)
13. चंदला, जिला छतरपुर
14. जावर, जिला सीहोर
15. बिरसिंहपुर, जिला सतना
16. लवकुशनगर (लौड़ी), जिला छतरपुर (महिला)
17. पिपलरवां, जिला देवास (महिला)
18. खरगापुर, जिला टीकमगढ़
19. कोठी, जिला सतना
20. पृथ्वीपुर, जिला टीकमगढ़
21. इंदरगढ़, जिला दतिया
22. पटेरा, जिला दमोह (महिला)
23. सुवासरा, जिला मंदसौर
24. उचेहरा, जिला सतना (महिला)
25. शाढ़ोरा, जिला अशोकनगर (महिला)
26. बड़गांव, जिला टीकमगढ़
27. करही पांडल्याखुर्द, जिला खरगौन (महिला)
28. शाहगढ़, जिला सागर
29. हातौद, जिला इन्दौर (महिला)
30. छापीहेड़ा, जिला राजगढ़ (महिला)
31. बंडा, जिला सागर (महिला)
32. गोरमी, जिला भिण्ड
33. दबोह, जिला भिण्ड
34. माचलपुर, जिला राजगढ़
35. अमानांज, जिला पन्ना
36. बड़ोनी, जिला दतिया (महिला)
37. मालीचौका, जिला नरसिंहपुर (महिला)
38. बड़कुही, जिला छिन्दवाड़ा (महिला)
39. वद्रवास, जिला शिवपुरी (महिला)
40. गढ़ीमलहरा, जिला छतरपुर (महिला)
41. मनगंवा, जिला रीवा (महिला)
42. बक्सवाहा, जिला छतरपुर.

2. डही, जिला धीर
 3. भाबरा, जिला अलीराजपुर (महिला)
 4. अमरकंटक, जिला अनूपपुर (महिला)
 5. मेघनगर, जिला झाबुआ (महिला)
 6. निवास, जिला मण्डला
 7. पलसूद, जिला बड़वानी
 8. धामनौद, जिला रत्लाम (महिला)
 9. सरदारपुर, जिला धार
 10. ओंकरेश्वर, जिला खण्डवा
 11. भूआ बिछिया, जिला मण्डला
 12. थांदला, जिला झाबुआ
 13. जोबट, जिला अलीराजपुर (महिला)
 14. रानापुर, जिला झाबुआ (महिला)
 15. बैहर, जिला बालाधाट
 16. कांटाफोड़, जिला देवास (महिला)
 17. नौरोजाबाद, जिला उमरिया (महिला)
 18. कुक्की, जिला धार
 19. डिण्डौरी, जिला डिण्डौरी
 20. चंदिया, जिला उमरिया (महिला)
 21. लोहारदा, जिला देवास (महिला).
3. अन्य पिछड़ा वर्ग
1. शाहगंज, जिला सीहोर
 2. नयागांव, जिला नीमच (महिला)
 3. अठाना, जिला नीमच
 4. सरवनिया महाराज, जिला नीमच (महिला)
 5. कुरावर, जिला राजगढ़ (महिला)
 6. नेमावर, जिला देवास (महिला)
 7. पानखेड़ी (कालापीपल), जिला शाजापुर (महिला)
 8. बैराढ़, जिला शिवपुरी (महिला)
 9. बनखेड़ी, जिला होशंगाबाद (महिला)
 10. साईंखेड़ा, जिला नरसिंहपुर
 11. चीचली, जिला नरसिंहपुर (महिला)
 12. बिछुआ, जिला छिन्दवाड़ा (महिला)
 13. चांद, जिला छिन्दवाड़ा (महिला)
 14. न्यू रामनगर, जिला सतना
 15. खिरकिया, जिला हरदा (महिला)
 16. न्यूटनचिकली, जिला छिन्दवाड़ा

17. हिंडोरिया, जिला दमोह (महिला)
18. करनावद, जिला देवास (महिला)
19. आंतरी, जिला ग्वालियर
20. लहार, जिला भिण्ड
21. चाचोड़ाबीनागंज, जिला गुना
22. मुंगावली, जिला अशोकनगर (महिला)
23. सऊ, जिला इन्दौर
24. मानपुर, जिला इन्दौर
25. पेटलावद, जिला झाबुआ
26. कसरावद, जिला खरगौन
27. मक्सी, जिला शाजापुर
28. सोयतकला, जिला आगर
29. सीतामऊ, जिला मन्दसौर (महिला)
30. गरोठ, जिला मन्दसौर (महिला)
31. नसरूल्लागंज, जिला सीहोर (महिला)
32. बोड़ा, जिला राजगढ़
33. देवेन्द्रनगर, जिला पन्ना
34. जेरोनखालसा, जिला टीकमगढ़ (महिला)
35. जतारा, जिला टीकमगढ़ (महिला)
36. त्योंथर, जिला रीवा (महिला)
37. गोविंदगढ़, जिला रीवा (महिला)
38. सिरमौर, जिला रीवा (महिला)
39. बुढ़ार, जिला शहडोल
40. खांड, जिला शहडोल
41. कैमोर, जिला कटनी
42. जीरन, जिला नीमच (महिला)
43. गौतमपुरा, जिला इन्दौर
44. राजपुर, जिला बड़वानी
45. बागली, जिला देवास
46. भैसदेही, जिला बैतूल
47. पंधाना, जिला खण्डवा
48. हाटपिपल्या, जिला देवास (महिला)
49. अकोड़ा, जिला भिण्ड (महिला)
50. मंझौली, जिला जबलपुर
51. रेहटी, जिला सीहोर (महिला)
52. कुरवाई, जिला विदिशा
53. मून्दी, जिला खण्डवा
54. अजयगढ़, जिला पन्ना
55. वडामल्हरा, जिला छतरपुर
56. भौंरासा, जिला देवास (महिला)

57. मनासा, जिला नीमच
58. ब्यौहारी, जिला शहडोल (महिला)
59. सतवास, जिला देवास (महिला)
60. रामपुर नैकिन, जिला सीधी (महिला)
61. नगरी, जिला मन्दसौर
62. नारायणगढ़, जिला मन्दसौर
63. भीतरबार, जिला ग्वालियर (महिला)
64. हरई, जिला छिन्दवाड़ा (महिला)
65. शाहपुर, जिला बुरहानपुर (महिला)
66. शामगढ़, जिला मन्दसौर.
4. महिलाएं
1. धुकारा, जिला छतरपुर
2. जावद, जिला नीमच
3. पचौर, जिला राजगढ़
4. ताल, जिला रतलाम
5. कटंगी, जिला बालाघाट
6. ओबेदुल्लागंज, जिला रायसेन
7. डीकेन, जिला नीमच
8. अमरपाटन, जिला सतना
9. राजनगर, जिला छतरपुर
10. अंजड, जिला बड़वानी
11. सैलाना, जिला रतलाम
12. कारी, जिला टीकमगढ़
13. ओरछा, जिला टीकमगढ़
14. मंडलेश्वर, जिला खरगौन
15. तलेन, जिला राजगढ़
16. मंझौली, जिला सीधी
17. सिंगोली, जिला नीमच
18. खजुराहों, जिला छतरपुर
19. विजयपुर, जिला श्योपुर
20. मोहगांव, जिला छिन्दवाड़ा
21. मिहोना, जिला भिण्ड
22. लटेरी, जिला विदिशा
23. कोटर, जिला सतना
24. बेरली, जिला रायसेन
25. महेश्वर, जिला खरगौन
26. अकोदिया, जिला शाजापुर
27. आलोट, जिला रतलाम
28. टिमरनी, जिला हरदा
29. पानसेमल, जिला बड़वानी
- महिलाएं

30. बरेला, जिला जबलपुर
31. शाहपुर, जिला सागर
32. भेड़ाघाट, जिला जबलपुर
33. इछावर, जिला सीहोर
34. चित्रकूट, जिला सतना
35. बरही, जिला कटनी
36. उन्हेल, जिला उज्जैन
37. मऊगंज, जिला रीवा
38. शाहपुरा, जिला जबलपुर
39. बम्हनीबंजर, जिला मण्डला
40. महगांव, जिला इन्दौर
41. कुम्भराज, जिला गुना
42. छनेरा, जिला खण्डवा
43. सांवर, जिला इन्दौर
44. पोलायकलां, जिला शाजापुर
45. बडावदा, जिला रतलाम
46. सुसनेर, जिला आगर
47. टोंकखुर्द, जिला देवास
48. कैलारस, जिला मुरैना
49. हनुमना, जिला रीवा
50. नगरवर, जिला शिवपुरी
51. आलमपुर, जिला भिण्ड
52. भानपुरा, जिला मन्दसौर
53. तेन्दूखेड़ा, जिला नरसिंहपुर
54. पाटन, जिला जबलपुर
55. बडौदा, जिला श्योपर
56. मेहगांव, जिला भिण्ड
57. कानड़, जिला आगर
58. हरपालपुर, जिला छतरपुर
59. जौरा, जिला मुरैना
60. जैतहरी, जिला अनूपपुर
61. कटंगी, जिला जबलपुर
62. तेन्दूखेड़ा, जिला दमोह
63. पथरिया, जिला दमोह
64. पिछोर, जिला ग्वालियर
65. बुदनी, जिला सीहोर
66. सटई, जिला छतरपुर
67. चाकघाट, जिला रीवा.

परिशिष्ट-चार

आम निर्वाचन 2014-15 के पश्चात् सम्पन्न होने वाले आम निर्वाचन हेतु नगरीय निकायों की सूची :—

क्र.	जिला	नगरीय निकाय का नाम	साधारण निर्वाचन	प्रथम सम्मिलन सम्पन्न होने की	कार्यकाल पूर्ण की तारीख	रिमार्क होने का दिनांक तारीख
1	2	3	4	5	6	7
1.	सतना	न. पा. प., मैहर	15-12-2009	16-01-2010	15-01-2015	
2.	रत्नाम	नगर परिषद्, धामनोद	06-10-2010	03-11-2010	02-11-2015	
3.	सीहोर	न. पा. प., सीहोर	08-01-2011	28-01-2011	27-01-2016	
4.	सीहोर	नगर परिषद्, शाहगंज	08-01-2011	02-02-2011	01-02-2016	
5.	टीकमगढ़	नगर परिषद्, ओरछा	08-01-2011	29-01-2011	28-01-2016	
6.	जबलपुर	नगर परिषद्, भेडाघाट	08-01-2011	03-02-2011	02-02-2016	
7.	मंदसौर	न. पा. प., मंदसौर	08-01-2011	27-01-2011	26-01-2016	
8.	शाजापुर	न. पा. प., शाजपुर	08-01-2011	02-02-2011	01-02-2016	
9.	सीधी	नगर परिषद्, मझौली	08-01-2011	02-02-2011	01-02-2016	
10.	अशोकनगर	नगर परिषद्, इसागढ़	11-05-2011	04-06-2011	03-06-2016	
11.	रायसेन	न. पा. प., मण्डीदीप	11-05-2011	15-06-2011	14-06-2016	
12.	हरदा	न. पा. प., हरदा	03-11-2011	23-11-2011	22-11-2016	
13.	अनूपपुर	न. पा. प., पसान	11-01-2012	24-01-2012	23-01-2017	
14.	अनूपपुर	नगर परिषद्, अमरकंटक	01-01-2012	24-01-2012	23-01-2017	
15.	धार	नगर परिषद्, मण्डव	11-01-2012	10-02-2012	09-02-2017	
16.	खण्डवा	नगर परिषद्, छनेरा	17-03-2012	09-04-2012	08-04-2017	
17.	धार	न. पा. प., पीथमपुर	17-12-2012	16-01-2013	15-01-2018	
18.	खण्डवा	नगर परिषद्, ओंकरेश्वर	10-01-2013	05-02-2013	04-02-2018	
19.	गुना	न. पा. प., राघोगढ़, विजयपुर	08-01-2013	01-02-2013	31-01-2018	
20.	शिवपुरी	नगर परिषद्, नरवर	16-01-2013	13-02-2013	12-02-2018	

1	2	3	4	5	6	7
21.	अनूपपुर	नगर परिषद्, जैतहरी	18-01-2013	13-02-2013	12-02-2018	
22.	उमरिया	न. पा. प., उमरिया	18-01-2013	12-02-2013	11-02-2018	
23.	रायसेन	नगर परिषद्, साँची	29-04-2013	18-06-2013	17-06-2018	
24.	सीधी	नगर परिषद्, चुरहट	29-04-2013	27-06-2013	26-06-2018	
25.	बैतूल	नगर परिषद्, भेसदेही	24-08-2013	16-09-2013	15-09-2018	
26.	अनूपपुर	न. पा. प., अनूपपुर	20-09-2013	17-10-2013	16-10-2018	
27.	सीधी	न. पा. प., सीधी	28-02-2014	06-06-2014	05-06-2019	
28.	देवास	नगर परिषद्, पीपलरांवा	06-08-2014	30-08-2014	29-08-2019	
29.	देवास	नगर परिषद्, टोंकखुर्द	06-08-2014	08-09-2014	07-09-2019	
30.	उज्जैन	न.पा.नि. उज्जैन	12-08-2015	-	-	
31.	मुरैना	न. पा. नि., मुरैना	12-08-2015	-	-	
32.	विदिशा	न. पा. पि., विदिशा	12-08-2015	04-09-2015	03-09-2020	
33.	राजगढ़	न. पा. प. सारंगपुर	12-08-2015	-	-	
34.	छतरपुर	नगर परिषद्, धुवारा	12-08-2015	-	-	
35.	रीवा	नगर परिषद्, चाकघाट	12-08-2015	-	-	
36.	सतना	नगर परिषद्, कोटर	12-08-2015	-	-	
37.	मंदसौर	नगर परिषद्, सुवासरा	12-08-2015	-	-	
38.	बालाघाट	नगर परिषद्, लांजी	12-08-2015	-	-	
39.	सागर	न. पा. प.मकरोनिया बुजुर्ग	08-09-2015	-	-	

परिशिष्ट-पांच

अनुसूचित क्षेत्रों के नगरीय निकाय जिनके निर्वाचन आम निर्वाचन 2014-15 के साथ नहीं हुए

क्र.	जिला	नगरीय निकाय का नाम	वार्डों की संख्या
1	2	3	4
1.	रतलाम	1. नगर परिषद्, सैलाना	15
2.	बैतूल	2. नगरपालिका परिषद्, सारणी	36
		3. नगर परिषद्, आठनेर	15
		4. नगर परिषद्, चिचोली	15
3.	झाबुआ	5. नगरपालिका परिषद्, झाबुआ	18
		6. नगर परिषद्, रानापुर	15
		7. नगर परिषद्, थान्दला	15
		8. नगर परिषद्, पेटलावद	15
4.	अलिराजपुर	9. नगरपालिका परिषद्, अलिराजपुर	18
		10. नगर परिषद्, भाभरा	15
		11. नगर परिषद्, जोबट	15
5.	धार	12. नगरपालिका परिषद्, धार	30
		13. नगरपालिका परिषद्, मनावर	15
		14. नगर परिषद्, सरदारपुर	15
		15. नगर परिषद्, राजगढ़	15
		16. नगर परिषद्, कुक्षी	15
		17. नगर परिषद्, धरमपुरी	15
		18. नगर परिषद्, धामनोद	15
		19. नगर परिषद्, डही	15
6.	बड़वानी	20. नगरपालिका परिषद्, सेंधवा	24
		21. नगरपालिका परिषद्, बड़वानी	24
		22. नगर परिषद्, पानसेमल	15
		23. नगर परिषद्, खेतिया	15
		24. नगर परिषद्, पलसूद	15
		25. नगर परिषद्, अंजड़	15
		26. नगर परिषद्, राजपुर	15

1	2	3	4
7.	खरगौन	27. नगर परिषद्, मण्डलेश्वर	15
		28. नगर परिषद्, महेश्वर	15
		29. नगर परिषद्, भीकनगांव	15
8.	बुरहानपुर	30. नगरपालिका परिषद्, नेपानगर	24
9.	छिन्दवाड़ा	31. नगरपालिका परिषद्, जुन्नारदेव	18
		32. नगरपालिका परिषद्, दमुआ	18
		33. नगरपालिका परिषद्, पांडुरना	30
		34. नगरपालिका परिषद्, सौंसर	15
		35. नगर परिषद्, हरई	15
		36. नगर परिषद्, मोहगांव	15
10.	सिवनी	37. नगर परिषद्, लखनादौन	15
11.	मण्डला	38. नगरपालिका परिषद्, मण्डला	24
		39. नगरपालिका परिषद्, नैनपुर	15
		40. नगर परिषद्, निवास	15
		41. नगर परिषद्, बम्हनीबजार	15
		42. नगर परिषद्, बिछिया	36
12.	डिण्डोरी	43. नगर परिषद्, डिण्डोरी	15
		44. नगर परिषद्, शहपुरा	15
13.	बालाधाट	45. नगर परिषद्, बैहर	15
14.	शहडोल	46. नगरपालिका परिषद्, धनपुरी	24
		47. नगरपालिका परिषद्, शहडोल	34
		48. नगर परिषद्, जयसिंहपुनगर	15
		49. नगर परिषद्, बुढ़ार	15
15.	अनूपपुर	50. नगरपालिका परिषद्, कोतमा	15
		51. नगरपालिका परिषद्, बिजुरी	15
16.	उमरिया	52. नगरपालिका परिषद्, पाली	15

परिशिष्ट-छ:

नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2014 के मतदाताओं की जानकारी

जिला योग	अनु. क्र.	नगरीय निकाय का विवरण निकाय	बाड़ी की स्थान	मतदान केन्द्रों की संख्या	निर्वाचन का चरण संख्या	कुल मतदाता				
						पुरुष	महिला	अन्य	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
श्योपुर	1.	नगरपालिका परिषद् श्योपुर	23	56	प्रथम	24802	21495	0	46297	
	2.	नगर परिषद् बड़ौदा	15	16	प्रथम	6274	5644	0	11918	
	3.	नगर परिषद् विजयपुर	15	16	प्रथम	6047	5075	0	11122	
		श्योपुर योग	53	88		37123	32214	0	69337	
मुरैना	4.	नगरपालिका परिषद् अम्बाह	18	39	प्रथम	16064	13916	2	29982	
	5.	नगरपालिका परिषद् पोरसा	15	30	द्वितीय	14036	11788	2	25826	
	6.	नगरपालिका परिषद् सबलगढ़	18	36	द्वितीय	13360	11804	1	25435	
	7.	नगर परिषद् जौरा	18	38	प्रथम	14656	12610	5	27271	
	8.	नगर परिषद् झुण्डपुरा	15	15	द्वितीय	3674	3031	0	6705	
	9.	नगर परिषद् बानमोर	15	29	द्वितीय	10191	8402	1	18594	
	10.	नगर परिषद् कैलारस	15	24	द्वितीय	9210	7763	0	16973	
		मुरैना योग	114	211		81461	69314	11	150786	
भिण्ड	11.	नगरपालिका परिषद् भिण्ड	39	145	प्रथम	67910	55817	0	123727	
	12.	नगरपालिका परिषद् गोहद	18	43	प्रथम	19767	16120	1	35888	
	13.	नगर परिषद् मिहोना	15	19	प्रथम	6454	5326	1	11781	
	14.	नगर परिषद् दबोह	15	17	प्रथम	6761	5488	0	12249	
	15.	नगर परिषद् फूफ	15	16	प्रथम	4537	3666	2	8205	
	16.	नगर परिषद् लहार	15	27	प्रथम	12399	10409	0	22808	
	17.	नगर परिषद् मौ	15	17	द्वितीय	7982	6285	0	14267	
	18.	नगर परिषद् मेहगांव	15	15	द्वितीय	7747	6274	0	14021	
	19.	नगर परिषद् अकोड़ा	15	15	द्वितीय	4757	3725	0	8482	
	20.	नगर परिषद् आलमपुर	15	15	द्वितीय	3933	3522	0	7455	
	21.	नगरपालिका निगम गोरमी	15	17	प्रथम	7287	5928	0	13215	
		भिण्ड योग	192	346		149534	122560	4	272098	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ग्वालियर	22.	नगरपालिका परिषद्	ग्वालियर	66	915	प्रथम	486512	408975	66	895553
	23.	नगरपालिका परिषद्	डबरा	30	95	द्वितीय	45816	39925	12	85753
	24.	नगर परिषद्	बिलौआ	15	15	द्वितीय	4909	4145	1	9055
	25.	नगर परिषद्	भितरवार	15	15	द्वितीय	6980	6063	5	13048
	26.	नगर परिषद्	पिछोर	15	15	द्वितीय	4515	4256	0	8771
	27.	नगर परिषद्	आंतरी	15	15	द्वितीय	3856	3346	0	7202
		ग्वालियर योग		156	1070		552588	466710	84	1019382
दतिया	28.	नगरपालिका परिषद्	दतिया	36	78	प्रथम	35543	32040	11	67594
	29.	नगर परिषद्	सेंवढा	15	16	प्रथम	8828	7548	1	16377
	30.	नगर परिषद्	इन्दरगढ़	15	15	द्वितीय	7853	7199	0	15052
	31.	नगरपालिका परिषद्	भाण्डेर	15	19	द्वितीय	9033	8106	2	17141
	32.	नगर परिषद्	बड़ोनीखुर्द	15	15	तृतीय	3411	3108	4	6523
		दतिया योग		96	143		64668	58001	18	122687
शिवपुरी	33.	नगर परिषद्	शिवपुरी	39	136	द्वितीय	64333	57807	6	122146
	34.	नगर परिषद्	खनियाधाना	15	15	प्रथम	5545	5147	0	10702
	35.	नगर परिषद्	बैराढ़	15	15	प्रथम	6972	5809	0	12781
	36.	नगर परिषद्	करेरा	15	26	प्रथम	10085	9036	0	19121
	37.	नगर परिषद्	कोलारस	15	17	प्रथम	7108	6570	0	13678
	38.	नगर परिषद्	बदरवास	15	15	द्वितीय	5277	4718	0	9995
	39.	नगर परिषद्	पिछोर	15	15	द्वितीय	5738	5220	0	10958
		शिवपुरी योग		129	239		105058	94317	6	199381
गुना	40.	नगरपालिका परिषद्	गुना	37	143	द्वितीय	65267	59041	1	124309
	41.	नगरपालिका परिषद्	कुभराज	15	15	प्रथम	5978	5518	0	11496
	42.	नगर परिषद्	चाचोड़ बीनगंज	15	16	प्रथम	7271	6750	7	14028
	43.	नगर परिषद्	आरोन	15	18	द्वितीय	9386	8211	1	17598
		गुना योग		82	192		87902	79520	9	167431
अशोकनगर	44.	नगर परिषद्	अशोक नगर	22	65	प्रथम	27248	24766	1	52015
	45.	नगर पालिका परिषद्	चंदेरी	21	31	द्वितीय	11744	10832	2	22578
	46.	नगर परिषद्	मुंगावली	15	20	प्रथम	7838	7155	0	14993
	47.	नगर परिषद्	शाढौरा	15	15	प्रथम	3471	3213	0	6684
		अशोकनगर योग		73	131		50301	45966	3	96270

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
સાગર	48.	નગર પાલિક નિગમ	સાગર	48	238	પ્રથમ	106244	97861	14	204119
	49.	નગરપાલિકા પરિષદ્	ખરાઈ	27	43	દ્વિતીય	17180	16201	4	33385
	50.	નગરપાલિકા પરિષદ્	બીના-ઇયવા	25	56	દ્વિતીય	23912	22538	7	46457
	51.	નગરપાલિકા પરિષદ્	રહલી	15	29	દ્વિતીય	12138	10823	2	22963
	52.	નગરપાલિકા પરિષદ્	દેવરી	15	30	દ્વિતીય	9140	8260	0	17400
	53.	નગરપાલિકા પરિષદ્	ગઢાકોટા	18	32	દ્વિતીય	12434	11171	2	23607
	54.	નગર પરિષદ્	બણા	15	29	દ્વિતીય	10464	9736	0	20200
	55.	નગર પરિષદ્	રાહતગઢ	15	27	દ્વિતીય	10183	8709	0	18892
	56.	નગર પરિષદ્	શાહપુર	15	15	દ્વિતીય	5112	4636	0	9748
	57.	નગર પરિષદ્	શાહગઢ	15	15	દ્વિતીય	5997	5400	0	11397
		સાગર યોગ		208	514		212804	195335	29	408168
ટીકમગઢ	58.	નગરપાલિકા પરિષદ્	ટીકમગઢ	27	60	દ્વિતીય	29687	26891	0	56578
	59.	નગર પરિષદ્	બડાગાંવ	15	15	પ્રથમ	2934	2688	0	5622
	60.	નગર પરિષદ્	નિવાડી	15	19	પ્રથમ	9342	8502	0	17844
	61.	નગર પરિષદ્	લિધોરાખાસ	15	15	પ્રથમ	4394	4044	0	8438
	62.	નગર પરિષદ્	પલેરા	15	15	પ્રથમ	6060	5490	1	11551
	63.	નગર પરિષદ્	ખરગાપુર	15	15	દ્વિતીય	5188	4629	0	9817
	64.	નગર પરિષદ્	બલ્દેવગઢ	15	15	દ્વિતીય	3067	2790	1	5858
	65.	નગર પરિષદ્	કોરી	15	15	દ્વિતીય	3521	3231	0	6752
	66.	નગર પરિષદ્	પૃથ્વીપુર	15	21	દ્વિતીય	9317	8626	0	17943
	67.	નગર પરિષદ્	તરીચરકલા	15	15	દ્વિતીય	2910	2666	1	5577
	68.	નગર પરિષદ્	જતારા	15	15	દ્વિતીય	6516	5980	2	12498
	69.	નગર પરિષદ્	જૈરેન	15	15	દ્વિતીય	3426	3107	3	6536
		ટીકમગઢ યોગ		192	235		86362	78644	8	165014
છત્રપુર	70.	નગર પાલિકા પરિષદ્	છત્રપુર	40	123	પ્રથમ	51002	45246	3	96251
	71.	નગરપાલિકા પરિષદ્	નૌગાંવ	20	38	દ્વિતીય	14461	13239	2	27702
	72.	નગરપાલિકા પરિષદ્	મહારાજપુર	15	15	દ્વિતીય	9081	7876	0	16957
	73.	નગર પરિષદ્	બારીગઢ	15	15	પ્રથમ	3520	2999	0	6519
	74.	નગર પરિષદ્	હરપાલપુર	15	15	પ્રથમ	6351	5476	0	11827
	75.	નગર પરિષદ્	રાજનગર	15	15	પ્રથમ	5399	4631	0	10030
	76.	નગર પરિષદ્	સટ્રી	15	15	પ્રથમ	3579	3263	0	6842
	77.	નગર પરિષદ્	ખજુરાહો	15	17	દ્વિતીય	8444	7251	0	15695

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	78.	नगर परिषद्	बकस्वाहा	15	15	द्वितीय	3492	3093	0	6585
	79.	नगर परिषद्	बड़ामलहरा	15	15	द्वितीय	5920	5218	1	11139
	80.	नगर परिषद्	बिजावर	15	15	द्वितीय	7132	6311	0	13443
	81.	नगर परिषद्	चंदला	15	15	द्वितीय	4136	3564	0	7700
	82.	नगर परिषद्	गढ़ीमलहरा	15	15	द्वितीय	5181	4482	0	9663
	83.	नगर परिषद्	लवकुश नगर	15	16	द्वितीय	7694	6744	6	14444
		छत्तरपुर योग		240	344		135392	119393	12	254797
दमोह	84.	नगरपालिका परिषद्	हटा	15	27	प्रथम	11669	10627	0	22296
	85.	नगरपालिका परिषद्	दमोह	39	109	द्वितीय	49396	45167	6	94569
	86.	नगर परिषद्	तेंदूखेड़ा	15	16	प्रथम	4908	4425	0	9333
	87.	नगर परिषद्	हिणडोरिया	15	15	द्वितीय	5721	5320	1	11072
	88.	नगर परिषद्	पथरिया	15	18	द्वितीय	7419	6714	0	14133
	89.	नगर परिषद्	पटेरा	15	15	तृतीय	3398	3060	0	6458
		दमोह योग		114	200		82811	75343	7	157861
पन्ना	90.	नगर पालिका परिषद्	पन्ना	22	41	द्वितीय	18806	17264	1	36071
	91.	नगर परिषद्	ककरहटी	15	15	प्रथम	2824	2522	0	5346
	92.	नगर परिषद्	पवई	15	15	प्रथम	4897	4361	0	9258
	93.	नगर परिषद्	अमानगंज	15	15	प्रथम	4996	4589	0	9585
	94.	नगर परिषद्	देवेन्द्रनगर	15	15	द्वितीय	4339	4090	2	8431
	95.	नगर परिषद्	अजयगढ़	15	15	द्वितीय	5740	5202	0	10942
		पन्ना योग		97	116		41602	38028	3	79633
सतना	96.	नगरपालिका निगम सतना	सतना	45	197	प्रथम	102597	90901	7	193505
	97.	नगर परिषद्	उचेहरा	15	15	प्रथम	6434	5820	1	12255
	98.	नगर परिषद्	कोठी	15	15	द्वितीय	3175	2936	0	6111
	99.	नगर परिषद्	बिरसिंहपुर	15	15	द्वितीय	5121	4548	0	9669
	100.	नगर परिषद्	चित्रकूट	15	16	द्वितीय	8405	6360	1	14766
	101.	नगर परिषद्	रामपुर बघेलान	15	15	द्वितीय	4556	4217	0	8773
	102.	नगर परिषद्	जैतवारा	15	15	द्वितीय	3663	3414	0	7077
	103.	नगर परिषद्	न्यू रामनगर	15	19	द्वितीय	8123	7581	0	15704
	104.	नगर परिषद्	नागोद	15	18	द्वितीय	7648	6838	0	14486
	105.	नगर परिषद्	अमरपाटन	15	16	द्वितीय	6609	5983	0	12592
		सतना योग		180	341		156331	138598	9	294938

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
रीवा	106.	नगरपालिक निगम	रीवा	45	180	प्रथम	82320	73631	1	155952
	107.	नगर परिषद्	गोविन्दगढ़	15	15	प्रथम	4079	3717	0	7796
	108.	नगर परिषद्	गुड़	15	15	प्रथम	5350	4731	0	10081
	109.	नगर परिषद्	बैकुण्ठपुर	15	15	द्वितीय	3506	3194	0	6700
	110.	नगर परिषद्	मउगंज	15	25	द्वितीय	8818	8014	0	16832
	111.	नगर परिषद्	मनगंवा	15	15	द्वितीय	4669	4184	0	8853
	112.	नगर परिषद्	सिरमोर	15	15	द्वितीय	4007	3798	0	7805
	113.	नगर परिषद्	हनुमना	15	15	द्वितीय	5521	4818	1	10340
	114.	नगर परिषद्	सेमरिया	15	15	द्वितीय	4583	4131	0	8714
	115.	नगर परिषद्	त्यौथर	15	15	द्वितीय	5989	5197	0	11186
	116.	नगर परिषद्	नईगढ़ी	15	15	द्वितीय	3831	3507	0	7338
		रीवा योग		195	340		132673	118922	2	251597
सीधी	117.	नगर परिषद्	गमपुर नैकिन	15	15	प्रथम	4341	4048	0	8389
		सीधी योग		15	15		4341	4048	0	8389
सिंगरौली	118.	नगरपालिका निगम	सिंगरौली	45	193	प्रथम	88286	70809	10	159105
		सिंगरौली योग		45	193		88286	70809	10	159105
शहडोल	119.	नगर परिषद्	खांड	15	15	प्रथम	4224	3472	0	7696
	120.	नगर परिषद्	ब्योहारी	15	17	प्रथम	8704	7967	0	16671
		शहडोल योग		30	32		12928	11439	0	24367
उमरिया	121.	नगर परिषद्	चंदिया	15	16	प्रथम	5170	5017	0	10187
	122.	नगर परिषद्	नोरेजाबाद	15	17	प्रथम	7587	6802	0	14389
		उमरिया योग		30	33		12757	11819	0	24576
कटनी	123.	नगरपालिका निगम	कटनी	45	181	द्वितीय	825701	75866	8	158444
	124.	नगर परिषद्	बरही	15	15	प्रथम	4568	4274	0	8842
	125.	नगर परिषद्	कैमोर	15	15	प्रथम	7277	6609	0	13886
	126.	नगर परिषद्	विजयराघवगढ़	15	15	प्रथम	3193	2967	0	6160
		कटनी योग		90	226		97608	89716	8	187332
जबलपुर	127.	नगरपालिक निगम	जबलपुर	79	1018	तृतीय	465583	424511	37	890131
	128.	नगरपालिका परिषद्	पनागर	15	30	प्रथम	10551	9573	3	20127
	129.	नगरपालिका परिषद्	सिहोरा	18	36	द्वितीय	15465	14549	0	30014
	130.	नगर परिषद्	बेरला	15	15	प्रथम	4872	4418	1	9291
	131.	नगर परिषद्	मझौली	15	15	प्रथम	4768	4530	0	9298
	132.	नगर परिषद्	पाटन	15	15	प्रथम	5272	4637	1	9910

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	133.	नगर परिषद्	कटंगी	15	15	द्वितीय	6980	6418	1	13399
	134.	नगर परिषद्	शाहपुरा	15	15	द्वितीय	5037	4804	0	9841
		जबलपुर योग		187	1159		518528	473440	43	992011
बालाघाट	135.	नगरपालिका परिषद्	बालाघाट	33	79	प्रथम	31410	30454	0	61864
	136.	नगरपालिका परिषद्	मलाजखंड	26	35	प्रथम	13013	13157	1	26171
	137.	नगरपालिका परिषद्	वारासिवनी	15	23	द्वितीय	9338	9505	0	18843
	138.	नगर परिषद्	कटंगी	15	16	द्वितीय	5680	5622	0	11302
		बालाघाट योग		89	153		59441	58738	1	118180
सिवनी	139.	नगरपालिका परिषद्	सिवनी	24	113	प्रथम	37419	35990	1	73410
	140.	नगर परिषद्	बरधाट	15	15	प्रथम	4194	4253	1	8448
		सिवनी योग		39	128		41613	40243	2	81858
नरसिंहपुर	141.	नगरपालिका परिषद्	गाडरवाड़ा	24	50	प्रथम	18195	16253	0	34448
	142.	नगरपालिका परिषद्	नरसिंहपुर	28	65	द्वितीय	22525	20648	0	43173
	143.	नगरपालिका परिषद्	गोटेगांव	15	28	द्वितीय	10041	9426	0	19467
	144.	नगरपालिका परिषद्	करेली	15	31	द्वितीय	11354	10310	0	21664
	145.	नगर परिषद्	सांईखेड़ा	15	15	प्रथम	3963	3593	0	7556
	146.	नगर परिषद्	सालीचौका (बाबई)	15	15	प्रथम	4625	4244	0	8869
	147.	नगर परिषद्	तेंदूखेड़ा	15	15	प्रथम	4698	4293	0	8991
	148.	नगर परिषद्	चिचली	15	15	द्वितीय	5054	4449	0	9503
		नरसिंहपुर योग		142	234		80455	73216	0	153671
छिन्दवाड़ा	149.	नगरपालिका निगम	छिन्दवाड़ा	48	233	तृतीय	79406	76400	4	155810
	150.	नगरपालिका परिषद्	चौरई	15	15	प्रथम	4590	4369	3	8962
	151.	नगरपालिका परिषद्	अमरवाड़ा	15	15	प्रथम	4880	4724	0	9604
	152.	नगरपालिका परिषद्	डोंगर परासिया	21	42	द्वितीय	14242	14119	1	28362
	153.	नगर परिषद्	बड़कुही	15	15	प्रथम	3790	3649	0	7439
	154.	नगर परिषद्	पिपलानाराणवार	15	15	प्रथम	3153	2898	0	6051
	155.	नगर परिषद्	न्यूटन चिखली	15	15	प्रथम	3665	3443	0	7108
	156.	नगर परिषद्	लोधीखेड़ा	15	15	प्रथम	3627	3359	0	6986
	157.	नगर परिषद्	बिछुआ	15	15	द्वितीय	2176	2057	0	4233

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	158.	नगर परिषद्	चांद	15	15	द्वितीय	3708	3320	1	7029
	159.	नगर परिषद्	चांदामेटा बुटारिया	15	15	द्वितीय	5959	5847	0	11806
		छिन्दवाड़ा योग		204	410		129196	124185	9	253390
बैतूल	160.	नगरपालिका परिषद्	बैतूल	33	97	प्रथम	37645	35740	12	73397
	161.	नगरपालिका परिषद्	आमला	18	36	प्रथम	10908	10123	0	21031
	162.	नगरपालिका परिषद्	मुलताई	15	31	द्वितीय	10932	10090	6	21028
	163.	नगर परिषद्	बैतूल बाजार	15	15	प्रथम	3904	3764	0	7668
		बैतूल योग		81	179		63389	59717	18	123124
हरदा	164.	नगर परिषद्	खिरकिया	15	17	प्रथम	7681	6919	0	14600
	165.	नगर परिषद्	टिमरनी	15	15	प्रथम	7715	7264	0	14979
		हरदा योग		30	32		15396	14183	0	29579
होशंगाबाद	166.	नगरपालिका परिषद्	पिपरिया	21	44	प्रथम	17779	16303	2	34084
	167.	नगरपालिका परिषद्	इटरसी	34	90	द्वितीय	36627	33896	3	70526
	168.	नगरपालिका परिषद्	सिवनी मालवा	15	30	द्वितीय	10477	9639	3	20119
	169.	नगरपालिका परिषद्	होशंगाबाद	33	91	द्वितीय	42805	38744	3	81552
	170.	नगर परिषद्	बाबई	15	15	प्रथम	5606	5140	0	10746
	171.	नगर परिषद्	सोहागपुर	15	18	प्रथम	8567	8044	0	16611
	172.	नगर परिषद्	बनखेड़ी	15	15	तृतीय	7528	6784	0	14312
		होशंगाबाद योग		148	303		129389	118550	11	247950
रायसेन	173.	नगरपालिका परिषद्	बेगमगंज	18	36	द्वितीय	11513	10432	0	21945
	174.	नगरपालिका परिषद्	रायसेन	18	44	द्वितीय	17970	15984	2	33956
	175.	नगर परिषद्	बाड़ी	15	18	प्रथम	6902	6051	1	12954
	176.	नगर परिषद्	सिलवानी	15	17	प्रथम	6252	5650	0	11902
	177.	नगर परिषद्	सुल्तानपुर	15	15	प्रथम	3792	3444	0	7236
	178.	नगर परिषद्	उदयपुरा	15	15	प्रथम	6028	5438	4	11470
	179.	नगर परिषद्	गैरतगंज	15	16	प्रथम	6477	5766	0	12243
	180.	नगर परिषद्	बरेली	15	30	द्वितीय	11373	10312	0	21685
	181.	नगर परिषद्	ओबेदुल्लागंज	15	23	द्वितीय	8284	7459	0	15743
		रायसेन योग		141	214		78591	70536	7	149134
विदिशा	182.	नगरपालिका परिषद्	सिरोंज	21	47	प्रथम	17188	15896	1	33085
	183.	नगरपालिका परिषद्	गंजबासोदा	24	58	द्वितीय	25886	23688	0	49574

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	184.	नगर परिषद्	लटेरी	15	16	प्रथम	6130	5515	0	11645
	185.	नगर परिषद्	कुरवाई	15	15	द्वितीय	5319	4990	0	10309
	186.	नगर परिषद्	शमशाबाद	15	15	तृतीय	3918	3516	0	7434
		विदिशा योग		90	151		58441	53605	1	112047
भोपाल	187.	नगरपालिका निगम	भोपाल	85	1751	तृतीय	803409	707990	57	1511456
	188.	नगरपालिका परिषद्	बैरसिया	18	23	प्रथम	10868	9872	4	20744
		भोपाल योग		103	1774		814277	717862	61	1532200
सीहोर	189.	नगरपालिका परिषद्	आष्टा	18	40	प्रथम	17506	16255	6	33767
	190.	नगर परिषद्	कोठरी	15	15	प्रथम	3419	3113	0	6532
	191.	नगर परिषद्	रेहटी	15	15	द्वितीय	3847	3571	0	7419
	192.	नगर परिषद्	इछावर	15	15	द्वितीय	5170	4789	0	9959
	193.	नगर परिषद्	बुदनी	15	15	द्वितीय	5764	5281	0	11045
	194.	नगर परिषद्	जावर	15	15	द्वितीय	2625	2473	0	5098
	195.	नगर परिषद्	नसरुल्लागंज	15	18	द्वितीय	7464	6683	2	14149
		सीहोर योग		108	133		45795	42165	9	87969
राजगढ़	196	नगरपालिका परिषद्	ब्यावरा	18	40	द्वितीय	16716	15492	0	32208
	197	नगरपालिका परिषद्	राजगढ़	15	25	द्वितीय	10322	9725	7	20054
	198	नगरपालिका परिषद्	नरसिंहगढ़	15	26	द्वितीय	11355	10752	1	22108
	199	नगर परिषद्	बोड़ा	15	15	प्रथम	3295	3225	0	6520
	200	नगर परिषद्	कुरावर	15	15	प्रथम	6048	5531	0	11579
	201	नगर परिषद्	माचलपुर	15	15	प्रथम	3244	3086	0	6330
	202	नगर परिषद्	खिलचीपुर	15	15	प्रथम	6146	6000	0	12146
	203	नगर परिषद्	पचोर	15	21	प्रथम	8634	8052	0	16686
	204	नगर परिषद्	जीरापुर	15	16	प्रथम	6871	6497	1	13369
	205	नगर परिषद्	खुजनेर	15	15	द्वितीय	3598	3518	0	7116
	206	नगर परिषद्	सुटालिया	15	15	द्वितीय	3492	3306	0	6798
	207	नगर परिषद्	तलेन	15	15	द्वितीय	3307	3221	0	6528
	208	नगर परिषद्	छापीहेडा	15	15	तृतीय	2693	2628	0	5321
		राजगढ़ योग		198	248		85271	81033	9	166763
आगर	209	नगर पालिका परिषद्	आगर मालवा	23	37	प्रथम	12570	11818	1	24389
मालवा	210	नगर परिषद्	बड़ौदा	15	15	प्रथम	4423	4196	0	8619

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	211	नगर परिषद्	कानड़	15	15	प्रथम	3590	3246	0	6836
	212	नगर परिषद्	बड़ागांव	15	15	द्वितीय	2460	2174	0	4634
	213	नगर परिषद्	सोयतकलां	15	15	द्वितीय	5040	4869	4	9913
	214	नगर परिषद्	सुसनेर	15	15	द्वितीय	5285	4947	1	10233
	215	नगर परिषद्	नलखेड़ा	15	15	द्वितीय	5589	5440	0	11029
		आगर मालवा योग		113	127		38957	36690	6	75653
शाजापुर	216	नगरपालिका परिषद्	शुजालपुर	25	43	द्वितीय	17811	16341	2	34154
	217	नगर परिषद्	मक्सी	15	15	प्रथम	6659	6410	1	13070
	218	नगर परिषद्	पोलायकलां	15	15	प्रथम	4238	3883	0	8121
	219	नगर परिषद्	अकोदिया	15	15	प्रथम	4134	3781	0	7915
	220	नगर परिषद्	पानखेड़ी	15	15	प्रथम	3851	3657	0	7508
		शाजापुर योग		85	103		36693	34072	3	70768
देवास	221	नगरपालिका निगम	देवास	45	221	प्रथम	105396	97079	5	202480
	222	नगर परिषद्	खातेगांव	15	17	प्रथम	8712	7982	0	16694
	223	नगर परिषद्	बागली	15	15	प्रथम	3814	3700	0	7514
	224	नगर परिषद्	सोनकच्छ	15	15	प्रथम	5997	5706	0	11703
	225	नगर परिषद्	करनावद	15	15	द्वितीय	3704	3533	0	7237
	226	नगर परिषद्	कांटाफोड़	15	15	द्वितीय	3586	3226	2	6814
	227	नगर परिषद्	कन्नौद	15	15	द्वितीय	6360	6041	0	12401
	228	नगर परिषद्	हाटपिपल्या	15	15	द्वितीय	5868	5656	0	11524
	229	नगर परिषद्	भौरांसा	15	15	द्वितीय	4190	3965	0	8155
	230	नगर परिषद्	सतवास	15	15	द्वितीय	4455	4036	0	8491
	231	नगर परिषद्	नेमावर	15	15	द्वितीय	2233	1872	1	4106
	232	नगर परिषद्	लोहारदा	15	15	द्वितीय	3076	2692	0	5768
		देवास योग		210	388		157391	145488	8	302887
खण्डवा	233	नगरपालिका निगम	खण्डवा	50	160	प्रथम	75914	71459	11	147384
	234	नगर परिषद्	मूंदी	15	15	प्रथम	4287	4100	0	8397
	235	नगर परिषद्	पंधाना	15	15	प्रथम	4279	4060	0	8339
		खण्डवा योग		80	190		84480	79629	11	164120
बुरहानपुर	236	नगरपालिका निगम	बुरहानपुर	48	190	प्रथम	77409	73069	7	150485
	237	नगर परिषद्	शाहपुर	15	15	प्रथम	6806	6270	-	13076
		बुरहानपुर योग		63	206		84215	79339	7	163561

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
खरगौन	238	नगरपालिका परिषद्	बड़वाह	18	31	प्रथम	9663	9271	0	18934
	239	नगरपालिका परिषद्	सनावद	18	36	प्रथम	13990	13494	0	27484
	240	नगरपालिका परिषद्	खरगौन	33	108	द्वितीय	45025	42390	0	87415
	241	नगर परिषद्	करही पांडल्याखुर्द	15	15	प्रथम	3512	3395	0	6907
	242	नगर परिषद्	कसरावद	15	23	प्रथम	7642	7605	0	15237
		खरगौन योग		99	213		79832	76155	0	155987
झाबुआ	243	नगर परिषद्	मेघनगर	15	15	प्रथम	4313	4077	1	8391
		झाबुआ योग		15	15		4313	4077	1	8391
धार	244	नगर परिषद्	बदनावर	15	15	द्वितीय	6936	6686	0	13622
		धार योग		15	15		6936	6686	0	13622
इन्दौर	245	नगरपालिका निगम	इन्दौर	85	2091	तृतीय	872949	793586	63	1666598
	246	नगर परिषद्	बेटमा	15	15	द्वितीय	5042	4754	1	9797
	247	नगर परिषद्	महूगांव	15	15	द्वितीय	10511	9296	1	19808
	248	नगर परिषद्	मानपुर	15	15	द्वितीय	2423	2335	0	4758
	249	नगर परिषद्	हातोद	15	15	द्वितीय	3580	3555	0	7135
	250	नगर परिषद्	राड	15	15	द्वितीय	12185	10931	2	23118
	251	नगर परिषद्	सांवेर	15	15	द्वितीय	5603	5375	1	10979
	252	नगर परिषद्	देपालपुर	15	15	द्वितीय	5897	5704	0	11601
	253	नगर परिषद्	गौतमपुरा	15	15	द्वितीय	4819	4524	0	9343
		इन्दौर योग		205	2237		923009	840060	68	1763137
उज्जैन	254	नगरपालिका परिषद्	खाचरोद	21	30	प्रथम	12111	11319	3	23433
	255	नगरपालिका परिषद्	बड़नगर	18	35	प्रथम	13183	12266	0	25449
	256	नगरपालिका परिषद्	महिदपुर	18	26	द्वितीय	10802	10311	0	21113
	257	नगरपालिका परिषद्	नागदा	36	89	द्वितीय	37388	34590	7	71985
	258	नगर परिषद्	माकडोन	15	15	प्रथम	4001	3675	0	7676
	259	नगर परिषद्	तराना	15	20	प्रथम	9192	8724	0	17916
	260	नगर परिषद्	उन्हेल	15	15	द्वितीय	4929	4773	2	9704
		उज्जैन योग		138	230		91606	85658	12	177276
रत्लाम	261	नगरपालिका निगम	रत्लाम	49	242	प्रथम	99529	95636	1	195166
	262	नगरपालिका परिषद्	जावरा	30	62	द्वितीय	25220	23569	1	48790
	263	नगर परिषद्	पिपलोदा	15	15	प्रथम	2771	2781	1	5553
	264	नगर परिषद्	नामली	15	15	प्रथम	3394	3305	0	6699
	265	नगर परिषद्	बड़वादा	15	15	द्वितीय	3063	2952	0	6015

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	266	नगर परिषद्	ताल	15	15	द्वितीय	5206	5041	2	10249
	267	नगर परिषद्	अलोट	15	23	द्वितीय	8106	7679	0	15785
		रत्लाम योग		154	387		147289	140963	5	288257
मंदसौर	268	नगर परिषद्	भानपुर	15	16	प्रथम	7867	7668	0	15535
	269	नगर परिषद्	शामगढ़	15	21	प्रथम	8454	7633	1	16088
	270	नगर परिषद्	सीतामऊ	15	15	प्रथम	5085	4683	0	9768
	271	नगर परिषद्	नारायणगढ़	15	15	प्रथम	3772	3710	0	7482
	272	नगर परिषद्	नगरी	15	15	प्रथम	2413	2362	0	4775
	273	नगर परिषद्	मत्हारगढ़	15	15	द्वितीय	2951	2918	0	5869
	274	नगर परिषद्	पिपल्लया मंडी	15	15	द्वितीय	5263	5243	2	10508
	275	नगर परिषद्	गरोठ	15	15	द्वितीय	6422	6159	0	12581
		रत्लाम योग		120	127		42227	40376	3	82606
नीमच	276	नगरपालिका परिषद्	नीमच	40	108	द्वितीय	42753	39672	0	82515
	277	नगर परिषद्	मनासा	15	28	प्रथम	9133	8696	1	17830
	278	नगर परिषद्	सिंगोली	15	15	प्रथम	3360	3178	0	6538
	279	नगर परिषद्	डिकेन	15	15	प्रथम	2635	2565	0	5200
	280	नगर परिषद्	रामपुरा	15	15	प्रथम	6479	5924	0	12403
	281	नगर परिषद्	रत्नगढ़	15	15	प्रथम	2783	2643	0	5426
	282	नगर परिषद्	जावद	15	15	प्रथम	6054	5888	1	11943
	283	नगर परिषद्	अठाना	15	15	प्रथम	2346	2246	0	4592
	284	नगर परिषद्	कुकड़ेश्वर	15	15	प्रथम	4229	4077	0	8306
	285	नगर परिषद्	सरवानिया महाराज	15	15	द्वितीय	2343	2161	0	4504
	286	नगर परिषद्	जीरन	15	15	द्वितीय	4076	3963	0	8039
	287	नगर परिषद्	नयागांव	15	15	द्वितीय	2196	2072	0	4268
		नीमच योग		205	286		88387	83175	2	171564
		महायोग		5393	14651		6097797	5500537	520	11598854

परिशिष्ट-सात

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा अपील प्राधिकारी के कृत्यों के सम्पादन के लिए पदाधिकारी के

क्रमांक	नगरपालिका	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के काविवरण	सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कृत्यों के सम्पादन के लिए	अपील प्राधिकारी के कृत्यों के सम्पादन के लिए नियुक्त अधिकारी का नामनियुक्त अधिकारी का नामनियुक्त अधिकारी का नाम
1	2	3	4	5
1.	नगरपालिक निगम :			
(i)	जिला मुख्यालय की नगरपालिक निगम	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	संयुक्त कलेक्टर/सहायक कलेक्टर/डिस्ट्री कलेक्टर/उप बन्दोबस्त अधिकारी/अधीक्षक, भू-अभिलेख/तहसीलदार/सहायक बन्दोबस्त अधिकारी/नायब तहसीलदार/सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख.	अपर कलेक्टर/कलेक्टर
(ii)	जिला मुख्यालय की नगरपालिक निगम	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	सहायक कलेक्टर/डिस्ट्री कलेक्टर/उप बन्दोबस्त अधिकारी/सहायक बन्दोबस्त अधिकारी/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार/सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.	अपर कलेक्टर/कलेक्टर
2.	नगरपालिका परिषद :			
(i)	जिला मुख्यालय की नगरपालिका परिषद	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	संयुक्त कलेक्टर/सहायक कलेक्टर/डिस्ट्री कलेक्टर/उप बन्दोबस्त अधिकारी/सहायक बन्दोबस्त अधिकारी/अधीक्षक, भू-अभिलेख/तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार/सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.	अपर कलेक्टर/कलेक्टर
(ii)	जिला मुख्यालय के बाहर के नगरपालिका परिषद.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) या डिस्ट्री कलेक्टर.	उप बन्दोबस्त अधिकारी/तहसीलदार/सहायक बन्दोबस्त अधिकारी/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार/सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.	अपर कलेक्टर/कलेक्टर
3.	नगर परिषद :			
(i)	जिला मुख्यालय की नगर परिषद	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	डिस्ट्री कलेक्टर/उप बन्दोबस्त अधिकारी/तहसीलदार/सहायक बन्दोबस्त अधिकारी/अपर अधीक्षक, भू-अभिलेख.	अपर कलेक्टर/कलेक्टर

(ii)	राजस्व अनुविभाग के मुख्यालय की नगर परिषद.	तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार.	अपर तहसीलदार/सहायक बन्दोबस्त अधिकारी/ अपर कलेक्टर/कलेक्टर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/नायब तहसीलदार/सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जनपद पंचायत) /विकासखण्ड अधिकारी.
(iii)	राजस्व अनुविभाग के मुख्यालय के बाहर की नगर परिषद.	तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार.	सहायक बन्दोबस्त अधिकारी/ अपर कलेक्टर/कलेक्टर अपर तहसीलदार/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/नायब तहसीलदार/सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जनपद पंचायत) /विकासखण्ड अधिकारी.

परिशिष्ट-आठ

नगरपालिका आम निर्वाचन 2014-मतदाता सूचियों की तैयारी के पर्यवेक्षण हेतु निम्नानुसार जिलों में नियुक्त प्रेक्षकों की सूची :—

स.क्र.	प्रेक्षक का नाम	मोबाइल नम्बर	जिला
1	2	3	4
1.	श्री एल.एन. सोनी	9425369814	मुरैना
2.	श्री ए. के. मान्दलिया	9424019289	श्योपुर
3.	श्री नरेन्द्र सिंह भदौरिया	9425130032	भिण्ड
4.	1. श्री एस. पी. त्रिवेदी 2. श्री विजय बहादुर	9425515425 9425029583	ग्वालियर ग्वालियर
5.	श्री आर. के. गोयल	9977346220	शिवपुरी
6.	श्री एस. पी. गुप्ता	9826475966	दतिया
7.	श्री हरिशंकर रावत	9425661016	गुना
8.	श्री तुफान सिंह अहिवार	9425636569	अशोकनगर
9.	श्री डी. पी. तिवारी	9425012607	उज्जैन
10.	श्री के. पी. सेठिया	9200221323	रतलाम
11.	श्री उमर फारूक खट्टानी	9425012567	शाजापुर
12.	श्री अनूप तिवारी	9425150438	आगर-मालवा
13.	श्री रामेश्वर गुप्ता	9425057333	मंदसौर
14.	श्री मोती सिंह	9425008160	देवास
15.	श्री डी. पी. दुबे	9826051912	भोपाल
16.	श्री वी. के. रमोले	9827978450	सीहोर
17.	श्रीमती गीता मिश्रा	9425637532	विदिशा
18.	श्री जे. एस. मण्लोई	9425018822	राजगढ़
19.	श्री नरेन्द्र कुमार त्रिवेदी	9425428520	रायसेन
20.	श्री अखिलेन्दु अरजसिंह	9425126744	होशंगाबाद
21.	श्री आर. एस. कनेरिया	9425302476	हरदा
22.	श्री एम. एल. कौरव	9425028818	बैतूल
23.	श्री अजित श्रीवास्तव	9407890001	इन्दौर
24.	श्री ए. एन. तिवारी	9977003210	धार
25.	श्री एस. के. वशिष्ठ	982603021	खरगोन
26.	श्री एम. एस. भिलाला	9425093588	खण्डवा
27.	श्री हरिसिंह शेखावत	9425148566	बुरहानपुर

28.	श्री ए. के. सिह	9407278158	सागर
29.	डॉ. रामानंद शुक्ला	9425140500	टीकमगढ़
30.	श्री शैलेन्द्र खरे	9425150437	पन्ना
31.	श्री शरदचन्द्र शुक्ला	9425437642	छतरपुर
32.	श्री के. डी. मिश्रा	9425439693	दमोह
33.	श्री जे. एन. पाण्डे	9229475437 9425605586	जबलपुर
34.	श्री जी. पी. कवीरपंथी	9425176961	कटनी
35.	श्री के. सी. मिश्रा	9425323223	नरसिंहपुर
36.	श्री कृष्णमोहन गौतम	9425047345	छिन्दवाड़ा
37.	श्री बी. एस. श्रीवास्तव	9993528333	सिवनी
38.	श्री शरद चन्द्र दुबे	9200001122 9200011192	बालाघाट
39.	श्री आर. आर. गंगारेकर	9424473728	रीवा
40.	श्री हीरालाल प्रज्ञापति	9425009000	सतना
41.	श्री योगेन्द्र छिवेदी	9425325551	सीधी
42.	श्री एस. सी. आर्य	9425041601	सिंगरौली
43.	श्री एस. एन. शुक्ला	9425137923	शहडोल
44.	श्री इन्दरसिंह मरकाम	8959332350	उमरिया
45.	श्री एस. डी. शर्मा	9826975500	नीमच
46.	श्री व्हो. एन. दुबे	9039711451	झाबुआ

नगरीय निकायों के आम निर्वाचन वर्ष 2014 (माह दिसम्बर) के लिये नियुक्त प्रेक्षकों की सूची:-

स. क्र.	जिला	नगरीय निकाय	प्रेक्षक का नाम
1.	2.	3.	4.
आम निर्वाचन हेतु प्रेक्षक नियुक्त			
1.	भोपाल	नगरपालिक निगम भोपाल	1. श्री मोती सिंह, आई. ए. एस. (सेवानिवृत्त)
2.	इन्दौर	नगरपालिक निगम इन्दौर	2. श्रीमती भावना वालिम्बे, उप-सचिव, सा. प्र. विभाग (पूल) 1. श्री डी. पी. तिवारी, आई. ए. एस. (सेवानिवृत्त) 2. श्री नेरन्द्र कुमार त्रिवेदी, रा. प्र. से (सेवानिवृत्त)

3.	जबलपुर	नगरपालिक निगम जबलपुर	3. श्री जी. पी. तिवारी, आई. ए. एस. (सेवानिवृत्त)
4.	छिन्दवाड़ा	नगरपालिक निगम छिन्दवाड़ा	1. श्री वी. सी. रावत, आई. ए. एस. (सेवानिवृत्त) 2. श्री संजीव श्रीवास्तव, उप-सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग. 3. श्री ए. एन. तिवारी, आई. ए. एस. (सेवानिवृत्त)
5.	होशंगाबाद	नगर परिषद् बनखेड़ी	1. श्री ए. एन. तिवारी आई. ए. एस. (सेवानिवृत्त) 2. श्री शरद कुमार श्रोत्रिय, रा. प्र. से. (सेवानिवृत्त).
6.	दतिया	नगर परिषद् बड़ौनी	3. श्री वी. सी. रावत, आई. ए. एस. (सेवानिवृत्त)
7.	विदिशा	नगर परिषद् शमशाबाद	1. चन्द्रशेखर बालिखे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी मैप आई. टी. भोपाल.
8.	राजगढ़	नगर परिषद् छापीहेड़ा	श्री आर. के. गोयल, आई. ए. एस. (सेवानिवृत्त)
9.	दमोह	नगर परिषद् पटेरा	श्री ए. आर. खान, रा. प्र. से (सेवानिवृत्त) श्री जे. एस. मण्डलोई, रा. प्र. से (सेवानिवृत्त) श्री आर. पी. विसोने, आई. पी. एस. (सेवानिवृत्त) श्री वी. जी. पाण्डे, रा. प्र. से (सेवानिवृत्त)

अध्यक्ष को पद से वापस बुलाने सम्बन्धी निर्वाचन हेतु नियुक्त प्रेक्षक

1.	खण्डवा	नगर परिषद् छनेरा	श्री चन्द्रकांत भांवरे, डी. एस. पी. (सेवानिवृत्त).
2.	हरदा	नगरपालिका परिषद् हरदा	श्री ए. के. जैन, संयुक्त कलेक्टर (सेवानिवृत्त).

परिशिष्ट-नौ

मतदान केन्द्रों में परिवर्तन के संबंध में जिलों से प्राप्त प्रस्ताव :—

क्र.	जिले का नाम	नगरीय निकाय का नाम	वार्ड क्र.	मतदान केन्द्र क्रमांक
1.	टीकमगढ़	नगर परिषद् बल्देवगढ़	1, 2, 14 एवं 15	1, 2, 14 एवं 15
2.	कटनी	नगरपालिक निगम कटनी	44	176 एवं 177
3.	खण्डवा	नगरपालिक निगम खण्डवा	-	136 एवं 137
4.	शिवपुरी	नगरपालिक परिषद् शिवपुरी नगर परिषद् बैराड़	31 12 एवं 13	107 एवं 109 12 एवं 13
5.	सतना	नगरपालिक निगम सतना	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22	1, 2, 3 एवं 4 5, 6, 7, 7क, 8, 9, एवं 10 11, 12 एवं 13 14, 15 एवं 16 17, 18, 18क, 19 एवं 20 21, 22 एवं 23 24, 25, 26 एवं 27 28, 28क, 29, 30, 30क, एवं 31 32, 33 34 एवं 35 36, 37, 38, 39, 39क, 40 41, 42, 43, 44 एवं 45 46, 47, 48 एवं 49 50, 51, 52, 53 एवं 54 55, 56, 57, 57क, 57ख एवं 58 59, 60, 61, 62, 63 एवं 64 65, 65के, 66, 67 एवं 68 68क एवं 69 70, 71 एवं 72 73, 74, 75 एवं 75क 76, 77, 78 एवं 79 80, 81, 81क एवं 82 83, 84, 85 एवं 86

		23	87, 88, 89, एवं 90
		24	91, 92, 93, 94 एवं 95,
सतना		25	96, 97, 98 एवं 99
		26	100, 101, 102 एवं 103
		27	104, 105, 106 एवं 107
		28	108, 109, 110 एवं 111
		29	112, 113 एवं 114
		30	115, 116 एवं 117
		31	118, 119, 120, 121, 122 एवं 123
		32	124, 125, 126, 127 एवं 127 क
		33	128, 129 एवं 130
		34	131, 132, 133, 134 एवं 135
		35	136, 137 एवं 138
		36	139, 140, 141, 142, 143 एवं 143क
		37	144, 145, 145क एवं 146
		38	147, 148 एवं 149
		39	150, 151, 151क 152 एवं 152क
		40	153, 154, 155 एवं 156
		41	157, 158, 159, 160, 161, 161 क एवं 162
		42	163, 164, 165, 166, 167 एवं 167 क
		43	168, 169, 170, 171
		44	172, 173, 174 एवं 175
		45	176, 177, 178 एवं 179
6.	कटनी	नगरपालिक निगम कटनी	1
			4
		3	11 एवं 08
		6	20 एवं 21
		8	27 एवं 28
		10	38 एवं 35
		14	53,54 एवं 57
		18	73 एवं 74
		26	105
		27	108 एवं 109
		29	117
		33	132

35	142
39	154 एवं 155
43	173
27	106
28	110
29	115
33	130
7	24
16	62
30	120
4	12
5	16
9	31
17	65
19	75
24	96
38	150, 152 एवं 153
40	158
41	162
42	166
45	178
11	39
21	82
31	125
नगरपालिका परिषद् कैमोर	
4	4
7	,
12	12
14	14
नगरपालिका परिषद् बरही	
3	3
8	8

		14	14
		15	15
	नगरपालिका परिषद् विजयराघवगढ़	5	5
		7	7
		13	13
		15	15
7.	नरसिंहपुर	नगरपालिका परिषद् करेली	11
			22 एवं 23
	नगर परिषद् तेन्दूखेड़ा	5	5
		9	9
		15	15
8.	भोपाल	नगरपालिका परिषद् बैरसिया	7
9.	रीवा	नगरपालिक निगम रीवा	15
		39	157
10.	भोपाल	नगरपालिक निगम भोपाल	16
		58	311
			1234 एवं 1236

परिशिष्ट-दस

नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2014-15 हेतु अमिट स्थाही का वितरण चार्ट

क्र.	जिले का नाम	संभावित मतदान	संभावित मतदान केन्द्रों का 20 प्रतिशत अतिरिक्त	प्रति मतदान केन्द्र × 2 (5 सौ. सौ.)
		केन्द्रों की संख्या	4	5
1	2	3		
1.	मुरैना	332	400	800
2.	श्योपुर	88	110	220
3.	भिण्ड	345	420	840
4.	ग्वालियर	1014	1220	2440
5.	शिवपुरी	245	300	600
6.	दतिया	130	160	320
7.	गुना	173	210	420
8.	अशोकनगर	133	160	320
9.	मंदसौर	120	150	300
10.	नीमच	258	310	620
11.	रतलाम	405	490	980
12.	शाजापुर	103	130	260
13.	उज्जैन	238	290	580
14.	देवास	386	470	940
15.	राजगढ़	286	350	700
16.	सीहोर	128	160	320
17.	विदिशा	336	410	820
18.	भोपाल	2022	2430	4860
19.	रायसेन	219	270	540
20.	बैतूल	175	210	420
21.	होशंगाबाद	297	360	720
22.	हरदा	30	40	80
23.	झाबुआ	20	30	60
24.	अलीराजपुर	0	0	0
25.	इंदौर	2323	2790	5580
26.	धार	16	20	40
27.	खरगौन	221	270	540
28.	बड़वानी	0	0	0
29.	खण्डवा	190	230	460
30.	बुरहानपुर	206	250	500

1	2	3	4	5
31.	टीकमगढ़	245	300	600
32.	छतरपुर	348	420	840
33.	पन्ना	111	140	280
34.	सागर	524	630	1260
35.	दमोह	195	240	480
36.	जबलपुर	1437	1730	3460
37.	कटनी	234	280	560
38.	नरसिंहपुर	185	230	460
39.	छिन्दवाड़ा	325	390	780
40.	सिवनी	85	110	220
41.	मण्डला	0	0	0
42.	डिणडौरी	0	0	0
43.	बालाघाट	131	160	320
44.	रीवा	347	420	840
45.	सतना	393	480	960
46.	शहडोल	33	40	80
47.	अनूपपुर	0	0	0
48.	उमरिया	34	40	80
49.	सीधी	15	20	40
50.	सिंगराँली	185	230	460
51.	आगर-मालवा	128	160	320
योग		15394	18660	37320
क्रय संख्या				40,000
शेष				2,680

परिशिष्ट-ग्यारह

नगर पालिका आम निवाचन 2014-15 हेतु पुस्तकों एवं प्रस्तुप का वितरण

क्र.	जिले का नाम	वार्डों की संख्या	मतदान केन्द्रों की संख्या	मैं पीठासीन अधिकारी हूँ	निवाचन के दौरान कानून एवं व्यवस्था (विभिन्न सुसंगत अधिनियमों, नियमों के उद्धरण) पुस्तिका	मैं हूँ ई. व्ही. एम.	प्रादर्श चेक लिस्ट रिटर्निंग अधिकारी लिये	मतदान केन्द्र- भीतर जाने का रास्ता
1.	मुरैना	114	211	40	5	40	70	850
2.	श्योपुर	53	88	19	5	19	35	360
3.	भिंड	192	346	67	5	67	115	1390
4.	ग्वालियर	150	1092	53	5	53	90	4370
5.	शिवपुरी	129	239	45	5	45	80	960
6.	दतिया	81	128	28	5	28	50	520
7.	गुना	82	192	29	5	29	50	770
8.	अशोकनगर	73	131	26	5	26	45	530
9.	मंदसौर	120	120	42	5	42	70	480
10.	नीमच	205	287	72	5	72	123	1150
11.	रतलाम	154	389	54	5	54	100	1560
12.	शाजापुर	85	103	30	5	30	55	420
13.	उज्जैन	138	243	48	5	48	85	980
14.	देवास	210	388	74	5	74	130	1560
15.	राजगढ़	183	233	64	5	64	110	940
16.	सीहोर	108	136	38	5	38	65	550
17.	विदिशा	75	136	26	5	26	45	550
18.	भोपाल	18	26	6	5	6	15	110
19.	रायसेन	141	214	49	5	49	85	860
20.	बैतूल	81	179	28	5	28	50	720
21.	होशंगाबाद	133	289	47	5	47	80	1160
22.	हरदा	30	32	11	5	11	20	130
23.	झाबुआ	15	20	5	5	5	10	80
24.	अलीराजपुर	0	0	0	0	0	0	0
25.	इंदौर	205	2327	72	5	72	125	9310
26.	धार	15	16	5	5	5	10	70
27.	खरगौन	99	213	35	5	35	60	860
28.	वडवानी	0	0	0	0	0	0	0
29.	खण्डवा	80	190	28	5	28	50	760
30.	बुरहानपुर	63	206	22	5	22	40	830

नगर पालिका आम निर्वाचन 2014-15 हेतु पुस्तकों एवं प्र०र०प का वितरण

क्र	जिले का नाम	वार्डों की संख्या	मतदान केन्द्रों की संख्या	मैं पीठासीन अधिकारी हूँ	निर्वाचन क एवं व्यवस्था (विभिन्न सुसंगत अधिनियमों, नियमों के उद्धरण) पुस्तिका	दौरान कानून ई. ब्लॉ. एम. हूँ	मैं लिस्ट रिटर्निंग अधिकारी लिये	प्रादर्श चेक	मतदान केन्द्र- भीतर जाने का रास्ता
31	टीकमगढ़	192	236	67	5	67	115	950	
32	छतरपुर	240	344	84	5	84	145	1380	
33	पन्ना	97	118	34	5	34	60	480	
34	सागर	208	518	73	5	73	125	2080	
35	दमोह	114	200	40	5	40	70	800	
36	जबलपुर	108	141	38	5	38	65	570	
37	कटनी	90	234	32	5	32	55	940	
38	नरसिंहपुर	142	234	50	5	50	85	940	
39	छिन्दवाड़ा	156	177	55	5	55	95	710	
40	सिवनी	39	128	14	5	14	25	520	
41	मण्डला	0	0	0	0	0	0	0	
42	डिण्डौरी	0	0	0	0	0	0	0	
43	बालाघाट	89	153	35	5	35	55	620	
44	रीवा	195	348	68	5	68	120	1400	
45	सतना	180	342	63	5	63	108	1370	
46	शहडोल	30	33	11	5	11	20	140	
47	अनूपपुर	0	0	0	0	0	0	0	
48	उमरिया	30	33	12	5	12	20	140	
49	सीधी	15	15	5	5	5	10	60	
50	सिंगरौली	45	193	16	5	16	25	780	
51	आगर-मालवा	113	128	40	5	40	70	520	
योग		5115	11749	1800	230	1800	3130	47230	
मुद्रित संख्या				2000	500	2000	3500	70000	
शेष				200	270	200	370	22770	

परिशिष्ट-बारह

नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2014

मतदान हेतु प्रथम व द्वितीय चरण में सम्मिलित किये जाने वाले नगरीय निकायों की चरणवार जानकारी

प्रथम चरण में सम्मिलित नगरीय निकाय

द्वितीय चरण में सम्मिलित नगरीय निकाय

क्र.	जिला	क्र.	नगरीय निकाय का नाम	वार्डों की संख्या	मतदान केन्द्रों की संभावित संख्या	क्र.	नगरीय निकाय का नाम	वार्डों की संख्या	मतदान केन्द्रों की संभावित संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
1	श्योपुर	1	न.पा.प. श्योपुर	23	56				
		2	नगर परिषद् बड़ौद	15	16				
		3	नगर परिषद् विजयपुर	15	16				
		योग . .		53	88				
2	मुरैना	4	न.पा.प. अम्बाह	39	145	1	न. पा. प. सबलगढ़	18	36
		5	नगर परिषद् जौरा	18	38	2	न. पा. प. पोरसा	15	30
		योग . .		36	77	3	नगर परिषद् बानमोर	15	29
		योग . .		117	267	4	नगर परिषद् द्वाण्डपुरा	15	15
		योग . .		66	937	5	नगर परिषद् कैलारस	15	24
3	भिण्ड	6	न.पा.प. भिण्ड	39	145	6	नगर परिषद् अकोडा	15	15
		7	न.पा.प. गोहद	18	43	7	नगर परिषद् मेहगांव	15	15
		8	नगर परिषद् पूफ	15	16	8	नगर परिषद् गोरमी	15	17
		9	नगर परिषद् मिहोना	15	19	9	नगर परिषद् मौ	15	17
		10	नगर परिषद् लहार	15	27	10	नगर परिषद् आलमपुर	15	15
		11	नगर परिषद् दबोह	15	17				
		योग . .		66	937				
4	ग्वालियर	12	न.पा.निगम ग्वालियर	11	न. पा. प. डबरा	30	95		
		योग . .		12	नगर परिषद् आंतरी	15	15		
		योग . .		13	नगर परिषद् भितरवार	15	15		
		योग . .		14	नगर परिषद् बिलौआ	15	15		
		योग . .		15	नगर परिषद् पिछोर	15	15		
		योग . .		66	937				
5	दतिया	13	न.पा.प. दतिया	36	78	16	नगर परिषद् भांडेर	15	19
		14	नगर परिषद् सेवद्वा	15	16	17	नगर परिषद् इन्दरगढ़	15	15
		योग . .		51	94				
6	शिवपुरी	15	नगर परिषद् करेरा	15	26	18	नगर परिषद् पिछोर	15	15
		16	नगर परिषद् कोलारस	15	17	19	नगर परिषद् बदरवास	15	15
		17	नगर परिषद् बैराढ़*	15	15	20	नगर पालिका परिषद् शिवपुरी	39	136
		योग . .		15	15				
		योग . .		60	73				
		योग . .				69	166		

प्रथम चरण में सम्मिलित नगरीय निकाय

द्वितीय चरण में सम्मिलित नगरीय निकाय

क्र.	जिला	क्र.	नगरीय निकाय का नाम	वार्डों की संख्या	मतदाते केन्द्रों की संभावित संख्या	क्र.	नगरीय निकाय का नाम	वार्डों की संख्या	मतदान केन्द्रों की संभावित संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
7	गुना	15	नगर परिषद् चाचौड़ा बीनागंज	15	16	21	न. पा. प. गुना	37	143
		16	नगर परिषद् कुंभराज	15	15	22	नगर परिषद् आरोन	15	18
		योग . .		30	31			52	61
8	अशोकनगर	21	न.पा.प. अशोकनगर	22	65	23	न.पा.प. चंद्रेशी	21	31
		22	नगर परिषद् मुंगावली	15	20				
		23	नगर पारिषद् शाढ़ौरा	15	15				
		योग . .		52	100			21	31
9	सागर	24	न.पा.नि. सागर	48	238	24	न.पा.प. बीना-इटावा	25	56
						25	न.पा.प. खुरई	27	43
						26	न.पा.प. रहली	15	29
						27	न.पा.प. गढ़कोटा	18	32
						28	न.पा.प. देवरी	15	30
						29	नगर परिषद् राहतगढ़	15	27
						30	नगर परिषद् शाहपुर	15	15
						31	नगर परिषद् बंडा	15	29
						32	नगर परिषद् शाहगढ़	15	15
		योग . .		48	238			160	276
10	टीकमगढ़	25	नगर परिषद् पलेरा	15	15	33	न.पा.प. टीकमगढ़	27	60
		26	नगर परिषद् लिधोराखास	15	15	34	नगर परिषद् कारी	15	15
		27	नगर परिषद् बड़ागाँव	15	15	35	नगर परिषद् तरीचरकला	15	15
		28	नगर परिषद् निवाड़ी	15	19	36	नगर परिषद् बत्तेवगढ़	15	15
						37	नगर परिषद् खरगापुर	15	15
						38	नगर परिषद् जैरोन	15	15
						39	नगर परिषद् पृथ्वीपुर	15	22
						40	नगर परिषद् जतारा	15	15
		योग . .		60	64			132	172
11	छतरपुर	29	न.पा.प. छतरपुर	40	123	41	न.पा.प. नौगांव	20	38
		30	नगर परिषद् राजनगर	15	15	42	न.पा.प. महाराजपुर**	15	15
		31	नगर परिषद् हरपालपुर	15	15	43	नगर परिषद् बिजावर	15	15
		32	नगर परिषद् बारीगढ़	15	15	44	नगर परिषद् लवकुशनगर	15	16
		33	नगर परिषद् सटई	15	15	45	नगर परिषद् गढ़ीमलहरा	15	15
						46	नगर परिषद् खजुराहो	15	17
						47	नगर परिषद् चन्दला	15	15
						48	नगर परिषद् बड़ामलहरा	15	15
						49	नगर परिषद् बक्सवाहा	15	15
		योग . .		100	183			140	161

प्रथम चरण में सम्मिलित नगरीय निकाय

द्वितीय चरण में सम्मिलित नगरीय निकाय

क्र.	जिला	क्र.	नगरीय निकाय का नाम	वार्डों की संख्या	मतदान केन्द्रों की संभावित संख्या	क्र.	नगरीय निकाय का नाम	वार्डों की संख्या	मतदान केन्द्रों की संभावित संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
12	दमोह	34	नगर परिषद् तेन्दुखेड़ा	15	16	50	न.पा.प. दमोह	39	109
		35	न.पा.प. हटा	15	27	51	नगर परिषद् पथरिया	15	18
			योग . .	30	43			84	157
13	पन्ना	36	नगर परिषद् तेन्दुखेड़ा	15	15	54	न.पा.प. पन्ना	22	41
		37	नगर परिषद् ककरहटी	15	15	55	नगर परिषद् अजयगढ़	15	15
		38	नगर परिषद् अमानगंज	15	15	56	नगर परिषद् देवेन्द्र नगर	15	15
			योग . .	45	45			52	71
14	सतना	39	न.पा.नि. सतना	45	193	57	नगर परिषद् बिरसिंहपुर	15	15
		40	नगर परिषद् उचेहरा	15	15	58	नगर परिषद् चित्रकूट	15	15
						59	नगर परिषद् नागौद	15	15
						60	नगर परिषद् रामपुरबघेलान	15	15
						61	नगर परिषद् कोठी	15	18
						62	नगर परिषद् न्यू रामनगर*	15	20
						63	नगर परिषद् अमरपाटन	15	16
						64	नगर परिषद् जैतवारा	15	20
			योग . .	60	208			120	134
15	रीवा	41	न. पा. नि. रीवा	45	180	65	नगर परिषद् बैकुन्ठपुर	15	15
		42	नगर परिषद् गोविंदगढ़	15	15	66	नगर परिषद् हनुमना	15	15
		43	नगर परिषद् गुड़	15	15	67	नगर परिषद् मऊगंज	15	25
						68	नगर परिषद् त्योथर	15	15
						69	नगर परिषद् सेमरिया	15	15
						70	नगर परिषद् नईगढ़ी	15	15
						71	नगर परिषद् सिरमौर	15	15
						72	नगर परिषद् मनगांव	15	15
			योग . .	75	210			120	130
16	सीधी	44	नगर परिषद् रामपुर नैकिन	15	15				
			योग . .	15	15				
17	सिंगरौली	45	नगरपालिक निगम सिंगरौली	45	193				
			योग . .	45	193				
18	शहडोल	46	नगर परिषद् ब्योहारी	15	17				
		47	नगर परिषद् खांड	15	16				
			योग . .	30	33				
19	उमरिया	48	नगर परिषद् नौरोजाबाद	15	17				
		49	नगर परिषद् चन्दिया	15	16				
			योग . .	30	33				
20	कटनी	50	नगर परिषद् कैमोर	15	15	73	न. पा. नि. कटनी	45	189
		51	नगर परिषद् बरही	15	15				
		52	नगर परिषद् विजयराघवगढ़	15	15				
			योग . .	45	45			45	189

प्रथम चरण में सम्मिलित नगरीय निकाय

द्वितीय चरण में सम्मिलित नगरीय निकाय

क्र.	जिला	क्र.	नगरीय निकाय का नाम	वार्डों की संख्या	मतदान केन्द्रों की संभावित संख्या	क्र.	नगरीय निकाय का नाम	वार्डों की संख्या	मतदान केन्द्रों की संभावित संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
21	जबलपुर	53	नगर परिषद् पनागर	15	30	74	न. पा. प. सिहोरा	18	36
		54	नगर परिषद् बरेला	15	15	75	नगर परिषद् शहपुरा	15	15
		55	नगर परिषद् पाटन	15	15	76	नगर परिषद् कटंगी	15	15
		56	नगर परिषद् मझौली	15	15				
			योग . .	60	75			48	66
22	बालाघाट	57	न. पा. प. बालाघाट	33	79	77	न. पा. प. वारासिवनी	15	23
		58	न. पा. प. मलाजखंड	26	35	78	नगर परिषद् कटंगी	15	16
			योग . .	59	114			30	39
23	सिवनी	59	नगरपालिका परिषद् सिवनी	24	113				
		60	नगर परिषद् बरघाट	15	15				
			योग . .	39	128				
24	नरसिंहपुर	61	न. पा. प. गाडरवाडा	24	50	79	न. पा. प. नरसिंहपुर	28	65
		62	नगर परिषद् सालीचौका (बाबई) 15	15	80	80	न. पा. प. गोटेंगांव**	15	28
		63	नगर परिषद् तेन्दुखेड़ा	15	15	81	न. पा. प. करेली	15	31
		64	नगर परिषद् साईखेड़ा*	15	15	82	नगर परिषद् चिचली*	15	15
			योग . .	69	95			73	139
25	छिंदवाड़ा	65	न.पा.प. अमरवाडा	15	15	83	न. पा. प. डोंगरपरासिया	21	42
		66	न.पा.प. चौरई	15	15	84	नगर परिषद् चांदामेर्य बुयरिया	15	15
		67	नगर परिषद् न्यूटन चिखली	15	15	85	नगर परिषद् विछुआ*	15	15
		68	नगर परिषद् लोधीखेड़ा	15	15	86	नगर परिषद् चाँद	15	15
		69	नगर परिषद् बड़कुही	15	15				
		70	नगर परिषद् पिपलानारायणवार	15	15				
			योग . .	90	90			66	87
26	बैतूल	71	नगर पालिका परिषद् बैतूल	33	97	87	न. पा. प. मुलताई	15	31
		72	नगर पालिका परिषद् आमला	18	36				
		73	नगर परिषद् बैतूल बाजार	15	15				
			योग . .	66	148			15	31
27	हरदा	74	नगर परिषद् खिरकिया	15	17				
		75	नगर परिषद् टिमरनी	15	15				
			योग . .	30	32				
28	होशंगाबाद	76	न. पा. प. पिपरिया	21	44	88	न. पा. प. होशंगाबाद	33	91
		77	नगर परिषद् सोहागपुर	15	18	89	न. पा. प. सिवनी मालवा	15	30
		78	नगर परिषद् बाबई	15	15	90	न. पा. प. इटारसी	34	91
			योग . .	51	77			82	212

प्रथम चरण में सम्मिलित नगरीय निकाय

द्वितीय चरण में सम्मिलित नगरीय निकाय

क्र.	जिला	क्र.	नगरीय निकाय का नाम	वार्डों की संख्या	मतदान केन्द्रों की संभावित संख्या	क्र.	नगरीय निकाय का नाम	वार्डों की संख्या	मतदान केन्द्रों की संभावित संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
29	रायसेन	79	नगर परिषद् बाड़ी	15	18	91	न. पा. प. रायसेन	18	44
		80	नगर परिषद् उदयपुरा	15	15	92	न. पा. प. बेगमगंज	18	36
		81	नगर परिषद् सुल्तानपुर	15	15	93	नगर परिषद् ओबेदुलागंज	15	23
		82	नगर परिषद् सिलवानी	15	15	94	नगर परिषद् बरेली	15	30
		83	नगर परिषद् गैरतगंज	15	16				
			योग . .	75	81			66	133
30	विदिशा	84	न. पा. प. सिरोंज	21	47	95	न. पा. प. गंजबासोदा	24	58
		85	नगर परिषद् लटेरी	15	16	96	नगर परिषद् कुरवाई	15	15
			योग . .	36	63			39	73
31	भोपाल	86	न. पा. प. बैरसिया	18	26				
			योग . .	18	26				
32	सीहोर	87	नगर परिषद् बाड़ी	18	41	97	नगर परिषद् जावर	15	15
		88	नगर परिषद् रेहटी	15	15	98	नगर परिषद् इलावर	15	17
		89	नगर परिषद् कोठरी	15	15	99	नगर परिषद् बुदनी	15	15
					100	नगर परिषद् नसरुल्लागंज	15	18	
			योग . .	48	71			60	65
33	राजगढ़	90	नगर परिषद् जीरापुर	15	16	101	न. पा. प. राजगढ़**	15	25
		91	नगर परिषद् पचोर	15	21	102	न. पा. प. ब्यावरा	18	40
		92	नगर परिषद् माचलपुर	15	15	103	न. पा. प. नरसिंहगढ़	15	26
		93	नगर परिषद् खिलचीपुर	15	15	104	नगर परिषद् तलेन	15	15
		94	नगर परिषद् बोडा	15	15	105	नगर परिषद् खुजनेर	15	15
		95	नगर परिषद् कुरावर*	15	15	106	नगर परिषद् सुठालिया	15	15
			योग . .	90	97			93	136
34	आगर मालवा	96	न. पा. प. आगर मालवा	23	37	107	नगर परिषद् नलखेड़ी	15	15
		97	नगर परिषद् बड़ोद	15	15	108	नगर परिषद् सुसनेर	15	15
		98	नगर परिषद् कानड़	15	15	109	नगर परिषद् सोयतकलां	15	15
					110	नगर परिषद् बड़गांव	15	15	
			योग . .	53	67			60	60
35	शाजापुर	99	नगर परिषद् अकोदिया	15	15	111	न. पा. प. शुजालपुर	25	43
		100	नगर परिषद् पोलायकलां	15	15	112	नगर परिषद् पानखेड़ी	15	15
		101	नगर परिषद् मकसी	15	15				
			योग . .	45	45			40	58

प्रथम चरण में सम्मिलित नगरीय निकाय

द्वितीय चरण में सम्मिलित नगरीय निकाय

क्र.	जिला	क्र.	नगरीय निकाय का नाम	वार्डों की संख्या	मतदान केन्द्रों की संभावित संख्या	क्र.	नगरीय निकाय का नाम	वार्डों की संख्या	मतदान केन्द्रों की संभावित संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
36	देवास	102	न. पा. नि. देवास	45	221	113	नगर परिषद् भौंरासा	15	15
		103	नगर परिषद् खातेगांव	15	17	114	नगर परिषद् हाटपिपल्या	15	15
		104	नगर परिषद् बागली	15	15	115	नगर परिषद् करनावद	15	15
		105	नगर परिषद् सोनकच्छ	15	15	116	नगर परिषद् कन्नौद	15	15
						117	नगर परिषद् सतवास	15	15
						118	नगर परिषद् कांटाफोड़	15	15
						119	नगर परिषद् लोहरदा	15	15
						120	नगर परिषद् नेमावर*	15	15
			योग . .	90	268			120	120
37	खण्डवा	106	न. पा. नि. खण्डवा	50	160				
		107	नगर परिषद् मूंदी	15	15				
		108	नगर परिषद् पंधाना	15	15				
			योग . .	80	190				
38	बुरहानपुर	109	न. पा. नि. बुरहानपुर	48	190				
		110	नगर परिषद् शाहपुर	15	16				
			योग . .	63	206				
39	खरगौन	111	न. पा. प. बड़वाह	18	31	121	न. पा. प. खरगौन	33	108
		112	न. पा. प. सनावद	18	36				
		113	नगर परिषद् कसरावद	15	23				
		114	नगर परिषद् करही पाडल्याखुर्द	15	15				
			योग . .	66	105				
40	झाबुआ	115	नगर परिषद् मेघनगर*	15	20				
			योग . .	15	20				
41	धार					122	नगर परिषद् बदनवार	15	16
							योग . .	15	16
42	इन्दौर	116	न. पा. नि. इन्दौर	85	2181	123	नगर परिषद् राठ	15	28
						124	नगर परिषद् हातोद	15	15
						125	नगर परिषद् बेटमा	15	15
						126	नगर परिषद् देपालपुर	15	15
						127	नगर परिषद् गौतमपुरा	15	15
						128	नगर परिषद् महूगाँव	15	28
						129	नगर परिषद् मानपुर	15	15
						130	नगर परिषद् सांवेर	15	15
			योग . .	85	2181			120	146

प्रथम चरण में सम्मिलित नगरीय निकाय

द्वितीय चरण में सम्मिलित नगरीय निकाय

क्र.	जिला	क्र.	नगरीय निकाय का नाम	वार्डों की संख्या	मतदान केन्द्रों की संभावित संख्या	क्र.	नगरीय निकाय का नाम	वार्डों की संख्या	मतदान केन्द्रों की संभावित संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
43	उज्जैन	117	न. पा. प. खाचरौद	21	35	131	न. पा. प. महिदपुर	18	27
		118	न. पा. प. बड़नगर	18	35	132	न. पा. प. नागदा	36	95
		119	नगर परिषद् तराना	15	21	133	नगर परिषद् उन्हेल	15	15
		120	नगर परिषद् माकडोन	15	15				
		योग . .		69	106			69	137
44	रतलाम	121	न. पा. नि. रतलाम	49	244	134	न. पा. प. जावरा	30	62
		122	नगर परिषद् नामली	15	15	135	न. पा. प. आलोट	15	23
		123	नगर परिषद् पिपलौदा	15	15	136	नगर परिषद् बड़ाबदा	15	15
						137	नगर परिषद् ताल	15	15
		योग . .		79	274			75	115
45	मन्दसौर	124	नगर परिषद् नगरी	15	15	138	नगर परिषद् मल्हारगढ़	15	15
		125	नगर परिषद् सीतामठ	15	15	139	नगर परिषद् पिल्यामंडी	15	15
		126	नगर परिषद् नारायणगढ़	15	15	140	नगर परिषद् गरोठ	15	15
		127	नगर परिषद् शामगढ़	15	15				
		128	नगर परिषद् भानपुरा	15	15				
		योग . .		75	75			45	45
46	नीमच	129	नगर परिषद् जावद	15	15	141	न. पा. प. नीमच	40	108
		130	नगर परिषद् मनासा	15	28	142	नगर परिषद् जीरन	15	15
		131	नगर परिषद् कुकड़ेश्वर	15	15	143	नगर परिषद् नयागांव*	15	15
		132	नगर परिषद् डिकेन	15	15	144	नगर परिषद् सखनिया महराज*	15	15
		133	नगर परिषद् रतनगढ़	15	15				
		134	नगर परिषद् सिंगोली	15	15				
		135	नगर परिषद् रामपुरा	15	15				
		136	नगर परिषद् अठाना*	15	16				
		योग . .		120	134			85	153
		महायोग . .		2619	7754			2496	3995

* नवगठित नगरीय निकाय

** नगर परिषद् से नगरपालिका में उन्नयन

परिशिष्ट-तेरह

नगरीय निकायों के आम निवाचन 2014-15 मतदान हेतु तृतीय चरण में सम्मिलित किये जाने वाले

नगरीय निकायों की चरणवार जानकारी

नगरीय निकायों के आम निवाचन 2014-15

क्र.	जिला	नगरीय निकाय का नाम	वार्डों की संख्या	मतदान केन्द्रों की संभावित संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	भोपाल	नगरपालिक निगम भोपाल	85	1743
2.	इन्दौर	नगरपालिक निगम इन्दौर	85	2092
3.	जबलपुर	नगरपालिक निगम जबलपुर	79	1026
4.	छिन्दवाड़ा	नगरपालिक निगम छिन्दवाड़ा	48	233
5.	दमोह	नगर परिषद् पटेरा	15	15
6.	होशंगाबाद	नगर परिषद् वनखेड़ी	15	15
7.	विदिशा	नगर परिषद् शमशबाद	15	15
8.	राजगढ़	नगर परिषद् छापीहेड़ा	15	15
9.	दतिया	नगर परिषद् बडौनी	15	15

१८५० वर्षात् राजा नवाब सुल्तान अब्दुल खालिक

नगरपालिक निगम / नगरपालिका परिषद / नगर परिषद
महापौर/अध्यक्ष के लिए निर्वाचन प्रतीक
(क) भाजपा-प्राम राजनीतिक दलों के लिए आरक्ष-प्रतीक

परिषद-भौतिक

भाजपा राजनीतिक दलों

(1) राष्ट्रीय तूल

बृहन सत्ता	भारत सत्ता	पात की चमड़ीन सत्ता	पात की चमड़ीन सत्ता (खाड़ी)	इंडिया रेस्ट सत्ता	सेक्युरिटी सत्ता

Brahujan Samaj Party Bharatiya Janata Party Communist Party of India
Communist Party of India (Marxist) Indian National Congress Nationalist Congress Party

(ख) भव्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित मुक्त निर्वाचन प्रतीक

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Tap	Electric Switch	Perfume	Table Lamp	Sunflower	Book	Bread	Phone
(2)	(2)	(12)	(37)	(22)	(27)	(22)	(32)
Key	Glass Tumbler	Road Roller	Bangle	Wheat Ear Head	Gas Cylinder	Table	Brush
(3)	(8)	(13)	(15)	(23)	(26)	(33)	(36)
Table Fan	Radio	Bus	Barbecue Pit	Basket Containing Vegetables	Poppy Leaf	Brief Case	Bat
(4)	(7)	(14)	(19)	(24)	(29)	(34)	(39)
Balloon	Traffic Light on Pole	Whistle	Cart	Necklace	Harmonium	Candles	Violin
(5)	(10)	(15)	(20)	(25)	(30)	(35)	(40)
Slate	Stool	Pressure Cooker	Battery Torch	Ring	Grinding Wheel	Gas Stove	Chisel & Hammer

Page No.-11 - Date No.-12-9-16 - G-00

नगरपालिका नियंत्रण
पार्षद के लिए निर्वाचन प्रतीक
(क) मानवता-प्राप्त राजनीतिक दलों के लिए आरक्षित-प्रतीक

(i) राष्ट्रीय दल

बहुजन समाज पार्टी	भारतीय जनसंघ पार्टी	भारत की कांगड़ीपंथ पार्टी	भारत की कांगड़ीपंथ पार्टी (मार्क्सिज़्म)	भूमध्य नेतृत्व पार्टी	नेतृत्वात्मक कांगड़ीपंथ
					

Bahujan Samaj Party Bharatiya Janata Party Communist Party of India
Communist Party of India (Marxist) Indian National Congress Nationalist Congress Party

(ख) मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित मुक्त निर्वाचन प्रतीक

(1)	(4)	(11)	(16)	(21)	(26)	(31)
						
(2)	(7)	(12)	(17)	(22)	(27)	(32)
						
(3)	(6)	(13)	(18)	(23)	(28)	(33)
						
(4)	(9)	(14)	(19)	(24)	(29)	
						
(5)	(10)	(15)	(20)	(25)	(30)	
						

नगरपालिका परिषद्
पार्वद के लिए निर्वाचन प्रतीक
(क) मान्यता-प्राप्त राजनीतिक दलों के लिए आरक्षित-प्रतीक

(I) राष्ट्रीय दल

भूजन समाज पार्टी	भारतीय जनता पार्टी	भाजा की कम्युनिस्ट पार्टी	भाजा की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सिस्ट)	भाजा नेतृत्व के दल	नेतृत्वित सांसद पार्टी
					

Bahujan Samaj Party Bharatiya Janata Party Communist Party of India
 Communist Party of India (Marxist) Indian National Congress Nationalist Congress Party

(ख) मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित मुक्त निर्वाचन प्रतीक

(1)	(6)	(11)	(16)	(21)	(26)	(31)
						
Cake	Tea	Scooter	Cup and Saucer	Diesel Pump	Bucket	Trumpet
(2)	(7)	(12)	(17)	(22)	(27)	(32)
						
Camera	Ceiling Fan	Jeep	Banyan Tree	Two Swords and a Shield	Shirt	Apple
(3)	(8)	(13)	(18)	(23)	(28)	(33)
						
Carrot	Cot	Black Board	Letter Box	Doli	Frock	Iron
(4)	(9)	(14)	(19)	(24)	(29)	
						
Kite	Sewing Machine	Telephone	Almirah	Coconut tree bearing fruits	Kettle	
(5)	(10)	(15)	(20)	(25)	(30)	
						
Coat	Boat	Television	Hockey and Ball	Scissor	Lady Purse	

नगर परिषद्

पार्टी के लिए निर्वाचन प्रतीक

(क) मानवता-द्वारा राजनीतिक दलों के लिए आरक्षण-प्रतीक

(1) राजनीतिक दल

बहुजन समाज पार्टी	भारतीय जनता पार्टी	भारत की कम्युनिस्ट पार्टी	भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सिस्ट)	भूत्तुराम नेहरू कांगड़ा	नेशनलिस्ट कांगड़ा पार्टी

(ख) मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित मुक्त निर्वाचन प्रतीक


(1)	(6)	(11)	(16)	(21)	(26)	(31)
Cake	Tent	Scooter	Cup and Saucer	Diesel Pump	Bucket	Trumpet
(2)	(7)	(12)	(17)	(22)	(27)	(32)
Camera	Ceiling Fan	Jeep	Banyan Tree	Two Swords and a Shield	Shirt	Apple
(3)	(8)	(13)	(18)	(23)	(28)	(33)
Carrot	Cot	Black Board	Letter Box	Doll	Frock	Iron
(4)	(9)	(14)	(19)	(24)	(29)	
Sewing Machine	Telephone	Almanac	Coconut tree bearing fruit	Kerosene	Kettle	
(10)	(15)	(20)	(25)	(30)		
Coat	Boat	Television	Hockey and Ball	Scissors	Lady Purse	

अन्य राज्यों के राज्यीय तत्व एवं उनके आरक्षित प्रतीक (संशोधित)

मारपालिका निवारण (पु. क. १)

१. आच्य प्रदेश

(१) तेलगु गढ़ भाषित



कार

(१) Telangana Rashtra Samithi	(२) Tuluju Desam	(३) उबना श्रीकलं राष्ट्र
१. Andhra Pradesh	२. Tuluju Desam	३. उबना श्रीकलं राष्ट्र

(१) All India Trinamool Congress	(२) Peoples Party of Arunachal
२. Arunachal Pradesh	

(१) Hariyana Janhit Congress (B.L.)	(२) Indian National Lok Dal
३. Haryana	

(१) अंत शिवाय राष्ट्रीय कांगड़	(२) गुजरात भाषी ओक
४. गुजरात	५. गुजरात



सांकेति

(१) गुजरात भाषी ओक	(२) गुजरात
५. गुजरात	

(१) अंत शिवाय राष्ट्रीय कांगड़	(२) गुजरात भाषी ओक
६. गुजरात	

(१) गुजरात भाषी ओक	(२) गुजरात
७. गुजरात	



गुजरात

(१) गुजरात भाषी ओक	(२) गुजरात
८. गुजरात	

(१) गुजरात भाषी ओक	(२) गुजरात
९. गुजरात	

(१) गुजरात भाषी ओक	(२) गुजरात
१०. गुजरात	



मैट

(१) गुजरात भाषी ओक	(२) गुजरात
११. गुजरात	

(१) गुजरात भाषी ओक	(२) गुजरात
१२. गुजरात	



लॉक & की

(१) गुजरात भाषी ओक	(२) गुजरात
१३. गुजरात	

(१) गुजरात भाषी ओक	(२) गुजरात
१४. गुजरात	



लाय

(१) गुजरात भाषी ओक	(२) गुजरात
१५. गुजरात	

(१) गुजरात भाषी ओक	(२) गुजरात
१६. गुजरात	



ट्रैक्टर

(१) गुजरात भाषी ओक	(२) गुजरात
१७. गुजरात	



स्पेसियल

(१) गुजरात भाषी ओक	(२) गुजरात
१८. गुजरात	



बैना

(१) गुजरात भाषी ओक	(२) गुजरात
१९. गुजरात	



बौहं और कॉर्स

(१) गुजरात भाषी ओक	(२) गुजरात
२०. गुजरात	



हरियाली

(१) गुजरात भाषी ओक	(२) गुजरात
२१. गुजरात	



पेन और इन्क

(१) गुजरात भाषी ओक	(२) गुजरात
२२. गुजरात	



प्लॉग

(१) गुजरात भाषी ओक	(२) गुजरात
२३. गुजरात	



बाइक

(१) गुजरात भाषी ओक	(२) गुजरात
२४. गुजरात	



पेन और इन्क

(१) गुजरात भाषी ओक	(२) गुजरात
२५. गुजरात	



पेन और इन्क

(१) गुजरात भाषी ओक	(२) गुजरात
२६. गुजरात	



पेन और इन्क

(१) गुजरात भाषी ओक	(२) गुजरात
२७. गुजरात	



पेन और इन्क

(१) गुजरात भाषी ओक	(२) गुजरात
२८. गुजरात	



पेन और इन्क

(१) गुजरात भाषी ओक	(२) गुजरात
२९. गुजरात	



पेन और इन्क

(१) गुजरात भाषी ओक	(२) गुजरात
३०. गुजरात	



पेन और इन्क

(१) गुजरात भाषी ओक	(२) गुजरात
३१. गुजरात	



पेन और इन्क

(१) गुजरात भाषी ओक	(२) गुजरात
३२. गुजरात	



पेन और इन्क

(१) गुजरात भाषी ओक	(२) गुजरात
३३. गुजरात	



पेन और इन्क

(१) गुजरात भाषी ओक	(२) गुजरात
३४. गुजरात	



पेन और इन्क

(१) गुजरात भाषी ओक	(२) गुजरात
३५. गुजरात	



पेन और इन्क

(१) गुजरात भाषी ओक	(२) गुजरात
३६. गुजरात	




पेन और इन्क


(१) गुजरात भाषी ओक	(२) गुजर

अन्य राज्यों के राज्यीय दल एवं उनके आरक्षित प्रतीक (संशोधित)

9. काशीक

 सिं पा भान ले जाती हुई खेत की महिला	 आवृद्धि नहीं
 (1) Janata Dal (Secular)	 (2) Karnataka Janata Party



10. केतल

 सिं पा भान ले जाती हुई खेत की महिला	 दो पत्तियाँ	 सोनी	 काला पंख बैलबा
 (1) Janata Dal (Secular)	 (2) Kerala Congress (M)	 (3) Indian Union Muslim League	 (4) Revolutionary Socialist Party



11. महाराष्ट्र

 रेलवे इंजन	 दीर्घ-कमान
 (1) Maharashtra Navnirman Sena	 (2) Shiv Sena



12. मणिपुर

 दुध	 सोर	 विद्याम
 (1) United Democratic Party	 (2) Hill State Peoples Democratic Party	 (3) National Peoples Party


13. मेघालय

 मुँगा	 सांड	 शंख
 (1) All India Trinamool Congress	 (2) Manipur State Congress Party	 (3) Naga People's Front

14. मिजोरम

 सिंह	 प्रकाश	 सूर्य
 (1) Mizoram National Front	 (2) Mizoram People's Conference	 (3) Zoren Nationalist Party

15. नगालैण्ड

 मुँगा	 सांड	 शंख
 (1) N.C.T. of Delhi	 (2) Orissa	 (3) Mizoram


नगरपालिका निवाचन (प.क. 2)

अन्य राज्यों के राजीव दल एवं उनके आस्थित प्रतीक (संशोधित)

नगरपालिका निवारण (पु. का. ३)


18. पुडुचेरी

- (1) अंत मुद्रिता अना नीद मुनेत्र (2) अंत मुद्रिता ए. आ. कोर्ट
कर्णाल (3) नीद चुनाव कर्णाल (4) प्रदेशी समाज कानून



19. पंजाब


- (1) शिवामी अकाली दल (2) आ. अट्टो फर्ने
(3) शिवामी अकाली दल (4) शिवामी आकाली दल



19. Punjab


20. सिक्खिका

- (1) सिक्खिका देवोटिक फ़र्ड (2) सिक्खिका ज्ञानितारी मार्ग
(1) सिक्खिका अकाली दल (2) सिक्खिका ज्ञानितारी मार्ग




21. तमिलनाडु

- (1) अंत मुद्रिता अना
देवदुर्ग मुनेत्र कर्णाल
दो भजने



22. तेलंगाना


- (1) अंत मुद्रिता प्रवासित-ए-



22. Telangana


23. विहु

- ज्योति शिविरा वृषभल काङ्ग




24. उत्तर भद्रेश

- (1) योग दोक दल (2) समवयदी पर्दी



25. परिवाप्त ब्राह्मण

- (1) औंत मुद्रिता भारती ब्राह्मण (2) औंत मुद्रिता ब्राह्मण चंगेत (3) विवेष्यामी भारती प्रवासित वर्षी



24. उत्तर प्रदेश

25. वेस्ट बंगल

- (1) All India Forward Block (2) All India Trinamool Congress (3) Revolutionary Socialist Party

निर्वाचन हेतु जिलों में नगरीय निकायों के पर्यावेक्षण हेतु प्रेक्षकों की नियुक्ति संबंधी सूची (✓)

क्रमांक	जिला	प्रेक्षक का नाम
1	2	3
1.	दतिया	<p>1. श्री एस.पी. गुप्ता, आई.ए.एस. (सेवा निवृत्त) बी-4, कुशल नगर, खेडपाति हनुमान मंदिर के पीछे, ग्वालियर, फोन नं.-5053214, 9826475966</p> <p>2. श्री हरिशंकर रावत, रा.प्र.से. (सेवा निवृत्त) ई-2/11-अरेठा कॉलोनी, भोपाल मो.-9425661016</p>
2.	मुरैना	<p>1. श्री आर.के. गोयल, आई.ए.एस. (सेवा निवृत्त) 119, गार्डन होम्स फेस II प्रथम तल अलकापुरी के पास, सिटी सेन्टर, ग्वालियर, मो.-9977346220</p> <p>2. श्री ए.के. मान्दलिया, रा.प्र.से. (सेवा निवृत्त) डी.-39, चार इमली, भोपाल मो.-9424019289</p>
3.	दमोह	<p>1. श्री विजय बहादुर, आई.एफ.एस. (सेवा निवृत्त) सी.-5, कम्फर्ट इनक्लेव, चुना भट्टी, कोलार रोड, भोपाल, मो.-9425029583</p> <p>2. श्री के.डी. मिश्रा, आई.ए.एस. (सेवा निवृत्त) गली नं.-10, राजेन्द्र नगर, सतना, म.प्र. फोन नं.-07672-226303, मो. 9425439693</p>
4.	भिण्ड	<p>1. श्री एल.एन. सोनी, राज्य प्रशासनिक सेवा (सेवा निवृत्त) 273/9बी, साकेत नगर, हबीबगंज, भोपाल, मो.-9425369814</p> <p>2. श्री चन्द्रशेखर बालिम्बे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, गैप आई.टी., भोपाल मो.-9424646335</p>
5.	श्योपुर	<p>श्री नरेन्द्र सिंह भदौरिया, राज्य प्रशासनिक सेवा (सेवा निवृत्त) हाल-जिला प्रबंधक, लोक सेवा गारंटी, जिला मुरैना, मो.-9425130032</p>
6.	जबलपुर	<p>1. श्री वी.सी. रावत, आई.ए.एस. (सेवा निवृत्त) 13, एच.आई.जी. 'ए' विद्यानगर, होशंगाबाद रोड, भोपाल, फोन नं.-9425126655</p> <p>2. श्री ए.एन. तिवारी, आई.ए.एस. (सेवा निवृत्त) ए-02, लेक पैलेस, चुना भट्टी, कोलार रोड, भोपाल, फोन नं.-2428579, मो.-9425008508</p>

1 2

3

7. होशंगाबाद 1. श्री शरद चरन दुबे,
रा.पु.से. (सेवा निवृत्त)
119, ग्रीन पार्क कॉलोनी, बैरसिया रोड, भोपाल, मो.-9200001122, 9200011192
2. श्री प्रमोद शुक्ला,
संयुक्त नियंत्रक,
खाद्य एवं औषधि प्रशासन, भोपाल, मो.-94256560460
8. भोपाल 1. श्री डी.पी. तिवारी,
(बैरसिया) आई.ए.एस. (सेवा निवृत्त)
ई-5/50ए, अरेरा कॉलोनी, भोपाल, मो.-9425012607
9. छतरपुर 1. श्री के.एम. जौहरी,
भा.व.से. (सेवा निवृत्त)
एफ-7, कम्प्टर गार्डन, चूना भट्टी, भोपाल, मो.-9827164423
2. श्री एस.एन. शुक्ला,
रा.प्र.से. (सेवा निवृत्त)
गली नम्बर-7, जवाहर नगर, सतना, जिला सतना (म.प्र.) मो.-9425137923
10. मन्दसौर 1. श्री रामेश्वर गुप्ता,
राज्य प्रशासनिक सेवा (सेवा निवृत्त)
एफ.एच. 383, स्कीम नं. 54, विजय नगर, इन्दौर (म.प्र.) मो.-9425057333
2. श्री रवि अतरोलिया,
उप पुलिस अधीक्षक (सेवा निवृत्त)
178, सत्यम विहार, नियम बजरंग नगर, इन्दौर, जिला इन्दौर, मो.-9425054059
11. इन्दौर 1. श्री मोती सिंह,
आई.ए.एस. (सेवा निवृत्त)
सीनियर एम.आई.जी.-1, अंकुर कॉलोनी, शिवाजी नगर, भोपाल, फोन नं.-2551569 मो.-9425008160
2. श्री उमाकान्त पाण्डे,
आई.ए.एस. (सेवा निवृत्त)
प्रबंधक, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, भोपाल, म.प्र. मो.-9893345178
12. बैतूल 1. श्री आर.के. दीक्षित,
भा.व.से. (सेवा निवृत्त)
शालीमार पार्क, कोलार रोड, भोपाल मो.-9425149735, दूरभाष-2492801
2. श्री आशीष सक्सेना,
उप सचिव
आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल म.प्र., मो.-9425084677
13. विदिशा 1. श्रीमती गीता मिश्रा,
आई.ए.एस. (सेवा निवृत्त)
एफ-108/63, शिवाजी नगर, भोपाल, मो.-94259637532

1

2

3

14. शिवपुरी 1. श्री जी.पी. कबीरपंथी,
आई.ए.एस. (सेवा निवृत्त)
ई-6/112, अरेरा कॉलोनी, भोपाल, पिन कोड-462016, मो.-9425176961
2. श्री व्ही.एन. दुबे,
डी.एस.पी. (सेवा निवृत्त)
ए-14, द्वारकापुरी, नियर प्रेमनगर ग्वालियर, जिला ग्वालियर, मो.-9039711451
15. गुना 1. श्री अखिलेन्दु अरजरिया,
आई.ए.एस. (सेवा निवृत्त)
57, शारदा विहार, सिटी सेन्टर, ग्वालियर 0751-4040167, मो.-9425126744
16. पन्ना 1. श्री आर.एस. कनेरिया,
राज्य प्रशासनिक सेवा (सेवा निवृत्त)
135/9बी, साकेत नगर, भोपाल, फोन. नं.-0755-2485466, मो.-9425302476
2. श्री एम.एल. द्विवेदी,
राज्य प्रशासनिक सेवा (सेवा निवृत्त)
जे.सी. रोड, राज वाटिका के पास, चाणक्यपुरी पड़ा, जिला रीवा, मो.-9425173797
17. अशोकनगर 1. श्री मदनलाल कौरव,
राज्य प्रशासनिक सेवा (सेवा निवृत्त)
186, इण्डस एम्पायर, शाहपुरा थाने के पास, भोपाल, मो.-9425028818
18. खण्डवा 1. श्री व्ही.एन. पचौरी,
आई.पी.एस. (सेवा निवृत्त)
डी-7, जजेस इन्क्लेव, रेडियो कॉलोनी, इन्दौर, जिला इन्दौर (म.प्र.), मो.-9329820003
2. श्री पी.के. वर्मा,
रा.प्र.से. (सेवा निवृत्त)
बी.एच.-27, सोकल्या नियर बापट चौराह, जिला इन्दौर मो.-9425103928
19. बुरहानपुर 1. श्री एस.के. वशिष्ठ,
आई.ए.एस. (सेवा निवृत्त)
ए.बी.-61, विजयनगर, स्कीम नं.-554, इन्दौर (म.प्र.), मो.-9826030021
20. खरगौन 1. श्री एम.एस. भिलाला,
आई.ए.एस. (सेवा निवृत्त)
“बापू स्मृति”-261, महाश्वेता नगर, उज्जैन (म.प्र.), मो.-9425093588
2. श्री चन्द्रकान्ता भॉवरे,
डी.एस.पी. (सेवा निवृत्त)
2438, ई सेक्टर, सुदमा नगर, इन्दौर म.प्र., पिन कोड-452009, मो.-9425901408

1

2

3

21. शाजापुर 1. श्री हरिसिंह शेखावत,
आई.ए.एस. (सेवा निवृत्त)
32/1, नंदा नगर, मैन रोड, इन्दौर, मो.-9425148566
2. श्री जे.एस. मण्डलोई,
रा.प्र.से. (सेवा निवृत्त)
239, एमेरॉल्ड पार्क, सिटी कॉलोनी, एम्स हॉस्पिटल के पास, बागसेवनिया, भोपाल मो.-9425018822
22. रीवा 1. श्री हीरालाल प्रजापति,
आई.ए.एस. (सेवा निवृत्त)
9, जेक्षन, इनक्लेव, कृष्णा बिला-साऊथ सिविल लाइन, जबलपुर, मो.-942500900
2. श्री अवधेश कुमार सिंह,
भारतीय वन सेवा (सेवा निवृत्त)
बी-218, फार्चन प्राईट, ई-8, इंकेशन, अरेरा कॉलोनी, भोपाल मो.-9407278158
23. आगर मालवा 1. श्री शैलेन्द्र खरे,
रा.प्र.से. (सेवा निवृत्त)
फ्लेट नं.-2सी, आर्चट रेसीडेंसी, कोलार रोड, भोपाल, मो.-9425150437
2. श्री मदन सिंह ठाकुर,
राज्य प्रशासनिक सेवा (सेवा निवृत्त)
108, प्रकाश नगर, नवलखा के पास, जिला इन्दौर, मो.-9425345067
24. टीकमगढ़ 1. श्री राजेश कौल,
उप सचिव
सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ वभन, भोपाल म.प्र., मो.-9425650045
2. श्री बी.के. शर्मा,
डिप्टी कमिश्नर (सेवा निवृत्त)
365, सुरेश नगर, थाटीपुर, मुरार, ग्वालियर, मो.-9406970139
25. सागर 1. श्री जे.एन. पाण्डे,
आई.ए.एस. (सेवा निवृत्त)
ए-33, शाहपुरा, भोपाल, फोन नं.-4296218, मो.-9229475437, 9425605586
2. श्री रविन्द्र कुमार चौधरी,
उप सचिव
वाणिज्य कर विभाग, मंत्रालय, वल्लभव भवन, भोपाल म.प्र., मो.-9425177331
26. धार 1. श्री एस.डी. शर्मा,
रा.प्र.से. (सेवा निवृत्त)
सी.एच.-90, स्कीम क्रमांक-74 "सी" विजय नगर, इन्दौर मो.-9826975500, फोन नं.-0731-2558526

1	2	3
27.	सतना	<p>1. श्री कृष्ण मोहन गौतम, आई.ए.एस. (सेवा निवृत्त) 26, परस्पर नगर, नर्मदा नगर चौराहा, अन्नपूर्णा रोड, इन्दौर (म.प्र.), मो.-9425047345</p> <p>2. श्री वी.जी. पाण्डे, रा.प्र.से. (सेवा निवृत्त) प्रेमनगर, वार्ड नं.-26, बालाघाट, जिला बालाघाट (म.प्र.), मो.-9425161325</p>
28.	ग्वालियर	<p>1. श्री आर.आर. गंगारेकर, आई.ए.एस. (सेवा निवृत्त) मकान नं.-2, पारिका सोसायटी, चूना भट्टी, कोलार रोड, भोपाल, फोन नं.-2429936, मो.-9424473728</p> <p>2. श्री उपेन्द्र नाथ शर्मा, उप सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ बघन, भोपाल, मो.-9425122831</p>
29.	उज्जैन	<p>1. श्री अजीत श्रीवास्तव, भारतीय पुलिस सेवा (सेवा निवृत्त) 7, कचनार, (लोटस विला), ग्रीन मेडोज, अरेरा हिल्स, दूरभाष-0755-2672244, मो.-9407890001</p> <p>2. श्री शरदचन्द्र शुक्ला, रा.प्र.से. (सेवा निवृत्त) क्लालिटी पैराडाइज, एस.पी.-5, दानिश कुंज, केम्फोट स्कूल, कोलार रोड, भोपाल, मो.-9425437642</p>
30.	सीधी	<p>1. श्री योगेन्द्र द्विवेदी, राज्य प्रशासनिक सेवा (सेवा निवृत्त) गुरुकृपा भवन, छोटी पुल के पास, सतना रोड, रीवा, जिला रीवा (म.प्र.), मो.-9425325551, 9100668555</p>
31.	छिन्दवाड़ा	<p>1. श्री एस.सी. आर्य, आई.ए.एस. (सेवा निवृत्त) ए-18, लक्ष्मी भवन, लेकपर्ल रेसीडेन्सी, ई-8, एक्सटेंशन अरोरा, कॉलोनी, भोपाल, मो.-9425041601</p> <p>2. श्री मुन्शी सिंह राणा, भा.व.से. (सेवा निवृत्त) 58, छत्रपति शिवाजी गृह निर्माण समिति, चूना भट्टी, कोलार रोड, भोपाल, मो.-9926200024</p>
32.	उमरिया	<p>1. श्री के.सी. मिश्रा, राज्य प्रशासनिक सेवा (सेवा निवृत्त) 5-मास्टर प्लान कॉलोनी, सिविल लाईन, सतना, जिला सतना, फोन नं.-07672-222216 मो.-9425323223</p>
33.	सिवनी	<p>1. श्री आई.एस. मरकाम, राज्य प्रशासनिक सेवा (सेवा निवृत्त) सिविल लाईन (मुलैया टोला), डिण्डोरी (म.प्र.), 481880, मो.-8959382350</p> <p>2. श्री एम.एस. पटेल, राज्य प्रशासनिक सेवा (सेवा निवृत्त) 710, मदन महल स्टेशन के पास, नरसिंह वार्ड, जिला जबलपुर, मो.-9425167800</p>

1 2

3

34. कटनी श्री विजय आनन्द कुरील,
आई.ए.एस. (सेवा निवृत्त)
म.नं.-128/129, ए.पी.आर. कॉलोनी, कटंगा, नर्मदा रोड, सदर बाजार, जबलपुर, मो.-9425150842
35. शहडोल श्री शंकर दयाल द्विवेदी,
राज्य प्रशासनिक सेवा (सेवा निवृत्त)
अनुपमा कार्येंट हायर सेकेन्डरी स्कूल के पास, मरहत नगर, सतना (म.प्र.), मो.-9425185781
36. हरदा श्री समरजीत मुखर्जी,
राज्य प्रशासनिक सेवा (सेवा निवृत्त)
43, जूनियर एम.आई.जी. हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा, मो.-9425176410, 8889911574
37. रायसेन 1. श्री प्रदीप खरे,
आई.ए.एस. (सेवा निवृत्त)
मनोशिवम, एच.एक्स-2, (1100 क्वार्टर्स के सामने) ई-7, अरेठा कॉलोनी, भोपाल, मो.-9425085107
2. श्री ए.आर. खान,
राज्य प्रशासनिक सेवा (सेवा निवृत्त)
169, ए नवी नगर, ऐश्वर्य स्टेडियम, भोपाल म.प्र., मो.-9993176282
38. देवास 1. श्री राजेन्द्र शर्मा,
आई.ए.एस. (सेवा निवृत्त)
15, विन्डसर फेज-2, चूना भट्टी, भोपाल, मो.-9425074303
2. श्री एच.एन. गुरु,
रा.पु.से. (सेवा निवृत्त)
7, सनसिटी, महालक्ष्मीनगर, बाम्बे अस्पताल के पास, इन्दौर, जिलो इन्दौर, मो.-8923999999, 9425315999
39. बालाघाट 1. श्री आर.पी. विसोने,
आई.पी.एस. (सेवा निवृत्त)
बी-92, अलकापुरी, साकेत नगर, भोपाल, मो.-9826697399
2. श्री बी.एस. श्रीवास्तव,
आई.ए.एस. (सेवा निवृत्त)
853, विजयनगर, त्रिमूर्ति स्कूल के पास, जबलपुर-482002, फोन नं.-0761-2424623, मो.-9993528333
40. राजगढ़ 1. श्री बी.के. रमोले,
आई.ए.एस. (सेवा निवृत्त)
ई5112/02, शिवाजी नगर, भोपाल, फोन नं.-2760872, मो.-9827978450
2. श्री किशोर कन्याल,
कार्यपालक सहायक
खनिज निगम, भोपाल म.प्र., मो.-9425116934
3. श्री अनूप तिवारी,
रा.प्र.से. (सेवा निवृत्त)
गोयल डुपलेक्स, नं.-3, जी-3/475 के सामने, गुलमोहर कॉलोनी, भोपाल, मो.-9425150437

1	2	3
41.	रतलाम	1. श्री अरूण कुमार तोमर, उप सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ बघन, भोपाल, मो.-8989012912 2. श्री मांगीलाल जामनेर, राज्य प्रशासनिक सेवा (सेवा निवृत्त) नौलखा चौराहा, इन्दौर (म.प्र.), मो.-9977763747
42.	झाबुआ	श्री एम.एल. बोरीवाल, राज्य प्रशासनिक सेवा (सेवा निवृत्त) 10, एच.आई.जी. त्रिलोक नगर, जिला देवास, मो.-9425046901
43.	सीहोर	1. श्री डी.पी. दुबे, आई.ए.एस. (सेवा निवृत्त) एच.आई.जी.-90, सेक्टर-ए, विद्यानगर, भोपाल, फोन नं.-0755-32448625, मो.-9826051912 2. श्री केदार सिंह, मुख्य महाप्रबंधक, म.प्र. विद्युत वितरण कम्पनी, भोपाल (म.प्र.), मो.-9406913344
44.	सिंगरौली	श्री ओ.पी. श्रीवास्तव, उप सचिव, परिवहन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल म.प्र., मो.-9425042643
45.	नरसिंहपुर	1. श्री नरेन्द्र कुमार त्रिवेदी, राज्य प्रशासनिक सेवा (सेवा निवृत्त) 2-ए सेक्टर, एम.आई.जी.-38, साकेत नगर, भोपाल, मो.-9425428520 2. श्री जी.एस. चौहान, राज्य प्रशासनिक सेवा (सेवा निवृत्त) बी.-74, राजूल टाउनसीप, मण्डला रोड, जबलपुर, जिला जबलपुर, मो.-9039416622
46.	नीमच	1. श्री आर.के. प्रधान, आई.एफ.एस. (सेवा निवृत्त) द्वारा-डॉ. निधि प्रधान, विक्रम नगर छोर, क्वा. नं. बी-5/3, तहसील जावद, जिला नीमच (म.प्र.), मो.-9407156733 2. श्री अमर सिंह चन्देल, राज्य प्रशासनिक सेवा (सेवा निवृत्त) फ्लेट 4बी, आर्जेन्ट रेसीडेंसी, कोलार रोड, गुरु कृष्ण टावर के पास, भोपाल म.प्र., मो.-9424932700 3. श्री शरद कुमार श्रोत्रिय, राज्य प्रशासनिक सेवा (सेवा निवृत्त) एफ-3, रेडियो कॉलोनी, रेसीडेंसी एसिया, जिला इन्दौर म.प्र., मो.-9827229515.

नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2014-15

क्रमांक	जिला	प्रेक्षक का नाम
1	2	3
1.	भोपाल	<p>1. श्री मोती सिंह, आई.ए.एस. (सेवा निवृत्त) सीनियर एम.आई.जी.-1, अंकुर कॉलोनी, शिवाजी नगर, भोपाल, फोन नं.-2551569 मो.-9425008160</p> <p>2. श्रीमती भावना वालिम्बे, उप सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, (पूल) मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल</p>
2.	इन्दौर	<p>1. श्री डी.पी. तिवारी, आई.ए.एस. (सेवा निवृत्त) ई-5/50ए, अरोरा कॉलोनी, भोपाल, मो.-9425012607</p> <p>2. श्री रविन्द्र कुमार चौधरी, उप सचिव वाणिज्य कर विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल म.प्र., मो.-9425177331</p> <p>3. श्री नरेन्द्र कुमार त्रिवेदी, राज्य प्रशासनिक सेवा (सेवा निवृत्त) 2-ए सेक्टर, एम.आई.जी.-38, साकेत नगर, भोपाल, मो.-9425428520</p> <p>4. श्री जी.पी. तिवारी, आई.ए.एस. (सेवा निवृत्त) प्लाट नं.-4, सेक्टर-आर, महालक्ष्मी नगर, बाम्बे हास्पिटल के सामने, इन्दौर (म.प्र.), मो.-9425423</p>
3.	जबलपुर	<p>1. श्री ए.एन. तिवारी, आई.ए.एस. (सेवा निवृत्त) ए-02, लेक पैलेस, चुना भट्टी, कोलार रोड, भोपाल, फोन नं.-2428579, मो.-9425008508</p> <p>2. श्री संजीव श्रीवास्तव, उप सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल.</p>
4.	छिन्दवाड़ा	<p>1. श्री वी.सी. रावत, आई.ए.एस. (सेवा निवृत्त) 13, एच.आई.जी. 'ए' विद्यानगर, होशंगाबाद रोड, भोपाल, फोन. नं.-9425126655</p> <p>3. श्री शरद कुमार श्रोत्रिय, राज्य प्रशासनिक सेवा (सेवा निवृत्त) एफ-3, रेडियो कॉलोनी, रेसीडेंसी एरिया, जिला इन्दौर म.प्र., मो.-9827229515</p>
5.	दमोह	<p>श्री वी.जी. पाण्डे, रा.प्र.से. (सेवा निवृत्त) प्रेमनगर, वार्ड नं.-26, बालाघाट, जिला बालाघाट (म.प्र.), मो.-9425161325</p>

1

2

3

नगरपालिका के आम/उप निर्वाचन वर्ष 2014-15 हेतु मतपत्रों के मुद्रण हेतु जिलों का
शासकीय मुद्रणालयों से सम्बद्धीकरण

स.क्र.	शासकीय मुद्रणालय का नाम	सम्बद्ध जिले का नाम
1	2	3
1.	शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल	1. रीवा, 2. नरसिंहपुर, 3. छिन्दवाड़ा, 4. सिवनी, 5. मण्डला, 6. डिण्डौरी, 7. बालाघाट, 8. शाजापुर, 9. हरदा, 10. होशंगाबाद, 11. बैतूल, 12. रायसेन 13. विदिशा, 14. सीहोर, 15. इन्दौर, 16. खण्डवा, 17. बुरहानपुर, 18. भोपाल, 19. राजगढ़.
2.	शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर	1. जबलपुर, 2. दमोह, 3. सागर, 4. छतरपुर, 5. टीकमगढ़, 6. शिवपुरी, 7. दतिया, 8. गुना, 9. अशोकनगर, 10. भिण्ड, 11. श्योपुर, 12. मुरैना, 13. पन्ना. 14. ग्वालियर.
3.	शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, इन्दौर	1. धार, 2. खरगौन, 3. बड़वानी, 4. झावुआ, 5. अलिराजपुर, 6. मन्दसौर, 7. नीमच, 8. रतलाम, 9. उज्जैन, 10. देवास, 11. आगर-मालवा.
4.	शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, रीवा	1. शहडोल, 2. अनूपपुर, 3. उमरिया, 4. कटनी, 5. सतना, 6. सीधी, 7. सिंगरौली.

नगरपालिका निर्वाचन

के लिए

आदर्श आचरण संहिता

इस संहिता के प्रावधान राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के दिनांक से निर्वाचन परिणाम घोषित होने तक प्रभावशील रहेंगे।

भाग-एक-राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों के लिए

1. सामान्य आचरण :—

- (1) किसी भी दल या अभ्यर्थी को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे किसी धर्म, सम्प्रदाय या जाति के लोगों की भावना को ठेस पहुंचे या उनमें विद्वेष या तनाव पैदा हो।
- (2) मत प्राप्त करने के लिए धार्मिक, साम्प्रदायिक या जातीय भावनाओं का सहारा नहीं लिया जाना चाहिये।
- (3) पूजा के किसी स्थल जैसे कि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा आदि का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जाना चाहिए।
- (4) किसी अभ्यर्थी के व्यक्तिगत जीवन के ऐसे पहलुओं की आलोचना नहीं की जाना चाहिए जिनका संबंध उसके सार्वजनिक जीवन या क्रियाकलापों से न हो और न ही ऐसे आरोप लगाये जाना चाहिए जिनकी सत्यता स्थापित न हुई हो।
- (5) किसी राजनैतिक दल की आलोचना उसकी नीति और कार्यक्रम पूर्व इतिहास और कार्य तक ही सीमित रहनी चाहिए, दल और उसके कार्यकर्ताओं की आलोचना असत्यापित आरोपों पर आधारित नहीं की जानी चाहिए।
- (6) प्रत्येक व्यक्ति के शान्तिपूर्ण घरेलू जीवन के अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए, चाहे उसके राजनैतिक विचार कैसे भी क्यों न हों। किसी भी व्यक्ति के कार्यों या विचारों का विरोध करने के लिए किसी दल या उम्मीदवार द्वारा ऐसे व्यक्ति के घर के सामने धरना देने, नारेबाजी करने या प्रदर्शन करने की कार्यवाही का कर्तव्य समर्थन नहीं किया जाना चाहिए।
- (7) राजनैतिक दलों तथा अभ्यर्थियों को ऐसे सभी कार्यों से परहेज करना चाहिए जो चुनाव के कानून के अन्तर्गत अपराध हों, जैसे कि:—
 - (i) ऐसा कोई पोस्टर, इश्तहार, पैम्पलेट या परिपत्र निकालना, जिसमें मुद्रक और प्रकाशक का नाम और पता न हो,
 - (ii) किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन की संभावना पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के उद्देश्य से उसके व्यक्तिगत आचरण और चरित्र या उम्मीदवारी के संबंध में ऐसे कथन या समाचार का प्रकाशन करना जो मिथ्या हो या जिसके सत्य होने का विश्वास न हो,
 - (iii) किसी अन्य अभ्यर्थी अथवा राजनैतिक दल की चुनाव-सभा में गड़बड़ी करना या विघ्न डालना,
 - (iv) मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले अड़तालीस घंटों की कालावधि के दौरान सार्वजनिक सभा करना,
 - (v) मतदाताओं को रिश्वत या किसी प्रकार का पारितोषिक या प्रलोभन देना,
 - (vi) मतदान केन्द्र के 100 मीटर के अन्दर किसी प्रकार का चुनाव प्रचार करना या मत संयाचना करना,
 - (vii) मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाने एवं/या वापिस ले जाने के लिए वाहनों का उपयोग करना,

- (viii) मतदान केन्द्र में या उसके आसपास विश्रृंखल आचरण करना या मतदान केन्द्र के अधिकारियों के कार्य में बाधा डालना।
- (ix) मतदाताओं का प्रतिरूपण करना अर्थात् गलत नाम से मतदान करने या कराने का प्रयास करना।
- (8) मतदान समाप्त होने के समय से 48 घण्टे पूर्व से शराब की दुकानें बंद रखी जाएंगी। अतः इस अवधि में किसी अभ्यर्थी या उसके समर्थकों एवं कार्यकर्ताओं द्वारा न तो शराब खरीदी जाय और न ही किसी को पेश या वितरित किया जाए।
- (9) किसी भी अभ्यर्थी या उसके समर्थकों एवं कार्यकर्ताओं द्वारा किसी व्यक्ति की भूमि, भवन, अहते या दीवार का उपयोग झण्डा टांगने, पोस्टर चिपकाने, नारे लिखने आदि प्रचार कार्यों के लिए, उसकी अनुमति के बगैर नहीं किया जाना चाहिए। शासकीय एवं सार्वजनिक भवन, उनके अहते या अन्य परिसम्पत्तियों का उक्त प्रयोजन हेतु उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
- (10) किसी भी दल या अभ्यर्थी द्वारा या उसके पक्ष में लगाये गये झण्डे या पोस्टर दूसरे दल या अभ्यर्थी के कार्यकर्ताओं द्वारा नहीं हटाये जाने चाहिए।
- (11) राजनीतिक दलों अथवा उम्मीदवारों द्वारा मतदाताओं को दी जाने वाली पहचान पर्चियाँ सादे कागज पर होनी चाहिए और उनमें उम्मीदवार का नाम या चुनाव चिन्ह नहीं होना चाहिए। पर्ची में मतदाता का नाम, उसके पिता/पति का नाम, वार्ड क्रमांक, मतदान केन्द्र क्रमांक तथा मतदाता सूची में उसके सरल क्रमांक के अलावा और कुछ नहीं लिखा होना चाहिए।
- (12) मतदान शान्तिपूर्वक तथा सुचारू रूप से सम्पन्न कराने में निर्वाचन कर्तव्य पर तैनात अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग किया जाना चाहिए।

2. सभाएं एवं जुलूस :—

- (1) किसी हाट, बाजार या भोड़-भाड़ वाले सार्वजनिक स्थल पर चुनाव संभा के आयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति ली जानी चाहिए तथा स्थानीय पुलिस थाने में ऐसी सभा के आयोजन की पूर्व सूचना दी जानी चाहिए ताकि शान्ति और व्यवस्था बनाए रखने तथा यातायात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस आवश्यक प्रबंध वर सके।
- (2) प्रत्येक राजनैतिक दल या अभ्यर्थी को किसी अन्य दल या अभ्यर्थी द्वारा आयोजित सभा या जुलूस में किसी प्रकार की गड़बड़ी करने या बाधा डालने में अपने कार्यकर्ताओं तथा समर्थकों को रोकना चाहिए। यदि दो भिन्न-भिन्न दलों या उम्मीदवारों द्वारा पास-पास स्थित स्थानों में सभाएं की जा रही हों तो ध्वनि विस्तारक यंत्रों के मुंह विपरीत दिशाओं में रखे जाने चाहिए।
- (3) किसी अभ्यर्थी के समर्थन में आयोजित जुलूस ऐसे क्षेत्र या मार्ग से होकर नहीं निकाला जाना चाहिए जिसमें कोई प्रतिबन्धात्मक आदेश लागू हों। जुलूस के निकलने के स्थान, समय और मार्ग तथा समापन के बारे में संबंधित स्थानीय पुलिस थाने में कम से कम एक दिन पूर्व सूचना दी जानी चाहिए। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि जुलूस के कारण यातायात में कोई बाधा न हो।
- (4) जुलूस में शामिल लोगों को ऐसी चीजें लेकर चलने से रोका जाना चाहिए, जिनको लेकर चलने पर प्रतिबंध हो या जिनका उत्तेजना के क्षणों में दुरुपयोग किया जा सके।
- (5) प्रत्येक अभ्यर्थी या राजनैतिक दल को किसी अन्य अभ्यर्थी या दल अथवा किसी समुदाय विशेष के नेताओं के पुतले लेकर चलने या उन्हें किसी सार्वजनिक स्थान में जलाए जाने तथा इसी प्रकार के अन्य प्रदर्शन का आयोजन करने से अपने कार्यकर्ताओं को रोकना चाहिए।
- (6) सभाओं एवं जुलूसों के आयोजन के दौरान तीव्र संगीत एवं ध्वनि विस्तारक का उपयोग करने के लिए सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति लेना चाहिए।

3. शासन और संस्थाओं के वाहनों आदि के उपयोग पर प्रतिबंध :—

शासकीय, सार्वजनिक उपक्रमों/प्राधिकरणों, स्थानीय निकायों, सहकारी संस्थाओं, कृषि उपज मंडियों या शासन से अनुदान अथवा अन्य सहायता प्राप्त करने वाली संस्थाओं के स्वयं के अथवा उनके द्वारा किराए पर अनुबंधित वाहनों, विमानों एवं अन्य संसाधनों (जैसे कि टेलीफोन, फैक्स) अथवा कर्मचारियों का उपयोग किसी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी के हित को आगे बढ़ाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए. ऐसे वाहनों आदि को उनके नियंत्रक अधिकारियों द्वारा निर्वाचन की घोषणा की तारीख से निर्वाचन समाप्त होने की तारीख तक, मंत्रिगण, सांसदों, विधायकों, नगरीय निकायों के पदाधिकारियों अथवा अभ्यर्थियों एवं उनके समर्थकों को उपलब्ध नहीं कराया जाना चाहिए.

4. * *निर्वाचन घोषणा-पत्र :—

- (1) निर्वाचन घोषणा-पत्र में ऐसी कोई बात नहीं होगी जो आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों में निहित भावना के अनुरूप न हो एवं जिससे निर्वाचन की शुचिता एवं निष्पक्षता किसी भी प्रकार से प्रभावित होती हो.
- (2) राजनैतिक दल या अभ्यर्थी को ऐसे वायदे करने से बचना चाहिए जो निर्वाचन प्रक्रिया के शुचित को दूषित करे या मतदाताओं पर उनके मताधिकार के प्रयोग में कोई अनुचित प्रभाव डाले.
- (3) पारदर्शिता एवं सभी अभ्यर्थियों को समान अवसर प्रदान करने की दृष्टि से यह अपेक्षित है कि घोषणा पत्रों में प्रस्तावित वायदों का औचित्य एवं उनकी पूर्ति हेतु वित्तीय साधन किस प्रकार जुटाये जायेंगे इसका स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए. मतदाताओं का विश्वास केवल ऐसे वायदों पर मांगा जाना चाहिए जिन्हें पूरा करना संभव हो.

**माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विशेष अनुमति याचिका (सिविल) क्रमांक 21455/2008-(एस सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडू सरकार एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 5-7-2013 में दिये गये निर्देशों के अनुसार निर्वाचन घोषणा-पत्र तैयार करने के संबंध में उक्त अपेक्षा को शामिल किया गया है।

भाग-दो-शासकीय विभागों एवं कर्मियों के लिए

- (1) निर्वाचन की घोषणा की तारीख से निर्वाचन समाप्त होने तक राज्य सरकार के किसी भी विभाग द्वारा ऐसा कोई आदेश पारित न किया जाए, जिससे चुनाव के सम्यक् संचालन में व्यवधान उपस्थित हो (जैसे कि कर्मचारियों के स्थानांतरण) या चुनाव की शुचिता और निष्पक्षता प्रभावित हो, जैसे कि किसी क्षेत्र या वार्ड के मतदाताओं को लाभान्वित करने की दृष्टि से कोई सुविधा या छूट देना या किसी नयी योजना का कार्य के लिए स्वीकृति जारी करना. इसी प्रकार इस अवधि में किसी भी नगरपालिका क्षेत्र के अन्तर्गत किसी निर्माण कार्य, सुविधा विस्तार या विकास कार्य आदि के लिए शासन का कोई भी विभाग निविदायें (टेन्डर) आहूत नहीं करेगा.
- (2) शासकीय कर्मचारियों को चुनाव में बिलकुल निष्पक्ष रहना चाहिए एवं यह उनके व्यवहार से भी परिलक्षित होना चाहिये. जनता को उनकी निष्पक्षता का विश्वास होना चाहिए तथा उन्हें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे ऐसी आशंका भी हो कि वे किसी दल या अभ्यर्थी की मदद कर रहे हैं.
- (3) चुनाव के दौरे के समय यदि कोई मंत्री, सांसद, विधायक अथवा सार्वजनिक उपक्रम, स्थानीय निकाय आदि का कोई पदाधिकारी किसी के निजी मकान अथवा परिसर पर आयोजित किसी कार्यक्रम का आमंत्रण स्वीकार कर लें तो शासकीय कर्मचारी को उसमें शामिल नहीं होना चाहिए, यदि कोई निमंत्रण पत्र प्राप्त हो तो उसे विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर देना चाहिए.
- (4) किसी सार्वजनिक स्थान पर चुनाव सभा के आयोजन हेतु अनुमति देते समय विभिन्न अभ्यर्थियों या राजनैतिक दलों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, यदि एक ही दिन और समय पर, एक से अधिक अभ्यर्थी या दल एक ही जगह पर सभा करना चाहते हों तो उस अभ्यर्थी या दल को अनुमति दी जानी चाहिए, जिसने सबसे पहले आवेदन-पत्र दिया है.

- (5) विश्राम गृहों या अन्य स्थानों में शासकीय आवास सुविधा का उपयोग सभी राजनैतिक दलों और अध्यर्थियों को उन्हीं शर्तों पर करने दिया जाना चाहिए, जिन शर्तों पर उनका उपयोग सत्ताधारी दल को करने की अनुमति दी जाती है। परन्तु किसी भी दल या अध्यर्थी को ऐसे भवन या उसके परिसर का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
- (6) (i) साधारणतः चुनाव के समय जो भी आमसभा आयोजित की जाए उसे चुनाव संबंधी सभा माना जाना चाहिए और उस पर कोई शासकीय व्यय नहीं किया जाना चाहिए, ऐसी सभा में उन कर्मचारियों को छोड़कर जिन्हें ऐसी सभा या आयोजन में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने या सुरक्षा के लिए तैनात किया गया हो, अन्य कर्मचारियों को शामिल नहीं होना चाहिए।
- (ii) यदि कोई मंत्री चुनाव के दौरान जिले के किसी नगरीय क्षेत्र या भ्रमण करें (जहां कि चुनाव होने वाले हों) तो ऐसा भ्रमण चुनावी दौरा माना जाना चाहिए और उसमें सुरक्षा के लिए तैनात कर्मचारियों को छोड़कर अन्य किसी शासकीय कर्मचारी को साथ नहीं रहना चाहिए, ऐसे दौरे के लिए शासकीय वाहन या अन्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जानी चाहिए।
- (7) निर्वाचन की घोषणा के दिनांक से निर्वाचन समाप्त होने तक मंत्रिगण या सांसदों या विधायकों द्वारा किसी नगरीय निकाय क्षेत्र में, जहां कि चुनाव होने वाले हों, स्वेच्छानुदान, जनसम्पर्क या क्षेत्र विकास राशि में से कोई अनुदान स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए और न ही किसी सहायता या अनुदान का आश्वासन दिया जाना चाहिए।
- (8) इस अवधि के दौरान ऐसे नगरीय निकाय के क्षेत्र के अन्तर्गत किसी योजना का, या नवीन नागरिक सुविधाओं या सेवाओं का, भले ही उनका निर्माण राज्य सरकार या संबंधित नगरीय निकाय द्वारा न किया गया हो या प्रस्तावित हो, शिलान्यास या उद्घाटन नहीं किया जाना चाहिए।
- (9) चुनाव के दौरान समाचार पत्रों तथा प्रचार के अन्य माध्यामों से, सरकारी खर्चे पर ऐसे विज्ञापन जारी नहीं किए जाने चाहिए जिनमें सत्ताधारी दल की उपलब्धियों को प्रचारित या रेखांकित किया गया हो या जिनसे सत्ताधारी दल को अपने दलीय हितों को आगे बढ़ाने में सहायता मिलती हो।

भाग-तीन-नगरपालिका के पदाधिकारियों एवं कर्मियों के लिए

(नोट:-इस भाग में नगरपालिका से अभिप्राय, यथास्थिति, नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषद् तथा नगर परिषद् से है।)

- नगरपालिका कर्मचारियों को चुनाव के दौरान अपना कार्य पूर्ण निष्पक्षता से करना चाहिए और ऐसा कोई आचरण और व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे यह आभास हो कि वे किसी दल या अध्यर्थी की मदद कर रहे हैं।
- निर्वाचन की घोषणा के दिनांक से निर्वाचन समाप्त होने के दिनांक तक :—
 - नगरपालिका के अधीन कोई नियुक्ति या स्थानान्तरण नहीं किया जाना चाहिए।
 - नगरपालिका क्षेत्र में किसी प्रकार के व्यवसाय या वृत्ति के लिए नवीन अनुज्ञापि नहीं दी जानी चाहिए।
 - नगरपालिका क्षेत्र में किसी नई योजना या कार्य के लिए स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए, वर्तमान सुविधाओं के विस्तार या उन्नयन का कोई कार्य (जैसे कि किसी सड़क को चौड़ा करना या डामरीकृत करना या नालियों को पक्का करना, नल-जल योजना का विस्तार करना, नये हैंडपम्प लगाना या नयी स्ट्रीट लाईट लगाना आदि) स्वीकृत या प्रारंभ नहीं किया जाना चाहिए। पहले से स्वीकृति किसी योजना का कार्य, जिसमें निर्वाचन की घोषणा होने तक कार्य प्रारंभ नहीं हुआ हो, प्रारंभ नहीं किया जाना चाहिए और किसी योजना का शिलान्यास या उद्घाटन नहीं किया जाना चाहिए।
 - किसी भी संगठन या संस्था को किसी कार्यक्रम के आयोजन के लिए कोई सहायता या अनुदान स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए, महापौर/अध्यक्ष/पार्षदों द्वारा स्वेच्छानुदान राशि में से भी किसी कार्य का गतिविधि के लिए कोई सहायता राशि स्वीकृत नहीं की जानी चाहिए।

- (v) समाचार-पत्रों या प्रचार के अन्य माध्यमों से नगरपालिका के खर्च पर ऐसा कोई विज्ञापन या पैपलेट जारी नहीं किया जाना चाहिए, जिसमें नगरपालिका की उपलब्धियों को प्रचारित या रेखांकित किया गया हो या जिससे किसी उम्मीदवार के पक्ष में मतदाताओं को प्रभावित करने में सहायता मिलती हो।
- (vi) नगरीय निकायों के माध्यम से क्रियान्वित किये जाने वाले, परिवार मूलक या व्यक्तिमूलक आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों (जैसे कि रोजगार/व्यवसाय के लिए सहायता, आवास निर्माण के लिए सहायता, निराश्रित पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन आदि) के अन्तर्गत नये हितग्राहियों का चयन नहीं किया जाना चाहिए।
3. किसी प्राकृतिक प्रकोप या दुर्घटना को छोड़कर, जिसमें कि प्रभावित लोगों को तत्काल राहत पहुंचाना आवश्यक हो, निर्वाचन की घोषणा से लेकर निर्वाचन समाप्त होने तक की अवधि के दौरान नगरपालिका के किसी पदधारी (जैसे कि महापौर/अध्यक्ष/पार्षद) के क्षेत्रीय भ्रमण को चुनावी दौरा माना जाना चाहिए और ऐसे दौरे में नगरपालिका के किसी कर्मचारी को उनके साथ नहीं रहना चाहिए।

भाग-चार-प्रेक्षक के संबंध में

1. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षकों को शासकीय एवं नगरीय निकायों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा पूर्ण सहयोग दिया जाना चाहिए, जिससे वे अपना दायित्व प्रभावी तरीके से निभा सकें।
2. निर्वाचनों के संचालन के संबंध में अभ्यर्थियों या उनके अधिकर्ताओं को कोई विशिष्ट शिकायत या समस्या हो तो उनके द्वारा इसकी सूचना प्रेक्षक तक पहुंचाने की व्यवस्था की जानी चाहिये।
3. शासकीय विश्राम भवन निर्वाचन आयोग के प्रेक्षकों/पदाधिकारियों को प्रथम प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराए जायेंगे, जब किसी विश्राम भवन में आयोग के प्रेक्षक रुके हों तब उसमें किसी भी राजनैतिक दल से संबंधित किसी व्यक्ति को कक्ष आवंटित नहीं किए जायेंगे।

पुर्नमतदान की जानकारी

स.क्र. जिले का नाम	शिकायत का विवरण	की गई कार्यवाही	रिमार्क
1. नरसिंहपुर	नगरपालिका परिषद् करेली के वार्ड क्र. 15 मतदान केन्द्र क्र. 30 में ई.व्ही.एम. में तकनीकी त्रुटि के कारण बीप की आवाज न आना एवं मतदाता रजिस्टर के अनुसार 45 मतदाताओं द्वारा मतदान किया गया किन्तु मशीन में 50 मत प्रदर्शित हो रहे थे। 05 मतों का अन्तर प्रदर्शित हो रहा था।	आयोग के आदेश क्र. एफ-62-04/2014/तीन/नपा/1464, दिनांक 03-12-2014 द्वारा पुर्नमतदान का आदेश जारी किया गया।	कलेक्टर के प्रतिवेदन अनुसार पुर्नमतदान कराया गया।
2. रायसेन	नगरपालिका परिषद् बेगमगंज के वार्ड क्र. 16 के मतदान केन्द्र क्र. 31 एवं 32 में पार्षद पद हेतु ई.व्ही.एम. में डाले गये मतों की संख्या 1015 प्रदर्शित हुई जबकि मतपत्र लेखानुसार 1008 होती है।	आयोग के आदेश क्र. एफ-62-09/2014/तीन/नपा/1505, दिनांक 07-12-2014 द्वारा पुर्नमतदान का आदेश जारी किया गया।	कलेक्टर के प्रतिवेदन अनुसार पुर्नमतदान कराया गया।
3. ग्वालियर	नगरपालिका निगम, ग्वालियर के वार्ड क्र. 55 मतदान केन्द्र क्र. 746 में ई.व्ही.एम. की कन्ट्रोल यूनिट में तोड़फोड़ किये जाने की जानकारी प्राप्त होने पर आयोग द्वारा निर्णय लिया जाकर पुर्नमतदान कराया गया।	आयोग के आदेश क्र. एफ-62-02/2014/तीन/नपा/1442, दिनांक 29-11-2014 द्वारा पुर्नमतदान का आदेश जारी किया गया।	
4. सिंगरौली	नगरपालिका निगम, सिंगरौली के वार्ड क्र. 20, 29 तथा 45 के मतदान केन्द्रों में नियंत्रण युनिट में अंकित मतों की संख्या में भिन्नता परिलक्षित होने से पुर्नमतदान कराया गया। अन्डरवोट मशीनों में स्वमेव अंतरित होकर पार्षद पद के खाते में प्रदर्शित हो रहे थे।	आयोग के आदेश क्र. एफ-62-06/2014/तीन/नपा/1491, दिनांक 05-12-2014 द्वारा पुर्नमतदान का आदेश जारी किया गया।	कलेक्टर के प्रतिवेदन अनुसार पुर्नमतदान कराया गया।
5. भोपाल	नगरपालिका परिषद् के वार्ड क्र. 15 मतदान केन्द्र क्र. 19 में मत 754 डाले गये किन्तु मतगणना के दौरान 758 प्रदर्शित हुये। अन्डरवोटों की संख्या मशीन में त्रुटिपूर्ण प्रदर्शित हो रही थी।	आयोग के आदेश क्र. एफ-62-05/2014/तीन/नपा/1493, दिनांक 05-12-2014 द्वारा पुर्नमतदान का आदेश जारी किया गया।	कलेक्टर के प्रतिवेदन अनुसार पुर्नमतदान कराया गया।
6. सागर	नगरपालिका परिषद् बीना जिला सागर के वार्ड क्र. 16 मतदान केन्द्र क्र. 34 में पार्षद पद हेतु 465 वोट डाले गये। मतगणना में 466 प्रदर्शित हो रहे हैं। मतदान केन्द्र क्र. 35 में पार्षद पद हेतु 517 मत डाले गये मतगणना में 518 प्रदर्शित हो रहे हैं।	आयोग के आदेश क्र. एफ-62-08/2014/तीन/नपा/1503, दिनांक 07-12-2014 द्वारा पुर्नमतदान का आदेश जारी किया गया।	कलेक्टर के प्रतिवेदन अनुसार पुर्नमतदान कराया गया।
7. भोपाल	नगरपालिका निगम, भोपाल के वार्ड क्र. 47 पार्षद पद का पुर्नमतदान प्रतीक चिन्ह त्रुटिवश बदल जाने से कराया गया।	आयोग के आदेश क्र. एफ-62-01/15/तीन/नपा/240, दिनांक 31-01-2015 द्वारा जारी किया गया।	

मतदाता, मतदान करने वाले व्यक्ति एवं मतदान का प्रतिशत की जानकारी

नगरपालिक निगम

127

S. No.	DISTRICT	TYPE	UB NAME	Elector				voter				Percentage			
				Male	Female	Other	Total	Male	Female	Other	Total	Male	Female	Other	Total
1.	ग्वालियर	नगरपालिक निगम	ग्वालियर	487079	409407	66	896552	291858	231847	9	523676	59.92	56.63	13.64	58.41
2.	सागर	नगरपालिक निगम	सागर	106244	97861	14	204119	72246	61124	5	133371	68	62.46	35.71	65.34
3.	सतना	नगरपालिक निगम	सतना	102597	90901	7	193505	70248	60985	2	131235	68.47	67.09	28	67.82
4.	रीचा	नगरपालिक निगम	रीचा	82320	73631	1	155952	54471	46984	1	101462	66.17	63.81	100	65.06
5.	सिंगरेती	नगरपालिक निगम	सिंगरेती	88286	70809	10	159105	57289	44985	1	102273	64.89	63.53	11.1	64.28
6.	कटरी	नगरपालिक निगम	कटरी	82570	73866	8	158444	58509	50663	0	109172	70.86	66.78	0	68.9
7.	जबलपुर	नगरपालिक निगम	जबलपुर	465583	424511	37	890131	300813	259631	0	560426	64.61	61.16	0	62.96
8.	छिद्रवाड़ा	नगरपालिक निगम	छिद्रवाड़ा	79406	76400	4	155810	61826	58492	0	120535	77.86	76.56	0	77.36
9.	भोपाल	नगरपालिक निगम	भोपाल	803409	707990	57	1511456	460273	386067	0	846415	57.29	54.53	0	56
10.	देवास	नगरपालिक निगम	देवास	105396	97079	5	202480	80017	69518	0	149531	75.92	71.61	0	73.85
11.	खण्डवा	नगरपालिक निगम	खण्डवा	75914	71459	11	147384	50475	45712	5	96198	66.49	63.97	45.45	65.27
12.	बुरहानपुर	नगरपालिक निगम	बुरहानपुर	77049	73069	7	150485	59582	53888	0	113466	76.97	73.75	0	75.4
13.	इन्दौर	नगरपालिक निगम	इन्दौर	872949	793586	63	1666598	553712	475755	23	1029458	63.43	59.95	36.51	61.77
14.	रतलाम	नगरपालिक निगम	रतलाम	99529	95636	1	195166	68337	63569	1	131913	68.66	66.47	100	67.59
			कुल . .	3528691	3158205	291	6687187	2239656	1909220	47	4149131	63.47	60.45	16.15	62.05

मतदाता, मतदान करने वाले व्यक्ति एवं मतदान का प्रतिशत की जानकारी

नगरपालिका परिषद्

128

S. No.	DISTRICT	TYPE	UB NAME	Elector				voter				Percentage				
				Male	Female	Other	Total	Male	Female	Other	Total	Male	Female	Other	Total	
1.	श्योपुर	नगरपालिका परिषद्	श्योपुर	24802	21495	0	46297	18232	/	15928	0	34158	73.51	74.1	0	73.78
2.	मुरैना	नगरपालिका परिषद्	अम्बाह	16064	13916	2	29982	11274	9878	0	21152	70.18	70.98	0	70.55	
3.	मुरैना	नगरपालिका परिषद्	पोरसा	14036	11788	2	25826	10096	8708	1	18805	71.93	73.87	50	72.81	
4.	मुरैना	नगरपालिका परिषद्	सबलगढ़	13630	11804	1	25435	10524	9254	0	19778	77.21	78.4	0	77.76	
5.	भिण्ड	नगरपालिका परिषद्	गोहद	19767	16120	1	35888	14825	11864	0	26690	75	73.6	0	74.37	
6.	भिण्ड	नगरपालिका परिषद्	भिण्ड	67910	55817	0	123727	43734	34774	0	78505	64.4	62.3	0	63.45	
7.	गवालियर	नगरपालिका परिषद्	डबरा	45816	39925	12	85753	36295	30591	1	66887	79.22	76.62	8	78	
8.	दतिया	नगरपालिका परिषद्	दतिया	35543	32040	11	67594	25833	22447	1	48282	72.68	70.06	9	71.43	
9.	शिवपुरी	नगरपालिका परिषद्	शिवपुरी	64372	57841	6	122219	46245	39980	2	86227	71.84	69.12	33.33	70.55	
10.	गुना	नगरपालिका परिषद्	गुना	65267	59041	1	124309	46777	40561	0	87338	71.67	68.7	0	70.26	
11.	अशोकनगर	नगरपालिका परिषद्	अशोकनगर	27248	24766	1	52015	21136	17958	0	39094	77.57	72.51	0	75.16	
12.	अशोकनगर	नगरपालिका परिषद्	चंदेरी	11744	10832	2	22578	9389	8448	0	17837	79.95	77.99	0	79	
13.	सागर	नगरपालिका परिषद्	देवरी	9140	8260	0	17400	7847	6881	0	14727	85.85	83.3	0	84.64	
14.	सागर	नगरपालिका परिषद्	खुरई	17180	16201	4	33385	12981	11362	2	24345	75.56	70.13	50	72.92	
15.	सागर	नगरपालिका परिषद्	रहली	12138	10823	2	22963	8999	7375	0	16374	74.14	68.14	0	71.31	
16.	सागर	नगरपालिका परिषद्	गढ़कोटा	12434	11171	2	23607	9103	6682	0	15785	73.21	59.82	0	66.87	
17.	सागर	नगरपालिका परिषद्	बीना	23912	22538	7	46457	17389	15055	1	32445	72.72	66.8	14.29	69.84	

S. No.	DISTRICT	TYPE	UB NAME	Elector				voter				Percentage			
				Male	Female	Other	Total	Male	Female	Other	Total	Male	Female	Other	
18.	ટેકમગઢ	નારપાલિકા પરિષદ्	ટીકમગઢ	29687	26891	0	56578	21719	18824	0	40543	73.16	70	0	71.66
19.	છતરપુર	નારપાલિકા પરિષદ्	છતરપુર	51002	45246	3	96251	36395	30898	0	67289	71.36	68.29	0	69.91
20.	છતરપુર.	નારપાલિકા પરિષદ्	મહારાજપુર	9081	7876	0	16957	7141	6149	0	13290	78.64	78.07	0	78.38
21.	છતરપુર	નારપાલિકા પરિષદ्	નૌંબાવ	14461	13239	2	27702	10782	9806	1	20589	74.56	74.07	50	74.32
22.	દોહ	નારપાલિકા પરિષદ्	હયા	11669	10627	0	22296	8784	7207	0	15991	75.28	67.82	0	71.72
23.	દોહ	નારપાલિકા પરિષદ्	દમોહ	49396	45167	6	94569	35575	30772	2	66349	72.02	68.13	33.33	70.16
24.	પના	નારપાલિકા પરિષદ्	પના	18806	17264	1	36071	13207	11688	0	24895	70.23	67.7	0	69.02
25.	જબલપુર	નારપાલિકા પરિષદ्	ફનાગર	10551	9573	3	20127	8421	7266	0	15687	79.81	75.9	0	77.94
26.	જબલપુર	નારપાલિકા પરિષદ्	સિહોરા	15465	14549	0	30014	12114	11009	0	23123	78.33	75.67	0	77.04
27.	બાળાધાટ	નારપાલિકા પરિષદ्	બાળાધાટ	31410	30454	0	61864	22474	21430	0	43905	71.55	70.37	0	70.97
28.	બાળાધાટ	નારપાલિકા પરિષદ्	મલાજબંડ	13013	13157	1	26171	8503	8767	0	17270	65.34	66.63	0	65.99
29.	બાળાધાટ	નારપાલિકા પરિષદ्	વારસિબની	9338	9505	0	18843	7403	7412	0	14815	79.28	77.98	0	78.62
30.	સિવાની	નારપાલિકા પરિષદ્	સિવાની	37419	35990	1	73410	27080	25877	1	52958	72.37	71.9	100	72.14
31.	નરસિંહપુર	નારપાલિકા પરિષદ્	ગાડરવાડા	18195	16253	0	34448	14629	12099	0	26728	80.4	74.44	0	77.59
32.	નરસિંહપુર	નારપાલિકા પરિષદ્	ગોટેગાંબ	10041	9426	0	19467	7852	6904	0	14756	78.2	73.24	0	75.8
33.	નરસિંહપુર	નારપાલિકા પરિષદ્	નરસિંહપુર	22525	20648	0	43173	17202	15193	0	32395	76.37	73.58	0	75.04
34.	નરસિંહપુર	નારપાલિકા પરિષદ્	કરેલી	11354	10310	0	21664	8896	7815	0	16711	78.35	75.8	0	77.14
35.	હિંદ્વાડા	નારપાલિકા પરિષદ્	ચૌરી	4590	4369	3	8962	3938	3652	2	7593	85.8	83.6	66.67	84.72
36.	હિંદ્વાડા	નારપાલિકા પરિષદ્	અમરવાડા	4880	4724	0	9604	4152	3912	0	8064	85.08	82.81	0	83.96

S. No.	DISTRICT	TYPE	UB NAME	Elector			Voter			Percentage			
				Male	Female	Other	Total	Male	Female	Other	Total	Male	Female
37.	छिद्रवाड़ा	नारपालिका परिषद्	डोंगरपत्तसिया	14242	14119	1	28362	11053	10745	0	21798	77.61	76.1
38.	बैतूल	नारपालिका परिषद्	आमला	10908	10123	0	21031	7782	7038	0	14818	71.34	69.52
39.	बैतूल	नारपालिका परिषद्	बैतूल	37645	35740	12	73397	26461	24793	7	51260	70.29	69.37
40.	बैतूल	नारपालिका परिषद्	मुलताई	10932	10090	6	21028	8431	7662	3	16096	77.12	75.94
41.	होशंगाबाद	नारपालिका परिषद्	पिपरिया	17779	16303	2	34084	13139	11657	1	24796	73.9	71.5
42.	होशंगाबाद	नारपालिका परिषद्	सिवनी मालवा	10477	9639	3	20119	8875	7845	3	16723	84.71	81.39
43.	होशंगाबाद	नारपालिका परिषद्	होशंगाबाद	42805	38744	3	81552	32129	28086	2	60217	75.06	72.49
44.	होशंगाबाद	नारपालिका परिषद्	इटरसी	36627	33896	3	70526	27822	24995	3	52820	75.96	73.74
45.	रायसेन	नारपालिका परिषद्	बोगमांज	11513	10432	0	21945	9189	7855	0	17044	79.81	75.3
46.	रायसेन	नारपालिका परिषद्	रायसेन	17970	15984	2	33956	12239	9998	0	22237	68.11	62.55
47.	विदिशा	नारपालिका परिषद्	सिरोज	17188	15896	1	33085	13601	11730	1	25330	79.13	73.79
48.	विदिशा	नारपालिका परिषद्	गंजबासोदा	25886	23688	0	49574	19912	16747	0	36659	76.92	70.7
49.	धोपाल	नारपालिका परिषद्	बैरसिया	10868	9872	4	20744	9360	7979	3	17342	86.12	80.82
50.	सीहोर	नारपालिका परिषद्	आष्टा	17506	16255	6	33767	15269	13253	6	28526	87.22	81.53
51.	राजगढ़	नारपालिका परिषद्	ब्यावरा	16716	15492	0	32208	13008	11294	0	24302	77.82	72.9
52.	राजगढ़	नारपालिका परिषद्	नरसिंहगढ़	11355	10752	1	22108	8999	7725	1	16725	79.25	71.85
53.	राजगढ़	नारपालिका परिषद्	राजगढ़	10322	9725	7	20054	7865	7254	3	15122	76.2	74.59
54.	आगर मालवा	नारपालिका परिषद्	आगर	12570	11818	1	24389	10878	9633	1	20511	86.54	81.51
55.	शाजपुर	नारपालिका परिषद्	शुजालपुर	17811	16341	2	34154	14942	13024	2	27967	83.89	79.7

S. No.	DISTRICT	TYPE	UB NAME	Elector				voter				Percentage			
				Male	Female	Other	Total	Male	Female	Other	Total	Male	Female	Other	
56.	खरोन	नगरपालिका परिषद्	बड़वाह	9663	9271	0	18934	7973	7366	0	15338	82.51	79.45	0	81.01
57.	खरोन	नगरपालिका परिषद्	सताबद	13990	13494	0	27484	11649	10583	0	22232	83.27	78.43	0	80.89
58.	खरोन	नगरपालिका परिषद्	खरोन	45025	42390	0	87415	33530	29974	0	63504	74.47	70.71	0	72.65
59.	उज्जैन	नगरपालिका परिषद्	बड़नगर	13183	12266	0	25449	10571	9359	0	19932	80.19	76.3	0	78.32
60.	उज्जैन	नगरपालिका परिषद्	खाचरोद	12111	11319	3	23433	9606	8487	3	18097	79.32	74.98	100	77.23
61.	उज्जैन	नगरपालिका परिषद्	महिदपुर	10802	10311	0	21113	8680	7870	0	16551	80.36	76.33	0	78.39
62.	उज्जैन	नगरपालिका परिषद्	नागदा	37388	34590	7	71985	26688	24607	0	51295	71.38	71.14	7	71.26
63.	रतलाम	नगरपालिका परिषद्	जावरा	25220	23569	1	48790	20037	18028	1	38066	79.45	76.49	100	78.02
64.	नीमच	नगरपालिका परिषद्	नीमच	42753	39762	0	82515	31838	28855	0	60633	74.47	72.57	0	73.55
		योग . .	1415141	1291527	139	2706807	1058472	928868	54	1987381	74.02	72.65	11.4	73.37	

मतदाता, मतदान करने वाले व्यक्ति एवं मतदान का प्रतिशत की जानकारी

ਨਗਰ ਪਰਿ਷ਦ

S. No.	DISTRICT	TYPE	UB NAME	Elector						voter						Percentage
				Male	Female	Other	Total	Male	Female	Other	Total	Male	Female	Other	Total	
1.	झेपुर	नगर परिषद्	विजयपुर	6047	5075	0	11122	5015	4279	0	9294	82.93	84.32	0	83.56	
2.	झेपुर	नगर परिषद्	बडोद	6274	5644	0	11918	5284	4637	0	9921	84.22	82.16	0	83.24	
3.	मुरैता	नगर परिषद्	जौरा	14656	12610	5	27271	10936	9282	1	20219	74.62	73.61	20	74.14	
4.	मुरैता	नगर परिषद्	कैलारस	9210	7763	0	16973	7010	5976	0	12986	76.11	76.98	0	76.51	
5.	मुरैता	नगर परिषद्	कुण्डपुरा	3674	3031	0	6705	2983	2647	0	5630	81.19	87.33	0	83.97	
6.	मुरैता	नगर परिषद्	बानमैर	10191	8402	1	18594	8349	7061	0	15411	81.93	84.04	0	82.88	
7.	भिण्ड	नगर परिषद्	फुफ	4537	3666	2	8205	3428	3048	0	6475	75.55	83.14	0	78.92	
8.	भिण्ड	नगर परिषद्	लहार	12399	10409	0	22808	8568	7213	0	15781	69.1	69.3	0	69.19	
9.	भिण्ड	नगर परिषद्	मिहेना	6454	5326	1	11781	4711	4096	0	8807	73	76.9	0	74.76	
10.	भिण्ड	नगर परिषद्	दबोह	6761	5488	0	12249	5353	4373	0	9726	79.17	79.68	0	79.4	
11.	भिण्ड	नगर परिषद्	गोरमी	7287	5928	0	13215	5720	4843	0	10563	78.5	81.7	0	79.94	
12.	भिण्ड	नगर परिषद्	मौ	7982	6285	0	14267	6266	4917	0	11183	78.5	78.23	0	78.38	
13.	भिण्ड	नगर परिषद्	मेहगांव	7747	6274	0	14021	5973	4913	0	10885	77.1	78.3	0	77.64	
14.	भिण्ड	नगर परिषद्	अकोडा	4757	3725	0	8482	3847	3079	0	6926	80.87	82.65	0	81.65	
15.	भिण्ड	नगर परिषद्	आलमपुर	3933	3522	0	7455	3223	2832	0	6054	81.94	80.4	0	81.21	
16.	गवालियर	नगर परिषद्	आंतरी	3856	3346	0	7202	3537	3008	0	6545	91.73	89.9	0	90.88	
17.	गवालियर	नगर परिषद्	पिछोर	4515	4256	0	8771	4102	3761	0	7862	90.85	88.36	0	89.64	

S. No.	DISTRICT	TYPE	UB NAME	Elector			voter			Percentage			
				Male	Female	Other	Total	Male	Female	Other	Total	Male	Female
18.	ग्वालियर	नगर परिषद्	धीतरबार	6980	60-63	5	13048	5932	5070	0	11003	84.99	83.63
19.	ग्वालियर	नगर परिषद्	बिलौआ	4909	4145	1	9055	4148	3413	0	7561	84.49	82.34
20.	दतिया	नगर परिषद्	सेवडा	8828	7548	1	16377	6853	5687	0	12540	7.63	75.34
21.	दतिया	नगर परिषद्	भाण्डेर	9029	8102	2	17133	7128	6405	2	13536	78.95	79.06
22.	दतिया	नगर परिषद्	इंदरगढ़	7853	7199	0	15052	6809	5753	0	12562	86.71	79.91
23.	दतिया	नगर परिषद्	बडोनी	3411	3108	4	6523	3110	2727	3	5840	91.17	87.74
24.	शिवपुरी	नगर परिषद्	बैराड़	6972	5809	0	12781	5880	4931	0	10811	84.34	84.89
25.	शिवपुरी	नगर परिषद्	करेगा	10085	9036	0	19121	7726	6644	0	14369	76.61	73.53
26.	शिवपुरी	नगर परिषद्	खनियाधाना	5545	5157	0	10702	4398	4107	0	8505	79.31	79.64
27.	शिवपुरी	नगर परिषद्	कोलारस	7108	6570	0	13678	6210	5325	0	11535	87.37	81.05
28.	शिवपुरी	नगर परिषद्	बदरकास	5277	4718	0	9995	4192	3455	0	7647	79.44	73.23
29.	शिवपुरी	नगर परिषद्	पिछोर	5738	5220	0	10958	4843	4232	0	9075	84.4	81.07
30.	गुना	नगर परिषद्	चाचौड़ा बीनांगज	7271	6750	7	14028	6020	5276	3	11298	82.79	78.16
31.	गुना	नगर परिषद्	कुम्भराज	5978	5518	0	11496	5317	4738	0	10056	88.95	85.26
32.	गुना	नगर परिषद्	आरेन	9386	8211	1	17598	7533	6160	0	13693	80.26	75.02
33.	अशोकनगर	नगर परिषद्	शाढौरा	3471	3213	0	6684	3165	2828	0	5993	91.18	88.02
34.	अशोकनगर	नगर परिषद्	मुण्डाबली	7838	7155	0	14993	6541	5591	0	12132	83.45	78.14
35.	सापर	नगर परिषद्	राहतगढ़	10183	8709	0	188892	8051	6673	0	14724	79.06	76.62
36.	सापर	नगर परिषद्	बण्डा	10464	9736	0	20200	8122	6973	0	15095	77.62	71.62

S. No.	DISTRICT	TYPE	UB NAME	Elector				voter				Percentage				
				Male	Female	Other	Total	Male	Female	Other	Total	Male	Female	Other		
37.	ਸਾਹਿਬੜ	ਨਗਰ	ਸਾਹਿਬੜ	ਸਾਹਿਬੜ	5997	5400	0	11397	4491	3818	0	8309	74.89	70.7	0	72.9
38.	ਸਾਹਿਬੜ	ਨਗਰ	ਸਾਹਿਬੜ	ਸਾਹਿਬੜ	5112	4636	0	9748	45357	3791	0	8148	85.23	81.77	0	83.58
39.	ਟੀਕਮਾਡੂ	ਨਗਰ	ਪਰਿ਷ਦ्	ਨਿਵਾਈ	9342	8502	0	17844	6899	6332	0	13231	73.85	74.48	0	74.15
40.	ਟੀਕਮਾਡੂ	ਨਗਰ	ਪਰਿ਷ਦ्	ਲਿਥੋਗ	4394	4044	0	8438	3716	3425	0	7141	84.58	84.69	0	84.63
41.	ਟੀਕਮਾਡੂ	ਨਗਰ	ਪਰਿ਷ਦ्	ਪਲੇਟ	6060	5490	1	11551	4802	4191	0	8992	79.24	76.34	0	77.85
42.	ਟੀਕਮਾਡੂ	ਨਗਰ	ਪਰਿ਷ਦ्	ਬਡਾਂਗ ਧਸਾਨ	2934	2688	0	5622	2531	2246	0	4776	86.26	83.55	0	84.96
43.	ਟੀਕਮਾਡੂ	ਨਗਰ	ਪਰਿ਷ਦ्	ਬੈਰੇਨ	3426	3107	3	6536	3064	2739	0	5803	89.43	88.16	0	88.79
44.	ਟੀਕਮਾਡੂ	ਨਗਰ	ਪਰਿ਷ਦ्	ਖਾਗਪੁਰ	5188	4629	0	9817	4225	3555	0	7779	81.43	76.69	0	79.24
45.	ਟੀਕਮਾਡੂ	ਨਗਰ	ਪਰਿ਷ਦ्	ਪੂਥੀਪੁਰ	9317	8626	0	17943	7411	6505	0	13916	79.54	75.41	0	77.55
46.	ਟੀਕਮਾਡੂ	ਨਗਰ	ਪਰਿ਷ਦ्	ਤਿਰਚਰਕਲਾ	2910	2666	1	5577	2605	2370	1	4976	89.53	88.9	100	89.23
47.	ਟੀਕਮਾਡੂ	ਨਗਰ	ਪਰਿ਷ਦ्	ਕਾਰੀ	3521	3231	0	6752	3072	2782	0	5854	87.25	86.1	0	86.7
48.	ਟੀਕਮਾਡੂ	ਨਗਰ	ਪਰਿ਷ਦ्	ਬਲਦੇਵਾਡੂ	3067	2790	1	5858	2659	2360	1	5020	86.7	84.59	100	85.7
49.	ਟੀਕਮਾਡੂ	ਨਗਰ	ਪਰਿ਷ਦ्	ਜਤਾਰਾ	6516	5980	2	12498	5221	4543	0	9764	80.13	75.97	0	78.13
50.	ਛਤੇਰਪੁਰ	ਨਗਰ	ਪਰਿ਷ਦ्	ਹਰਪਾਲਪੁਰ	6351	5476	0	11827	4933	4234	0	9167	77.67	77.32	0	77.51
51.	ਛਤੇਰਪੁਰ	ਨਗਰ	ਪਰਿ਷ਦ्	ਰਾਜਨਾਰ	5399	4631	0	10030	4171	3437	0	7609	77.26	74.22	0	75.86
52.	ਛਤੇਰਪੁਰ	ਨਗਰ	ਪਰਿ਷ਦ्	ਬਾਰੀਗਡੂ	3520	2999	0	6519	2862	2411	0	5274	81.32	80.4	0	80.9
53.	ਛਤੇਰਪੁਰ	ਨਗਰ	ਪਰਿ਷ਦ्	ਸਟਾਈ	3579	3263	0	6842	3062	2784	0	5846	85.55	85.32	0	85.44
54.	ਛਤੇਰਪੁਰ	ਨਗਰ	ਪਰਿ਷ਦ्	ਬਡਾ ਮਲਹਾ	5920	5218	1	11139	4617	4002	0	8619	77.99	76.7	0	77.38
55.	ਛਤੇਰਪੁਰ	ਨਗਰ	ਪਰਿ਷ਦ्	ਬਕਸ਼ਵਾਹਾ	3492	3093	0	6585	2957	2525	0	5482	84.68	81.64	0	83.25

S. No.	DISTRICT	TYPE	UB NAME	Elector			Voter			Percentage			
				Male	Female	Other	Total	Male	Female	Other	Total	Male	Female
56.	छत्तेपुर	नगर परिषद्	खजुराहो	8444	7251	0	15695	6544	5572	0	12116	77.5	76.84
57.	छत्तेपुर	नगर परिषद्	गढ़ीमलहरा	5181	4482	0	9663	4139	3567	0	7705	79.88	79.58
58.	छत्तेपुर	नगर परिषद्	बिजावर	7132	6311	0	13443	5739	4772	0	10512	80.47	75.62
59.	छत्तेपुर	नगर परिषद्	लौड़ी (लवकुशनार)	7694	6744	6	14444	5694	4854	6	10554	74	71.98
60.	छत्तेपुर	नगर परिषद्	चंदला	4136	3564	0	7700	3421	2909	0	6330	82.72	81.61
61.	दमोह	नगर परिषद्	तेल्लूखेड़ा	4908	4425	0	9933	4035	3598	0	7633	82.21	81.31
62.	दमोह	नगर परिषद्	हिंडोरिया	5721	5350	1	11072	4618	4192	0	8810	80.72	78.36
63.	दमोह	नगर परिषद्	पथरिया	7419	6714	0	14133	6473	5600	0	12073	87.25	83.41
64.	दमोह	नगर परिषद्	पटेरा	3398	3060	0	6458	2857	2540	0	5397	84.08	83.01
65.	पन्ना	नगर परिषद्	ककरहरी	2824	2522	0	5346	2286	2070	0	4356	80.95	82.08
66.	पन्ना	नगर परिषद्	अमनगंज	4996	4589	0	9585	3918	3317	0	7235	78.42	72.28
67.	पन्ना	नगर परिषद्	पवई	4897	4361	0	9258	3874	3419	0	7293	79.11	78.4
68.	पन्ना	नगर परिषद्	अजयगढ़	5740	5202	0	10942	4541	3987	0	8528	79.11	76.64
69.	पन्ना	नगर परिषद्	देवेन्द्रनगर	4339	4090	2	8431	3674	3255	0	6929	84.67	79.58
70.	सतना	नगर परिषद्	उचेहरा	6434	5820	1	12255	5099	4571	0	9670	79.25	78.54
71.	सतना	नगर परिषद्	रामपुर बधेलान	4556	4217	0	8773	3725	3416	0	7141	81.76	81.01
72.	सतना	नगर परिषद्	कोठी	3175	2936	0	6111	2619	2437	0	5056	82.49	83.01
73.	सतना	नगर परिषद्	बिरसिहपुर	5121	4548	0	9669	4257	3822	0	8079	83.13	84.04
74.	सतना	नगर परिषद्	न्यू गमनगर	8123	7581	0	15704	6220	6023	0	12243	76.57	79.45

S.No.	DISTRICT	TYPE	UB NAME	Elector				voter				Percentage			
				Male	Female	Other	Total	Male	Female	Other	Total	Male	Female	Other	
75.	सतना	नगर परिषद्	अमरपाटन	6609	5983	0	12592	5320	4743	0	10063	80.49	79.28	0	79.92
76.	सतना	नगर परिषद्	नागेद	7648	6838	0	14486	6125	5411	0	11535	80.08	79.13	0	79.63
77.	सतना	नगर परिषद्	चित्रकूट	8405	6360	1	14766	6176	4872	0	11048	73.48	76.6	0	74.82
78.	सतना	नगर परिषद्	जैतवरा	3663	3414	0	7077	2790	2662	0	5452	76.16	77.97	0	77.03
79.	रीवा	नगर परिषद्	गोविंदगढ़	4079	3717	0	7796	3092	2948	0	6040	75.8	79.3	0	77.47
80.	रीवा	नगर परिषद्	गुड़	5350	4731	0	10081	4197	3848	0	8046	78.45	81.34	0	79.81
81.	रीवा	नगर परिषद्	नईगढ़ी	3831	3507	0	7338	2857	2790	0	5647	74.58	79.56	0	76.96
82.	रीवा	नगर परिषद्	हुमना	5521	4818	1	10340	4277	3817	0	8094	77.47	79.23	0	78.28
83.	रीवा	नगर परिषद्	मनांवा	4669	4184	0	8853	3891	3538	0	7429	83.33	84.57	0	83.92
84.	रीवा	नगर परिषद्	मठांज	8818	8014	0	16832	6754	6233	0	12987	76.59	77.78	0	77.16
85.	रीवा	नगर परिषद्	बैकुठपुर	3506	3194	0	6700	2981	2749	0	5730	85.03	86.07	0	85.53
86.	रीवा	नगर परिषद्	त्याथर	5989	5197	0	11186	4532	4166	0	8698	75.67	80.16	0	77.76
87.	रीवा	नगर परिषद्	सेमरिया	4583	4131	0	8714	3777	3347	0	7124	82.41	81.02	0	81.75
88.	रीवा	नगर परिषद्	सिसमौर	4007	3798	0	7805	3008	2969	0	5977	75.07	78.17	0	76.58
89.	सीधी	नगर परिषद्	रामपुर नैकिन	4341	4048	0	8389	3342	3167	0	6508	76.98	78.23	0	77.58
90.	शहडोल	नगर परिषद्	खांड	4224	3472	0	7696	3080	2808	0	5888	72.92	80.87	0	76.51
91.	शहडोल	नगर परिषद्	ब्बोहारी	8704	7967	0	16671	6768	6139	0	12907	77.76	77.05	0	77.42
92.	उमरिया	नगर परिषद्	नैरोजाबाद	7587	6802	0	14389	5732	4995	0	10727	75.55	73.43	0	74.55
93.	उमरिया	नगर परिषद्	चंदिया	5170	5017	0	10187	4299	4136	0	8435	8316	82.43	0	82.8

S. No.	DISTRICT	TYPE	UB NAME	Elector			voter			Percentage			
				Male	Female	Other	Total	Male	Female	Other	Total	Male	Female
94.	कट्टी	नगर परिषद्	कैमोर	7277	6609	0	13886	5239	4869	0	10108.	71.99	73.67
95.	कट्टी	नगर परिषद्	विजय राघवाड़ा	3193	2967	0	6160	2592	2323	0	4915	81.18	78.29
96.	कट्टी	नगर परिषद्	बरही	4568	4274	0	8842	3818	3518	0	7337	83.59	82.32
97.	जबलपुर	नगर परिषद्	पाटन	5272	4637	1	9910	4501	3671	0	8172	85.37	79.17
98.	जबलपुर	नगर परिषद्	मझौली	4768	4530	0	9298	3952	3604	0	7556	82.89	79.56
99.	जबलपुर	नगर परिषद्	बोला	4872	4418	1	9291	4077	3683	0	7760	83.68	83.37
100.	जबलपुर	नगर परिषद्	कटंगी	6980	6418	1	13399	5804	5132	0	10936	81.15	79.97
101.	जबलपुर	नगर परिषद्	शाहपुरा	5037	4804	0	9841	4368	3937	0	8304	86.71	81.95
102.	बालाघाट	नगर परिषद्	कटंगी	5680	5622	0	11302	4727	4686	0	9413	83.23	83.35
103.	सिवनी	नगर परिषद्	बरधाट	4194	4253	1	8448	3638	3718	0	7356	86.74	87.42
104.	नरसिंहपुर	नगर परिषद्	सालीचौका (बाबई कलां)	4625	4244	0	8869	4015	3512	0	7527	86.81	82.75
105.	नरसिंहपुर	नगर परिषद्	तेन्दुखेड़ा	4698	4293	0	8991	3970	3582	0	7552	84.5	83.43
106.	नरसिंहपुर	नगर परिषद्	साई खेड़ा	3963	3593	0	7556	3340	2925	0	6266	84.29	81.42
107.	नरसिंहपुर	नगर परिषद्	चिचली	5054	4449	0	9503	4468	3764	0	8232	88.41	84.6
108.	छिंदवाड़ा	नगर परिषद्	लाधीखेड़ा	3627	3359	0	6986	3391	3063	0	6454	93.5	91.2
109.	छिंदवाड़ा	नगर परिषद्	पिपलनारायणवार	3153	2898	0	6051	2828	2557	0	5385	89.69	88.23
110.	छिंदवाड़ा	नगर परिषद्	न्यूटन चिखली	3665	3443	0	7108	3032	2943	0	5975	82.73	85.48
111.	छिंदवाड़ा	नगर परिषद्	बड़कुही	3790	3649	0	7439	3022	2969	0	5991	79.73	81.36

S. No.	DISTRICT	TYPE	UB NAME	Elector			voter			Percentage			
				Male	Female	Other	Total	Male	Female	Other	Total	Male	Female
112.	छिंदवाड़ा	नगर परिषद्	बिछुआ	2176	2057	0	4233	1933	1871	0	3804	88.83	90.96
113.	छिंदवाड़ा	नगर परिषद्	चांदामेटाबुटारिया	5959	5847	0	11806	4880	4586	0	9466	81.9	78.43
114.	छिंदवाड़ा	नगर परिषद्	चाँद	3708	3320	1	7029	3337	2928	0	6265	90	88.2
115.	बैतूल	नगर परिषद्	बैतूल बाजार	3904	3764	0	7668	3430	3256	0	6686	87.86	86.5
116.	हरदा	नगर परिषद्	टिमरनी	7715	7264	0	14979	6302	5706	0	12009	81.69	78.55
117.	हरदा	नगर परिषद्	खिरकिया	7681	6919	0	14600	6290	5523	0	11813	81.89	79.82
118.	होशंगाबाद	नगर परिषद्	सोहागपुर	8567	8044	0	16611	7230	6584	0	13814	84.39	81.85
119.	होशंगाबाद	नगर परिषद्	बाईं	5606	5140	0	10746	4975	4479	0	9453	88.74	87.14
120.	होशंगाबाद	नगर परिषद्	कतखेड़ी	7528	6784	0	14312	6403	5513	0	11918	85.05	81.27
121.	रायसेन	नगर परिषद्	सुल्तानपुर	3792	3444	0	7236	3188	2675	0	5863	84.07	77.67
122.	रायसेन	नगर परिषद्	उदयपुरा	6028	5438	4	11470	5104	4431	1	9536	84.67	81.48
123.	रायसेन	नगर परिषद्	बाड़ी	6902	6051	1	12954	5711	4824	1	10535	82.74	79.72
124.	रायसेन	नगर परिषद्	गैरतांज	6477	5766	0	12243	5305	4474	0	9778	81.9	77.59
125.	रायसेन	नगर परिषद्	सिलवानी	6252	5650	0	11902	5254	4523	0	9777	84.04	80.05
126.	रायसेन	नगर परिषद्	ओबेटुल्लागंज	8284	7459	0	15743	6843	5841	0	12684	82.6	78.31
127.	रायसेन	नगर परिषद्	बोली	11373	10312	0	21685	8845	7469	0	16314	77.77	72.43
128.	विदिशा	नगर परिषद्	लटेरी	6130	5515	0	11645	5169	4277	0	9445	84.32	77.55
129.	विदिशा	नगर परिषद्	कुरवाई	5319	4990	0	10309	4677	4168	0	8845	87.93	83.53
130.	विदिशा	नगर परिषद्	शमशाजाद	3918	3516	0	7434	3504	2931	0	6435	89.43	83.36

S. No.	DISTRICT	TYPE	UB NAME	Elector			voter			Percentage			
				Male	Female	Other	Total	Male	Female	Other	Total	Male	Female
131.	सीहोर	नगर परिषद्	कोठरी	3419	3113	0	6532	3210	2895	0	6105	93.89	93
132.	सीहोर	नगर परिषद्	रेहटी	3847	3571	1	7419	3420	3001	1	6422	88.9	84.03
133.	सीहोर	नगर परिषद्	जावर	2625	2473	0	5098	2429	2240	0	4669	92.53	90.58
134.	सीहोर	नगर परिषद्	नमस्कल्लागांज	7464	6683	2	14149	6219	5294	1	11514	83.32	79.21
135.	सीहोर	नगर परिषद्	बुदनी	5764	5281	0	11045	4967	4153	0	9120	86.17	78.64
136.	सीहोर	नगर परिषद्	इछावर	5170	4789	0	9959	4531	4098	0	8629	87.64	85.57
137.	राजगढ़	नगर परिषद्	कुरावर	6048	5531	0	11579	5270	4515	0	9785	87.14	81.63
138.	राजगढ़	नगर परिषद्	खिलचीपुर	6146	6000	0	12146	5507	5147	0	10653	89.6	85.78
139.	राजगढ़	नगर परिषद्	बोडा	3295	3225	0	6520	3067	2798	0	5865	93.08	86.76
140.	राजगढ़	नगर परिषद्	माचलपुर	3244	3086	0	6330	2846	2579	0	5425	87.73	83.57
141.	राजगढ़	नगर परिषद्	जीरापुर	6871	6497	1	13369	5910	5483	1	11393	86.01	84.39
142.	राजगढ़	नगर परिषद्	पचोर	8634	8052	0	16686	7264	6336	0	13599	84.13	78.69
143.	राजगढ़	नगर परिषद्	सुठालिया	3492	3306	0	6798	3168	2851	0	6019	90.73	86.24
144.	राजगढ़	नगर परिषद्	तलेन	3307	3221	0	6528	3012	2856	0	5868	91.08	88.67
145.	राजगढ़	नगर परिषद्	खुजनेर	3598	3518	0	7116	3224	3001	0	6225	89.6	85.3
146.	राजगढ़	नगर परिषद्	छापीहेडा	2693	2628	0	5321	2518	2345	0	4889	93.5	89.23
147.	आगर मालवा	नगर परिषद्	कानड़	3590	3246	0	6836	3428	2912	0	6340	95.5	89.7
148.	आगर मालवा	नगर परिषद्	बड़ौद	4423	4196	0	8619	4138	3731	0	7869	93.56	88.92
149.	आगर मालवा	नगर परिषद्	सुसंगर	5285	4947	1	10233	4776	4208	1	8984	90.36	85.06

S. No.	DISTRICT	TYPE	UB NAME	Elector			voter			Percentage			
				Male	Female	Other	Total	Male	Female	Other	Total	Male	Female
150.	आगर मालवा	नगर परिषद्	नलखेड़ा	5589	5440	0	11029	5178	4710	0	9888	92.65	86.58
151.	आगर मालवा	नगर परिषद्	बड़ागांव	2460	2174	0	4634	2337	2000	0	4337	95	92
152.	आगर मालवा	नगर परिषद्	सोयतकलां	5040	4869	4	9913	4402	4125	3	8530	87.34	84.72
153.	शाजापुर	नगर परिषद्	पोलायकलां	4238	3883	0	8121	3868	3515	0	7383	91.27	90.52
154.	शाजापुर	नगर परिषद्	अकोदिया	4134	3781	0	7915	3730	3324	0	7054	90.22	87.91
155.	शाजापुर	नगर परिषद्	मक्सी	6659	6410	1	13070	5901	5531	0	11432	88.62	86.28
156.	शाजापुर	नगर परिषद्	पानखेड़ी	3851	3657	0	7508	3356	2987	0	6343	87.15	81.68
157.	देवास	नगर परिषद्	सोनकच्छ	5997	5706	0	11703	5323	4807	0	10130	88.76	84.24
158.	देवास	नगर परिषद्	बाली	3814	3700	0	7514	3258	3056	0	6314	85.42	82.59
159.	देवास	नगर परिषद्	खातेगांव	8712	7982	0	16694	7100	6263	0	13364	81.5	78.47
160.	देवास	नगर परिषद्	सतवासा	4455	4036	0	8491	3924	3582	0	7506	88.08	88.75
161.	देवास	नगर परिषद्	हाटपिल्ला	5868	5656	0	11524	5274	4829	0	10103	89.88	85.38
162.	देवास	नगर परिषद्	कांटफोड़	3586	3226	2	6814	3144	2815	1	5960	87.67	87.26
163.	देवास	नगर परिषद्	नेमाकर	2233	1872	1	4106	1956	1640	0	3596	87.6	87.61
164.	देवास	नगर परिषद्	लोहर्दा	3076	2692	0	5768	2698	2271	0	4969	87.71	84.36
165.	देवास	नगर परिषद्	कनौद	6360	6041	0	12401	5136	4698	0	9834	80.75	77.77
166.	देवास	नगर परिषद्	करनावद	3704	3533	0	7237	3400	3136	0	6536	91.79	88.76
167.	देवास	नगर परिषद्	भौरंसा	4190	3965	0	8155	3862	3477	0	7339	92.17	87.69
168.	खंडवा	नगर परिषद्	मुंदी	4287	4100	0	8397	3754	3361	0	7116	87.57	81.78

S. No.	DISTRICT	TYPE	UB NAME	Elector			voter			Percentage					
				Male	Female	Other	Total	Male	Female	Other	Total	Male	Female	Other	
169.	खंडवा	नगर परिषद्	पंथाना	4279	4060	0	8339	3594	3318	0	6911	83.99	81.72	0	82.88
170.	बुरहानपुर	नगर परिषद्	शाहपुर	6806	6270	0	13076	6085	5435	0	11520	89.41	86.68	0	88.1
171.	खरगोन	नगर परिषद्	कसरावद	7642	7605	0	15247	6543	6191	0	12734	85.62	81.41	0	83.52
172.	खरगोन	नगर परिषद्	कारही पांडल्याखुर्द	3512	3395	0	6907	3123	2896	0	6019	88.92	85.3	0	87.14
173.	झाबुआ	नगर परिषद्	मेघनगर	4313	4077	1	8391	3446	3159	0	6605	79.9	77.48	0	78.71
174.	धार	नगर परिषद्	बदनावर	6936	6686	0	13622	6044	5642	0	11686	87.14	84.39	0	87.71
175.	इन्दौर	नगर परिषद्	साविर	5603	5375	1	10979	5041	4630	1	9672	89.97	86.14	100	88.1
176.	इन्दौर	नगर परिषद्	मानपुर	2423	2335	0	4758	2219	2093	0	4312	91.58	89.64	0	90.63
177.	इन्दौर	नगर परिषद्	हातोद	3580	3555	0	7135	3306	3166	0	6472	92.34	89.06	0	90.71
178.	इन्दौर	नगर परिषद्	महू गाँव	10511	9296	1	19808	8004	6980	0	14984	76.15	75.09	0	75.65
179.	इन्दौर	नगर परिषद्	देणालपुर	5897	5704	0	11601	5420	5050	0	10470	91.91	88.53	0	90.25
180.	इन्दौर	नगर परिषद्	बेटमा	5042	4754	1	9797	4513	4126	1	8640	89.5	86.8	100	88.19
181.	इन्दौर	नगर परिषद्	गोतमपुरा	4819	4524	0	9343	4425	3996	0	8421	91.83	88.33	0	90.14
182.	इन्दौर	नगर परिषद्	राड	12185	10931	2	23118	9535	8528	1	18064	78.25	78.02	50	78.14
183.	उज्जैन	नगर परिषद्	माकडोन	4001	3675	0	7676	3634	3147	0	6781	90.83	85.63	0	88.34
184.	उज्जैन	नगर परिषद्	तराना	9192	8724	0	17916	7329	6390	0	13718	79.73	73.25	0	76.57
185.	उज्जैन	नगर परिषद्	उहेल	4929	4773	2	9704	4502	4095	2	8599	91.34	85.8	100	88.62
186.	रतलाम	नगर परिषद्	नमली	3394	3305	0	6699	3038	2834	0	5872	89.51	85.75	0	87.65
187.	रतलाम	नगर परिषद्	पिपलोदा	2771	2781	1	5553	2432	2387	1	4821	87.77	85.84	100	86.81

S. No.	DISTRICT	TYPE	UB NAME	Elector				voter				Percentage			
				Male	Female	Other	Total	Male	Female	Other	Total	Male	Female	Other	Total
188.	ਰਤਲਾਮ	ਨਗਰ ਪਾਰਿ਷ਦ्	ਆਲੋਟ	8106	7679	0	15785	6961	5963	0	12923	85.87	77.65	0	81.87
189.	ਰਤਲਾਮ	ਨਗਰ ਪਾਰਿ਷ਦ्	ਬਡਾਕਵਾ	3063	2952	0	6015	2692	2482	0	5174	87.89	84.08	0	86.02
190.	ਰਤਲਾਮ	ਨਗਰ ਪਾਰਿ਷ਦ्	ਤਾਲ	5206	5041	2	10249	4594	4210	0	8805	88.25	83.52	0	85.91
191.	ਮੰਦਸੌਰ	ਨਗਰ ਪਾਰਿ਷ਦ्	ਨਾਗਯਣਾਡੁ	3772	3710	0	7482	3439	3234	0	6673	91.17	87.17	0	89.19
192.	ਮੰਦਸੌਰ	ਨਗਰ ਪਾਰਿ਷ਦ्	ਨਗਰੀ	2413	2362	0	4775	2280	2204	0	4484	94.49	93.31	0	93.91
193.	ਮੰਦਸੌਰ	ਨਗਰ ਪਾਰਿ਷ਦ्	ਭਾਨਪੁਰ	7867	7668	0	15535	6146	5723	0	11869	78.12	74.63	0	76.4
194.	ਮੰਦਸੌਰ	ਨਗਰ ਪਾਰਿ਷ਦ्	ਸ਼ਾਮਗਢੁ	8454	7633	1	16088	7157	6243	1	13401	84.66	81.79	100	83.3
195.	ਮੰਦਸੌਰ	ਨਗਰ ਪਾਰਿ਷ਦ्	ਸੀਤਾਮਤ	5085	4683	0	9768	4321	3862	0	8184	84.98	82.47	0	83.78
196.	ਮੰਦਸੌਰ	ਨਗਰ ਪਾਰਿ਷ਦ्	ਗਰੇਠ	6422	6159	0	12581	5446	5049	0	10495	84.8	81.98	0	83.42
197.	ਮੰਦਸੌਰ	ਨਗਰ ਪਾਰਿ਷ਦ्	ਮਲਹਾਣਾਡੁ	2951	2918	0	5869	2662	2574	0	5236	90.2	88.21	0	89.21
198.	ਮੰਦਸੌਰ	ਨਗਰ ਪਾਰਿ਷ਦ्	ਪਿਪਲਤਾ ਮੰਡੀ	5263	5243	2	10508	4719	4579	2	9300	89.66	87.34	100	88.5
199.	ਨੀਮਚ	ਨਗਰ ਪਾਰਿ਷ਦ्	ਜਾਵਦ	6054	5888	1	11943	5071	4907	1	9978	83.76	83.34	100	83.55
200.	ਨੀਮਚ	ਨਗਰ ਪਾਰਿ਷ਦ्	ਅਤਾਨਾ	2346	2246	0	4592	2162	2017	0	4179	92.16	89.8	0	91.01
201.	ਨੀਮਚ	ਨਗਰ ਪਾਰਿ਷ਦ्	ਕੁਕਡੇਖਵਰ	4229	4077	0	8306	3691	3499	0	7190	87.28	85.82	0	86.56
202.	ਨੀਮਚ	ਨਗਰ ਪਾਰਿ਷ਦ्	ਰਾਮਪੁਰਾ	6479	5924	0	12403	5475	4791	0	10266	84.5	80.87	0	82.77
203.	ਨੀਮਚ	ਨਗਰ ਪਾਰਿ਷ਦ्	ਸਿੱਗੋਲੀ	3360	3178	0	6538	2934	2715	0	5649	87.32	85.43	0	86.4
204.	ਨੀਮਚ	ਨਗਰ ਪਾਰਿ਷ਦ्	ਮਨਸਾ	9133	8696	1	17830	7822	7287	0	15109	85.65	83.8	0	84.74
205.	ਨੀਮਚ	ਨਗਰ ਪਾਰਿ਷ਦ्	ਡਿਕੇਨ	2635	2565	0	5200	2484	2350	0	4834	94.27	91.62	0	92.96
206.	ਨੀਮਚ	ਨਗਰ ਪਾਰਿ਷ਦ्	ਰਤਨਗਢੁ	2783	2643	0	5426	2274	2213	0	4487	81.71	83.73	0	82.69

S. No.	DISTRICT	TYPE	UB NAME	Elector				voter				Percentage			
				Male	Female	Other	Total	Male	Female	Other	Total	Male	Female	Other	Total
207.	नीमच	नगर परिषद्	नयगांव	2196	2072	0	4268	1889	1835	0	3824	90.57	88.56	0	89.59
208.	नीमच	नगर परिषद्	सरचानिया महाराज	2343	2161	0	4504	2126	1932	0	4058	90.74	89.4	0	90.1
209.	नीमच	नगर परिषद्	जीरन	4076	3963	0	8039	3653	3471	0	7124	89.62	87.59	0	88.62
			कुल :	1154567	1051267	90	2205924	958667	851550	37	1810273	94.14	90.425	0	92.33

परिशिष्ट-बीस

“अ”

जमानत जब्त होने वाले अभ्यर्थियों की जानकारी नगरपालिक निगम के महापौर पद हेतु

क्र.	जिला	निकाय का प्रकार	निकाय का नाम	चुनाव लड़ने वाले		जमानत जब्त होने वाले अभ्यर्थी	प्रतिशत
				अध्यर्थी	6		
1	2	3	4	5	6	7	
1.	ग्वालियर	नगरपालिक निगम	ग्वालियर	13	11	84.62	
2.	सांगर	नगरपालिक निगम	सांगर	6	4	66.67	
3.	सतना	नगरपालिक निगम	सतना	12	10	83.33	
4.	रीवा	नगरपालिक निगम	रीवा	10	7	70.00	
5.	सिंगरौली	नगरपालिक निगम	सिंगरौली	4	1	25.00	
6.	कटनी	नगरपालिक निगम	कटनी	7	5	71.43	
7.	देवास	नगरपालिक निगम	देवास	6	3	50.00	
8.	खंडवा	नगरपालिक निगम	खंडवा	3	1	33.33	
9.	बुरहानपुर	नगरपालिक निगम	बुरहानपुर	4	2	50.00	
10.	इन्दौर	नगरपालिक निगम	इन्दौर	5	3	60.00	
11.	रतलाम	नगरपालिक निगम	रतलाम	2	0	0.00	
12.	भोपाल	नगरपालिक निगम	भोपाल	17	15	88.24	
13.	जबलपुर	नगरपालिक निगम	जबलपुर	7	5	71.43	
14.	छिंदवाड़ा	नगरपालिक निगम	छिंदवाड़ा	6	4	66.67	
				कुल ..	102	71	69.61

“ब”

जमानत जब्त होने वाले अभ्यर्थियों की जानकारी नगरपालिक निगम के पार्षद पद हेतु

क्र.	जिला	निकाय का प्रकार	निकाय का नाम	चुनाव लड़ने वाले		जमानत जब्त होने वाले अभ्यर्थी	प्रतिशत
				अभ्यर्थी	6		
1	2	3	4	5	6	7	
1.	सिंगरौली	नगरपालिक निगम	सिंगरौली	235	121	51.49	
2.	रीवा	नगरपालिक निगम	रीवा	265	153	57.74	
3.	जबलपुर	नगरपालिक निगम	जबलपुर	403	219	54.34	
4.	भोपाल	नगरपालिक निगम	भोपाल	456	273	59.87	

5.	बुरहानपुर	नगरपालिका निगम	बुरहानपुर	194	78	40.21
6.	सतना	नगरपालिका निगम	सतना	317	215	67.82
7.	खंडवा	नगरपालिका निगम	खंडवा	177	69	38.98
8.	सागर	नगरपालिका निगम	सागर	185	72	38.92
9.	रत्लाम	नगरपालिका निगम	रत्लाम	171	61	35.67
10.	कटनी	नगरपालिका निगम	कटनी	209	112	53.59
11.	छिंदवाड़ा	नगरपालिका निगम	छिंदवाड़ा	166	57	34.34
12.	ग्वालियर	नगरपालिका निगम	ग्वालियर	410	250	60.98
13.	इन्दौर	नगरपालिका निगम	इन्दौर	321	131	40.81
14.	देवास	नगरपालिका निगम	देवास	199	93	46.73
कुल . .			3708	1904	51.35	

“स”

अध्यक्ष-नगरपालिका बार जमानत जब्त होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या

क्र.	जिला	निकाय का प्रकार	निकाय का नाम	चुनाव लड़ने वाले अर्थर्थी	जमानत जब्त होने वाले अर्थर्थी	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्योपुर	नगरपालिका परिषद्	श्योपुर	4	1	25.00
2.	मुरैना	नगरपालिका परिषद्	पोरस	8	5	62.50
3.	मुरैना	नगरपालिका परिषद्	सबलगढ़	6	4	66.67
4.	मुरैना	नगरपालिका परिषद्	अम्बाह	5	3	60.00
5.	भिण्ड	नगरपालिका परिषद्	भिण्ड	3	1	33.33
6.	भिण्ड	नगरपालिका परिषद्	गोहद	5	2	40.00
7.	ग्वालियर	नगरपालिका परिषद्	डबरा	4	1	25.00
8.	दतिया	नगरपालिका परिषद्	दतिया	4	2	59.00
9.	शिवपुरी	नगरपालिका परिषद्	शिवपुरी	12	10	83.33
10.	गुना	नगरपालिका परिषद्	गुना	14	11	78.57
11.	अशोकनगर	नगरपालिका परिषद्	चंदेरी	5	2	40.00
12.	अशोकनगर	नगरपालिका परिषद्	अशोकनगर	8	6	75.00
13.	सागर	नगरपालिका परिषद्	खुरई	3	1	33.33
14.	सागर	नगरपालिका परिषद्	बीना	2	0	0.00

15.	सागर	नगरपालिका परिषद्	रहली	३	1	33.33
16.	सागर	नगरपालिका परिषद्	देवरी	४	०	0.00
17.	सागर	नगरपालिका परिषद्	गढ़ाकोटा	३	१	33.33
18.	टीकमगढ़	नगरपालिका परिषद्	टीकमगढ़	८	५	62.50
19.	छतरपुर	नगरपालिका परिषद्	छतरपुर	११	९	81.82
20.	छतरपुर	नगरपालिका परिषद्	नौगांव	५	२	40.00
21.	छतरपुर	नगरपालिका परिषद्	महाराजपुर	९	७	77.78
22.	दमोह	नगरपालिका परिषद्	हटा	३	१	33.33
23.	दमोह	नगरपालिका परिषद्	दमोह	७	५	71.43
24.	पन्ना	नगरपालिका परिषद्	पन्ना	५	३	60.00
25.	जबलपुर	नगरपालिका परिषद्	सिहोरा	३	१	33.33
26.	जबलपुर	नगरपालिका परिषद्	पनागर	३	०	0.00
27.	बालाघाट	नगरपालिका परिषद्	बालाघाट	१०	७	70.00
28.	बालाघाट	नगरपालिका परिषद्	मलाजखेंड	३	१	33.33
29.	बालाघाट	नगरपालिका परिषद्	वारासिवनी	४	२	50.00
30.	सिवनी	नगरपालिका परिषद्	सिवनी	६	४	66.67
31.	नरसिंहपुर	नगरपालिका परिषद्	नरसिंहपुर	२	०	0.00
32.	नरसिंहपुर	नगरपालिका परिषद्	गाडरवाड़ा	३	१	33.33
33.	नरसिंहपुर	नगरपालिका परिषद्	गोटेगांव	३	१	33.33
34.	नरसिंहपुर	नगरपालिका परिषद्	करेली	४	२	50.00
35.	छिंदवाड़ा	नगरपालिका परिषद्	डोंगरपरासिया	५	३	60.00
36.	छिंदवाड़ा	नगरपालिका परिषद्	चौरई	३	१	33.33
37.	छिंदवाड़ा	नगरपालिका परिषद्	अमरवाड़ा	६	४	66.67
38.	बैतूल	नगरपालिका परिषद्	बैतूल	४	२	50.00
39.	बैतूल	नगरपालिका परिषद्	मूलताई	५	१	20.00
40.	बैतूल	नगरपालिका परिषद्	आमला	७	५	71.43
41.	होशंगाबाद	नगरपालिका परिषद्	इटारसी	२	०	0.00
42.	होशंगाबाद	नगरपालिका परिषद्	पिपरिया	३	१	33.33
43.	होशंगाबाद	नगरपालिका परिषद्	सिवनी मालवा	४	१	25.00
44.	होशंगाबाद	नगरपालिका परिषद्	होशंगाबाद	१०	८	80.00
45.	रायसेन	नगरपालिका परिषद्	बेगमगंज	५	३	60.00

46.	रायसेन	नगरपालिका परिषद्	रायसेन	7	4	57.14
47.	विदिशा	नगरपालिका परिषद्	सिरोज	7	5	71.43
48.	विदिशा	नगरपालिका परिषद्	गंजबासोदा	4	2	50.00
49.	भोपाल	नगरपालिका परिषद्	बैरसिया	11	9	81.82
50.	सीहोर	नगरपालिका परिषद्	आष्टा	3	0	0.00
51.	राजगढ़	नगरपालिका परिषद्	ब्यावरा	7	4	57.14
52.	राजगढ़	नगरपालिका परिषद्	राजगढ़	2	0	0.00
53.	राजगढ़	नगरपालिका परिषद्	नरसिंहगढ़	4	2	50.00
54.	आगर मालवा	नगरपालिका परिषद्	आगर	3	1	33.33
55.	शाजापुर	नगरपालिका परिषद्	शुजालपुर	2	0	0.00
56.	खरगोन	नगरपालिका परिषद्	खरगोन	3	1	33.33
57.	खरगोन	नगरपालिका परिषद्	बड़वाह	2	0	0.00
58.	खरगोन	नगरपालिका परिषद्	सनावद	5	3	60.00
59.	उज्जैन	नगरपालिका परिषद्	खाचरोद	4	2	50.00
60.	उज्जैन	नगरपालिका परिषद्	बड़नगर	2	0	0.00
61.	उज्जैन	नगरपालिका परिषद्	महिदपुर	4	2	50.00
62.	उज्जैन	नगरपालिका परिषद्	नागदा	7	5	71.43
63.	रतलाम	नगरपालिका परिषद्	जावरा	6	3	50.00
64.	नीमच	नगरपालिका परिषद्	नीमच	4	2	50.00
कुल ..				323	176	54.49

“द”

पार्षद-नगरपालिका वार जमानत जब्त होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या

क्र.	जिला	निकाय का प्रकार	निकाय का नाम	चुनाव लड़ने वाले		प्रतिशत
				अध्यर्थी	जमानत जब्त होने वाले अध्यर्थी	
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्योपुर	नगरपालिका परिषद्	श्योपुर	81	29	35.80
2.	मुरैना	नगरपालिका परिषद्	पोरस	64	22	34.38
3.	मुरैना	नगरपालिका परिषद्	सबलगढ़	116	70	60.34
4.	मुरैना	नगरपालिका परिषद्	अम्बाह	66	17	25.76
5.	भिण्ड	नगरपालिका परिषद्	भिण्ड	180	86	47.78

6.	भिण्ड	नगरपालिका परिषद्	गोहद	116	74	63.79
7.	ग्वालियर	नगरपालिका परिषद्	डबरा	144	68	47.22
8.	दतिया	नगरपालिका परिषद्	दतिया	152	69	45.39
9.	शिवपुरी	नगरपालिका परिषद्	शिवपुरी	211	112	53.08
10.	गुना	नगरपालिका परिषद्	गुना	221	133	60.18
11.	अशोकनगर	नगरपालिका परिषद्	चंदेरी	71	21	29.58
12.	अशोकनगर	नगरपालिका परिषद्	अशोकनगर	89	33	37.08
13.	सागर	नगरपालिका परिषद्	खुरई	68	16	23.53
14.	सागर	नगरपालिका परिषद्	बीना	74	14	18.92
15.	सागर	नगरपालिका परिषद्	रहली	40	8	20.00
16.	सागर	नगरपालिका परिषद्	देवरी	38	3	7.89
17.	सागर	नगरपालिका परिषद्	गढ़ाकोटा	27	4	14.81
18.	टीकमगढ़	नगरपालिका परिषद्	टीकमगढ़	142	74	52.11
19.	छतरपुर	नगरपालिका परिषद्	छतरपुर	181	93	51.38
20.	छतरपुर	नगरपालिका परिषद्	नौगांव	109	67	61.47
21.	छतरपुर	नगरपालिका परिषद्	महाराजपुर	79	42	53.16
22.	दमोह	नगरपालिका परिषद्	हटा	38	6	15.79
23.	दमोह	नगरपालिका परिषद्	दमोह	145	55	37.93
24.	पन्ना	नगरपालिका परिषद्	पन्ना	88	36	40.91
25.	जबलपुर	नगरपालिका परिषद्	सिहोरा	75	25	33.33
26.	जबलपुर	नगरपालिका परिषद्	पनागर	44	10	22.73
27.	बालाघाट	नगरपालिका परिषद्	बालाघाट	122	46	37.70
28.	बालाघाट	नगरपालिका परिषद्	मलाजखंड	73	17	23.29
29.	बालाघाट	नगरपालिका परिषद्	बारासिवनी	43	12	27.91
30.	सिवनी	नगरपालिका परिषद्	सिवनी	99	41	41.41
31.	नरसिंहपुर	नगरपालिका परिषद्	नरसिंहपुर	62	0	0.00
32.	नरसिंहपुर	नगरपालिका परिषद्	गाडरवाड़ा	61	12	19.67
33.	नरसिंहपुर	नगरपालिका परिषद्	गोटेगांव	34	5	14.71
34.	नरसिंहपुर	नगरपालिका परिषद्	करेली	35	4	11.43
35.	छिंदवाड़ा	नगरपालिका परिषद्	डोंगरपरासिया	63	11	17.46
36.	छिंदवाड़ा	नगरपालिका परिषद्	चौरई	43	9	20.93

37.	छिंदवाड़ा	नगरपालिका परिषद्	अमरवाड़ा	57	21	36.84
38.	बैतूल	नगरपालिका परिषद्	बैतूल	100	29	29.00
39.	बैतूल	नगरपालिका परिषद्	मूलताई	60	22	36.67
40.	बैतूल	नगरपालिका परिषद्	आमला	66	23	34.85
41.	होशंगाबाद	नगरपालिका परिषद्	इटारसी	103	22	21.36
42.	होशंगाबाद	नगरपालिका परिषद्	पिपरिया	44	2	4.55
43.	होशंगाबाद	नगरपालिका परिषद्	सिवनी मालवा	56	21	37.50
44.	होशंगाबाद	नगरपालिका परिषद्	होशंगाबाद	126	53	42.06
45.	रायसेन	नगरपालिका परिषद्	बेगमगंज	70	29	41.43
46.	रायसेन	नगरपालिका परिषद्	रायसेन	68	21	30.88
47.	विदिशा	नगरपालिका परिषद्	सिरोंज	86	39	45.35
48.	विदिशा	नगरपालिका परिषद्	गंजबासोदा	73	17	23.29
49.	भोपाल	नगरपालिका परिषद्	बैरसिया	99	51	19.52
50.	सीहोर	नगरपालिका परिषद्	आष्टा	59	13	22.03
51.	राजगढ़	नगरपालिका परिषद्	ब्यावरा	64	22	34.38
52.	राजगढ़	नगरपालिका परिषद्	राजगढ़	39	6	15.38
53.	राजगढ़	नगरपालिका परिषद्	नरसिंहगढ़	47	14	29.79
54.	आगर मालवा	नगरपालिका परिषद्	आगर	79	21	26.58
55.	शाजापुर	नगरपालिका परिषद्	शुजालपुर	71	16	22.54
56.	खरगोन	नगरपालिका परिषद्	खरगोन	131	58	44.27
57.	खरगोन	नगरपालिका परिषद्	बड़वाह	50	11	22.00
58.	खरगोन	नगरपालिका परिषद्	सनावद	47	10	21.28
59.	उज्जैन	नगरपालिका परिषद्	खाचरोद	71	21	29.58
60.	उज्जैन	नगरपालिका परिषद्	बड़नगर	51	11	21.57
61.	उज्जैन	नगरपालिका परिषद्	महिदपुर	65	24	36.92
62.	उज्जैन	नगरपालिका परिषद्	नगदा	116	34	29.31
63.	रतलाम	नगरपालिका परिषद्	जावरा	91	19	20.88
64.	नीमच	नगरपालिका परिषद्	नीमच	122	35	28.69
कुल ..			5405	2009	37.17	

“इ”

जमानत जब्त होने वाले अध्यर्थियों की जानकारी नगर परिषद् के अध्यक्ष पद हेतु

क्र.	जिला	निकाय का प्रकार	निकाय का नाम	चुनाव लड़ने वाले		प्रतिशत
				अध्यर्थी	जमानत जब्त होने वाले अध्यर्थी	
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्योपुर	नगर परिषद्	बड़ोद	5	3	60.00
2.	श्योपुर	नगर परिषद्	विजयपुर	4	1	25.00
3.	मुरैना	नगर परिषद्	झुण्डपुरा	4	1	25.00
4.	मुरैना	नगर परिषद्	बानमोर	3	0	0
5.	मुरैना	नगर परिषद्	कैलारस	6	3	50.00
6.	मुरैना	नगर परिषद्	जौरा	6	3	50.00
7.	भिण्ड	नगर परिषद्	मौ	12	10	83.33
8.	भिण्ड	नगर परिषद्	मेहगांव	8	5	62.50
9.	भिण्ड	नगर परिषद्	मिहोना	4	1	25.00
10.	भिण्ड	नगर परिषद्	दबोह	4	1	25.00
11.	भिण्ड	नगर परिषद्	फूफ	8	5	62.5
12.	भिण्ड	नगर परिषद्	अकोड़ा	4	0	0.00
13.	भिण्ड	नगर परिषद्	आलमपुर	5	3	60.00
14.	भिण्ड	नगर परिषद्	गोरमी	5	3	60.00
15.	भिण्ड	नगर परिषद्	लहार	7	4	57.14
16.	ग्वालियर	नगर परिषद्	बिलौआ	4	2	50.00
17.	ग्वालियर	नगर परिषद्	भितरवार	6	4	66.67
18.	ग्वालियर	नगर परिषद्	पिछोर	3	0	0.00
19.	ग्वालियर	नगर परिषद्	आंतरी	3	0	0.00
20.	दतिया	नगर परिषद्	इंदरगढ़	6	3	50.00
21.	दतिया	नगर परिषद्	भाण्डेर	7	5	71.43
22.	दतिया	नगर परिषद्	सेवढ़ा	10	8	80.00
23.	शिवपुरी	नगर परिषद्	खनियाधाना	5	3	60.00
24.	शिवपुरी	नगर परिषद्	बदरवास	2	0	0.00
25.	शिवपुरी	नगर परिषद्	बैराड़	9	5	55.56
26.	शिवपुरी	नगर परिषद्	केरा	10	7	70.00

27.	शिवपुरी	नगर परिषद्	कोलारस	6	4	66.67
28.	शिवपुरी	नगर परिषद्	पिछोर	6	3	50.00
29.	गुना	नगर परिषद्	कुम्भराज	3	0	0.00
30.	गुना	नगर परिषद्	चाचौड़ा बीनागंज	5	2	40.00
31.	गुना	नगर परिषद्	आरोन	5	3	60.00
32.	अशोकनगर	नगर परिषद्	मुंगावली	6	3	50.00
33.	अशोकनगर	नगर परिषद्	शाढौरा	5	2	40.00
34.	सागर	नगर परिषद्	बण्डा	5	3	60.00
35.	सागर	नगर परिषद्	राहतगढ़	6	3	50.00
36.	सागर	नगर परिषद्	शाहपुर	3	1	33.33
37.	सागर	नगर परिषद्	शाहगढ़	3	1	33.33
38.	टीकमगढ़	नगर परिषद्	खरगापुर	8	6	75.00
39.	टीकमगढ़	नगर परिषद्	बड़ागांव धसान	7	4	57.14
40.	टीकमगढ़	नगर परिषद्	बलदेवगढ़	7	4	57.14
41.	टीकमगढ़	नगर परिषद्	कारी	7	4	57.14
42.	टीकमगढ़	नगर परिषद्	निवाड़ी	3	0	0.00
43.	टीकमगढ़	नगर परिषद्	लिधौरा	6	3	50.00
44.	टीकमगढ़	नगर परिषद्	पृथ्वीपुर	6	4	66.67
45.	टीकमगढ़	नगर परिषद्	पलेरा	6	4	66.67
46.	टीकमगढ़	नगर परिषद्	तरिचरकला	6	4	66.67
47.	टीकमगढ़	नगर परिषद्	जतारा	5	3	60.00
48.	टीकमगढ़	नगर परिषद्	जैरोन	10	7	70.00
49.	छतरपुर	नगर परिषद्	खजुराहो	9	7	77.78
50.	छतरपुर	नगर परिषद्	बकस्वाहा	7	4	57.14
51.	छतरपुर	नगर परिषद्	बारीगढ़	9	7	77.78
52.	छतरपुर	नगर परिषद्	बड़ामल्हारा	8	6	75.00
53.	छतरपुर	नगर परिषद्	बिजावर	7	4	57.14
54.	छतरपुर	नगर परिषद्	हरपालपुर	9	7	77.78
55.	छतरपुर	नगर परिषद्	राजनगर	3	1	33.33
56.	छतरपुर	नगर परिषद्	सर्टई	3	1	33.33
57.	छतरपुर	नगर परिषद्	चंदला	13	10	76.92

58.	छतरपुर	नगर परिषद्	गडीमल्हारा	5	3	60.00
59.	छतरपुर	नगर परिषद्	लौंडी (लवकुश नगर)	7	5	71.43
60.	दमोह	नगर परिषद्	हिण्डोरिया	4	1	25.00
61.	दमोह	नगर परिषद्	पथरिया	5	3	60.00
62.	दमोह	नगर परिषद्	पटेरा	3	1	33.33
63.	दमोह	नगर परिषद्	तेन्दूखेड़ा	4	1	25.00
64.	पन्ना	नगर परिषद्	ककरहटी	8	5	62.50
65.	पन्ना	नगर परिषद्	पवई	7	4	57.14
66.	पन्ना	नगर परिषद्	देवेन्द्रनगर	10	8	80.00
67.	पन्ना	नगर परिषद्	अमानगंज	8	6	75.00
68.	पन्ना	नगर परिषद्	अजयगढ़	7	5	71.43
69.	सतना	नगर परिषद्	कोठी	4	1	25.00
70.	सतना	नगर परिषद्	बिरसिंहपुर	6	4	66.67
71.	सतना	नगर परिषद्	चित्रकूट	10	8	80.00
72.	सतना	नगर परिषद्	रामपुर बघेलन	9	7	77.78
73.	सतना	नगर परिषद्	उचेहरा	7	4	57.14
74.	सतना	नगर परिषद्	जैतवारा	11	9	81.82
75.	सतना	नगर परिषद्	न्यू रामनगर	15	13	86.67
76.	सतना	नगर परिषद्	नागोद	10	6	60.00
77.	सतना	नगर परिषद्	अमरपाटन	3	1	33.33
78.	रीवा	नगर परिषद्	बैकुंठपुर	6	3	50.00
79.	रीवा	नगर परिषद्	मऊगंज	6	2	33.33
80.	रीवा	नगर परिषद्	मनगंवा	5	3	60.00
81.	रीवा	नगर परिषद्	सिरपोर	8	5	62.50
82.	रीवा	नगर परिषद्	हनुमना	12	10	83.33
83.	रीवा	नगर परिषद्	सेमरिया	6	2	33.33
84.	रीवा	नगर परिषद्	त्योंथर	12	10	83.33
85.	रीवा	नगर परिषद्	नईगढ़ी	6	3	50.00
86.	रीवा	नगर परिषद्	गोविंदगढ़	7	5	71.43
87.	रीवा	नगर परिषद्	गुड़	10	8	80.00
88.	सीधी	नगर परिषद्	रामपुर नैकिन	3	0	0.00

89.	શહડોલ	નગર પરિષદ्	ખાંડ	8	5	62.50
90.	શહડોલ	નગર પરિષદ्	બ્યોહારી	7	5	71.43
91.	ઉમરિયા	નગર પરિષદ्	ચંદિયા	4	1	25.00
92.	ઉમરિયા	નગર પરિષદ्	નૌરોજાબાદ	3	1	33.33
93.	કટની	નગર પરિષદ्	બરહી	4	1	25.00
94.	કટની	નગર પરિષદ्	કૈમોર	8	6	75.00
95.	કટની	નગર પરિષદ्	વિજય રાઘવગઢ	8	5	62.05
96.	જબલપુર	નગર પરિષદ्	બરેલા	5	3	60.00
97.	જબલપુર	નગર પરિષદ्	કંટગી	4	1	25.00
98.	જબલપુર	નગર પરિષદ्	મજૌલી	3	0	0.00
99.	જબલપુર	નગર પરિષદ्	પાટન	3	0	0.00
100.	જબલપુર	નગર પરિષદ्	શાહપુરા	3	0	0.00
101.	જબલપુર	નગર પરિષદ्	કટંગી	4	1	25.00
102.	સિવની	નગર પરિષદ्	બરઘાટ	3	0	0.00
103.	નરસિંહપુર	નગર પરિષદ्	ચિચલી	2	0	0.00
104.	નરસિંહપુર	નગર પરિષદ्	ખાઈ ખેડા	2	0	0.00
105.	નરસિંહપુર	નગર પરિષદ्	સાલીચૌકા (બાબરી કલાં)	2	0	0.00
106.	નરસિંહપુર	નગર પરિષદ्	તેન્દૂખેડા	1	0	0.00
107.	છિંદવાડા	નગર પરિષદ्	બડકુહી	3	1	33.33
108.	છિંદવાડા	નગર પરિષદ्	બિછુઆ	3	1	33.33
109.	છિંદવાડા	નગર પરિષદ्	પિપળાનારાયણવાર	3	1	33.33
110.	છિંદવાડા	નગર પરિષદ्	ચાંદ	3	0	0.00
111.	છિંદવાડા	નગર પરિષદ्	ચાંદામેટાબુટારિયા	4	2	50.00
112.	છિંદવાડા	નગર પરિષદ्	ન્યૂટન ચિખલી	3	1	33.33
113.	છિંદવાડા	નગર પરિષદ्	લાધીખેડા	3	1	33.33
114.	બૈતૂલ	નગર પરિષદ्	બૈતૂલ બાજાર	6	3	50.00
115.	હરદા	નગર પરિષદ्	ખિરકિયા	2	0	0.00
116.	હરદા	નગર પરિષદ्	ટિમરની	4	2	50.00
117.	હોશંગાબાદ	નગર પરિષદ्	બાબરી	3	1	33.33
118.	હોશંગાબાદ	નગર પરિષદ्	સોહાગપુર	3	1	33.33
119.	રાયસેન	નગર પરિષદ्	બરેલી	4	1	25.00

120.	रायसेन	नगर परिषद्	बाड़ी	4	1	25.00
121.	रायसेन	नगर परिषद्	सिलवानी	5	2	40.00
122.	रायसेन	नगर परिषद्	सुल्तानपुर	3	1	33.33
123.	रायसेन	नगर परिषद्	उदयपुरा	5	2	40.00
124.	रायसेन	नगर परिषद्	ओबेदुल्लागंज	5	3	60.00
125.	रायसेन	नगर परिषद्	गैरतगंज	8	6	75.00
126.	विदिश	नगर परिषद्	कुरवाई	6	3	50.00
127.	विदिश	नगर परिषद्	लटेरी	5	2	40.00
128.	सीहोर	नगर परिषद्	इच्छावर	6	3	50.00
129.	सीहोर	नगर परिषद्	बुदनी	4	1	25.00
130.	सीहोर	नगर परिषद्	कोठरी	7	4	57.14
131.	सीहोर	नगर परिषद्	रेहटी	4	1	25.00
132.	सीहोर	नगर परिषद्	जावर	4	1	25.00
133.	सीहोर	नगर परिषद्	नसरुल्लागंज	4	2	50.00
134.	राजगढ़	नगर परिषद्	खुजनेर	3	1	33.33
135.	राजगढ़	नगर परिषद्	बोड़ा	3	1	33.33
136.	राजगढ़	नगर परिषद्	कुरावर	6	4	66.67
137.	राजगढ़	नगर परिषद्	माचलपुर	5	3	60.00
138.	राजगढ़	नगर परिषद्	खिलचीपुर	8	5	62.50
139.	राजगढ़	नगर परिषद्	पचोर	5	2	40.00
140.	राजगढ़	नगर परिषद्	सुठालिया	3	1	33.33
141.	राजगढ़	नगर परिषद्	तलेन	4	2	50.00
142.	राजगढ़	नगर परिषद्	जीरापुर	4	2	50.00
143.	आगर मालवा	नगर परिषद्	बड़ौद	2	0	0.00
144.	आगर मालवा	नगर परिषद्	बड़ागांव	2	0	0.00
145.	आगर मालवा	नगर परिषद्	कानड़	3	0	0.00
146.	आगर मालवा	नगर परिषद्	सोयतकलां	3	0	0.00
147.	आगर मालवा	नगर परिषद्	सुसनेर	5	3	60.00
148.	आगर मालवा	नगर परिषद्	नलखेड़ा	2	0	0.00
149.	शाजापुर	नगर परिषद्	मक्सी	2	0	0.00
150.	शाजापुर	नगर परिषद्	पोलायकलां	3	0	0.00

151.	शाजापुर	नगर परिषद्	पानखेड़ी	2	0	0.00
152.	शाजापुर	नगर परिषद्	अकोदिया	2	0	0.00
153.	देवास	नगर परिषद्	खातेगांव	3	1	33.33
154.	देवास	नगर परिषद्	बागली	7	4	57.14
155.	देवास	नगर परिषद्	करनावद	5	3	60.00
156.	देवास	नगर परिषद्	कांटाफोड़	3	1	33.33
157.	देवास	नगर परिषद्	कन्नौद	5	2	40.00
158.	देवास	नगर परिषद्	हाटपिपल्या	2	0	0.00
159.	देवास	नगर परिषद्	भौरांसा	3	1	33.33
160.	देवास	नगर परिषद्	सोनकच्छ	5	3	60.00
161.	देवास	नगर परिषद्	सतवासा	4	2	50.00
162.	देवास	नगर परिषद्	नेमावर	6	4	66.67
163.	देवास	नगर परिषद्	लोहार्दा	4	2	50.00
164.	खंडवा	नगर परिषद्	मूंदी	2	0	0.00
165.	खंडवा	नगर परिषद्	पंधाना	4	2	50.00
166.	बुरहानपुर	नगर परिषद्	शाहपुर	2	0	0.00
167.	खरगोन	नगर परिषद्	करही पांडल्याखुर्द	5	3	60.00
168.	खरगोन	नगर परिषद्	कसरावद	2	0	0.00
169.	झाबुआ	नगर परिषद्	मेघनगर	3	1	33.33
170.	धार	नगर परिषद्	बदनावर	2	0	0.00
171.	इंदौर	नगर परिषद्	बेटमा	6	4	66.67
172.	इंदौर	नगर परिषद्	महू गाँव	4	2	50.00
173.	इंदौर	नगर परिषद्	मानपुर	3	1	33.33
174.	इंदौर	नगर परिषद्	हातोद	2	0	0.00
175.	इंदौर	नगर परिषद्	राड	2	0	0.00
176.	इंदौर	नगर परिषद्	सांवेर	2	0	0.00
177.	इंदौर	नगर परिषद्	देपालपुर	3	1	33.33
178.	इंदौर	नगर परिषद्	गौतमपुरा	4	2	50.00
179.	उज्जैन	नगर परिषद्	माकडोन	3	1	33.33
180.	उज्जैन	नगर परिषद्	उन्हेल	6	4	66.67
181.	उज्जैन	नगर परिषद्	तराना	6	4	66.67

182.	रतलाम	नगर परिषद्	बड़ावदा	3	1	33.33
183.	रतलाम	नगर परिषद्	पिपलोदा	7	4	57.14
184.	रतलाम	नगर परिषद्	ताल	4	2	50.00
185.	रतलाम	नगर परिषद्	नामली	4	1	25.00
186.	रतलाम	नगर परिषद्	आलोट	3	1	33.33
187.	मंदसौर	नगर परिषद्	मल्हारगढ	3	0	00.00
188.	मंदसौर	नगर परिषद्	पिपल्या मंडी	5	1	20.00
189.	मंदसौर	नगर परिषद्	भानपुर	6	4	66.67
190.	मंदसौर	नगर परिषद्	शामगढ	2	0	0.00
191.	मंदसौर	नगर परिषद्	सीतामऊ	2	0	0.00
192.	मंदसौर	नगर परिषद्	नारायणगण	9	6	66.67
193.	मंदसौर	नगर परिषद्	नगरी	5	3	60
194.	मंदसौर	नगर परिषद्	गरोठ	2	0	0.00
195.	नीमच	नगर परिषद्	मनासा	3	0	0.00
196.	नीमच	नगर परिषद्	सिंगोली	3	1	33.33
197.	नीमच	नगर परिषद्	डिकेन	6	4	66.67
198.	नीमच	नगर परिषद्	रामपुरा	3	1	33.33
199.	नीमच	नगर परिषद्	रतनगढ	2	0	00
200.	नीमच	नगर परिषद्	सरवानिया महाराज	2	0	00
201.	नीमच	नगर परिषद्	जीरन	3	0	0.00
202.	नीमच	नगर परिषद्	जावद	2	0	0.00
203.	नीमच	नगर परिषद्	नयागांव	3	0	0.00
204.	नीमच	नगर परिषद्	अठाना	5	3	60.00
205.	नीमच	नगर परिषद्	कुकड़ेश्वर	2	0	0.00
206.	होशंगाबाद	नगर परिषद्	वनखेड़ी	3	1	33.33
207.	दतिया	नगर परिषद्	बडोनी	8	6	75
208.	विदिशा	नगर परिषद्	शमशाबाद	3	1	33.33
209.	राजगढ	नगर परिषद्	छापीहेड़ा	6	4	66.67

कुल :

1038

533

51.35

“फ”

जमानत जब्त होने वाले अभ्यर्थियों की जानकारी नगर परिषद् के पार्षद पद हेतु

क्र.	जिला	निकाय का प्रकार	निकाय का नाम	चुनाव लड़ने वाले अध्यर्थी	जमानत जब्त होने वाले अध्यर्थी	प्रतिशत
						1 2 3 4 5 6 7
1.	श्योपुर	नगर परिषद्	बड़ोद	58	21	36.21
2.	श्योपुर	नगर परिषद्	विजयपुर	63	21	33.33
3.	मुरैना	नगर परिषद्	झुण्डपुरा	49	12	24.49
4.	मुरैना	नगर परिषद्	बानमोर	57	13	22.81
5.	मुरैना	नगर परिषद्	कैलारस	91	54	59.34
6.	मुरैना	नगर परिषद्	जौरा	104	59	56.73
7.	भिण्ड	नगर परिषद्	मौ	79	44	55.70
8.	भिण्ड	नगर परिषद्	मेहगांव	73	31	42.47
9.	भिण्ड	नगर परिषद्	मिहोना	52	18	34.62
10.	भिण्ड	नगर परिषद्	दबोह	46	8	17.39
11.	भिण्ड	नगर परिषद्	फूफ	40	4	10.00
12.	भिण्ड	नगर परिषद्	अकोड़ा	42	11	26.19
13.	भिण्ड	नगर परिषद्	आलमपुर	34	4	11.76
14.	भिण्ड	नगर परिषद्	गोरमी	63	22	34.92
15.	भिण्ड	नगर परिषद्	लहार	63	23	36.51
16.	ग्वालियर	नगर परिषद्	बिलौआ	56	18	32.14
17.	ग्वालियर	नगर परिषद्	भितरबार	79	44	55.70
18.	ग्वालियर	नगर परिषद्	पिछोर	49	7	14.29
19.	ग्वालियर	नगर परिषद्	आंतरी	47	8	17.02
20.	दतिया	नगर परिषद्	इंदरगढ़	69	31	44.93
21.	दतिया	नगर परिषद्	भाण्डेर	61	23	37.70
22.	दतिया	नगर परिषद्	सेवढ़ा	59	20	33.90
23.	शिवपुरी	नगर परिषद्	खनियाधाना	52	17	32.69
24.	शिवपुरी	नगर परिषद्	बदरवास	39	7	17.95
25.	शिवपुरी	नगर परिषद्	बैराड़	92	52	56.52
26.	शिवपुरी	नगर परिषद्	करेगा	78	41	52.56

27.	शिवपुरी	नगर परिषद्	कोलारस	60	18	30.00
28.	शिवपुरी	नगर परिषद्	पिंडोर	62	25	40.32
29.	गुना	नगर परिषद्	कुम्भराज	63	19	30.16
30.	गुना	नगर परिषद्	चाचौड़ा बीनागंज	65	24	36.92
31.	गुना	नगर परिषद्	आरोन	53	19	35.85
32.	अशोकनगर	नगर परिषद्	मुंगावली	73	37	50.68
33.	अशोकनगर	नगर परिषद्	शाढौरा	61	29	47.54
34.	सागर	नगर परिषद्	बण्डा	58	23	39.66
35.	सागर	नगर परिषद्	राहतगढ़	64	32	50.00
36.	सागर	नगर परिषद्	शाहपुर	64	26	40.63
37.	सागर	नगर परिषद्	शाहगढ़	63	27	42.86
38.	टीकमगढ़	नगर परिषद्	खरगापुर	74	36	48.65
39.	टीकमगढ़	नगर परिषद्	बड़ागांव धसान	92	55	59.78
40.	टीकमगढ़	नगर परिषद्	बल्देवगढ़	79	41	51.90
41.	टीकमगढ़	नगर परिषद्	कारी	64	25	39.06
42.	टीकमगढ़	नगर परिषद्	निवाड़ी	72	35	48.61
43.	टीकमगढ़	नगर परिषद्	लिधौरा	65	28	43.08
44.	टीकमगढ़	नगर परिषद्	पृथ्वीपुर	56	18	32.14
45.	टीकमगढ़	नगर परिषद्	पलेरा	61	26	42.62
46.	टीकमगढ़	नगर परिषद्	तरिचरकला	62	25	40.32
47.	टीकमगढ़	नगर परिषद्	जतारा	74	35	47.30
48.	टीकमगढ़	नगर परिषद्	जैरोन	56	19	33.93
49.	छतरपुर	नगर परिषद्	खजुराहो	63	19	30.16
50.	छतरपुर	नगर परिषद्	बकस्वाहा	59	18	30.51
51.	छतरपुर	नगर परिषद्	बारीगढ़	59	20	33.90
52.	छतरपुर	नगर परिषद्	बड़ामल्हारा	83	53	63.86
53.	छतरपुर	नगर परिषद्	बिजावर	76	38	50.00
54.	छतरपुर	नगर परिषद्	हरपालपुर	83	44	53.01
55.	छतरपुर	नगर परिषद्	राजनगर	66	26	39.39
56.	छतरपुर	नगर परिषद्	सटई	47	14	29.79
57.	छतरपुर	नगर परिषद्	चंदला	58	23	39.66

58.	छतरपुर	नगर परिषद्	गड़ीमल्हारा	50	14	28.00
59.	छतरपुर	नगर परिषद्	लौंडी (लवकुश नगर)	58	20	34.48
60.	दमोह	नगर परिषद्	हिण्डोरिया	41	8	19.51
61.	दमोह	नगर परिषद्	पथरिया	52	15	28.85
62.	दमोह	नगर परिषद्	पटेरा	49	16	32.65
63.	दमोह	नगर परिषद्	तेन्दूखेड़ा	42	8	19.05
64.	पन्ना	नगर परिषद्	ककरहटी	49	16	32.65
65.	पन्ना	नगर परिषद्	पवई	73	38	52.05
66.	पन्ना	नगर परिषद्	देवन्द्रनगर	62	22	35.48
67.	पन्ना	नगर परिषद्	अमानगंज	56	18	32.14
68.	पन्ना	नगर परिषद्	अजयगढ़	85	50	58.82
69.	सतना	नगर परिषद्	कोठी	64	24	37.50
70.	सतना	नगर परिषद्	बिरसिंहपुर	58	17	29.31
71.	सतना	नगर परिषद्	चित्रकूट	79	41	51.90
72.	सतना	नगर परिषद्	रामपुर बघेलन	72	33	45.83
73.	सतना	नगर परिषद्	उचेहरा	68	30	44.12
74.	सतना	नगर परिषद्	जैतवारा	64	24	37.50
75.	सतना	नगर परिषद्	न्यू रामनगर	125	94	75.20
76.	सतना	नगर परिषद्	नागोद	67	27	40.30
77.	सतना	नगर परिषद्	अमरपाटन	58	20	34.48
78.	रीवा	नगर परिषद्	बैकुंठपुर	67	25	37.31
79.	रीवा	नगर परिषद्	मऊगंज	65	23	35.38
80.	रीवा	नगर परिषद्	मनगंवा	57	20	35.09
81.	रीवा	नगर परिषद्	सिरमौर	71	31	43.66
82.	रीवा	नगर परिषद्	हनुमना	67	27	40.30
83.	रीवा	नगर परिषद्	सेमरिया	62	20	32.26
84.	रीवा	नगर परिषद्	त्याँथर	58	21	36.21
85.	रीवा	नगर परिषद्	नईगढ़ी	51	15	29.41
86.	रीवा	नगर परिषद्	गोविंदगढ़	71	34	47.89
87.	रीवा	नगर परिषद्	गुढ़	58	16	27.59
88.	सीधी	नगर परिषद्	रामपुर नैकिन	46	13	28.26

89.	શહડોલ	નગર પરિષદ्	ખાંડ	72	32	44.44
90.	શહડોલ	નગર પરિષદ्	બ્યોહારી	69	25	36.23
91.	ઉમરિયા	નગર પરિષદ्	ચંદિયા	65	22	33.85
92.	ઉમરિયા	નગર પરિષદ्	નૌરોજાબાદ	47	14	29.79
93.	કટની	નગર પરિષદ्	બરહી	71	33	46.48
94.	કટની	નગર પરિષદ्	કૈમોર	69	33	47.83
95.	કટની	નગર પરિષદ्	વિજય રાઘવગઢ	46	5	10.87
96.	જબલપુર	નગર પરિષદ्	બરેલા	49	15	30.61
97.	જબલપુર	નગર પરિષદ्	કંટગી	38	5	13.16
98.	જબલપુર	નગર પરિષદ्	મજૂલી	48	13	27.08
99.	જબલપુર	નગર પરિષદ्	પાટન	44	7	15.91
100.	જબલપુર	નગર પરિષદ्	શાહપુરા	67	27	40.30
101.	જબલપુર	નગર પરિષદ्	કંટગી	63	22	34.92
102.	સિવની	નગર પરિષદ्	બરધાટ	46	13	28.26
103.	નરસિંહપુર	નગર પરિષદ्	ચિચલી	48	18	37.50
104.	નરસિંહપુર	નગર પરિષદ्	ખાઈ ખેડા	43	7	16.28
105.	નરસિંહપુર	નગર પરિષદ्	સાલીચૌકા (બાબરી કલાં)	35	3	8.57
106.	નરસિંહપુર	નગર પરિષદ्	તેન્દૂખેડા	18	0	0.00
107.	છિંદવાડા	નગર પરિષદ्	બડકુહી	43	9	20.93
108.	છિંદવાડા	નગર પરિષદ्	બિલુઆ	48	10	20.83
109.	છિંદવાડા	નગર પરિષદ्	પિપળાનારાયણવાર	38	4	10.53
110.	છિંદવાડા	નગર પરિષદ्	ચાઁડ	50	9	18.00
111.	છિંદવાડા	નગર પરિષદ्	ચાંદામેટાબુટારિયા	50	11	22.00
112.	છિંદવાડા	નગર પરિષદ्	ન્યૂટન ચિખલી	40	10	25.00
113.	છિંદવાડા	નગર પરિષદ्	લાધીખેડા	41	10	24.39
114.	બૈતુલ	નગર પરિષદ्	બૈતુલ બાજાર	41	6	14.63
115.	હરદા	નગર પરિષદ्	ખિરકિયા	41	6	17.07
116.	હરદા	નગર પરિષદ्	ટિમરની	62	24	38.71
117.	હોશંગાબાદ	નગર પરિષદ्	બાબરી	38	6	15.79
118.	હોશંગાબાદ	નગર પરિષદ्	સોહાગપુર	39	7	17.95
119.	રાયસેન	નગર પરિષદ्	બરેલી	46	10	21.74

120.	रायसेन	नगर परिषद्	बाड़ी	45	6	13.33
121.	रायसेन	नगर परिषद्	सिलवानी	73	35	47.95
122.	रायसेन	नगर परिषद्	सुल्तानपुर	48	9	18.75
123.	रायसेन	नगर परिषद्	उदयपुरा	40	6	15.00
124.	रायसेन	नगर परिषद्	ओबेदुल्लागंज	48	10	20.83
125.	रायसेन	नगर परिषद्	गैरतगंज	70	37	52.86
126.	विदिश	नगर परिषद्	कुरवाई	48	11	22.92
127.	विदिश	नगर परिषद्	लटेरी	61	20	32.79
128.	सीहोर	नगर परिषद्	इछावर	47	8	17.02
129.	सीहोर	नगर परिषद्	बुदनी	48	11	22.92
130.	सीहोर	नगर परिषद्	कोठरी	69	29	42.03
131.	सीहोर	नगर परिषद्	रेहटी	51	9	17.65
132.	सीहोर	नगर परिषद्	जावर	47	12	25.53
133.	सीहोर	नगर परिषद्	नसरुल्लागंज	46	15	32.61
134.	राजगढ़	नगर परिषद्	खुजनेर	36	5	13.89
135.	राजगढ़	नगर परिषद्	बोड़ा	41	5	12.20
136.	राजगढ़	नगर परिषद्	कुरावर	72	30	41.67
137.	राजगढ़	नगर परिषद्	माचलपुर	40	7	17.50
138.	राजगढ़	नगर परिषद्	खिलचीपुर	62	24	38.71
139.	राजगढ़	नगर परिषद्	पचोर	58	20	34.48
140.	राजगढ़	नगर परिषद्	सुठालिया	44	8	18.18
141.	राजगढ़	नगर परिषद्	तलेन	44	5	11.36
142.	राजगढ़	नगर परिषद्	जीरापुर	48	14	29.17
143.	आगर मालवा	नगर परिषद्	बड़ौद	43	7	16.28
144.	आगर मालवा	नगर परिषद्	बड़ागांव	38	5	13.16
145.	आगर मालवा	नगर परिषद्	कानड़	44	3	6.82
146.	आगर मालवा	नगर परिषद्	सोयतकलां	41	9	21.95
147.	आगर मालवा	नगर परिषद्	सुसनेर	41	6	14.63
148.	आगर मालवा	नगर परिषद्	नलखेड़ा	46	11	23.91
149.	शाजापुर	नगर परिषद्	मवसी	33	2	6.06
150.	शाजापुर	नगर परिषद्	पोलायकलां	50	8	16.00

151.	शाजापुर	नगर परिषद्	पानखेड़ी	42	8	19.05	
152.	शाजापुर	नगर परिषद्	अकोदिया	35	1	2.86	
153.	देवास	नगर परिषद्	खातेगांव	48	12	25.00	
154.	देवास	नगर परिषद्	बागली	58	18	31.03	
155.	देवास	नगर परिषद्	करनावद	43	8	18.60	
156.	देवास	नगर परिषद्	कांटाफोड़	35	3	8.57	
157.	देवास	नगर परिषद्	कन्नौद	42	8	19.05	
158.	देवास	नगर परिषद्	हाटपिपल्या	42	11	26.19	
159.	देवास	नगर परिषद्	भौरांसा	51	14	27.45	
160.	देवास	नगर परिषद्	सोनकच्छ	65	23	35.38	
161.	देवास	नगर परिषद्	सतवासा	56	17	30.36	
162.	देवास	नगर परिषद्	नेमावर	50	14	25.00	
163.	देवास	नगर परिषद्	लोहार्दा	39	4	10.26	
164.	खंडवा	नगर परिषद्	मूंदी	35	6	17.14	
165.	खंडवा	नगर परिषद्	पंधाना	33	1	3.03	
166.	बुरहानपुर	नगर परिषद्	शाहपुर	40	10	25.00	
167.	खरगोनप	नगर परिषद्	करही पांडल्याखुर्द	50	14	28.00	
168.	खरगोनप	नगर परिषद्	कसरावद	44	13	29.55	
169.	झाबुआ	नगर परिषद्	मेघनगर	60	22	36.67	
170.	धार	नगर परिषद्	बदनावर	45	11	24.44	
171.	इंदौर	नगर परिषद्	बेटमा	52	14	26.92	
172.	इंदौर	नगर परिषद्	महू गाँव	53	17	32.08	
173.	इंदौर	नगर परिषद्	मानपुर	37	4	10.81	
174.	इंदौर	नगर परिषद्	हातोद	51	16	31.37	
175.	इंदौर	नगर परिषद्	राउ	29	1	3.45	
176.	इंदौर	नगर परिषद्	सांवेर	34	3	8.82	
177.	इंदौर	नगर परिषद्	देपालपुर	47	13	27.66	
178.	इंदौर	नगर परिषद्	गौतमपुरा	44	7	15.91	
179.	उज्जैन	नगर परिषद्	माकडोन	48	11	22.92	
180.	उज्जैन	नगर परिषद्	उहेल	54	20	37.04	
181.	उज्जैन	नगर परिषद्	तराना	61	28	45.90	

182.	रतलाम	नगर परिषद्	बड़वादा ठिठि	40	4	10.00
183.	रतलाम	नगर परिषद्	पिपलोदा	50	10	20.00
184.	रतलाम	नगर परिषद्	ताल	55	22	40.00
185.	रतलाम	नगर परिषद्	नामली	51	12	23.53
186.	रतलाम	नगर परिषद्	आलोट	50	14	28.00
187.	मंदसौर	नगर परिषद्	मल्हारगढ	41	6	14.63
188.	मंदसौर	नगर परिषद्	पिपल्या मंडी	68	35	51.47
189.	मंदसौर	नगर परिषद्	भानपुर	47	14	29.79
190.	मंदसौर	नगर परिषद्	शामगढ़	39	7	17.95
191.	मंदसौर	नगर परिषद्	सीतामऊ	57	18	31.58
192.	मंदसौर	नगर परिषद्	नारायणगढ़	55	19	34.55
193.	मंदसौर	नगर परिषद्	नगरी	55	16	29.09
194.	मंदसौर	नगर परिषद्	गरोठ	51	16	31.37
195.	नीमच	नगर परिषद्	मनासा	49	8	16.33
196.	नीमच	नगर परिषद्	सिंगोली	47	2	25.53
197.	नीमच	नगर परिषद्	डिकेन	37	6	16.22
198.	नीमच	नगर परिषद्	रामपुरा	42	8	19.05
199.	नीमच	नगर परिषद्	रतनगढ़	35	1	2.86
200.	नीमचे	नगर परिषद्	सरवनिया महाराज	45	10	22.22
201.	नीमच	नगर परिषद्	जीरन	44	10	22.73
202.	नीमच	नगर परिषद्	जावद	36	4	11.11
203.	नीमच	नगर परिषद्	नयागांव	55	25	45.45
204.	नीमच	नगर परिषद्	अठाना	36	4	11.11
205.	नीमच	नगर परिषद्	कुकडेश्वर	52	18	34.62
206.	होशंगाबाद	नगर परिषद्	वनखेड़ी	60	25	41.67
207.	दतिया	नगर परिषद्	बडोनी	65	24	36.92
208.	विदिशा	नगर परिषद्	शमशाबाद	42	6	14.29
209.	राजगढ़	नगर परिषद्	छापीहेड़ा	51	11	21.57
कुल :				11390	3791	33.28

पार्टी वार/नगरीय निकाय प्रकार वार विजेताओं की सांख्यिकी जानकारी

क्र. दल का नाम	नगर निगम		नगर पालिका		नगर परिषद्		कुल		
	महापौर	पार्षद	अध्यक्ष	पार्षद	अध्यक्ष	पार्षद	महापौर	अध्यक्ष	पार्षद
1. बहुजन समाज पार्टी	0	11	2	15	2	51	0	4	77
2. भारतीय जनता पार्टी	14	460	38	815	120	1501	14	158	2776
3. इंडियन नेशनल कांग्रेस	0	214	17	453	58	975	0	75	1642
4. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी)	0	3	0	0	1	1	0	1	4
5. नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी	0	0	0	3	0	0	0	0	3
6. समाजवादी पार्टी	0	1	0	2	0	10	0	0	13
7. शिवसेना	0	2	0	1	0	0	0	0	3
8. अखिल भारत हिंदू महासभा	0	1	0	0	0	0	0	0	1
9. गोंडवाना गणतंत्र पार्टी	0	0	0	0	0	1	0	0	1
10. इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग	0	1	0	0	0	0	0	0	1
11. निर्दलीय	0	90	7	179	28	596	0	35	865
Total	14	783	64	1468	209	3135	14	273	5386

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर (म. प्र.) में वर्ष 2011 में दर्ज प्रकरणों का विवरण

स. क्र.	नस्ती क्रमांक	प्रकरण का विवरण	प्रभारी अधिकारी
1	2	3	4
1.	एफ-18-10/11/दो	रिट याचिका क्रमांक 9111-11 शारदा प्रसाद विरुद्ध राज्य शासन व अन्य	जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था. निर्वा.) अनूपपुर आदेश क्रमांक 484-85, दि. 12-07-11 द्वारा प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया।
2.	एफ-17-13/12/दो	सिविल रिविजन क्रमांक 482/12 के संबंध में जबलपुर (म. प्र.)	जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था. निर्वा.) जिला जबलपुर आदेश क्रमांक 609-10 दि. 21-06-12 द्वारा प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया।

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर (म. प्र.) में वर्ष 2012 में दर्ज प्रकरणों का विवरण

(प्रकरणों का विवरण)

स. क्र.	नस्ती क्रमांक	प्रकरण का विवरण	प्रभारी अधिकारी
1	2	3	4
1.	एफ-18-07/12/दो	रिट याचिका क्रमांक 7342-12 श्री महेन्द्र कुमार यादव, विरुद्ध रा. नि. आ. सागर.	उप जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था. निर्वा.) सागर को आदेश क्रमांक 482-83, दिनांक 15-06-12 द्वारा प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया.
2.	एफ-17-14/12/दो	रिट याचिका क्रमांक 8594-12, श्री सुरेन्द्र कुमार शुक्ला, विरुद्ध रा. नि. आ. शहडोल.	उप जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था. निर्वा.) शहडोल को आदेश क्रमांक 672/673, दिनांक 03-07-12 द्वारा प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया.
3.	एफ-17-16/12/दो	रिट याचिका क्रमांक 9530-12 श्री वीरेन्द्र सिंह गोर, विरुद्ध रा. नि. आ. सागर.	उप जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था. निर्वा.) सागर को आदेश क्रमांक 780-781, दिनांक 22-8-12 द्वारा प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया.
4.	एफ-17-17/12/दो	रिट याचिका क्रमांक 8175-12, श्री वीरेन्द्र सिंह तोमर, विरुद्ध रा. नि. आ. रायसेन.	उप जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था. निर्वा.) रायसेन को आदेश क्रमांक 830/833, दिनांक 04-09-12 द्वारा प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया.
5.	एफ-17-18/12/दो	रिट अपील क्रमांक 1002-12, प्रेमबाई अहिरवार, विरुद्ध रा. नि. आ. सागर.	उप जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था. निर्वा.) सागर को आदेश क्रमांक 838/839, दिनांक 07-09-12 द्वारा प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया.

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर (म. प्र.) में क्षण 2013 में दर्ज प्रकरणों का विवरण

स. क्र.	नस्ती क्रमांक	प्रकरण का विवरण	प्रभारी अधिकारी
1	2	3	4
1.	एफ-17-12/13/दो	रिट याचिका क्रमांक 1111/13 (पिल) अविनाश रायच, विरुद्ध रा. नि. आ. बालाघाट.	उप जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था. निर्वा.) बालाघाट को आदेश क्रमांक 424-425, दिनांक 16-07-13 द्वारा प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया.
2.	एफ-18-15/13/दो	रिट याचिका क्रमांक 19686/13 श्रीमती कौशल्याबाई, विरुद्ध रा. नि. आ. रायसेन.	उप जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था. निर्वा.) रायसेन को आदेश क्रमांक 07-08, दिनांक 03-01-14 द्वारा प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया.
3.	एफ-17-01/14/दो	रिट याचिका क्रमांक 21025/13 मुन्नीबाई भगवानदास चौहान, विरुद्ध रा. नि. आ. रायसेन.	उप जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था. निर्वा.) रायसेन को आदेश क्रमांक 24-25, दिनांक 17-1-14 द्वारा प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया.
4.	एफ-34-03/14/दो	रिट याचिका क्रमांक 19367/13 शिवप्रसाद चतुर्वेदी, विरुद्ध रा. नि. आ. टीकमगढ़.	उप जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था. निर्वा.) टीकमगढ़ को आदेश क्रमांक 31-32, दिनांक 21-1-14 द्वारा प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया.
5.	एफ-17-04/14/दो	रिट याचिका क्रमांक 6309/13 अजयप्रकाश विरुद्ध रा. नि. आ. सीधी.	उप जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था. निर्वा.) सीधी को आदेश क्रमांक 70-71, दिनांक 13-02-14 द्वारा प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया.

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर (म. प्र.) में वर्ष 2014 में दर्ज प्रकरणों का विवरण

स. क्र.	नस्ती क्रमांक	प्रकरण का विवरण	प्रभारी अधिकारी
1	2	3	4
1.	एफ-17-08/14/दो	रिट याचिका क्रमांक 10028/04 श्रीमति कृष्ण धमेन्द्र सोनी, विरुद्ध रा. नि. आ. भोपाल.	उप जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थ. निर्वा.) भोपाल को आदेश क्रमांक 683-684, दिनांक 30-08-14 द्वारा प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया।
2.	एफ-18-04/14/दो	क्लेम प्रकरण क्रमांक 241/10, श्रीमति मालती बाई विरुद्ध रा. नि. आ. हरदा.	आयोग के ज्ञापन क्रमांक 363-64, दिनांक 03-06-14 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, हरदा (म. प्र.) को प्रकरण में शासकीय अधिभाषक के माध्यम से पक्ष समर्थन की कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं।

माननीय उच्च न्यायालय, बैंच इन्दौर (म. प्र.) में दायर प्रकरणों का विवरण वर्ष 2012

स. क्र.	नस्ती क्रमांक	प्रकरण का विवरण	प्रभारी अधिकारी
1	2	3	4
1.	एफ-18-02/12/दो	रिट याचिका क्रमांक 7142/12 दिनेश पटेल विरुद्ध राज्य शासन /रा. नि. आ. कलेक्टर, इन्दौर.	उप जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था. निर्वा.) जिला इन्दौर को आदेश क्रमांक 776-77, दिनांक 22-08-12 द्वारा प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया.
2.	एफ-18-41/10/दो	सिविल रिविजन क्रमांक 204/12 नरेश उर्फ सोनू विरुद्ध राज्य शासन /रा. नि. आ. व अन्य नीमच.	उप जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था. निर्वा.) जिला नीमच को आदेश क्रमांक 943-44, दिनांक 09-11-12 द्वारा प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया.
3.	एफ-18-26/10/दो	सिविल रिविजन क्रमांक 176/12 गोदावरी ललवानी विरुद्ध कल्पना पवाररा. नि. आ. व अन्य नीमच.	उप जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था. निर्वा.) जिला नीमच को आदेश क्रमांक 970-71, 23-11-12 द्वारा प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया.

माननीय उच्च न्यायालय, बैंच इन्दौर (म. प्र.) में दायर प्रकरणों का विवरण वर्ष 2013

सं. क्र.	नस्ती क्रमांक	प्रकरण का विवरण	प्रभारी अधिकारी
1	2	3	4
1.	एफ-18-03/13/दो	रिट याचिका क्रमांक 928/13 दिनेश आर्य विरुद्ध रा. नि. आ. व अन्य इन्दौर.	उप जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था. निर्वा.) जिला इन्दौर को आदेश क्रमांक 72-73, दिनांक 13-02-13 द्वारा प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया।
2.	एफ-17-10/13/दो	रिट याचिका क्रमांक 2430/13 संगीता गुप्ता विरुद्ध रा.नि.आ. कलेक्टर शाजापुर.	उप जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था. निर्वा.) जिला शाजापुर को आदेश क्रमांक 190-91, दिनांक 01-04-13 द्वारा प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया।
3.	एफ-34-75/13/दो	दीवानी मुकदमा क्रमांक 22-बी/13 रमेश चन्द्र विरुद्ध सचिव रा.नि.आ. भोपाल (मा. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश नीमच म. प्र.)	उप जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था. निर्वा.) ज़िला नीमच को आदेश क्रमांक 496-97, दिनांक 16-09-13 द्वारा प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया।

माननीय उच्च न्यायालय बैंच गवालियर (म. प्र.) में दायर प्रकरणों का विवरण वर्ष 2011

स. क्र.	नस्ती क्रमांक	प्रकरण का विवरण	प्रभारी अधिकारी
1	2	3	4
1.	एफ-18-06/11/दो	रिट याचिका क्रमांक 274/11 प्रेम सिंह कुशवाह विरुद्ध ब्रिजेन्ड्र सिंह जादौन व अन्य जिला गवालियर.	उप जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था. निर्वा.) जिला गवालियर को आदेश दिनांक 25-03-11 द्वारा प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया.
2.	एफ-18-8/11/दो	रिट याचिका क्रमांक 2855/11 श्रीमती अनीता देवी विरुद्ध रा.नि.आ. अन्य भिण्ड.	उप जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था. निर्वा.) जिला भिण्ड को आदेश दिनांक 24-5-11 द्वारा प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया.
3.	एफ-17-07/11/दो	सिविल रिवीजन क्रमांक 07/11 गिरीश चन्द्र विरुद्ध रा. नि. आ. अशोकनगर	उप जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था. निर्वा.) अशोकनगर को आदेश क्रमांक 506-507 दिनांक 19-7-11 द्वारा प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया.
4.	एफ-17-08/11/दो	सिविल रिवीजन क्रमांक 06/11 बलवीर सिंह विरुद्ध रा.नि.आ. अन्य अशोकनगर.	उप जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था. निर्वा.) जिला अशोकनगर को आदेश क्रमांक 533-534 दिनांक 28-7-11 द्वारा प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया.
5	एफ-17-10/11/दो	रिट याचिका क्रमांक 4082/11 रवीन्द्र पुरोहित विरुद्ध अजमेरी खान विरुद्ध रा. नि. आ. अन्य दतिया.	उप जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था. निर्वा.) जिला दतिया को आदेश क्रमांक 702-703, दिनांक 03-10-11 द्वारा प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया.
6.	एफ-34-69/11/दो	रिट याचिका क्रमांक 6979/11 शिव सिंह विरुद्ध रा. नि. आ. अन्य श्योपुर.	उप जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था. निर्वा.) जिला श्योपुर को आदेश क्रमांक 832-833, दिनांक 29-11-11 द्वारा प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया.
7.	एफ-17-12/12/दो	रिट याचिका क्रमांक 16754/11 अनिल दुबे विरुद्ध रा. नि. आ. अन्य हरदा.	उप जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था. निर्वा.) जिला हरदा को आदेश क्रमांक 113-114, दिनांक 04-02-12 द्वारा प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया.

माननीय उच्च न्यायालय बैंच गवालियर (म. प्र.) में दायर प्रकरणों का विवरण वर्ष 2012

स. क्र.	नस्ती क्रमांक	प्रकरण का विवरण	प्रभारी अधिकारी
1	2	3	4
1.	एफ-17-07/12/दो	रिट याचिका क्रमांक 187/12 श्री मनोज सिंह कुशवाह विरुद्ध ¹ रा.नि.आ. व अन्य जिला भिण्ड.	उप जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था. निर्वा.) जिला भिण्ड को आदेश क्रमांक 173-174 दिनांक 01-03-12 द्वारा प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया।
2.	एफ-17-07/12/दो	रिट याचिका क्रमांक 2670/12 श्री मानसिंह परसौदा विरुद्ध ² ब्रिजेन्ड्र सिंह जादौन व अन्य जिला गुना।	उप जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था. निर्वा.) जिला गुना को आदेश क्रमांक 376-377, दिनांक 18-05-12 द्वारा प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया।
3.	एफ-18-06/12/दो	रिट याचिका क्रमांक 3586/12 श्रीमति रामकली विरुद्ध ब्रिजेन्ड्र सिंह जादौन व अन्य जिला दतिया।	उप जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था. निर्वा.) जिला दतिया को आदेश क्रमांक 469-470, दिनांक 13-06-12 द्वारा प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया।

माननीय उच्च न्यायालय बैंच ग्वालियर (म. प्र.) में दायर प्रकरणों का विवरण वर्ष 2013

स. क्र.	नस्ती क्रमांक	प्रकरण का विवरण	प्रभारी अधिकारी
1	2	3	4
1.	एफ-18-03/13/दो	रिट याचिका क्रमांक 7685/13 श्रीमति सर्वदी विरुद्ध रा.नि.आ. जिला मुरैना.	उप जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था. निर्वा.) जिला मुरैना को आदेश क्रमांक 611-612, दिनांक 11-11-13 द्वारा प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया।
2.	एफ-18-38/13/दो	सिविल रिवीजन क्रमांक 145/13 अजमेरी खान विरुद्ध रा.नि.आ. जिला दतिया।	उप जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था. निर्वा.) जिला दतिया को आदेश क्रमांक 146-147, दिनांक 14-03-14 द्वारा प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया।

माननीय उच्च न्यायालय बैंच ग्वालियर (म. प्र.) में दायर प्रकरणों का विवरण वर्ष 2014

स. क्र.	नस्ती क्रमांक	प्रकरण का विवरण	प्रभारी अधिकारी
1	2	3	4
1.	एफ-18-07/14/दो	रिट याचिका क्रमांक 3352/14 श्री बेलवीर सिंह कुशवाह विरुद्ध ³ रा.नि.आ. जिला मुरैना।	उप जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था. निर्वा.) जिला मुरैना को आदेश क्रमांक 629-630, दिनांक 12-08-14 द्वारा प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया।

विधिक प्रकरण जो आयोग को प्राप्त हुए उनका विवरण एवं उनमें कृत कार्यवाही की जानकारी

स. क्र.	प्रकरण का विवरण	कृत कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4
1.	रिट पिटीशन क्रमांक-8630/2014 राजेश जोशी विरुद्ध म. प्र. शासन राज्य निर्वाचन आयोग व अन्य विषयक.	प्रकरण का संबंध मूलतः प्रमुख सचिव म. प्र. शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल से होने के कारण आयोग के ज्ञापन क्रमांक-एफ-34-37/14/दो/583, दिनांक 30-07-14 के संलग्न संगत विभाग को भेजा गया।	महापौर/अध्यक्ष से आरक्षण से संबंधित।
2.	निर्वाचन याचिका क्रमांक-18/2014 पारस पुत्र शांतिलाल सकलेचा विरुद्ध चेतन्य कश्यप एवं अन्य विषयक.	प्रकरण का संबंध मूलतः मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय भोपाल से होने के कारण आयोग के ज्ञापन क्रमांक-एफ-34-37/2014/दो/594, दिनांक 04-08-14 के संलग्न उपरोक्त संगत कार्यालय को भेजा गया।	निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-220 रतलाम सिटी के सम्पन्न विधान सभा निर्वाचन 2013 की विध्यवस्तु।
3.	रिट याचिका क्रमांक-913/2014 श्री वल्लीर सिंह कुशवाह विरुद्ध म. प्र. शासन कलेक्टर मुरैना में पारित आदेश बाबत.	माननीय उच्च न्यायालय, बैन्च ग्वालियर द्वारा इस संबंध में पारित निर्णय के पालन में आयोग द्वारा म. प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा-29 (04) के अन्तर्गत दिनांक 01-08-2014 को आदेश पारित कर आदेश की प्रतिलिपि कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला मुरैना को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई।	जिला पंचायत मुरैना के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 16 के रिक्त सदस्य एवं अध्यक्ष के निर्वाचन के संबंध में।
4.	रिट याचिका क्रमांक-8869/2014 मनतीबाई विरुद्ध राज्य शासन, राज्य निर्वाचन आयोग कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला बालाघाट।	आयोग के ज्ञापन क्रमांक-एफ-17-5/2014/दो/614-615, दिनांक 07-08-2014 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला बालाघाट को प्रकरण में जिला स्तर पर प्रकरण प्रभारी नियुक्त कर प्रतिरक्षण के निर्देश जारी किए गए।	नगरपालिका सीमाओं में ग्राम पंचायतों को सम्मिलित करने संबंधित विवाद।
5.	रिट याचिका क्रमांक-13345/13 में पारित निर्णय के परिप्रेक्ष्य में श्री रणछोड़ लाल चौधरी जिला उज्जैन के अभ्यावेदन बाबत।	प्रकरण का संबंध निर्वाचन शाखा (पंचायत) से संबंधित होने के कारण नस्ती अग्रिम कार्यवाही हेतु संगत शाखा को भेजी गई।	निर्वाचन नियमों के उपबंधों में संशोधन संबंधित अभ्यावेदन।
6.	रिट याचिका क्रमांक-10100/2014 मुस्तकीम अजम विरुद्ध राज्य निर्वाचन आयोग में माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10-07-2014 का पालन विषयक।	प्रकरण का संबंध मूलतः निर्वाचन व्यय प्रकोष्ठ से संबंधित होने के कारण नस्ती संगत शाखा को अंतरित की गई।	निर्वाचन व्यय संबंधित विवाद।

1

2

3

4

7. रिट याचिका क्रमांक-3352/14/दो, बलवीर सिंह कुशवाह विरुद्ध राज्य शासन, राज्य निर्वाचन आयोग, कलेक्टर मुरैना. आयोग का आदेश क्रमांक-एफ-18-07/14/दो/629-630, दिनांक 12-08-14 द्वारा उप जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था. निर्वाचन) मुरैना को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया.
8. म. प्र. पंचायत राज्य अधिनियम, 1993 में संशोधन संबंधी श्री रणछोड़ लाल चौधरी द्वारा दायर याचिका में पारित निर्णय संबंधी. प्रकरण में आयोग के ज्ञापन क्रमांक-एफ-17-07/14/दो/653, दिनांक 20-08-14 द्वारा इस संबंध में स्थिति स्पष्ट कर पत्र की प्रतिलिपि सचिव, म. प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को भेजी गई.
9. रिट याचिका क्रमांक-8442/13 नन्हे लाल धुर्वे विरुद्ध प्रमुख सचिव, कापरेटिव विभाग, मंत्रालय, भोपाल, माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर (म. प्र.). प्रकरण की विषय वस्तु मूलतः प्रमुख सचिव, कापरेटिव विभाग, मंत्रालय, भोपाल से होने के कारण प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 16-06-14 की प्रति मूलतः आवश्यक कार्यवाही हेतु उपरोक्त संगत विभाग को ज्ञापन क्रमांक-एफ-34-37/14/दो/665, 666 दिनांक 22-08-14 में संलग्न भेजी गई.
10. माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर एवं उसकी खंडपीठों में नियुक्त अभिभाषकों से समन्वय के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से समन्वय अधिकारी नियुक्त करने विषयक. आयोग के ज्ञापन क्रमांक एफ-34-52/14/दो/574-575, दिनांक 26-07-14 द्वारा मा. उच्च न्यायालय, जबलपुर हेतु श्री पी. एस. यादव, अवर सचिव, रा.नि.आ., बैच इन्डौर के लिए श्री संजय श्रीवास्तव, अवर सचिव, रा.नि.आ. एवं बैच ग्वालियर हेतु श्री प्रदीप तिवारी, अवर सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग को समन्वय अधिकारी नियुक्त किया गया है.
11. रिट याचिका क्रमांक-10028/14 श्री कृष्ण धर्मेन्द्र सोनी विरुद्ध राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल आदि. आयोग के आदेश क्रमांक-एफ-17-08/2014/दो/683/684, दिनांक 30-08-14 द्वारा उप जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था. निर्वा.) जिला भोपाल को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया.
12. रिट याचिका क्रमांक-5494/14 श्रीमति मनोरमा पति देवनारायण विरुद्ध रा.नि.आ., कलेक्टर, उज्जैन आदि. आयोग के पत्र क्रमांक 839-40 दिनांक 15-10-14 द्वारा कलेक्टर देवास को प्रकरण में जिला स्तर पर प्रभारी अधिकारी नियुक्त कर शासकीय अभिभाषक के माध्यम से आयोग एवं जिले का संयुक्त उत्तर पेश करने के निर्देश दिए गए.
13. रिट याचिका क्रमांक-6777/14 निशित सिसोदिया विरुद्ध म. प्र. शासन, रा.नि.आ., कलेक्टर, उज्जैन आदि. आयोग की ओर से प्रकरण में प्रतिरक्षण की कार्यवाही किए जाने हेतु आदेश क्रमांक 858-59, दिनांक 20-10-14 द्वारा उप जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था. निर्वा.) जिला उज्जैन को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया.
- जिला पंचायत अध्यक्ष एवं सदस्य के रिक्त पद के निर्वाचन संबंधी विवाद.
- पंचायत निर्वाचन नियमों में संशोधन संबंधी सुझाव विषयक.
- कापरेटिव समितियों के निर्वाचन संबंधी विवाद.
- समन्वय संबंधी कार्य अभिभाषकों से.
- निर्वाचन व्यव लेखा संबंधित विवाद. (निरहंता).
- सम्पन्न पार्षद पद का निर्वा. विवाद., नामांकन पत्र नहीं लेने के संबंध में.
- वाडों के अवधारण एवं परिसीमन संबंधी विवाद नगर पालिका, खाचरौद, जिला उज्जैन.

1

2

3

4

14. रिट याचिका क्रमांक-5496/14 श्रीमति इंदिरा पति रामेश्वर विरुद्ध रा.नि.आ., कलेक्टर, देवास आदि। प्रकरण में आयोग के ज्ञापन क्रमांक 862/863, दिनांक 21-10-14 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वा. अधिकारी, देवास को जिला स्तर पर प्रभारी अधिकारी नियुक्त कर जिले एवं आयोग का संयुक्त उत्तर शास. अभिभाषक के माध्यम से पेश करने के निर्देश दिए गए।
15. रिट याचिका क्रमांक-7538/14 श्याम स्वरूप श्रीवास्तव विरुद्ध म. प्र. शासन, रा.नि.आ., कलेक्टर, जिला आगर मालवा। आयोग के आदेश क्रमांक-एफ-17-12/14/दो/940/941, दिनांक 11-11-14 द्वारा उप जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था. निर्वा.) जिला आगर मालवा को प्रकरण प्रभारी नियुक्त किया गया है।
16. रिट याचिका क्रमांक-15478/14 अशोक कुशराम, विरुद्ध म. प्र. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, रा.नि.आ., कलेक्टर, होशंगाबाद। प्रकरण में आयोग के ज्ञापन क्रमांक-1219/1220, दिनांक 27 नवम्बर, 2014 द्वारा जिले के साथ आयोग का पक्ष भी शा. अभिभाषक के माध्यम से मा. उच्च न्यायालय, जबलपुर के समक्ष रखने के निर्देश के साथ इसकी रिपोर्ट आयोग को भी करने के निर्देश कलेक्टर, होशंगाबाद को दिए गए।
17. रिट याचिका क्रमांक-8191/2014 (पिल) प्रेम सिंह विरुद्ध म. प्र. शासन, रा.नि.आ., कलेक्टर, देवास आदि। आयोग के आदेश क्रमांक-1246/1247, दिनांक 1-12-2014 द्वारा उप जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था. निर्वा.) जिला देवास को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया।
18. रिट याचिका क्रमांक-8184/14 धीसालाल विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन, रा.नि.आ., कलेक्टर, राजगढ़ आदि। प्रकरण में आयोग के ज्ञापन दिनांक 1-12-2014 द्वारा कलेक्टर, राजगढ़ को शासकीय अभिभाषक के माध्यम से जिले के साथ आयोग का भी पक्ष मा. उच्च न्यायालय के समक्ष रखने के निर्देश दिए गए।
19. रिट याचिका क्रमांक-7033/14 हरीसिंह व अन्य विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन, रा.नि.आ., कलेक्टर, अशोकनगर आदि। प्रकरण में प्रतिरक्षण की कार्यवाही हेतु आयोग के आदेश क्रमांक 1267/68, दिनांक 1-12-14 द्वारा उप जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था. निर्वा.) जिला अशोकनगर म. प्र. को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया।
20. रिट याचिका क्रमांक-8558/14 (एस) श्यामलाल राजदेव विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल, रा.नि.आ., व अन्य इन्दौर। प्रकरण में प्रतिरक्षण की कार्यवाही हेतु आयोग के आदेश क्रमांक 1605/1606, दिनांक 9-12-14 द्वारा उप जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था. निर्वाचन) जिला इन्दौर को प्रकरण प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया।
- नगर परिषद् पीपलखां जिला देवास के वार्ड क्रमांक-13 से परिषद पद का निर्वा. विवाद. नामांकन पत्र नहीं लेने के संबंध में।
- नगर परिषद् बड़ौद, जिला आगर मालवा के परिसीमन एवं मतदाता सूची संबंधी विवाद।
- नगर पालिका परिषद् होशंगाबाद के वार्डों के आरक्षण संबंधी विवाद।
- सरपंच पदों का आरक्षण विवाद, जिला देवास।
- सरपंच पदों का आरक्षण विवाद।
- मतदाता सूची संबंधी विवाद. नाम विलोपन के संबंध में।
- नगरपालिक निगम, इन्दौर के आम निर्वाचन संबंधी।

1

2

3

4

21. रिट याचिका क्रमांक-17868/14 बहार बाई विरुद्ध म. प्र. शासन, रा.नि.आ., कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, दमोह आदि. प्रकरण में जिला दमोह द्वारा प्रभारी अधिकारी नियुक्त कर जवाबदाबा मा. उच्च न्यायालय, जबलपुर के सम्मुख पेश किया जा चुका है। नाम निर्देशन पत्र अस्वीकार या निरस्त करने संबंधी विवाद.
22. रिट याचिका क्रमांक-8023/14 संजीव सक्सेना विरुद्ध म. प्र. शासन, कलेक्टर आगर मालवा, राज्य निर्वाचन आयोग आदि. प्रकरण में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, आगर मालवा को पत्र दिनांक 12 दिसम्बर, 2014 द्वारा निर्देश दिए गए कि यदि प्रकरण में जिले से पक्ष रखा जा रहा है तो जिले के साथ राज्य निर्वाचन आयोग का भी पक्ष मा. उच्च न्यायालय, बैंच इन्दौर म. प्र. के समक्ष रखा जाए। नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2014-15 के दरमियान स्थानान्तरण करने संबंधी विवाद.
23. रिट अपील क्रमांक-589/14 श्रीमती सुमन अहिरवार विरुद्ध राज्य शासन, रा.नि.आ. व अन्य सागर. आयोग के आदेश क्रमांक 1971-72, दिनांक 24-12-2014 द्वारा उप जिला निर्वाचन अधिकारी, (स्थानीय निर्वाचन) जिला सगार को प्रकरण प्रभारी नियुक्त किया गया। वर्ष 2009 में सम्पन्न नगरपालिक निगम, सागर के महापौर के निर्वाचन संबंधी विवाद, विशेषक, नितिवादी क्रमांक-3 रिटर्निंग आफीसर के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने के संबंध में, श्रीमती कमला किन्नर को महापौर पद हेतु विजयी घोषित करने संबंधी कार्यवाही को लेकर.
24. रिट याचिका क्रमांक-8720/14 धनसिंह उर्फ बाबूसिंह पटेल विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन, कलेक्टर इन्दौर, राज्य निर्वाचन आयोग व अन्य विषयक. आयोग के ज्ञापन दिनांक 27-12-2014 द्वारा कलेक्टर, इन्दौर को प्रकरण में जिले के साथ आयोग का भी पक्ष रखने के निर्देश दिए गए। नगरपालिक निगम, इन्दौर की सीमा में ग्रामों को सम्मिलित करने संबंधी विवाद.
25. रिट याचिका क्रमांक-15041/14 संजीव कुमार पांडे विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन, राज्य निर्वाचन आयोग आदि. आयोग के पत्र दिनांक 27-12-2014 द्वारा प्र.स., मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल को शासन पक्ष की ओर से प्रतिरक्षण हेतु लिखा गया। नगरीय निकायों का आरक्षण विवाद, अनु. जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, जबलपुर म. प्र.
26. रिट याचिका क्रमांक-17637/14 सुनील दत्त पाठक व अन्य विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन, रा.नि.आ., कलेक्टर सिवनी. आयोग के ज्ञापन क्रमांक 2030, दिनांक 29-12-14 द्वारा कलेक्टर, सिवनी को प्रकरण में शासकीय अभिभाषक के माध्यम से आयोग एवं जिले का संयुक्त उत्तर पेश करने हेतु लिखा गया। ग्राम पंचायत, छपरा, जिला सिवनी को नगर पंचायत, जिला सिवनी घोषित न करने संबंधी विवाद.
27. रिट याचिका क्रमांक-17677/14 प्रेम प्रकाश चौरसिया विरुद्ध रा.नि.आ., कलेक्टर जबलपुर. आयोग के ज्ञापन क्रमांक 2033, दिनांक 29-12-14 द्वारा प्र. स. मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय, भोपाल को प्रतिरक्षण हेतु लिखा गया। महापौर/अध्यक्षों पदों का आरक्षण विवाद.

1

2

3

4

28. जनहित याचिका क्रमांक-8610/14 आयोग के आदेश क्रमांक 2040/41, दिनांक 29-12-2014 द्वारा उप जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थान. निर्वा.) जिला इन्दौर म. प्र. को प्रकरण प्रभारी नियुक्त किया गया। नगरपालिक निगम इन्दौर के क्षेत्रों में ग्रामों को सम्मिलित करने बाबत विवाद.
29. रिट याचिका क्रमांक-8655/14 प्रकरण में कलेक्टर, खरगौन को जिला स्तर पर प्रकरण प्रभारी नियुक्त कर शासकीय अभिभाषक के माध्यम से प्रतिरक्षण करने संबंधी निर्देश पत्र दिनांक 29-12-2014 द्वारा जारी किए गए। नगरपालिका खरगौन में ग्रामों को सम्मिलित/अपवर्जित करने संबंधी विवाद.
30. रिट याचिका क्रमांक-8789/14 श्रीमती निशा चौहान विरुद्ध कलेक्टर बड़वानी व अन्य विषयक। प्रकरण में आयोग के ज्ञापन दिनांक 6-1-15 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, बड़वानी को प्रकरण में जिला स्तर पर प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति कर शासकीय अभिभाषक के माध्यम से पक्ष समर्थन की कार्यवाही हेतु लिखा गया। अनूसूचित जनजाति का प्रमाण-पत्र न बनाये जाने संबंधी विवाद.
31. रिट याचिका क्रमांक-17574/2014 दयाशंकर चौरसिया विरुद्ध म. प्र. शासन, राज्य निर्वाचन आयोग, कलेक्टर नरसिंहपुर, म. प्र. प्रकरण में आयोग के ज्ञापन दिनांक 6-1-15 द्वारा प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल को प्रतिरक्षण की कार्यवाही हेतु लिखा गया। नगर निगमों में महापौर पदों का आरक्षण विवाद.
32. रिट याचिका क्रमांक-17896/2014 भगवानदास अन्य विरुद्ध म. प्र. शासन, राज्य निर्वाचन आयोग, कलेक्टर बालाघाट, म. प्र. प्रकरण में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, बालाघाट म. प्र. को पत्र दिनांक 7-1-15 द्वारा जिला स्तर पर प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति की जाकर, शासकीय अभिभाषक के माध्यम से जिले एवं आयोग का संयुक्त उत्तर पेश करने हेतु लिखा गया। सरपंच पदों का आरक्षण, जिला बालाघाट.
33. रिट याचिका क्रमांक-8668/14 लोकेन्द्र पटेल विरुद्ध रा.नि.आ., कलेक्टर इन्दौर आदि। आयोग के ज्ञापन दिनांक 7-1-15 द्वारा कलेक्टर इन्दौर को जिला स्तर पर ओ.आई.सी. नियुक्त कर जिले एवं आयोग का संयुक्त उत्तर पेश करने के निर्देश दिए गए। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बाबत विवाद.
34. रिट याचिका क्रमांक-7876/2014 प्रहलाद सिंह रघुवंशी विरुद्ध म. प्र. शासन, कलेक्टर, विदिशा, राज्य निर्वाचन आयोग, आदि। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला विदिशा को पत्र दिनांक 20 जनवरी, 2015 द्वारा प्रकरण में जिला स्तर पर प्रकरण प्रभारी नियुक्त कर शासकीय अभिभाषक के माध्यम से जिले एवं आयोग का संयुक्त उत्तर म. उ. न्या. के समक्ष पेश किए जाने के निर्देश प्रसारित किए गए। जिला पंचायत अध्यक्ष के पद का आरक्षण विवाद.

1

2

3

4

35. रिट याचिका क्रमांक-8121/14 कलेक्टर श्योपुर को आयोग के ज्ञापन दिनांक विनोद सिंह विरुद्ध म. प्र. शा., रा.नि.आ., 19-1-15 द्वारा प्रकरण में जिला स्तर पर प्रभारी अधिकारी नियुक्त कर शासकीय अभिभाषक के माध्यम से जिले एवं आयोग का संयुक्त उत्तर मा. उ. न्या. के समक्ष पेश करने के निर्देश दिए गए। जिला पंचायत श्योपुर के निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण विवाद.
36. चुनाव याचिका क्रमांक 1/15 श्रीमती सुनीता तिवारी विरुद्ध राज्य निर्वाचन आयोग, कलेक्टर, विदिशा आदि (मा. अपर जिला न्यायाधीश, गंज बासौदा, जिला विदिशा).
37. रिट याचिका क्रमांक-19672/14 मो. अशरफ खान विरुद्ध रा.नि.आ., रिटर्निंग आफीसर सागर आदि।
38. रिट याचिका क्रमांक-9010/14 दिलीप कौशल विरुद्ध म. प्र. शा., कलेक्टर इन्दौर, रा. नि. आदि। नगरपालिक निगम इन्दौर के बार्डों के अवधारण एवं परिसीमन संबंधी।
39. रिट याचिका क्रमांक-22/15 श्री अरूण यादव रा.नि.आ., व अन्य में मा. उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश। (जिला पंचायत सदस्यों की मतगणना पर स्टे)। आयोग के क्रमांक 36/37, दिनांक 16-1-15 द्वारा श्री बुद्धेश कुमार वैद्य, उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल को प्रकरण प्रभारी नियुक्त किया गया।
40. रिट याचिका क्रमांक-7566/14 राजेश आदिवासी विरुद्ध म. प्र. शा., रा.नि.आ., कलेक्टर सीहोर आदि। प्रकरण में आयोग के आदेश दिनांक द्वारा उप जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला सीहोर (म. प्र.) को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करने की कार्यवाही की जा रही है। मतदाता सूची में नाम सम्मिलित न करने विषयक् विवाद।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

निर्वाचन से संबंधित अन्य माननीय न्यायालयों में प्रचलित प्रकरण

स. क्र.	याचिका क्रमांक	विषय वस्तु	की गई कार्यवाही
1	2	3	4
1.	निर्वाचन याचिका क्रमांक-18/2014 पारस प्रकरण का संबंध मूलतः मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी पुत्र शातिलाल सकलेचा विरुद्ध चेतन्य कश्यप कार्यालय भोपाल से होने के कारण आयोग के ज्ञापन क्रमांक-एफः-34-37/2014/दो/594, दिनांक 04-08-14 के संलग्न उपरोक्त संगत कार्यालय को भेजा गया।	निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-220 रतलाम सिटी के सम्पन्न विधान सभा निर्वाचन 2013 की विषय वस्तु।	
2.	रिट याचिका क्रमांक-10100/2014 मुस्तकीम अजम विरुद्ध राज्य निर्वाचन आयोग में माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10-07-2014 का पालन विषयक।	प्रकरण का संबंध मूलतः निर्वाचन व्यय प्रकोष्ठ से संबंधित होने के कारण नस्ती संग्रह शाखा को अंतरित की गई।	निर्वाचन व्यय संबंधित विवाद।
3.	माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर एवं उसकी खंडपीठों में नियुक्त अधिकारी नियुक्त अधिकारी नियुक्त करने विषयक।	आयोग के ज्ञापन क्रमांक एफ-34-52/14/दो/574-575, दिनांक 26-07-14 द्वारा मा. उच्च न्यायालय, जबलपुर हेतु श्री पी. एस. यादव, अवर सचिव, रा.नि.आ., बैच इन्डौर के लिए श्री संजय श्रीवास्तव, अवर सचिव, रा.नि.आ. एवं बैच ग्वालियर हेतु श्री प्रदीप तिवारी, अवर सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग को समन्वय अधिकारी नियुक्त किया गया है।	समन्वय संबंधी कार्य अधिकारी को से।
4.	रिट याचिका क्रमांक-10028/14 श्री कृष्णा धर्मेन्द्र सोनी विरुद्ध राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल आदि।	आयोग के आदेश क्रमांक-एफ-17-08/2014/दो/683/684, दिनांक 30-08-14 द्वारा उप जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था. निर्वा.) जिला भोपाल को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया।	निर्वाचन व्यय लेखा संबंधित विवाद। (निरहंता)।
5.	रिट याचिका क्रमांक-5494/14 श्रीमति मनोरमा पति देवनारायण विरुद्ध रा.नि.आ., कलेक्टर, देवास आदि।	आयोग के पत्र क्रमांक 839-40 दिनांक 15-10-14 द्वारा कलेक्टर देवास को प्रकरण में जिला स्तर पर प्रभारी अधिकारी नियुक्त कर शासकीय अधिकारी के माध्यम से आयोग एवं जिले कासंयुक्त उत्तर पेश करने के निर्देश दिए गए।	सम्पन्न पार्षद पद का निर्वा, विवाद., नामांकन पत्र नहीं लेने के संबंध में।
6.	रिट याचिका क्रमांक-7033/14 हरीसिंह व अन्य विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन, रा.नि.आ., कलेक्टर, अशोकनगर आदि।	प्रकरण में प्रतिरक्षण की कार्यवाही हेतु आयोग के आदेश क्रमांक 1267/68, दिनांक 1-12-14 द्वारा उप जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था. निर्वा.) जिला अशोकनगर म. प्र. को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया।	मतदाता सूची संबंधी विवाद। नाम विलोपन के संबंध में।

7. रिट याचिका क्रमांक-8789/14 श्रीमती निशा चौहान विरुद्ध कलेक्टर बड़वानी व अन्य विषयक। प्रकरण में आयोग के ज्ञापन दिनांक 6-1-15 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, बड़वानी को प्रकरण में जिला स्तर पर प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति कर शासकीय अधिभाषक के माध्यम से पक्ष समर्थन की कार्यवाही हेतु लिखा गया। अनूसूचित जनजाति का प्रमाण-पत्र न बनाये जाने संबंधी विवाद.
8. रिट याचिका क्रमांक-8668/14 लोकेन्द्र पटेल विरुद्ध रा.नि.आ., कलेक्टर इन्दौर आदि। आयोग के ज्ञापन दिनांक 7-1-15 द्वारा कलेक्टर इन्दौर को जिला स्तर पर ओ.आई.सी. नियुक्त कर जिले एवं आयोग का संयुक्त उत्तर पेश करने के निर्देश दिए गए। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बाबत विवाद.
9. चुनाव याचिका क्रमांक 1/15 श्रीमती सुनीता तिवारी विरुद्ध राज्य निर्वाचन आयोग, कलेक्टर, विदिशा आदि (मा. अपर जिला न्यायाधीश, गंज बासौदा, जिला विदिशा।
10. रिट याचिका क्रमांक-19672/14 मो. अशरफ खान विरुद्ध रा.नि.आ., रिटर्निंग आफीसर सागर आदि।
11. रिट याचिका क्रमांक-9010/14 दिलीप कौशल विरुद्ध म. प्र. शा., कलेक्टर रा. नि. आदि। नगरपालिक निगम इन्दौर के वाडों के अवधारण एवं परिसीमन संबंधी।
12. रिट याचिका क्रमांक-22/15 श्री अरुण यादव विरुद्ध रा.नि.आ., व अन्य में मा. उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश। (जिला पंचायत सदस्यों की मतगणना पर स्टे)। आयोग के क्रमांक 36/37, दिनांक 16-1-15 द्वारा श्री बुद्धेश कुमार वैद्य, उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल को प्रकरण प्रभारी नियुक्त किया गया।
13. रिट याचिका क्रमांक-7566/14 राजेश आदिवासी विरुद्ध म. प्र. शा., रा.नि.आ., कलेक्टर सीहोर आदि। प्रकरण में आयोग के आदेश दिनांक द्वारा उप जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला सीहोर (म. प्र.) को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करने की कार्यवाही की जा रही है। मतदाता सूची में नाम सम्मिलित न करने विषयक् विवाद.
14. रिट याचिका क्रमांक-8442/13 नन्हे लाल धुर्वे विरुद्ध प्रमुख सचिव, कापेरेटिव विभाग, मंत्रालय, भोपाल, माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर (म. प्र.). प्रकरण की विषय वस्तु मूलतः प्रमुख सचिव, कापेरेटिव विभाग, मंत्रालय, भोपाल से होने के कारण प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 16-06-14 की प्रति मूलतः आवश्यक कार्यवाही हेतु उपरोक्त संगत विभाग को ज्ञापन क्रमांक-एफ-34-37/14/दो/665, 666 दिनांक 22-08-14 में संलग्न भेजी गई। कापेरेटिव समितियों के निर्वाचन संबंधी विवाद.
15. रिट याचिका क्रमांक-17868/14 बहार बाई विरुद्ध म. प्र. शासन, रा.नि.आ., कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, दमोह आदि। प्रकरण में जिला दमोह द्वारा प्रभारी अधिकारी नियुक्त कर जवाबदाबा मा. उच्च न्यायालय, जबलपुर के सम्मुख पेश किया जा चुका है। नाम निर्देशन पत्र अस्वीकार या निरस्त करने संबंधी विवाद.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

निर्वाचन से संबंधित अन्य माननीय न्यायालयों में प्रचलित प्रकरण

स. क्र.	याचिका क्रमांक	विषय वस्तु	की गई कार्यवाही
1	2	3	4
1.	निर्वाचन याचिका क्रमांक-18/2014 पारस पुत्र शांतिलाल सकलेचा विरुद्ध चेतन्य कशथप एवं अन्य विषयक.	प्रकरण का संबंध मूलतः मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय भोपाल से होने के कारण आयोग के ज्ञापन क्रमांक-एफ-34-37/2014/दो/594, दिनांक 04-08-14 के संलग्न उपरोक्त संगत कार्यालय को भेजा गया।	निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-220 रत्लाम सिटी के सम्पन्न विधान सभा निर्वाचन 2013 की विषयवस्तु।
2.	रिट याचिका क्रमांक-10100/2014 मुस्तकीम अजम विरुद्ध राज्य निर्वाचन आयोग में माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10-07-2014 का पालन विषयक.	प्रकरण का संबंध मूलतः निर्वाचन व्यय प्रकोष्ठ से संबंधित होने के कारण नस्ती संगत शाखा को अंतरित की गई।	निर्वाचन व्यय संबंधित विवाद।
3.	माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर एवं उसकी खंडपीठों में नियुक्त अधिकारी को समन्वय के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से समन्वय अधिकारी नियुक्त करने विषयक.	आयोग के ज्ञापन क्रमांक एफ-34-52/14/दो/574-575, दिनांक 26-07-14 द्वारा मा. उच्च न्यायालय, जबलपुर हेतु श्री पी. एस. यादव, अवर सचिव, रा.नि.आ., बैंच इन्डौर के लिए श्री संजय श्रीवास्तव, अवर सचिव, रा.नि.आ. एवं बैंच ग्वालियर हेतु श्री प्रदीप तिवारी, अवर सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग को समन्वय अधिकारी नियुक्त किया गया है।	समन्वय संबंधी कार्य अभिभाषकों से।
4.	रिट याचिका क्रमांक-10028/14 श्री कृष्णा धर्मेन्द्र सोनी विरुद्ध राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल आदि.	आयोग के आदेश क्रमांक-एफ-17-08/2014/दो/683/684, दिनांक 30-08-14 द्वारा उप जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था. निर्वा.) जिला भोपाल को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया।	निर्वाचन व्यय लेखा संबंधित विवाद। (निरहंता)।
5.	रिट याचिका क्रमांक-5494/14 श्रीमति मनोरमा पति देवनारायण विरुद्ध रा.नि.आ., कलेक्टर, देवास आदि.	आयोग के पत्र क्रमांक 839-40 दिनांक 15-10-14 द्वारा कलेक्टर देवास को प्रकरण में जिला स्तर पर प्रभारी नियुक्त कर शासकीय अभिभाषक के माध्यम से आयोग एवं जिले कासंयुक्त उत्तर पेश करने के निर्देश दिए गए।	सम्पन्न पार्षद पद का निर्वा, विवाद., नामांकन पत्र नहीं लेने के संबंध में।
6.	रिट याचिका क्रमांक-7033/14 हरीसिंह व अन्य विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन, रा.नि.आ., कलेक्टर, अशोकनगर आदि.	प्रकरण में प्रतिरक्षण की कार्यवाही हेतु आयोग के आदेश क्रमांक 1267/68, दिनांक 1-12-14 द्वारा उप जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था. निर्वा.) जिला अशोकनगर म. प्र. को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया।	मतदाता सूची संबंधी विवाद, नाम विलोपन के संबंध में।

1	2	3	4
7.	रिट याचिका क्रमांक-8789/14 श्रीमती निशा चौहान विरुद्ध कलेक्टर बड़वानी व अन्य विषयक.	प्रकरण में आयोग के ज्ञापन दिनांक 6-1-15 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, बड़वानी को प्रकरण में जिला स्तर पर प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति कर शासकीय अभिभाषक के माध्यम से पक्ष समर्थन की कार्यवाही हेतु लिखा गया।	अनूसूचित जनजाति का प्रमाण-पत्र न बनाये जाने संबंधी विवाद.
8.	रिट याचिका क्रमांक-8686/14 लोकेन्द्र पटेल विरुद्ध रा.नि.आ., कलेक्टर इन्दौर आदि.	आयोग के ज्ञापन दिनांक 7-1-15 द्वारा कलेक्टर इन्दौर को जिला स्तर पर ओ.आई.सी. नियुक्त कर जिले एवं आयोग का संयुक्त उत्तर पेश करने के निर्देश दिए गए।	आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बाबत विवाद.
9.	चुनाव याचिका क्रमांक 1/15 श्रीमती सुनीता तिवारी विरुद्ध राज्य निर्वाचन आयोग, कलेक्टर, विदिशा आदि (मा. अपर जिला न्यायाधीश, गंज बासौदा, जिला विदिशा).		
10.	रिट याचिका क्रमांक-19672/14 मो. अशरफ खान विरुद्ध रा.नि.आ., रिटर्निंग आफीसर सागर आदि.		
11.	रिट याचिका क्रमांक-9010/14 दिलीप कौशल विरुद्ध म. प्र. शा., कलेक्टर रा. नि. आदि.		नगरपालिक निगम इन्दौर के वार्डों के अवधारण एवं पारसीमन संबंधी.
12.	रिट याचिका क्रमांक-22/15 श्री अरूण यादव रा.नि.आ., व अन्य में मा. उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश। (जिला पंचायत सदस्यों की मतगणना पर स्टे)	आयोग के क्रमांक 36/37, दिनांक 16-1-15 द्वारा श्री बुद्धेश कुमार वैद्य, उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल को प्रकरण प्रभारी नियुक्त किया गया।	
13.	रिट याचिका क्रमांक-7566/14 राजेश आदिवासी विरुद्ध म. प्र. शा., रा.नि.आ., कलेक्टर सीहोर आदि.	प्रकरण में आयोग के आदेश दिनांक द्वारा उप जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला सीहोर (म. प्र.) को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करने की कार्यवाही की जा रही है।	मतदाता सूची में नाम सम्मिलित न करने विषयक् विवाद.
14.	रिट याचिका क्रमांक-8442/13 नन्हे लाल धुर्वें विरुद्ध प्रमुख सचिव, कापरेटिव विभाग, मंत्रालय, भोपाल, माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर (म. प्र.).	प्रकरण की विषय वस्तु मूलतः प्रमुख सचिव, कापरेटिव विभाग, मंत्रालय, भोपाल से होने के कारण प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 16-06-14 की प्रति मूलतः आवश्यक कार्यवाही हेतु उपरोक्त संगत विभाग को ज्ञापन क्रमांक-एफ-34-37/14/दो/665, 666 दिनांक 22-08-14 में संलग्न भेजी गई।	कापरेटिव समितियों के निर्वाचन संबंधी विवाद.
15.	रिट याचिका क्रमांक-17868/14 बहार बाई विरुद्ध म. प्र. शासन, रा.नि.आ., कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, दमोह आदि.	प्रकरण में जिला दमोह द्वारा प्रभारी अधिकारी नियुक्त कर जवाबदाबा मा. उच्च न्यायालय, जबलपुर के सम्मुख पेश किया जा चुका है।	नाम निर्देशन पत्र अस्वीकार या निरस्त करने संबंधी विवाद.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

त्रिस्तरीय पंचायती राज से संबंधित माननीय न्यायालयों में प्रचलित प्रकरण

स. क्र.	याचिका क्रमांक	विषय वस्तु	की गई कार्यवाही
1	2	3	4
1.	रिट याचिका क्रमांक-913/2014- श्री बलवीर सिंह कुशवाह विरुद्ध म.प्र. शासन कलेक्टर, मुरैना में पारित आदेश बावत्.	माननीय उच्च न्यायालय, बैन्च गवालियर द्वारा इस संबंध में पारित निर्णय के पालन में आयोग द्वारा म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा-29(04) के अन्तर्गत दिनांक 01-08-2014 को आदेश पारित कर आदेश की प्रतिलिपि कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला मुरैना को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई.	जिला पंचायत मुरैना के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-16 के रिक्त सदस्य एवं अध्यक्ष के निर्वाचन के संबंध में।
2.	रिट याचिका क्रमांक-8869/2014- मनतीबाई विरुद्ध राज्य शासन निर्वा. आयोग, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला-बालाघाट.	आयोग के ज्ञापन क्रमांक-एफ-17-5/2014/दो/614-615, दिनांक 07-08-2014 द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला-बालाघाट को प्रकरण में जिला स्तर पर प्रकरण प्रभारी नियुक्त कर प्रतिरक्षण के निर्देश जारी किये गये।	नगरपालिक सीमाओं में उच्च पंचायतों को सम्प्रीत करने संबंधित विवाद।
3.	रिट याचिका क्रमांक-13345/13-में पारित निर्णय के परिपेक्ष्य में श्री रणछोड़ लाल चौधरी जिला उज्जैन के अभ्यावेदन बावत्.	प्रकरण का संबंध निर्वाचन शाखा (पंचायत) से संबंधित होने के कारण नस्ती अग्रिम कार्यवाही हेतु संगत शाखा को भेजी गई।	निर्वाचन नियमों के उपबंधों में संशोधन संबंधित अभ्यावेदन।
4.	रिट याचिका क्रमांक-3352/14/दो-बलवीर सिंह कुशवाह विरुद्ध राज्य शासन, राज्य निर्वाचन आयोग, कलेक्टर-मुरैना.	आयोग के ज्ञापन क्रमांक-एफ-18-07/14/दो/629-630, दिनांक 12-08-2014 द्वारा उप जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानिर्वा.), मुरैना को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया।	जिला पंचायत अध्यक्ष एवं सदस्य के रिक्त पद के निर्वाचन संबंधी विवाद।
5.	म.प्र. पंचायत राज्य अधिनियम, 1993 में संशोधन संबंधी श्री रणछोड़लाल चौधरी द्वारा दायर याचिका में पारित निर्णय संबंधी.	प्रकरण में आयोग के ज्ञापन क्रमांक-एफ-17-07/14/दो/653, दिनांक 20-08-2014 द्वारा इस संबंध में स्थिति स्पष्ट कर पत्र की प्रतिलिपि सचिव, म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल को भेजी गई।	पंचायत निर्वाचन नियमों में संशोधन संबंधी सुझाव विषयक्।

1

2

3

4

6. रिट याचिका क्रमांक-891/2014(फिल)-
प्रेम सिंह विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन, रा.नि.आ.,
कलेक्टर, देवासादि.
- आयोग के आदेश क्रमांक 1246/1247, दिनांक 29-11-14 द्वारा उप जिला निर्वाचन अधिकारी, (स्था.निर्वा.) जिला-देवास को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया।
7. रिट याचिका क्रमांक-8184/14-घीसालाल
विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन, रा.नि.आ., कलेक्टर,
राजगढ़ आदि.
- प्रकरण में आयोग के ज्ञापन दिनांक 1-12-14 द्वारा कलेक्टर, राजगढ़ को शासकीय अभिभाषक के माध्यम से जिले के साथ आयोग का भी पक्ष मा. उच्च न्यायालय के समक्ष रखने के निर्देश दिये गये।
8. रिट याचिका क्रमांक-17637/14-सुनील दत्त
पाठक व अन्य विरुद्ध-म.प्र. शासन,
रा.नि.आ., कलेक्टर, सिवनी।
- आयोग के ज्ञापन क्र. 2030, दिनांक 29-12-14 द्वारा कलेक्टर, सिवनी को प्रकरण में शासकीय अभिभाषक के माध्यम से आयोग एवं जिले का संयुक्त उत्तर पेश करने हेतु लिखा गया।
9. रिट याचिका क्रमांक-17896/14-
भगवानदास अन्य विरुद्ध-म.प्र. शासन,
रा.नि.आ., कलेक्टर, बालाघाट, म.प्र.
- प्रकरण में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, बालाघाट, म.प्र. को पत्र दिनांक 7-1-15 द्वारा जिला स्तर पर प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति की जाकर, शासकीय अभिभाषक के माध्यम से जिले एवं आयोग का संयुक्त उत्तर पेश करने हेतु लिखा गया।
10. रिट याचिका क्रमांक-7876/2014-प्रहलाद
सिंह रघुवंशी विरुद्ध-म.प्र. शासन, कले.
विदिशा, राज्य निर्वाचन आयोग आदि.
- कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला-विदिशा मो. पत्र दिनांक 20-1-15 द्वारा प्रकरण में जिला स्तर पर प्रकरण प्रभारी नियुक्त कर शासकीय अभिभाषक के माध्यम से जिले एवं आयोग का संयुक्त उत्तर मा. उ. न्या. के समक्ष पेश किये जाने के निर्देश प्रसारित किये गये।
11. रिट याचिका क्रमांक-8121/14-विनोद सिंह
परमार विरुद्ध-म.प्र. शासन, राज्य निर्वाचन
आयोग कले. श्योपुर आदि.
- कलेक्टर श्योपुर को आयोग के ज्ञापन दिनांक 19-1-15 द्वारा प्रकरण में जिला स्तर पर प्रभारी अधिकारी नियुक्त कर शासकीय अभिभाषक के माध्यम से जिले एवं आयोग का संयुक्त उत्तर मा. उ. न्या. के समक्ष पेश करने के निर्देश दिये गये।
- सरपंच पदों का आरक्षण विवाद-
जिला देवास।
- सरपंच पदों का आरक्षण विवाद।
- ग्राम पंचायत, छपरा, जिला-सिवनी
को पंचायत, जिला-सिवनी घोषित
न करने संबंधी विवाद।
- सरपंच पदों का आरक्षण-जिला
बालाघाट।
- जिला पंचायत अध्यक्ष के पद का
आरक्षण विवाद।
- जिला पंचायत श्योपुर के निर्वाचन
क्षेत्रों का आरक्षण विवाद।

परिषिक्त-तेईस

Complaint Details (Date-01-04-2015)

Related with	To	EVM	MCC	Transfer	Polling Station/ Booth	Nomination /Process	Revoting	Reservation	Counting	Voterlist	Previously received applications (mentally)	other	Total	Reported	Pending Compl.-taints
NAGAR NIKAY	DISTRICTS	69	72	159	48	26	6	15	25	76	165	297	958	454	504
NAGAR NIKAY	DEPARTMENTS	1	7	87	0	1	0	9	2	5	0	51	163	79	84
	TOTAL	70	79	246	48	27	6	24	27	81	165	348	1121	533	588
PANCHAYAT	DISTRICTS	13	106	230	251	125	83	40	144	219	48	524	1785	424	1361
PANCHAYAT	DEPARTMENTS	0	0	14	0	0	0	5	0	1	0	7	27	7	20
	TOTAL	13	106	244	251	125	83	45	144	220	48	531	1812	431	1381
	GRAND TOTAL	83	185	490	299	152	89	69	171	301	213	879	2933	964	1969

नगरपालिका के आम निर्वाचन 2014-15 में प्रकाशित निर्देश पुस्तिकाएं, चेकलिस्ट एवं प्राइमर

मैनुअल

1. नाम निर्देशन पत्रों की प्रस्तुति और संवीक्षा तथा प्रतीक आवंटन
2. मतगणना की प्रक्रिया
3. निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र जारी करने के संबंध में निर्देश
4. पीठासीन अधिकारी की निर्देशिका
5. स्थानीय निकायों के निर्वाचन से संबंधित महत्वपूर्ण अधिनियम
6. चुनाव लड़ रहे अभ्यर्थियों के दिन प्रतिदिन के निर्वाचन व्यय लेखे के संधारण हेतु रजिस्टर
7. आदर्श आचरण संहिता
8. गणना अभिकर्ताओं के लिए मार्गदर्शिका
9. अभ्यर्थियों के लिए मार्गदर्शिका
10. मतदान अभिकर्ताओं के लिए मार्गदर्शिका
11. म.प्र. नगरपालिका निर्वाचन नियम-1994
12. रिटर्निंग अधिकारी की निर्देशिका
13. नगरपालिका निर्वाचन निर्देशों का संकलन भाग-1
14. नगरपालिका निर्वाचन निर्देशों का संकलन भाग-2
15. नगरीय निकाय निर्वाचन हेतु चेकलिस्टों का संकलन
16. निर्वाचन के दौरान कानून एवं व्यवस्था (विभिन्न सुसंगत अधिनियमों, नियमों के उद्धरण)
17. रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की हस्त पुस्तिका
18. जिला निर्वाचन अधिकारी की हस्त पुस्तिका
19. प्राधिकृत कर्मचारी की निर्देशिका
20. प्रेक्षकों के लिए निर्देश

चेकलिस्ट

1. आयोग के लिए चेकलिस्ट
2. जिला निर्वाचन अधिकारी के लिए चेकलिस्ट
3. रिटर्निंग अधिकारी के लिए चेकलिस्ट
4. सेक्टर अधिकारियों के लिए चेकलिस्ट
5. प्रादर्श चेकलिस्ट (पीठासीन अधिकारियों के लिए)
6. कार्मिक प्रबंधन के लिए चेकलिस्ट
7. ई.आर.ओ. के लिए चेकलिस्ट
8. प्रशिक्षण के लिए चेकलिस्ट

प्राइमर

1. मैं मतदाता हूँ
2. मैं अभ्यर्थी हूँ
3. मैं पीठासीन अधिकारी हूँ
4. मैं ई.व्ही.एम. हूँ

